न्यायालय–विवेक कुमार पाठक,मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सागर (म.प्र.)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक–1648 / 2017
संस्थित दिनांक–01.07.2017
सी.एन.आर.एम.पी.1501 / 007208 / 2017
फाईलिंग नंबर–5871 / 2017

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा प्रभारी अधिकारी,क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स,सागर (म.प्र.).

––अभियोजन / परिवादी

विरूद्ध

1. नंदलाल पिता प्रेमसींग मोंगिया (मृत) निवासी–ग्राम मोगियापुरा थाना वीरपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)
2. आजाद पिता हरीराम उर्फ हरीसिंह आदिवासी, आयु 45 वर्ष, निवासी– सब्जी मण्डी, कैलारस जिला मुरैना (म.प्र.)
3. अजयसिंह पिता कृपालसिंह, आयु 40वर्ष, निवासी– मकान नं.60, नई आबादी, जायसवाल कुंज, नागला मोहल्ला थाना एत्मोदोला,आगरा (उ.प्र.)
4. सम्पतिया पिता भन्तु बाथम (भोई), आयु 49वर्ष, पेशा– सिंचाई विभाग में शासकीय नौकरी, निवासी– श्यामपुर थाना वीरपुर, जिला श्योपुर (म.प्र.)
5. विजय पिता शशीकांत गौड़, आयु 30 वर्ष, निवासी–10 / 9, बैंरिंग क्वार्टर थाटीपुर,जिला ग्वालियर (म.प्र.)
6. कमल उर्फ राकेश पिता देवीचरण बाथम,आयु 39वर्ष, पेशा–मजदूरी, निवासी–वीरपुर जिला श्योपुर (म.प्र.)
7. रामसिंह उर्फ भोला पिता कुंवरपालसिंह, आयु 27 वर्ष, निवासी–मेनपुरी जिला मेनपुरी (उ.प्र.)
8. कैलाशी उर्फ चच्चा पिता छउआ उर्फ छबीराम बाथम,आयु 55 वर्ष, निवासी– नूराबाद जिला मुरैना (म.प्र.)

9. मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर पिता गुल मोहम्मद, आयु 31 वर्ष, निवासी–ग्राम भौगांव जिला मेनपुरी (उ.प्र.)
10. थमीम अंसारी पिता साथर अंसारी, आयु 29वर्ष, निवासी– 67, थिरूमलाई नग मोराई आबाडी, चैन्नई(तमिलनाडू)
11. मोहम्मद इरफान पिता मोहम्मद जनुअल, आयु 27 वर्ष,निवासी– 2 / 1बी,बंगाली शाहा वारसी लेन, पोस्ट–खिदिरपुर, थाना इकबालपुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
12. मन्नीवन्नन पिता मुररूगेशन, आयु 31 वर्ष,निवासी– पुराना नं. 112,नया नंबर–32, द्वितीय तल,थयप्पा स्ट्रीट जोर्ज टाउन चैन्नई (तमिलनाडू)
13. सुशीलदास उर्फ खोका पिता पुरतीराम, आयु 61वर्ष,निवासी– कायरामारी उत्तरपारा, पोस्ट व थाना–वनगांव, (पश्चिम बंगाल).
14. तपश बसाक उर्फ रोनी पिता तपन बसाक,आयु 30वर्ष,निवासी–64 / ए, प्रतापगढ़ कोलकाता (पश्चिम बंगाल).
15. शेखरदास पिता विनयदास नि. वनगांव (पश्चिमबंगाल)**(प्रकरण पृथक)**
16. मोह.सुल्तान पिता मोह. जैनुल,नि. कोलकाता(पश्चिमबंगाल)**(प्रकरण पृथक)**

....उपस्थित आरोपीगण

17. अजय कोरकू पिता संतोष कोरकू, निवासी–थाटीपुर, ग्वालियर**(फरार)**
18. सनील व्ही. सेमुअल पिता सेमवेल, निवासी थिरूवोत्तयुर, चैन्नई **(फरार)**
19. खोकन शाह, आयु 62 वर्ष, निवासी–परगना,वेस्ट बंगाल**(फरार)**
20. शैलेन्द्रसिंह पिता राजेन्द्रसिंह निवासी– मैंनपुरी (उ.प्र.) **(फरार)**

21. मिश्रीलाल माहोर पिता ख्यालीराम माहोर, निवासी–ग्वालियर**(फरार)**
22. रजनीकांत ओझा, निवासी– कलकत्ता (पश्चिम बंगाल) **(फरार)**
23. हमीद सिलमी, निवासी– श्रीलंका**(फरार)**
24. बेन्टी, निवासी–कालूतरा, श्रीलंका **(फरार)**
25. तारकनाथ घोष पिता निताई घोष, निवासी–परगना,(पश्चिम बंगाल) **(फरार)**
26. मोन्टरी, निवासी–थाईलेंण्ड **(फरार)**
27. राजनारायण ए बिरानी, निवासी–पूजल,चैन्नई (फरार)
28. अजीज उर्फ आकाश निवासी– ढाका बंगलादेश**(फरार**)
29. अलहज शफीकउल इस्लाम उर्फ रहमान तालुकदार, नि.बंग्लादेश**(फरार)**
30. विनोदसिंह निवासी–गया (बिहार) **(फरार)**
31. अब्बासभाई निवासी–गया (बिहार) **(फरार)**
32. माईक, निवासी–बैंकाक**(फरार)**
33. कार्सन, निवासी–गुअंगझोउ (चीन) **(फरार)**
34. टेर्री, निवासी–कुआलालम्पुर (मलेशिया) **(फरार)**
35. ईवान, निवासी–कुआलालंम्पुर (मलेशिया)**(फरार)**
36. एल्विस, निवासी होंगकोंग**(फरार)**
37. जैकी, निवासी–बैंकॉक**(फरार)**

.....फरार आरोपीगण.

अभियोजन द्वारा	ए.डी.पी.ओ. श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया एवं श्री ब्रजेश दीक्षित व श्री दिनेश सिंह चंदेल।
आरोपी आजाद द्वारा	अधिवक्ता श्री ए.के.मल्लाह।
आरोपी अजयसिंह एवं मो. इकरार द्वारा	अधिवक्ता श्री महेन्द्र राय।
आरोपी सम्पतिया एवं कमल बाथम द्वारा	अधिवक्ता श्री विनय चौधरी।
आरोपी विजय एवं रामसिंह उर्फ भोला द्वारा	अधिवक्ता श्री के.पी.दुबे।
आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा द्वारा	अधिवक्ता श्री ओ.एस.मिश्रा।
आरोपी थमीम अंसारी द्वारा	अधिवक्ता श्री के.व्ही.एस.ठाकुर।
आरोपी मोहम्मद इरफान द्वारा	अधिवक्ता श्री फैज मोहम्मद।
आरोपी मन्नीवन्नन द्वारा	अधिवक्ता श्री सौरभ स्थापक।
आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका द्वारा	अधिवक्ता श्री मणीकांत शर्मा।
आरोपी तपश बसाक द्वारा	अधिवक्ता श्री कमलेश नायक।

नि र्ण य

(आज दिनांक **19–जुलाई–2021** को घोषित)

1. आरोपीगण आजाद, अजयसिंह, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर, थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका एवं तपश बसाक उर्फ रोनी के विरूद्ध वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 **(जिसे आगे के पदों में अधिनियम लिखा जायेगा)** की धारा 39, 44, 48, 48 (ए), 49, 49 (बी) एवं 52 के अधीन दण्डनीय अपराध के यह आरोप हैं कि उन्होंने, उनको अभिरक्षा में लिये जाने की दिनांक के पूर्व के वर्षों में, उक्त सह–आरोपीगण तथा आरोपी नंदलाल (मृत) एवं अन्य आरोपी शेखरदास, सुल्तान तथा फरार

अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के रूप में, मुख्य रूप से भारत के मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चैन्नई आदि राज्यों, तथा भारत के बाहर के श्रीलंका, बंग्लादेश, चीन, थाईलेंड, पाकिस्तान, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों, में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) **(जिसे आगे के पदों में कछुआ लिखा जायेगा)** एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव को अवैध रूप से स्वयं के कब्जे में रखा, तथा बगैर अनुज्ञप्ति के उनकी खरीद–फरोख्त (व्यापार) कर, तथा व्यापार के संबंध में अवैध परिवहन किया, और सहआरोपीगणों के साथ मिलकर अनुसूचित पशु से प्राप्त ट्राफी, पशु वस्तु का, अवैध व्यापार किया जो अधिनियम की धारा–39, 44, 48, 48ए, 49, 49बी एवं धारा 52 का उल्लंघन होकर उक्त अधिनियम की धारा 51(1) के परंतुक, एवं धारा 51(1–क) के तहत दण्डनीय है, साथ ही आरोपीगण अजयसिंह, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका तथा तपश बसाक उर्फ रोनी के विरूद्ध अधिनियम की धारा 9 के तहत यह भी आरोप है कि उन्होंने उक्त समय एवं स्थान पर अधिनियम की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ को जीवित अवस्था में अवैध रूप से पकड़कर, स्वयं के कब्जे में रखा, जो उक्त अधिनियम की धारा 51(1) के परंतुक, एवं धारा 51(1–क) के तहत दण्डनीय है।

2. प्रकरण में आरोपीगण आजाद, अजय, मोहम्मद इकरार को गिरफ्तारी स्वीकृत है, तथा आरोपी मन्नीवन्नन से एक एप्पल कंपनी का एक्स–10 के मोबाईल की जप्ती स्वीकृत है।

3. प्रकरण में उल्लेखनीय तथ्य यह हैं कि–

(ए) प्रकरण में आरोपीगण अजय कोरकू, सनील व्ही. सेमुअल, खोकन शाह, शैलेन्द्रसिंह, मिश्रीलाल माहोर, रजनीकांत ओझा, हमीद सिलमी, बेन्टी, तारकनाथ घोष, मोन्टरी, राजनारायण ए बिरानी, अजीज उर्फ आकाश, अलहज शफीकउल इस्लाम उर्फ रहमान तालुकदार, विनोदसिंह, अब्बासभाई, माईक, कार्सन, टेर्री, ईवान, एल्विस, एवं जैकी, फरार हैं, **अतः उक्त फरार आरोपीगण के संबंध में यह निर्णय पारित नहीं किया जा रहा है।**

(बी) यह निर्णय मात्र आरोपी आजाद, अजयसिंह, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर ,थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका एवं तपश बसाक

उर्फ रोनी के संबंध में ही पारित किया जा रहा है।

(सी) आरोपी शेखरदास एवं सुल्तान के संबंध में पृथक से पूरक अभियोग / परिवाद पत्र प्रस्तुत किये जाने तथा उक्त का विचारण वर्तमान प्रकरण से पृथक किये जाने के कारण उनके संबंध में आपराधिक प्रकरण क्रमांक–1830 / 2019 राज्य विरूद्ध शेखरदास एवं एक अन्य, पृथक से दर्ज होकर लंबित है, **अतः उक्त आरोपीगण शेखरदास एवं सुल्तान के संबंध में यह निर्णय पारित नहीं किया जा रहा है।**

(डी) आरोपी नंदलाल के मृत हो जाने से उसके विरूद्ध **कार्यवाही दिनांक 07.08.2018 को उपशमित हो चुकी है।**

4. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे(अ.सा.1) उप वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग में प्रभारी अधिकारी क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर में पदस्थ थी, जों विधि अनुसार अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत परिवाद पत्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत थीं, और उनके द्वारा आरोपी नंदलाल, आजाद, अजयसिह व सम्पत्तिया के विरूद्ध दिनांक 01.07.2017 को अधिनियम की धारा 2, 9, 39, 44, 48ए, 49बी, 52 के अंतर्गत मूल परिवाद प्रस्तुत किया गया, तत्पश्चात् आरोपी विजयसिंह गौड़ एवं कमल बाथम के विरूद्ध दिनांक 21.07.2017 को, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा एवं मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर के विरूद्ध दिनांक 25.10.2017 को, आरोपी थमीम अंसारी के विरूद्ध दिनांक 05.12.2017 को, आरोपी मोहम्मद इरफान के विरूद्ध दिनांक 20.03.2018 को, आरोपी मन्नीवन्नन के विरूद्ध दिनांक 26.03.2018 को, आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के विरूद्ध दिनांक 21.01.2019 को एवं आरोपी तपश बसाक के विरूद्ध दिनांक 15.03.2019 को पूरक परिवाद पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

5. अभियोजन कथा अनुसार सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे(अ.सा.1) उप–वन संरक्षक, मध्यप्रदेश शासन वन विभाग, क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, सागर को उनके वरिष्ठ कार्यालय भोपाल से यह सूचना प्राप्त हुई थी कि चम्बल नदी में पाये जाने वाले लाल तिलकधारी कछुआ व पेंगोलिन के खपट्टों की अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित गिरोह के द्वारा तस्करी की जा रही है, उक्त की जांच हेतु मुख्यालय भोपाल के आदेश दिनांक 03.05.2017 द्वारा एक संयुक्त टीम का गठन किया गया था, उसी समय अर्थात् दिनांक 03.05.2017 को ही, न्यायालय सबलगढ़ के वन अपराध क्रमांक–8877 / 25 दिनांक 17.09.2016 में, प्रोडक्शन वारण्ट पर बुलाये गये न्यायालय ग्वालियर के वन अपराध क्रमांक–4840 / 04 में गिरफ्तार आरोपी आजाद पिता हरीराम को, फारेस्ट रिमाण्ड पर रिमाण्ड कार्यवाही हेतु प्राप्त किया गया था। दिनांक 05.05.2017 को उपरोक्त आदेश से गठित संयुक्त टीम, सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे(अ.सा.1) के साथ,

गेमरेंज सबलगढ़ द्वारा की गई आरोपी आजाद की रिमाण्ड कार्यवाही में सम्मिलित हुई, और उक्त दिनांक 05.05.2017 को संयुक्त टीम (क्षेत्रीय वन स्टाफ सबलगढ़, आर.टी.एस.एफ.सागर एवं एस.टी.एस.एफ.भोपाल) ने आरोपी आजाद की निशादेही पर आरोपी नंदलाल मोंगिया (मृत) के घर ग्राम मोंगियापुरा तहसील वीरपुर जिला श्योपुर में छापा मारा, और आरोपी नंदलाल (मृत) को अभिरक्षा में लेकर उससे पूछतांछ कर उसके घर की तलाशी लिये जाने पर तलाशी के दौरान आरोपी के घर से पीले रंग की पॉलीथीन में 300 ग्राम (कुल 50 नग) पेंगोलिन के खपटे (स्कल) प्राप्त किये, जिसका मौका पंचनामा (प्रदर्श पी–1) तैयार कर उन्हें विधिवत् जप्त किया गया था, जिसका जप्तीपत्रक (प्रदर्श पी–368) तैयार कर जप्तशुदा वन्य प्राणी पैंगोलिन शल्क को मौके पर शीलबंद कर कब्जा लिया गया था।

6. अभियोजन कथा अनुसार दिनांक 05.05.2017 को मौके पर ही आरोपी नंदलाल से पूछतांछ की गई, पूछतांछ के दौरान आरोपी नंदलाल के द्वारा वन्य प्राणी पेंगोलिन एवं कछुआ के अवैध शिकार एवं वन्य प्राणी अवयवों की अवैध खरीद फरोख्त किया जाना तथा उक्त अपराध में आरोपी आजाद की संलिप्तता होना व्यक्त किया गया, इस कारण आरोपी नंदलाल के विरूद्ध मौके पर ही वन अपराध क्रमांक–28060/02 दिनांक 05.05.2017 पंजीबद्ध कर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 44, 48ए, 49बी, 51, 52 एवं 57 के अंतर्गत पी.ओ.आर.(प्रदर्श पी–346'ए') जारी की गई। दिनांक 06.05.2017 को आरोपी नंदलाल को वर्तमान प्रकरण में गिरफ्तार कर (गिरफतारी पंचनामा प्रदर्श पी–58) जे.एम.एफ.सी.,न्यायालय सबलगढ़ में पेश किया गया तथा उक्त अपराध में आरोपी आजाद की संलिप्तता के तथ्य पाये जाने से न्यायालय सबलगढ़ से वर्तमान प्रकरण में आरोपी आजाद की गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त कर उसे गिरफ्तार (प्रदर्श पी 59 के गिरफतारी पंचनामा के अनुसार) किया गया था, और उक्त दोनों आरोपीगण को सक्षम अधिकारिता वाले इस न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 06.05.2017 को ट्रांजिट रिमाण्ड पर प्राप्त किया गया था।

7. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी नंदलाल (मृत) एवं आरोपी आजाद को फारेस्ट रिमाण्ड पर लेकर सक्षम अधिकारी द्वारा दिनांक 07.05.2017 को पूछतांछ कर अधिनियम की धारा 50(8)(डी) के तहत उनके बताये अनुसार कथन अभिलिखित कराये गये थे, जिसमें आरोपी नंदलाल(मृत) ने यह बताया था कि वह चंबल नदी से कछुआ एवं चीटीखोर (पेंगोलिन) का शिकार करता है, बेचता है, और एक दिन उसके घर पर वीरपुर में आरोपी आजाद मिलने आया, जिसने कछुये और चींटीखोर जानवर के खपटे की मांग की थी, तब उसने आरोपी आजाद को 4–5 कछुये दिखाये थे, जो उसने 2–3 दिन पहले चंबल नदी से पकड़े थे, तब उन्हें आरोपी आजाद ने 200/–रूपये प्रति कछुये के हिसाब से खरीद लिया था और कुछ मात्रा में चींटीखोर के

खपटे भी आरोपी आजाद ने खरीदे थे। आरोपी नंदलाल (मृत) ने उसके कथन में यह भी बताया था कि पहले भी कई बार उसकी मोबाईल फोन से आरोपी आजाद से कछुआ और चींटीखोर जानवर के खपटे की खरीद–फरोख्त की बातें होती रही हैं और वन विभाग सबलगढ़ के द्वारा उसके घर में पहले भी तलाशी ली गई थी और कुछ कछुये, चंदन गौह, एक बंदूक और अन्य औजार जप्त कर उसके खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया था।(जो अभियोजन के अनुसार वन अपराध क्रमांक–8877 / 25 दिनांक17.09.2016 है।)

8. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी आजाद ने उसके बयान दिनांक07.05.2017, जिनको अधिनियम की धारा 50(8)(डी) के तहत अभिलिखित कराया गया था, में यह बताया था कि वह कछुये एवं चीटीखोर (पेंगोलिन) के खपटे को खरीदकर बेचता है, उसके पास आरोपी अजयसिंह, जिसका मोबाईल नंबर 7088369759 (अभियोजन अनुसार टंकण त्रुटिवश 7088369758 टंकित), 8279430238 एवं 9412124359 हैं और आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, जिसका मोबाईल नंबर 7055232553 है, ग्वालियर से आकर उससे मिले थे और उन्होंने मोबाईल पर कछुये और चींटीखोर की फोटो दिखाकर उक्त कछुआ 500 / –रूपये में खरीदने की बात की थी और चींटीखोर के खपटे की व्यवस्था करने को कहा था। आरोपी आजाद ने बयान में यह भी बताया कि उक्त आरोपी अजयसिंह और रामसिंह उससे कछुये और चींटीखोर के बारे में पूछते रहते थे, इसीलिये कि वह कछुये के लिये वीरपुर में नंदलाल के घर गया था और नंदलाल (मृत) को कछुआ और चींटीखोर की फोटो दिखाकर 200 / –रूपये प्रति नग कछुआ खरीदने की बात की थी, और उस समय नंदलाल (मृत) के पास 4 से 5 कछुये और कुछ मात्रा में चींटीखोर के खपटे मिले थे, जिसे उसने खरीद लिया था और उन्हें आरोपी अजयसिंह और आरोपी भोला को आगरा में बेच दिया था। आरोपी आजाद ने कथन में यह भी बताया था कि उसके विरूद्ध वर्ष 2015 में पिता हरीराम के साथ वन विभाग के द्वारा एक अपराध कायम किया गया है तथा आरोपी नंदलाल (मृत) के साथ भी वन विभाग सबलगढ़ के द्वारा एक अपराध प्रकरण कायम किया गया है।

9. अभियोजन कथा के अनुसार आरोपी आजाद द्वारा कथन में आरोपी अजय व आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की संलिप्तता बताये जाने पर आरोपी अजयसिंह और रामसिंह उर्फ भोला की तलाश की गई तो यह ज्ञात हुआ कि आरोपी अजयसिंह आगरा जेल में निरूद्ध है, तब उसे प्रोडक्शन वारण्ट से तलब किया जाकर दिनांक 05.06.2017 को गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–71) किया गया और पूछतांछ हेतु दिनांक 10.06.2017 तक के फारेस्ट रिमाण्ड पर प्राप्त किया गया। अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह ने अधिनियम की धारा 50(8)(डी) के तहत अभिलिखित कराये गये उसके बयान में यह बताया कि उसके और उसके रिश्तेदारों के ट्रक आगरा से सामान लेकर कलकत्ता जाते थे, जिसमें उसके ड्रायवर वन्य प्राणियों के

अंग एवं कछुये चोरी से रखकर ले जाते थे और अधिक मुनाफे में कलकत्ता में बेच देते थे तब वह अधिक पैसा कमाने के लालच में वन्य प्राणी कछुआ, गोह (मोनिटर लिजार्ड), दो मुंहा सांप (सेंड बोआ), पेंगोलिन के खपटे आदि की तस्करी के व्यवसाय से जुड़कर, देश विदेश में अपना नेटवर्क फैलाकर काफी मुनाफा कमाने लगा, और इसी व्यवसाय के संबंध में वह अपने कई दोस्तों से कछुआ या अन्य वन्य प्राणियों के अवयव खरीदने लगा था।

10. अभियोजन कथा अनुसार उक्त आरोपी अजयसिंह ने उसके कथन में यह भी बताया था कि उसके मित्र रामसिंह उर्फ भोला ने उसे बताया था कि शिकोबाबाद के पास में बा–बटेश्वर गांव एवं पिनहट में उसको कछुये मिलेंगे, तब उसने एवं आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने बा–बटेश्वर गांव एवं पिनहट में मछुआरों से सम्पर्क किया था और उनसे लगभग 400 / –से 500 / –रूपये प्रतिनग के हिसाब से कछुये खरीदते थे, जिसे कलकत्ता निवासी मोहम्मद इरफान, जिसका मोबाईल नंबर 9163398233, 8979194276 है, एवं आरोपी मोहम्मद सुल्तान, जिसका मोबाईल नंबर– 9038374240 है, को 2000 / –रूपये से 3000 / –रूपये प्रति नग में बेचा करते थे। आरोपी अजयसिंह ने कथन में यह भी बताया था कि वह हिन्दुस्तान एवं बंग्लादेश वार्डर (सीमा) पर स्थित गांव बनगांव एवं चांदपारा निवासी खोका, जिसका मोबाईल नंबर–7407065721 है, फरार आरोपी खोकोन शाह, आरोपी शेखर, को भी कछुये बेचता रहा है। आरोपी अजयसिंह ने कथन में यह भी बताया था कि वन्य प्राणी अवैध तस्करी के अपराध में उसका सम्पर्क चैन्नई निवासी फरार आरोपी सनील कुमार से हुआ था, जिससे उसका धंधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलने लगा था और इंटरनेट साईट के माध्यम से उसे कछुये की विलुप्त प्रजाति के बाजार में अच्छे दाम मिलने लगे थे, जिनमें से रेड क्राउण्ड रूफ टर्टल, इंडियन टेंट टर्टल एवं अन्य विलुप्त प्रजाति के कछुये वह 3000 / – से 6000 / –रूपये प्रति नग के हिसाब से बेचता था।

11. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह ने अपने बयान में यह भी बताया था कि उक्त व्यवसाय के दौरान उसका सम्पर्क चैन्नई निवासी आरोपी थमीम अंसारी, जिसका मोबाईल नंबर–9940557996, 8056109242, 7402429870 और 9677114822 था, आरोपी मन्नीवन्नन मुर्गेशन, जिसका मोबाईल नंबर–9962245961 एवं 9176371047 था, से हुआ था, जो कि रेड क्राउन रूफ टर्टल, इंडियन टेंट टर्टल एवं अन्य विलुप्त प्रजाति के कछुये, उससे 3000 / – से 8000 / –रूपये प्रति नग कछुआ की दर से खरीदते थे। आरोपी अजयसिंह ने उसके बयान में यह भी बताया था कि उसने उत्तप्रदेश के अलावा मध्यप्रदेश के लोगों से भी इस व्यवसाय में कछुये खरीदने के लिये सम्पर्क किया था, क्योंकि विलुप्त प्रजाति के कछुये चंबल नदी में भी अधिक मिल जाते हैं, इसके लिये उसके साथी आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने ग्वालियर निवासी आरोपी विजय गौड, जिसका मोबाईल नंबर 9977104416,

9424344322, 7581021773 एवं 9826777094 है, से सम्पर्क कराया था और आरोपी विजय गौड़ उसे साथ लेकर चंबल नदी के किनारे गया था। आरोपी अजयसिंह ने उसके कथन में यह भी बताया था कि आरोपी विजय गौड़ ने आरोपी आजाद आदिवासी से उसे मिलवाया था तथा उससे लगभग दो बार विलुप्त प्रजाति के लाल तिलकधारी कछुये 500 / –से 1000 / –रूपये प्रति नग की दर से खरीदवाये थे एवं उसने वीरपुर के पास स्थित श्यामपुर निवासी आरोपी सम्पत्तिया मछुआरे, जिसका मोबाईल नंबर 8120392818 है, से भी दो बार में 10 से 12 कछुये खरीदवाये थे। आरोपी अजयसिह ने यह भी बताया था कि उसके द्वारा चंबल नदी से कछुआ एवं पेंगोलिन (चींटीखोर) का शिकार कर बेचा जाता था और उसने कोलकाता के साथ–साथ चैन्नई वालों को भी माल (कछुआ) देना चालू कर दिया था क्योंकि वे लोग इंटरनेट साईट के माध्यम से कछुओं की तस्करी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाते थे। आरोपी अजयसिंह ने उसके बयान में यह भी बताया था कि जब वह कछुये चैन्नई वालों को सप्लाई करने की तैयारी में था, तब दिनांक 20.08.2017 को आगरा केण्ट स्टेशन से गुन्टूर जाने वाले स्थान पर पुलिस द्वारा राजा की मण्डी रेल्वे स्टेशन से उसे 23 नग कछुओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह से जप्त मोबाईल आगरा न्यायालय से प्राप्त कर जांच हेतु एफ.एस.एल.,भेजा गया था।

12. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह से पूछतांछ करने पर वर्तमान प्रकरण में आरोपी सम्पतिया बाथम की संलिप्तता होने का तथ्य स्पष्ट हुआ था, तब आरोपी सम्पतिया की फोटो शिनाख्तगी आरोपी अजयसिंह से कराकर आरोपी सम्पतिया बाथम के संबंध में जांच आगे बढ़ाई गई और दिनांक09.06.2017को आर.टी.एस.एफ.सागर एवं एस.टी.एस.एफ.,भोपाल की संयुक्त टीम द्वारा उसे गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–63) कर पूछतांछ की गई थी, तब आरोपी सम्पतिया ने अधिनियम की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभिलिखित कराये गये उसके कथन दिनांक 09.06.2017 (प्रदर्श पी–65)में यह बताया था कि उसकी जान–पहचान आरोपी आजाद से काफी पुरानी थी, और उसे यह भी पता था कि आरोपी आजाद एवं उसका पूरा परिवार वन्य प्राणी कछुआ, सालेगाडु(पेंगोलिन शल्क), शेर, तेंदुआ एवं अन्य वन्य प्राणियों एवं उनके अवयवों (अंगों) के अवैध व्यापार की खरोद फरोख्त में लिप्त हैं और आरोपी आजाद ने इस अवैध व्यवसाय से काफी पैसा कमाया है। आरोपी सम्पतिया ने उसके कथन में यह भी बताया कि आरोपी आजाद ने उससे लगभग दो–तीन वर्ष पूर्व कहा था कि वह अपने आस–पास के क्षेत्रों (चम्बल नदी से लगे) से वन्य प्राणी कछुआ इकट्ठा करे, क्योंकि इस व्यापार में बहुत मुनाफा है,तब उसने आरोपी आजाद के बताये अनुसार लालच में आकर अपने आस–पास के क्षेत्रों से कछुआ इकट्ठे करना चालू कर दिया था और पहली बार 15 से 20 कछुये आरोपी आजाद को 500 / –रूपये से 1200 / –रूपये

प्रति नग के हिसाब से बेचे थे। आरोपी सम्पत्तिया बाथम ने उसके कथन में यह भी बताया था कि उसे आरोपी आजाद ने बताया था कि इन कछुओं की भारी मांग देश–विदेशों में है और वह इन कछुओं को आरोपी विजय गौड़,जिसका मोबाईल नंबर 9977104416, 9424344322, 7581021773 एवं 9826777094 और आरोपी अजयसिंह, जिसका मोबाईल नंबर 9412124359, 7300733771 एवं 8279430238 है, को बेचता है, जिनकी पहचान आरोपी आजाद ने उससे करवाई थी।

13. अभियोजन कथा अनुसार पूछतांछ पर आरोपी सम्पतिया ने उसके कथन में यह भी बताया कि अधिक पैसा कमाने के लालच में उसने अपने मोबाईल नंबर 8120392818 से आरोपी अजयसिंह और आरोपी विजय गौड़ से कछुओं के व्यापार के संबंध में बात करना चालू कर दिया था और वह इन कछुओं को चम्बल और यमुना के आस–पास के क्षेत्रों में रहने वाले शिकारियों से 400/– से 800/–रूपये प्रतिनग के हिसाब से खरीदता था तथा उन्हें 1000/– से 1500/–रूपये प्रतिनग के हिसाब से आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी विजय गौड़ को बेच देता था। आरोपी सम्पतिया के अनुसार उसके बढ़ते हुये कछुओं के अवैध व्यापार के कारण कई लोगों से उसका सम्पर्क हुआ था, जिसमें फरार आरोपी एस.के.सिंह (शैलेन्द्र कुमार सिंह) भी है, जिसने अपने मोबाईल नंबर 8506060763 एवं 8770060475 से उसके मोबाईल नंबर 8120392818 पर बात की थी। आरोपी सम्पतिया बाथम ने उसके कथन में यह भी बताया था कि इसके अलावा उसने कछुओं की खरीद–फरोख्त का व्यापार आरोपी रामसिंह उर्फ भोला निवासी– फिरोजाबाद(उत्तरप्रदेश), जिसका मोबाईल नंबर– 7055232553 है, से भी किया था और उसे 1500/–रूपये प्रतिनग के हिसाब से 8 कछुआ बेचे थे। अभियोजन कथा अनुसार आरोपी सम्पतिया से प्रदर्श पी–64 के जप्ती पत्रक दिनांक 09.06.2017 द्वारा एक वीडियोकॉन का मोबाईल, जिसका आई.एम.ई. आई.नंबर 911518402012164 एवं 91151518402012172, मोबाईल नंबर 8120392818 एवं 8817971742 जप्त किये गये हैं।

14. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह से वन्य प्राणी की तस्करी में आरोपी विजय गौड़ की संलिप्तता होने का तथ्य स्पष्ट हुआ था, जिसकी पुष्टि होने पर आरोपी अजयसिंह द्वारा आरोपी विजय की, की गई शिनाख्तगी पर आरोपी विजय को गिरफ्तार करने हेतु एस.टी.एस.एफ, भोपाल एवं आर.टी.एस.एफ., सागर की संयुक्त टीम आरोपी विजय गौड़ के निवास स्थल थाटीपुर ग्वालियर पहुंची थी, और दिनांक 24.06.2017 को उसकी रैकी की गई थी। अभियोजन कथा अनुसार उक्त दिनांक को जब आरोपी विजय गौड़ मोटरसाईकिल बजाज इवेन्जर एम.पी.07 एन.ए.1096 से घर की ओर जा रहा था, तब उस समय संयुक्त टीम के द्वारा उसको उसके नाम से पुकार कर रोक लिया गया था एवं टीम के द्वारा अपना परिचय देकर उससे

पूछतांछ की गई, और पूछतांछ के पश्चात् उसकी उक्त मोटरसाईकिल एवं आरोपी विजय की तलाशी ली गई, तब तलाशी के दौरान आरोपी की मोटरसाईकिल में टंगी हुई पॉलीथीन में पैंगोलिन के खपटे 500 ग्राम बरामद हुये थे, तब आरोपी विजय को दिनांक 24.06.2017 को ही अभिरक्षा में लिया जाकर उससे पूछतांछ की गई थी, एवं उक्त दिनांक को ही मौका पंचनामा (प्रदर्श पी–82) बनाया गया। अभियोजन कथा के अनुसार आरोपी विजय ने अधिनियम की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभिलिखित कराये गये उसके कथन दिनांक26.06.2017 में बताया था कि करीब डेढ़–दो साल पहले मोटरसाईकिल से उसका एक्सीडेंण्ट हो गया था, जिससे उसका ड्रायवरी का कार्य बंद हो जाने के कारण वह घर पर बैठा था, इसलिये आरोपी अजयसिंह के कहने पर चंबल नदी के कछुऐ मछुआरों से खरीदने लगा था, तथा वह आरोपी कमल उर्फ राकेश बाथम एवं सम्पतिया बाथम से कछुओं को 1000/–रूपये प्रति नग के हिसाब से खरीदता था और उक्त कछुओं को आरोपी अजयसिंह को 1600/–रूपये प्रति नग के हिसाब से बेच दिया करता था। आरोपी विजय गौड़ ने यह भी बताया है कि उसने उसके मित्र फरार आरोपी अजय कोरकू निवासी थाटीपुर ग्वालियर, जो कि उसके घर के सामने रहता है, को भी इस धंधे में शामिल कर लिया था और उसका सम्पर्क फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह से भी हुआ था, जो कछुये का व्यापार करता था, उसने उसे भी कछुये 2000/–रूपये प्रतिनग के हिसाब से बेचना शुरू कर दिया था। आरोपी विजय गौड़ ने उसके कथन में बताया कि उसने दो से ढाई महिने में लगभग 30–35 कछुआ आरोपी अजयसिंह को बेचे थे, तब आरोपी अजयसिंह ने आरोपी रामसिंह उर्फ भोला से उसे मिलवाया था, जिसे भी वह कछुये बेचने लगा था।

15. अभियोजन कथा अनुसार उक्त आरोपी विजय गौड़ ने उसके कथन में यह भी बताया था कि आरोपी अजयसिंह ने उसे कोलकाता के बनगांव, जो कि बंग्लादेश एवं भारत का वार्डर है, के आरोपी खोका नाम के व्यक्ति के बारे में बताया था, तब उसने आरोपी खोका का मोबाईल नंबर 7407065721 पता कर उससे संपर्क किया और उसे भी कछुये बेचने लगा था। और इसप्रकार उसका कछुओं की खरीदी–बिक्री का व्यापार काफी अच्छा चलने लगा था, जिससे उसे काफी मुनाफा मिलने लगा था। आरोपी विजय गौड़ ने यह भी बताया कि आरोपी कमल बाथम एवं आरोपी सम्पतिया के अलावा आरोपी आजाद और फरार आरोपी मिश्रीलाल जाटव, जो मछली पकड़ने का काम करता था, से भी वह कछुआ खरीदने लगा था और इसी दौरान जब वह दिनांक24.06.2017 को फरार आरोपी मिश्रीलाल जाटव के पास कछुआ खरीदने गया था तो उसके पास एक नई चीज मिली थी, जिसका नाम उसने पैंगोलिन के खपटे होना बताया गया था, जिसे (पेंगोलिन के खपटे) फरार आरोपी मिश्रीलाल ने उसे सेम्पल के रूप में दिया था, जिसे वह मोटरसाईकिल से लेकर वापिस घर आ रहा था, तब रास्ते में ही वन विभाग

की टीम द्वारा 9/10 गली थाटीपुर में उसे रोककर जप्त कर लिया गया था। अभियोजन कथा अनुसार आरोपी विजय से मोटरसाईकिल बजाज एवेंन्जर एन.ए.1096 एवं मोबाईल नंबर–8602921210 एवं 9424344322, जिसका आई.एम.आई.ई. नंबर– 352704076274878/01 एवं 352705076274875/01 दिनांक 24.06.2017 को जप्त (जप्तीनामा प्रदर्श पी–417) किया गया था।

16. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी विजय गौड़ के द्वारा वन्य प्राणी की खरीद–फरोख्त/तस्करी में आरोपी कमल बाथम की संलिप्तता पुष्ट करने पर उसकी शिनाख्तगी आरोपी विजय गौड़ से कराकर, दिनांक 29.06.2017 को आर.टी.एस.एफ.,सागर एवं एस.टी.एस.एफ, भोपाल के द्वारा आरोपी कमल बाथम को वीरपुर जिला श्योपुर से एक नग मोबाईल के साथ गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–421 एवं 422) किया जाकर उससे मोबाईल नंबर 8103114218, जिसका आई.एम.ई.आई.नंबर–911468400 173172 एवं 911468400173180 जप्त (जप्तीनामा प्रदर्श पी–420) किया गया। अभियोजन कथा अनुसार आरोपी कमल बाथम ने अधिनियम की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभिलिखित कराये गये उसके कथन दिनांक30.06.2017 में यह बताया था कि वह तालाब और नदी में मछली पकड़कर बेचने का काम करता था, तभी उसकी मुलाकात आरोपी आजाद से हुई थी, जिसने उससे कहा था कि वह मछली के साथ–साथ कछुआ भी पकड़ा करे, जिसकी उसे अच्छी कीमत देगा, तब आरोपी आजाद के कहने पर वह (आरोपी कमल बाथम) कछुओं की व्यवस्था करने लगा और उसने मोबाईल फोन से सम्पर्क कर आरोपी आजाद को पहली बार कछुआ 500/–रूपये प्रति नग के हिसाब से 10 कछुये बेचे थे। आरोपी कमल बाथम ने कथन में लेख कराया कि आरोपी आजाद ने ही उसका परिचय आरोपी विजय गौड़ से कराया था, जिसे भी उसने 1000/–रूपये प्रति कछुये के हिसाब से 5 कछुये बेचे थे। आरोपी कमल बाथम ने यह भी लेख कराया कि उसी दौरान उसे आगरा निवासी आरोपी अजयसिंह के बारे में पता चला था, तब वह आरोपी अजयसिंह को भी कछुआ बेचने लगा था और इसके साथ ही उसका सम्पर्क फरार आरोपी अजय कोरकू से हुआ था, जिसे भी वह कछुआ चंबल नदी से पकड़कर बेचने लगा था। आरोपी कमल बाथम ने यह भी लेख कराया कि उसे आरोपी अजयसिंह ने अपने रिश्तेदार आरोपी रामसींग उर्फ भोला से भी मिलवाया था, जो उससे कछुआ खरीदने लगा था। आरोपी कमल बाथम ने उसके कथन में यह भी बताया था कि उसे सम्पतिया, जिसे कि वह पहले से पहचानता था, ने भी यह बताया था कि वह भी उक्त लोगों को कछुये बेचता है।

17. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह के कथन में वन्य प्राणी की अवैध खरीद–फरोख्त/तस्करी में आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की संलिप्तता होना बताया गया था, जिसकी पुष्टि होने पर आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की तलाश जारी थी, जिसके संबंध में यह ज्ञात हुआ कि वह थाना

भोगांव जनपद मेनपुरी के जिला कारागार मैनपुरी में निरूद्ध है, जिसे न्यायालय के प्रोडक्शन वारण्ट पर तलब कर उसे दिनांक 05.09.2017 को गिरफ्तार (प्रदर्श पी–388) कर 03 दिवस के फारेस्ट रिमाण्ड पर लिया जाकर पूछतांछ की गई। आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने दिनांक 07.09.2017 को आरोपी आजादसिंह, आरोपी अजयसिंह, आरोपी सम्पत्तिया बाथम, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा, आरोपी मोहम्मद इरफान, आरोपी मोहम्मद सुल्तान की फोटो शिनाख्तगी करते हुये अधिनियम की धारा 50(8)(डी)के तहत अभिलिखित कराये गये उसके बयान दिनांक 07.092017 में यह बताया कि आरोपी अजयसिंह, जो रिश्ते में उसका भाई लगता है, के साथ मिलकर वह लगभग 03 से 04 वर्षों से वन्य प्राणियों एवं लाल तिलकधारी कछुओं की खरीद–फरोख्त का काम करता आ रहा है। आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने यह भी लेख कराया कि वह दो प्रकार के कछुओं का उच्च स्तर पर व्यापार करता है, जिनमें एक कछुये का नाम लाल तिलकधारी कछुआ है तथा दूसरा बड़ा कछुआ है, जो कि स्थानीय नदी यमुना, गंगा में भी मिल जाता है। आरोपी ने उसके कथन में यह बताया कि उन कछुओं को वह स्थानीय मछुआरों व शिकारियों से एकत्र करने के बाद उसके भाई अजयसिंह को दे देता था और इसके बदले में अजयसिंह उसे अच्छी रकम देता था। आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने यह भी लेख कराया कि उक्त के अलावा उसने कछुये मुरैना जिले स्थित देवरी ईको सेंण्टर पर मछली ठेकेदार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से भी 4–5 बार में 10–15 नग लाल तिलकधारी कछुये लेकर बेचे हैं, उक्त कैलाशी उर्फ चच्चा से उसकी पहचान फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह ने कराई थी। आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने यह भी लेख कराया कि वह आरोपी अजयसिंह के अलावा आरोपी मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर, फरार आरोपी अजय कोरकू, विक्के, जो कि फरार आरोपी रजनीकांत ओझा का एजेंण्ट है, एवं फरार आरोपी रजनीकांत के साथ कछुओं का अवैध व्यापार कर चुका है।

18. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की निशादेही पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा को दिनांक06.09.2017 को एस. टी.एस.एफ.भोपाल एवं आर.टी.एस.एफ.भोपाल की संयुक्त टीम के द्वारा मुरैना पहुंचकर तीन नग जीवित दुर्लभ प्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ के साथ नदी के पास ग्राम नूराबाद जिला मुरैना म.प्र. से गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–397) किया गया था और, तीन नग रेड क्राउन रूफ टर्टल (लाल तिलकधारी कछुआ) का मौके पर पंचनामा (प्रदर्श पी–391), जप्ती पत्रक (प्रदर्श पी–392) विधि अनुसार तैयार किया गया था। आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से दिनांक 07.09.2017 को अधिनियम की धारा 50(8)(डी) के अंतर्गत पूछतांछ की गई थी, जिसमें उसने आरोपी आजाद, आरोपी अजयसिंह, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला एवं फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह, फरार आरोपी अजय कोरकू

की फोटो शिनाख्तगी करते हुये अपने कथन दिनांक07.09.2017 में अभिलिखित कराया था कि वह घड़ियाल ईको सेंण्टर, देवरी मे मछली की सप्लाई करता है, जो कि घड़ियाल एवं कछुओं को डाली जाती है। आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा ने यह भी लेख कराया कि वह पिछले पांच वर्षों से घड़ियाल ईको सेंण्टर, देवरी से लाल तिलकधारी कछुये की चोरी करता आ रहा है, और जब वह मछलियां लेकर ईको सेंण्टर जाता था तो वहां वह खुद ही घड़ियाल एवं कछुये की हेचरी में मछलिया डालता था, और उसी दौरान वह हैचरी में से लाल तिलकधारी कछुये चोरी कर अपने घर ले आता था एवं कभी कभी मछलियां पकड़ते समय कुछ लाल तिलकधारी कछुये जो जाल में फंस जाते थे, उन्हें भी वह अपने घर ले आया करता था।

19. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा ने कथन में यह भी बताया कि इन कछुओं का लाल तिलकधारी कछुआ के नाम से व्यापार चलता था और वह उन कछुओं को बेचता था, जिसमें से उसने फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह को 10–15 बार में 40–45 नग कछुये बेचे थे, और उसने आरोपी रामसिंह उर्फ भोला को भी लाल तिलकधारी कछुये 4–5 बार में 15–18 नग बेचे हैं। आरोपी ने यह भी लेख कराया कि इसके बाद उसने आरोपी आजाद को 2–3 बार में 8–10 नग छोटे बड़े लाल तिलकधारी कछुये एवं आरोपी अजय सिंह को भी केवल दो बार में 5 नग कछुआ बेचे हैं। आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा ने आगे बयान में यह भी लेख कराया कि दिनांक 06.09.2017 को वह फरार आरोपी शैलेन्द्र सिंह के कहने पर 3 नग लाल तिलकधारी कछुये लेकर उसके बताये हुये पते पर जा रहा था, तभी उसे टाईगर स्ट्राईक फोर्स के अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा, कछुओं सहित गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन कथा अनुसार उक्त आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से मोटर साईकिल क्रमांक–एम.पी.06एम.जी.5544 बजाज डिस्कवर एवं एक मोबाईल लावा कंपनी का ए.आर.सी.91 डबल सिम नंबर 9589103736 एवं 9827855434, जिसका आई.ई.एम.आई.ई.नंबर–9113296 03212524 एवं 911329603263022 जप्त किये जाकर जप्तीनामा (प्रदर्श पी–393) बनाया गया, तथा जप्ती स्थल का नजरी नक्शा (प्रदर्श पी–395) साक्षीगण के समक्ष तैयार किया गया था।

20. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी रामसींग उर्फ भोला की शिनाख्तगी पर दिनांक08.09.2017 को आरोपी मोहम्मद इकरार को हीरा मार्केट, घण्टा घर, भौगांव जिला मेनपुरी से आर.टी.एस.एफ.,सागर एवं एस.टी.एस.एफ. भोपाल की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–389 एवं प्रदर्श पी–423) किया जाकर मौका पंचनामा (प्रदर्श पी–145) तैयार किया गया था। आरोपी मोहम्मद इकरार ने अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत पूछतांछ किये जाने पर आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा, आरोपी मोहम्मद

इरफान, आरोपी मोहम्मद सुल्तान, की फोटो शिनाख्तगी करते हुये अधिनियम की धारा 50(8)(डी)के तहत अभिलिखित कराये गये बयान दिनांक 09.09.2017 में यह बताया था कि लाल तिलकधारी कछुआ की बाजार में अच्छी कीमत मिलने से लगभग कई वर्षों से वह लाल तिलकधारी कछुओं का खरीद–फरोख्त का व्यापार करने लगा था, आरोपी ने उसके बयान में यह भी अभिलिखित कराया कि वह लाल तिलकधारी कछुये चम्बल नदी के स्थानीय रहवासियों एवं बड़े कछुऐ स्थानीय नदियों से एकत्र कर कोलकाता एवं उत्तरप्रदेश में बेचता था। आरोपी ने यह भी लेख कराया था कि उसने आरोपी रामसिंह उर्फ भोला से 10–12 बार में 30–35 नग लाल तिलकधारी कछुये 600 / – रूपये प्रति नग के हिसाब से खरीदे थे और उन्हें आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के द्वारा बताये गये फरार आरोपी रजनीकांत ओझा और विक्के, निवासी कोलकाता को 1000 / –रूपये प्रति नग के हिसाब से बेचा था, जिन्हें उससे आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने इटावा में रेल्वे स्टेशन के पास स्थित होटल जय पैलेस में मिलवाया था।

21. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मोहम्मद इकरार ने कथन में लेख कराया था कि उसे रामसिंह उर्फ भोला के जरिये और भी लाल तिलकधारी कछुये खरीदने वालों के बारे में जानकारी मिली थी, जिनमें से रामसिंह उर्फ भोला का चचेरा भाई आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह है, उसने आरोपी अजयसिंह को पहली बार 5–8 नग लाल तिलकधारी कछुये बेचे थे और जब उसे फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह के बारे में यह पता चला कि उसके द्वारा भी व्यापक स्तर पर लाल तिलकधारी कछुओं का व्यापार किया जाता है, तब उसने फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह की मांग पर 10–15 नग लाल तिलकधारी कछुये एकत्रित कर उसे 1000 / –रूपये प्रतिनग के हिसाब से बेचे थे। आरोपी मोहम्मद इकरार ने यह लेख कराया कि उसके एकत्रित किये हुये लाल तिलकधारी कछुओं को वह कोलकाता के फरार आरोपी रजनीकांत ओझा व रजनीकांत ओझा का एजेंण्ट विक्के, जो कि मुस्लिम है, को भी बेचने लगा था, इसप्रकार उसने आरोपी अजयसिंह को लगभग 20–25 नग व बड़े कछुये 8–10 नग, 8–10 बार में बेचे हैं एवं फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह को लाल तिलकधारी कछुये कुल 45–50 नग 10–15 बार में बेचे हैं, साथ ही कोलकाता निवासी फरार आरोपी रजनीकांत ओझा व विक्के को लगभग 100–110 नग लाल तिलकधारी कछुये व बड़े कछुये 40–50 नग बेचे हैं और इसके अलावा फरार आरोपी रजनीकांत ओझा के माध्यम से उसे आरोपी मोहम्मद सुल्तान व आरोपी मोहम्मद इरफान को केवल 3 बार में 20–25 नग लाल तिलकधारी कछुये 1200 / –रूपये प्रतिनग के हिसाब से बेचे थे। अभियोजन के अनुसार आरोपी मोहम्मद इकरार ने पूछतांछ के दौरान वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुओं की फोटो शिनाख्तगी करते हुये यह स्वीकार किया था कि फोटो शिनाख्तगी में पहचाने हुये उक्त वन्य प्राणियों की ही अवैध

खरीद–फरोख्त उसके द्वारा अन्य आरोपीगण के साथ मिलकर की जाना स्वीकारी थी।

22. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह द्वारा बयानों में वन्य प्राणी अवैध खरीद–फरोख्त एवं अवैध तस्करी के अपराध में आरोपी थमीम अंसारी की संलिप्तता का तथ्य व्यक्त किया गया था, जिसकी पुष्टि होने पर आरोपी थमीम अंसारी की तलाश की गई, आरोपी थमीम अंसारी के वन्य जीवों की अवैध तस्करी करते हुये डी.आर.आई. द्वारा गिरफ्तार किये जाने और उसके केन्द्रीय जेल चैन्नई में निरूद्ध होने के तथ्य की जानकारी होने पर उसे न्यायालय के प्रोडक्शन वारण्ट पर दिनांक 11.10.2017 को प्राप्त कर गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–409 एवं प्रदर्श पी–410) कर फारेस्ट रिमाण्ड पर प्राप्त कर उससे अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूछतांछ की गई थी। आरोपी थमीम अंसारी ने आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी सनील, आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी मोहम्मद इरफान, फरार आरोपी बेंटी, फरार आरोपी हामीद की फोटो शिनाख्तगी करते हुये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50(8)(डी)के तहत दिये गये उसके बयान में यह अभिलिखित कराया गया कि वह दाल चीनी और काली मिर्च का व्यापार करता है और उक्त व्यापार के संबंध में वह वर्ष 2014 में श्रीलंका गया था, जहां कालूतरा (श्रीलंका) नामक स्थान पर उसकी मुलाकात फरार आरोपी बेंटी से हुई थी, तब बेंटी ने श्रीलंकाई कछुये एवं भारत में पाये जाने वाले कछुओं के व्यापार के बारे में बताकर उससे कछुओं की मांग की थी और कहा था कि उन कछुओं की हांगकांग एवं मलेशिया देशों में बहुत मांग है और वे दोनों मिलकर उक्त देशों में कछुओं की उंचे दामों में तस्करी कर बहुत पैसा कमा सकते हैं।

23. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने यह भी लेख कराया कि उसे फरार आरोपी बेंण्टी ने अपने मोबाईल फोन में कछुओं की बहुत सी फोटो भी दिखाई थी, जिनकी हांगकांग एवं मलेशिया देशों में बहुत मांग है, तब उसने भारत आकर इन कछुओं एवं इस व्यापार से संबंधित सभी लोगों की तलाश इंण्टरनेट एवं फेसबुक के माध्यम से शुरू कर दी थी। आरोपी थमीम अंसारी ने यह भी लेख कराया कि उक्त तलाशी के दौरान फेसबुक के माध्यम से वह आरोपी अजयसिंह से जुड़ गया था और उसे फेसबुक के माध्यम से ही आरोपी अजयसिंह का मोबाईल नंबर मिला था, जिससे उनके मध्य कछुओं के व्यापार के संबंध में बातचीत होने लगी थी। आरोपी थमीम अंसारी ने यह भी बयान में लेख कराया था कि आरोपी अजयसिंह से उसने तीन प्रकार की प्रजाति के लगभग 450 कछुये खरीदे थे, जिनमें से सबसे मंहगे रेड क्राउन रूफ टर्टल (लाल तिलकधारी कछुये) भी खरीदे थे, जिन्हें वह माह सितंबर 2016 में उसकी कार क्रमांक टी.एन.38.ए.सी.300 मार्शडीज द्वारा आगरा से चैन्नई लेकर आया था और इसके लिये उसने आरोपी अजयसिंह को 3,00,000 / –रूपये नेट बैंकिंग से एवं 1,50,000 / –रूपये नगद पेंमेंण्ट किये

थे। आरोपी थमीम अंसारी ने उसके कथन में यह भी बताया कि जब वह उक्त कछुओं को फरार आरोपी बेंटी को श्रीलंका में तूतीकोरिन बंदरगाह से अपने एजेंण्ट के माध्यम से बेचने वाला था, तभी डी.आर.आई के द्वारा इन कछुओं को जप्त कर उसके एजेंण्ट के साथ उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी थमीम अंसारी ने व्यक्त किया कि उक्त कछुओं की खरीद–फरोख्त में चैन्नई निवासी फरार आरोपी सनील वी.सेमुअल भी उसका सहयोग करता था, जो आरोपी अजयसिंह से भी अच्छी तरह से परिचित था और इसलिये उसने आरोपी अजयसिंह से कई बार लाल तिलकधारी कछुये मंगाये थे और उन्हें चैन्नई भेजा था।

24. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने उसके बयानों में यह भी बताया था कि वह कछुओं के अवैध व्यापार में अपनी लिंक बढ़ाने लगा था, क्योंकि उसे व्यापार में अच्छा फायदा हो रहा था, और इसलिये उसने इन कछुओं के व्यापार के लिये आरोपी अजयसिंह के साथ–साथ आरोपी मन्नीवन्नन, फरार आरोपी सनील व आरोपी मोहम्मद इरफान एवं फरार आरोपी हामिद निवासी–श्रीलंका के व्यापारियों का पता किया था और इनसे जुड़कर वह श्रीलंका के अलावा सिंगापुर, मलेशिया और हांगकांग में भी इन कछुओं का व्यापार करने लगा था। आरोपी थमीम अंसारी ने बयानों में यह भी बताया था कि अगस्त–2017 में डी.आर.आई. के अधिकारियों के द्वारा उसके एजेंण्ट वेंकटेश के घर छापा मार कर 2500 जीवित कछुओं को जप्त कर गिरफ्तार कर लिया गया था, बाद में आरोपी थमीम अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अभियोजन कथा के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी से दिनांक 13.10. 2017 को चार पहिया वाहन मर्सडीज बेंज क्रमांक टी.एन.38ए.सी.0300 का पंचनामा (प्रदर्श पी–411'ए') तैयार किया गया तथा दिनांक15.10.2017 को प्रदर्श पी–401 एवं प्रदर्श पी–402 के जप्तीनामा द्वारा चार पहिया वाहन मर्सडीज बेंज क्रमांक टी.एन.38ए.सी.0300 जप्त किया गया। अभियोजन ने आरोपी थमीम अंसारी के बैंक एकाउण्ट के स्टेटमेंण्ट प्राप्त करने हेतु ब्रांच मैंनेजर, ऐक्सिस बैंक, चेन्नई को प्रदर्श पी–474 का पत्र लेख कर उसके खाता क्रमांक–916010003478713 का प्रदर्श पी–452 एवं खाता क्रमांक–916010014119058 प्रदर्श पी–454 के स्टेटमेंण्ट प्राप्त किये।

25. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह ने कथन में आरोपी मोहम्मद इरफान की फोटो शिनाख्तगी करते हुये बताया था कि आरोपी मोहम्मद इरफान भी दुर्लभ विलुप्त प्रायः वन्य प्राणी एवं दुर्लभ लाल तिलकधारी कछुये की अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी में व्यापक स्तर पर संलिप्त रहा है, उक्त तथ्य की पुष्टि के पश्चात् आरोपी मोहम्मद इरफान को स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 22.11.2017 के पालन में दिनांक25.01.2018 को रात्रि 11.00 बजे रंजिश होटल के पास शहीद पथ लखनउ उत्तरप्रदेश से गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–359) किया गया था और लखनउ न्यायालय से उसका

ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया था। आरोपी मोहम्मद इरफान ने फारेस्ट रिमाण्ड के दौरान आरोपी अजयसिंह, आरोपी थमीम अंसारी, आरोपी मन्नीवन्नन एवं फरार आरोपी सनील, आरोपी शेखर, फरार आरोपी खोकन शाहा, फरार आरोपी सलीम, आरोपी मोहम्मद सुल्तान, फरार आरोपी राजनारायण, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा, फरार आरोपी विनोदसिंह, फरार आरोपी अब्बास भाई, फरार आरोपी रहमान तालूकदार, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश, फरार आरोपी मोन्ट्री, बैंकाक की फोटो शिनाख्तगी करते हुये अधिनियम की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभिलिखित किये गये कथन दिनांक 31.01.2018 एवं दिनांक 04.02.2018 में अभिलिखित कराया कि वह और उसका भाई आरोपी सुल्तान वर्ष 2010 से मध्यप्रदेश राज्य के लाल तिलकधारी कछुआ, सॉफ्ट शैल टर्टल, Melanochelys Tricarinata and Chitram Indica एवं अन्य प्रदेशों से अन्य प्रजाति के कछुये जैसे कि Hemiltoni Turtle इत्यादि खरीदने–बेचने का काम करते थे। आरोपी इरफान ने कथन में लेख कराया कि वर्ष 2010 में उसे फरार आरोपी विनोद थेवर ने कछुये के कारोबार के बारे में बताया था व अपने भाई मन्नीवन्नन से मिलवाया था, जो कि पूर्व से ही लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये खरीदने व बेचने का काम करता था और तब आरोपी इरफान ने आरोपी मन्नीवन्नन के लिये मासिक वेतन पर लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुये को एकत्र कर उन्हें कोलकाता में पैक करने और आरोपी मन्नीवन्नन के लिये चैन्नई भेजने का कार्य स्वीकार किया था।

26. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी इरफान ने उसके बयानों में लेख कराया था कि उसे आरोपी मन्नीवन्नन ने लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुये के खरीदने के लिये फरार आरोपी तारकघोष से मिलवाया था, जो उत्तरप्रदेश के लखीमपुर एवं आगरा से लाल तिलकधारी कछुये तथा अन्य प्रजाति के कछुओं की खरोद–फरोख्त का काम करता था। आरोपी इरफान ने बयानों में यह भी लेख कराया कि वह फरार आरोपी तारकघोष से Soft Shell Turtle एवं अन्य प्रजाति के कछुये 1000/– से 2000/–रूपये प्रति नग के हिसाब से आरोपी मन्नीवन्नन के लिये खरीदता था और उसी दौरान कछुओं के व्यापार के संबंध में उसे आरोपी अजयसिंह ने अपने व्हाट्स–एप/फेसबुक नंबर9412124359 से लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुये संबंधी मैसेज किये थे, तब उसने आरोपी अजयसिंह के उक्त मोबाईल नंबर तथा अन्य नंबर 7088369759 पर सम्पर्क किया था एवं उससे लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुये के व्यापार के संबंध में बातचीत की थी, और तब वह फरार आरोपी तारकघोष के अलावा आरोपी अजयसिंह भी लाल तिलकधारी कछुआ 5000/– से 10,000/–रूपये प्रतिनग एवं अन्य प्रजाति के कछुये 1000/– से 2000/–रूपये प्रतिनग के हिसाब से आरोपी मन्नीवन्नन, के लिये खरीदता था और कछुओं का पेमेंण्ट नगद और कभी–कभी ई–पेमेंण्ट से करता था। आरोपी मोहम्मद इरफान ने

बयानों में यह भी लेख कराया था कि फरार आरोपी तारकघोष, आरोपी तपश बसाक एवं आरोपी अजयसिंह के अलावा विभिन्न प्रदेशों से खरीदकर एकत्र किये हुये लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये को आरोपी मन्नीवन्नन एवं फरार आरोपी शिम्बू के साथ मिलकर तीन रास्तों (जिसका वर्णन उसने कथन में किया है)से, अन्तर्राष्ट्रीय देशों श्रीलंका, बंग्लादेश, हांगकांग, बैंकाक, मलेशिया से होते हुये, चीन में 1000 से 2000 डॉलर प्रतिनग के हिसाब से व्यापार करता था।

27. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मोहम्मद इरफान ने बयानों में यह भी बताया था कि उसके द्वारा कछुओं का धंधा, फेसबुक, व्हाट्सऐप एवं व्ही–चैट के माध्यम से संचालित कर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में प्रचार–प्रसार किया जाता था, जिससे उसे काम करने में आसानी एवं पकड़ने का डर कम रहता था, आरोपी मोहम्मद इरफान ने उक्त रास्तों के वर्णन में तीसरे रास्ते के संबंध में यह बताया कि वह मध्यप्रदेश से लाल तिलकधारी कछुये एवं विभिन्न प्रदेशों से अन्य प्रजाति के कछुये खरीदकर एकत्रित कर ट्रेन / कार से कोलकाता लाता था, जिनकी पैकिंग कर वनगांव पश्चिम बंगाल के आरोपी शेखरदास, फरार आरोपी खोकन एवं फरार आरोपी सलीम, जो कि फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी–ढाका बंग्लादेश के लिये काम करते थे, को बेच देता था। आरोपी मोहम्मद इरफान ने बयानों में यह भी बताया कि उक्त कछुओं को फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश, बंग्लादेश एवं भारत के बार्डर बनगांव पश्चिम बंगाल से ढाका बंग्लादेश तक पहुंचाता था और ढाका से उक्त कछुओं को आरोपी अजीज उर्फ आकाश क्वालालम्पुर मलेशिया तक आरोपी मन्नीवन्नन को पहुंचाकर देता था, जहां से आरोपी मन्नीवन्नन उक्त कछुओं का मलेशिया से बैंकाक, बैकाक से हांगकांग और हांगकांग से चीन ले जाकर व्यापार करता था। आरोपी मोहम्मद इरफान ने उसके बयानों में यह भी बताया कि माह मई वर्ष 2013 में वह आरोपी तपश बसाक के साथ 21 नग स्टार शेल्ड टोरटाईल, जो कि मध्यप्रदेश एवं अन्य प्रदेशों से खरीदकर बेचने के लिये वायुयान से चैन्नई ले जा रहे थे, तब कोलकाता के एयरपोर्ट में एन.एस.सी.बी.आई. के द्वारा एयरपोर्ट पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। आरोपी मोहम्मद इरफान ने कथनों में यह भी बताया कि वर्ष 2014 में विद्यानगर पश्चिम बंगाल में फरार आरोपी तारकघोष के गोदाम में उनके व्यापार के लिये रखे गये मध्यप्रदेश एवं अन्य प्रदेशों से खरीदे हुये कछुओं में से कुछ कछुये ज्यादा गर्मी होने के कारण मर गये थे, जिससे आस–पास के इलाके में गंध फैल गई थी, जिसकी सूचना पुलिस को प्राप्त हो जाने के कारण फरार आरोपी तारकघोष की गोदाम में रखे हुये उनके तीन प्रजाति के लगभग 1500 नग कछुये पुलिस द्वारा रेड में पकड़े गये थे, जिसमें अन्य आरोपीगण के साथ आरोपी इरफान व उसका भाई आरोपी मोहम्मद सुल्तान भी पकड़ा गया था।

28. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मोहम्मद इरफान ने उसके

बयान में यह भी लेख कराया कि उसे आरोपी मन्नीवन्नन से आरोपी थमीम अंसारी, फरार आरोपी सनील वी. सेमुअल के बारे में पता चला था, जो आरोपी अजयसिंह से लाल तिलकधारी कछुआ खरीदते थे और उसी दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में लाल तिलकधारी कछुओं की अधिक मांग होने के कारण आरोपी मन्नीवन्नन के कहने पर वह फरार आरोपी विनोद थेवर के साथ माह–अप्रैल 2016 में विशेष रूप से लाल तिलकधारी कछुये खरीदने के लिये आरोपी अजयसिंह के पास आगरा गया था और तब अजयसिंह के साथ उसके निजी वाहन क्रमांक–यू.पी.80डी.आर.9101 से दिनांक 20–अप्रैल–2016 को वन विभाग के देवरी ईको सेन्टर जिला मुरैना में लाल तिलकधारी कछुये खरीदने के लिये गया था, जहां अजयसिंह ने चच्चा नामक व्यक्ति से उसे मिलवाया था। आरोपी मोहम्मद इरफान ने बयानों में यह भी बताया कि उस समय आरोपी अजयसिंह ने कैलाशी उर्फ चच्चा से 20 नग लाल तिलकधारी कछुये खरीदकर उसे बेचे थे, जिसे वह आरोपी अजयसिंह के उक्त वाहन से ट्राली बैग में पैक कर आगरा लेकर आया था और आगरा से नई दिल्ली प्रायवेट कार से तथा नई दिल्ली से कोलकाता ट्रेन से ले गया था, जिसका पेमेंण्ट आरोपी अजयसिंह को चार लाख रूपये नगद और शेष अस्सी हजार रूपये का भुगतान खाता क्रमांक 030501536688 में ई–पेमेंण्ट से किया था। आरोपी इरफान ने बयानों में यह भी बताया कि उक्त कछुओं को कोलकाता में गिनती के बाद पैकिंग कर मन्नीवन्नन के लिये फरार आरोपी शिम्बू द्वारा चैन्नई भेजा गया था।

29. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मोहम्मद इरफान ने बयानों में यह भी बताया कि वह लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुओं के व्यापार के सिलसिले में कई बार लेन–देन एवं लेखा–जोखा के काम से आरोपी मन्नीवन्नन से मिलने चैन्नई गया है और उक्त व्यापार के सिलसिले में उसे कई बार ढाका, हांगकांग, बैंकाक एवं मलेशिया जाना पड़ा है। अभियोजन कथा अनुसार दौरान अनुसंधान आरोपी मोहम्मद इरफान से दिनांक 25.01.2018 को एक मोबाईल एप्पल आई–फोन–6एस, जिसका मोबाईल नंबर–रिलायंस जियो 8910952636, जिसका आई.एम.ई.आई. नंबर–355418071488758 जप्त (जप्तीनामा प्रदर्श पी–360) किया गया, और उक्त कार्यवाही के संबंध में मौका पंचनामा दिनांक 25.01.2018 (प्रदर्श पी–412) तैयार किया गया एवं आरोपी से 10 रूपये नेपाली मुद्रा, 500 का नोट कम्मोडियन मुद्रा, एयर एशिया टिकिट, 01 कागज, जिसमें अमेरिकन डालर का हिसाब–किताब है, जप्त (जप्तीनामा दिनांक 26.01.2018 प्रदर्श पी–413) किये गये। अभियोजन ने आरोपी इरफान के पंजाब नेशनल बैंक के खाता क्रमांक–93000109096799 में किये गये लेन–देन का विवरण (प्रदर्श पी–378) एवं ऐक्सिस बैंक के खाता क्रमांक–914020007355271 में किये गये लेन–देन का विवरण (प्रदर्श पी–379) प्राप्त कर, तथा आरोपी इरफान से जप्त मोबाईल–ऐपल आई.ई.एम.आई.ई.

नंबर–355418071988758 की फोरेंसिक लैबोरेटरी हैदराबाद की एफ.एस.एल. रिपोर्ट (प्रदर्श पी–326) प्राप्त कर, उक्त फोरेंसिक रिपोर्ट से प्राप्त आडियो / वीडयो / टेक्स डेटा का गोशवारा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–404) तैयार करवाया।

30. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह ने पूछतांछ के दौरान आरोपी मन्नीवन्नन के वन्य प्राणी के अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध क्रय–विक्रय एवं अवैध तस्करी के अपराध में संलिप्त होने का तथ्य बताया था, जिसकी पुष्टि अन्य आरोपीगण मोह. इरफान, थमीम अंसारी से की गई पूछतांछ में भी हुई थी, जिस पर आरोपी मन्नीवन्नन के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक22.11.2017 के परिप्रेक्ष्य में उसकी तलाश की गई और मोहम्मद इरफान की निशादेही पर आरोपी मन्नीवन्नन को दिनांक 31.01.2018 को 112, थयप्पा स्ट्रीट, ओल्ड जेल रोड स्थित उसके निवास, जो पोर्टूगेज चर्च चैन्नई के पास है, से एस.टी.एस.एफ. भोपाल एवं आर.टी.एस.एफ. इंदौर की संयुक्त टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया था, और तत्समय तमिलनाडु फॉरेस्ट चेन्नई की लोकल टीम के सदस्य भी उपस्थित थे। अभियोजन कथा के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन की गिरफ्तारी एवं मौके पर की जाने वाली अन्य आवश्यक कार्यवाही, पंचनामा, जप्तीपत्रक उपरांत उससे मौके पर ही संक्षिप्त पूछतांछ अपराध में उसकी संलिप्तता के विषय में की गई थी और उसके कथन लेखबद्ध कराये गये थे। आरोपी मन्नीवन्नन ने अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभिलिखित कराये उसके कथन में वर्ष 2011 से विलुप्तप्राय वन्य प्राणी कछुओं के संबंध में अवैध व्यवसाय किया जाना स्वीकारा था, और यह भी बताया गया कि दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के वन्य प्राणी कछुओं को आरोपी मोहम्मद इरफान और उसका भाई आरोपी मोहम्मद सुल्तान, फरार आरोपी तारक घोष एवं आरोपी तपश बसाक उर्फ रोनी से खरीदता था। आरोपी मन्नीवन्नन ने कथन में यह भी बताया था कि वह प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं को आरोपी अजयसिंह, आगरा व आरोपी थमीम अंसारी चेन्नई से भी खरीदता था और जिसके लिये वह उक्त आरोपीगण से मोबाईल से सम्पर्क करता था। आरोपी मन्नीवन्नन ने बयानों में लेख कराया कि वह दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बैंकाक, हांगकांग, क्वालालम्पपुर, ग्वांगझाउ, चीन में बेच देता था, जिन्हें वह मुख्य रूप से ग्वांगझाउ चीन के निवासी फरार आरोपी कार्सन और फरार आरोपी माईक को बेचता था।

31. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन की गिरफ्तारी के पश्चात् उसे दिनांक 01.02.2018 को न्यायालय के समक्ष पेश कर अग्रिम विवेचना के लिये दिनांक 04.02.2018 तक के रिमाण्ड पर लिया गया था और तब रिमाण्ड के दौरान आरोपी मन्नीवन्नन ने सह–आरोपीगण आरोपी अजयसिंह, आरोपी थमीम अंसारी, आरोपी तारक घोष, आरोपी इरफान, फरार

आरोपी सनील वी. सेम्युअल, आरोपी मोह.सुल्तान, फरार आरोपी राजनारायण, फरार आरोपी मोन्ट्री बैंकाक फरार आरोपी शिम्बू, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश, की फोटो शिनाख्ती करते हुये अधिनियम की धारा 50 (8)(डी)के तहत अभिलिखित कराये गये उसके कथन में तत्समय अन्य फरार एवं वांछित आरोपीगण शेखर, फरार आरोपी खोकन शाह, फरार आरोपी सलीम, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा, फरीार आरोपी विनोदसिंह, फरार आरोपी अब्बास भाई, फरार आरोपी रहमान तालूकेदार, फरार आरोपी जैकी एवं फरार आरोपी कार्जन को नामित करते हुये यह बताया था कि वह उक्त सभी के साथ वर्ष 2007 में ओरनामेंटल फिश एक्वोरियम मलेशिया और सिंगापुर से व्यवसाय किया करता था।

32. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके कथन में यह भी बताया कि व्यवसाय के सिलसिले में वह बैंकाक व मलेशिया जाता रहता था, जहां से वह जहरीले सांपों की प्रजातियां खरीदकर भारत लाता था, उसी दौरान वर्ष 2009 में उसके चचेरे भाई फरार आरोपी विनोद के माध्यम से उसकी मुलाकात आरोपी मोहम्मद इरफान से हुई थी और आरोपी मोहम्मद इरफान ने उसे तपश बसाक एवं तारकघोष के साथ मिलवाया और तब वह उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश से लाल तिलकधारी कछुआ, Soft Shell Turtle, Melanochelys Tricarinata and Chitra Indica एवं अन्य प्रदेशों से अन्य प्रजाति के कछुये जैसे कि हेमिलटोनी टर्टल इत्यादि कछुओं के खरीद–फरोख्त का अवैध व्यापार करने लगा था, क्योंकि उक्त अवैध व्यापार में बहुत ज्यादा मुनाफा था। उक्त आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके बयान में यह भी बताया कि उसने आरोपी मोह. इरफान को उक्त कछुओं के अवैध व्यापार के लिये मासिक वेतन पर रखा था और उसके लिये वह उसे 25000 / – से 30,000 / –रूपये प्रति माह देता था, जिसके बदले में आरोपी मोह.इरफान आरोपी तपश बसाक और फरार आरोपी तारकघोष से कछुओं को एकत्रित कर उनके स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें कोलकाता से होते हुये चेन्नई भेज देता था। आरोपी मन्नीवन्नन ने बयान में यह भी लेख कराया है कि वह कई प्रकार के कछुये जैसे लाल तिलकधारी कछुये, चित्रा इंडिका, हेमिलटोनी, स्टार कछुआ, कछुआ टेक्टा–टेक्टा, कछुआ टेन्टोरिया आदि खरीदकर फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश के माध्यम से बंग्लादेश से मलेशिया पहुंचाता था, जहां से वह इन कछुओं का व्यापार एम. टी.–बैंकाक के साथ मिलकर उच्च स्तरीय अर्न्तराष्ट्रीय बाजार में करता था।

33. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके कथन में यह भी बताया था कि बौद्धिज्म के समय गया (बिहार), से बैकांक का रास्ता खुला होने से इन कछुओं को फरार आरोपी अब्बास भाई एवं फरार आरोपी विनोदसिंह की मदद से गया से बैंकाक पहुंचाया जाता था, और इसी दौरान वर्ष 2014 में ही 300 कछुओं के साथ उसका एजेंण्ट फरार आरोपी रजनीकांत ओझा बैंकाक एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, जो कि इन कछुओं को बौद्धिज्म के

समय गया से बैंकाक वायुयान के माध्यम से ला रहा था, जिसे उसने छुड़वाया था। आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके बयान में यह भी लेख कराया था कि वह लाल तिलकधारी एवं अन्य प्रजाति के कछुओं के संबंध में व्यापार तीन रास्तों के माध्यम से किया करता था, जिनमें प्रथम रास्ता मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश की चंबल नदी से प्राप्त लाल तिलकधारी कछुए आरोपी अजय सिंह, आरोपी तपस बसाक, फरार आरोपी तारक घोष व आरोपी मोहम्मद इरफान के माध्यम से एकत्रित कर लखनउ से कानपुर लाता था, जहां से ट्रेन रूट से कोलकाता लाया जाता था और उक्त एकत्रित किये गये कछुओं को मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी तक लाकर उन्हें श्रीलंका होते हुये मलेशिया, बैंकॉक तथा हॉगकोंग पहुंचाया जाता था, जिन्हें चीन के एजेंट फरार आरोपी कार्जन व फरार आरोपी माइक द्वारा डील किया जाता था, जबकि दूसरे रास्ते में आरोपी अजय सिंह, और उसका एजेंट आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, लाल तिलकधारी कछुए चंबल नदी वन अभ्यारण्य और देवरी ईको सेंटर मुरैना से एकत्र करते थे, जबकि अन्य प्रजातियां उत्तर प्रदेश से एकत्र की जाकर कलकत्ता भेजी जाती थीं, जहां से उन्हें गया, वाराणसी के माध्यम से बुद्धिज़्म के समय सितम्बर से अप्रैल के बीच बैंकॉक भेज दिया जाता था, क्योंकि उक्त समय पर भारत से थाइलैंड के बीच वायुयान सुविधा विशेष रूप से चालू रहती थी, और तीसरे मार्ग में मध्य प्रदेश से लाल तिलकधारी कछुए व विभिन्न प्रदेशों से अन्य प्रजाति के कछुए खरीदकर वह उन्हें ट्रेन या कार से कोलकाता लाता था, जहां उन्हें उसके एजेंट मोह. इरफान द्वारा चेक कर पैंकिंग कराया जाता था और वनगांव पश्चिम बंगाल के शेखरदास, खोकन शाह और सलीम, जो कि ढाका के अजीज उर्फ आकाश के लिये काम करते थे, को बेच देता था, जिन्हें अजीज उर्फ आकाश के द्वारा क्वालालंपुर, मलेशिया अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने के लिये पहुंचाया जाता था, जहां से आरोपी मन्नीवन्नन उक्त कछुओं का व्यापार फरार आरोपी मोंट्री बैंकॉक के साथ मिलकर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करता था।

34. आरोपी मन्नीवन्नन ने उसने बयान में यह भी लेख कराया था कि वह उक्त व्यवसाय फेसबुक, व्हाट्सएप, व्ही0 चेट और ईमेल के माध्यम से करता था, और मध्य प्रदेश के चंबल वन्य जीव अभ्यारण्य तथा लखनउ और कानपुर के क्षेत्रों से जो कछुए एकत्र किये जाते थे, वे औसतन लाल तिलकधारी कछुए पांच हजार से दस हजार रूपये प्रति नग एवं अन्य प्रजाति के कछुए एक हजार से दो हजार रूपये प्रति नग के हिसाब से खरीदे जाते थे, जिनका पेंमेंट वह कभी एजेंट आरोपी मो0 इरफान के एकाउंट में और कभी नगद किया करता था, और उक्त कछुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक हजार से दो हजार डालर प्रति नग लाल तिलकधारी कछुए के लिये और सौ डालर से दो सौ डालर प्रति नग अन्य कछुए के लिये बेचता था। आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके बयान में यह भी लेख कराया कि उसने 30–40 बार ढाका बांग्लादेश

एयरपोर्ट से, 5–6 बार गया एयरपोर्ट से, 25–30 बार चेन्नई एयरपोर्ट से, और 3–5 बार कलकत्ता एयरपोर्ट से शिपमेंट में अवैध एवं दुर्लभ प्रजाति के कछुओं को बैंकॉक, मकाउ और क्वालालंपुर भेजा है, जिनमें प्रत्येक शिपमेंट में लगभग एक हजार नग कछुए भेजे गये थे। आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके बयान में यह भी लेख कराया कि कछुओं के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी माइक और कार्जन, जो मुख्यतः चाइनीज़ थे, को पुलिस द्वारा कछुओं की प्रजाति के साथ चाइना में पकड़ लिया गया था, इसलिये उसने कछुओं का व्यापार भारत से बंद कर क्वालालंपुर से करना शुरू कर दिया था, जहां से उसे मुनाफा ज्यादा होता था।

35. अभियोजन कथा अनुसार दौरान अनुसंधान आरोपी मन्नीवन्नन का उसके खाता क्रमांक 602001522738 का एकाउण्ट स्टेटमेंण्ट प्राप्त किया गया, जिसमें कई नियमित संव्यवहारों में लाखों रूपये ई–पेमेंण्ट से आरोपी मोहम्मद इरफान के आई.सी.आई.सी.आई बैंक के खाता क्रमांक 030501536688 व 129601501807 में भुगतान किया जाना पाया गया था, इसी प्रकार आरोपी मोहम्मद इरफान के उक्त खातों से आरोपी अजयसिंह के खाता क्रमांक 628701539444 में कई संव्यवहारों में हजारों रूपये ई–पेमेंण्ट से भुगतान होना पाया गया, इसी प्रकार अनुसंधान के दौरान आरोपी मन्नीवन्नन द्वारा दुर्लभ विलुप्त प्रायः वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुओं एवं अन्य प्रजाति के कछुओं के खरीद–फरोख्त से संबंधित विदेशियों से बातचीत होना अभियोजन द्वारा पाया गया था, जिसके संबंध में आरोपी मन्नीवन्नन से जप्त मोबाईल एप्पल आई–फोन एक्स–10आई.एम.ई.आई. क्रमांक– 3530480 91098295, जिसमें वोडाफोन की सिम क्रमांक–9962245961 डली थी, के संबंध में फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु पत्र (प्रदर्श पी–318) भेजा गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में सेन्ट्रल फोरेंसिक साईंस लेबोरेटरी,हैदराबाद से उक्त मोबाईल के आडियो / वीडियो / टेक्स्ट डेटा की रिपोर्ट (प्रदर्श पी–325) प्राप्त हुई है, जिससे गोशवारा प्रतिवेदन (प्रदर्श पी–405) बनवाया गया। अभियोजन द्वारा दौरान अनुसंधान आरोपी मन्नीवन्नन के खातों में हुये लेनदेन के स्टेटमेंण्ट एच.डी.एफ. सी.,चेन्नई बैंक से (प्रदर्श पी–477 एवं पी–478) के पत्र के माध्यम से प्राप्त कर स्टेटमेंण्ट (प्रदर्श–पी–381,प्रदर्श पी–382 एवं प्रदर्श डी–41)का गोशवारा प्रतिवेदन तैयार करवाया गया।

36. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी अजयसिंह से आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका की शिनाख्तगी करते हुये बताया था कि आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के साथ वह व्यापक स्तर पर दुर्लभ प्रायः वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुओं का अवैध व्यापार करता था, जिसके कारण आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट के संबंध में उसकी तलाश की गई तो आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका का केन्द्रीय जेल, दमदम में निरूद्ध होना पाया गया था। अभियोजन कथा

अनुसार न्यायालय से प्रोडक्शन वारण्ट जारी कर आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका को तलब किया गया और उसके न्यायालय में दिनांक 26.12.2018 को जेल वनगांव, पश्चिम बंगाल से प्रस्तुत होने पर आर.टी.एस.एफ.सागर द्वारा न्यायालय की अनुमति से गिरफ्तार (गिरफ्तार पंचनामा प्रदर्श पी–414 एवं प्रदर्श पी–415) कर उसे फारेस्ट रिमाण्ड पर प्राप्त पूछतांछ हेतु लिया गया था। आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने अधिनियम की धारा 50(8)(डी)के तहत अभिलिखित कराये गये उसके कथन में आरोपी अजयसिंह, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी विजय गौड़, आरोपी इरफान, आरोपी तपश बसाक, फरार आरोपी खोकन शाहा, फरार आरोपी तारकघोष, आरोपी शेखर से स्वयं का सम्पर्क होना व्यक्त करते हुये यह बताया कि वह मछली का व्यापार करता है, और उसके साथ साथ वर्ष 2009–2010 से आरोपी खोकन शाह के साथ उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश के लोगों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के कछुओं, जिनमें लाल तिलकधारी कछुओं, जो कि चम्बल नदी में पाये जाते हैं, एवं दूसरा बड़ा कछुआ जो स्थानीय नदी यमुना, गंगा में भी मिल जाते हैं, जिसका नाम सुंदरी कछुआ है, का व्यापार करता था। आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने बयान में यह भी लेख कराया कि उसका फरार आरोपी खोकन शाह से विवाद हो जाने पर वह आगरा निवासी आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के अलावा और भी कई लोगों से कछुओं के व्यापार के लिये जुड़ गया था।

37. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसके बयान में लेख कराया कि आरोपी अजयसिंह, जिसका मोबाईल नंबर 7088369759 है, ने उसे मध्यप्रदेश के आरोपी विजय गौड़, जिसका मोबाईल नंबर–9977104416 है, से मिलवाया था और लगभग वर्ष 2016 में आरोपी अजयसिंह ने आरोपी विजय को लाल तिलकधारी कछुआ लेकर बनगांव भेजा था, जो कि बंग्लादेश के फरार आरोपी आकाश उर्फ अजीज का था, जिसे आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका को आरोपी अजीज तक पहुंचाना था, और तभी से उसकी पहचान आरोपी विजयसिंह से हो गई थी, फिर आरोपी विजय ने उसे कम दामों में सीधे लाल तिलकधारी कछुआ देने की बात कही थी, और कुछ महिने बाद ही आरोपी विजय ने उसे सीधे लाल तिलकधारी कछुआ 3000 / – से 4000 / –रूपये की दर से कोलकाता में लाकर दिया था, जिसका भुगतान उसने कैश में किया था और वह ज्यादातर भुगतान कैश में ही लेना देना करता है, क्योंकि इसमें रिस्क कम रहता था।

38. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसके बयान में यह भी लेख कराया था कि आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी विजय से उसे ज्यादातार लाल तिलकधारी कछुआ प्राप्त होता था, जिसे वह बंग्लादेश की पार्टी फरार आरोपी आकाश उर्फ अजीज के अलावा मुरारी के माध्यम से बंग्लादेशी फरार आरोपी हमीद सरदार, मोहम्मद कामरूजमन

मंडल एवं मोहम्मद हनीफ को सप्लाई करता था, इसके अलावा वह सुंदरी कछुआ भी कभी–कभार आरोपी अजयसिंह से खरीदता था। आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसके बयान में यह भी लेख कराया था कि ज्यादातर उत्तरप्रदेश से सुंदरी कछुआ ट्रकों में सब्जियों व फलों के साथ पैक होकर बनगांव लाये जाते थे, जिसे उसके द्वारा 300/– से 350/–रूपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदा जाता था, जिसके मांस को सब्जी के रूप में खाया जाता है तथा उसके कवच एवं हड्डी को सुखाकर, जिसे स्थानीय भाषा में बाधिक कहा जाता है, बंगलादेश में बेच दिया जाता है, जिसकी दवाई बनती है।

39. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसके कथन में यह भी लेख कराया था कि उसने उसके कथन दिनांक से तीन साल पहले तपश बसाक को भी कछुआ बेचा था, जिसका पैसा उसे नहीं मिला है, उसके अनुसार चांदपारा का फरार आरोपी खोकनशाह एवं आरोपी शेखर भी सब्जियों एवं फलों के साथ उत्तरप्रदेश से कछुआ मंगवाते थे तथा फरार आरोपी खोकन शाह एवं आरोपी शेखर को आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी विजय भी लाल तिलकधारी कछुआ बेचा करते थे। आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने यह भी बयान में लेख कराया कि लाल तिलकधारी कछुआ की मार्केट में मांग बहुत थी, और वह कछुआ बहुत कम मिलता था, इसलिये उसके दाम भी बहुत अधिक थे, इसी कारण उसने आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी विजय से उसने 5–6 बार में केवल 100–150 लाल तिलकधारी कछुआ खरीदे हैं, जिन्हें उसने बंगला देश निवासी फरार आरोपी आकाश उर्फ अजीज के साथ–साथ मुरारी निवासी बनगांव के माध्यम से बंगलादेशी फरार आरोपी हमीद सरदार, मोहम्मद कामरूजमन मंडल एवं मोहम्मद हनीफ को 10,000/– से 12,000/–रूपये अथवा उससे अधिक दर पर लाल तिलकधारी कछुआ व सुन्दरी कछुआ बेचा था।

40. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने बयान में यह भी लेख कराया कि आरोपी अजयसिंह से उसने आरोपी मोहम्मद इरफान के बारे में सुना था एवं यह भी सुना था कि कोलकाता से 50 कि.मी. दूर अशोकनगर में फरार आरोपी तारकघोष भी कछुआ का धंधा करता था, और वह बंग्लादेश माल भेजने के लिये बनगांव आता रहता था, इसलिये वह फरार आरोपी तारकघोष को जानता है। आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने कथन में यह भी बताया है कि माह दिसंबर में उत्तरप्रदेश से कछुआ के कवच एवं हड्डी के दो बैग लेकर उत्तप्रदेश का बबुआ कुछ लोगों के साथ आया था, जिसे उसके द्वारा 350/–रूपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया था, जिसे उसे बंग्लादेश की एक पार्टी को बेचना था, किन्तु बनगांव की पुलिस ने उसे एवं बबुआ के साथ आये हुये उत्तरप्रदेश के लोगों को पकड़ लिया था। अभियोजन ने दौरान अनुसंधान आरोपी सुशीलदास का ऐक्सिस बैंक का खाता

क्रमांक–9130 10012419278 एवं 911010028070441 के स्टेटमेंण्ट (प्रदर्श पी–466, पी–466ए लगायत 466ई एवं प्रदर्श पी–467,467ए–1,ए–2, 467बी लगायत एन) प्राप्त किये, जिनके अवलोकन पर आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के खाता क्रमांक 9130100 12419278 एवं 911010028070441 में दुर्लभ एवं प्रतिबंधित विलुप्त प्रायः कछुओं की प्रजाति की खरीद फरोख्त में लाखों रूपयों का लेनदेन होना पाया गया था।

41. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी मोहम्मद इरफान एवं मन्नीवन्नन ने पूछतांछ के दौरान आरोपी तपश बसाक उर्फ रोनी का भी उनके साथ दुर्लभ विलुप्त प्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुओं का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध व्यापार में संलिप्त होना बताया था, न्यायालय द्वारा आरोपी तपश बसाक के विरूद्ध जारी गिरफ्तारी वारण्ट के परिप्रेक्ष्य में उसकी तलाश की गई और आरोपी तपश बसाक को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक व.प्र.सुरक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल के आदेश क्रमांक–2018/192 दिनांक 09.08.2018 के द्वारा गठित दल के द्वारा गिरफ्तार (गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–385) कर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि.,अलीपुर 24 परगना, कोलकाता के समक्ष ट्रांजिट रिमाण्ड हेतु पेश किया गया, जहां से आरोपी को इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 01.09.2018 तक उपस्थित होने हेतु आदेशित करते हुये सशर्त जमानत पर रिहा किया गया था, परंतु आरोपी तपश बसाक उक्त आदेश के पालन में उपस्थित नहीं हुआ और दिनांक 28.08. 2018 को उसने अग्रिम जमानत हेतु आवेदन माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,सागर के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके निरस्त होने पर दिनांक 05.10.2018 को माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके निरस्त होने पर आरोपी ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अग्रिम जमानत हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके निराकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश पर आरोपी इस न्यायालय के समक्ष दिनांक05.03.2019 को उपस्थित हुआ, जहां से उक्त आरोपी को पुलिस/फारेस्ट रिमाण्ड पर प्राप्त किया जाकर उससे पूछतांछ की गई थी।

42. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी तपश बसाक ने अधिनियम की धारा 50(8)(डी)के तहत अभिलिखित कराये गये उसके बयान दिनांक 06.03.2019 में बताया कि वह आरोपी अजयसिंह, आरोपी मोहम्मद इरफान, आरोपी सुशीलदास उर्फ ,खोका, आरोपी मन्नीवन्नन, फरार आरोपी राजनारायण, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश, आरोपी मोहम्मद सुल्तान एवं फरार आरोपी तारकघोष इत्यादि को पहचानता है, जिनके द्वारा दुर्लभ प्रजाति के लाल तिलकधारी कछुओं की तस्करी की जाती थी। आरोपी तपश बसाक ने उसके बयान में यह लेख कराया कि वह 19 वर्षों से फिश एक्वेरियम का व्यापार करता है और उसने वर्ष 2009 में कलकत्ता में कछुओं के व्यापार के बारे में

सुना था, जो मुख्यतः भारत से बंग्लादेश से होते हुये अन्य देशों में भेजे जाते थे। आरोपी तपश बसाक ने उसके बयान में यह भी लेख कराया कि चूंकि उक्त कछुओं के अवैध व्यापार में मुनाफा बहुत ज्यादा था, इसलिये उसने भी उक्त अवैध व्यापार आरोपी इरफान के माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन से करना प्रारंभ किया, और वह आरोपी मोहम्मद इरफान के माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन से मिलकर लाल तिलकधारी कछुआ, हेमिलटोनी, शॉफ्टसेल और अन्य दुर्लभ प्रजाति के कछुये बेचने लगा। आरोपी तपश बसाक ने कथन में यह भी बताया कि लाल तिलकधारी कछुआ बहुत दुर्लभ प्रजाति का कछुआ है, जिसे वह आरोपी अजयसिंह से लेता था और कभी–कभी उत्तरप्रदेश के एजेंण्ट के माध्यम से भी लेता था, उसके अनुसार वह उक्त लाल तिलकधारी कछुओं को कभी स्वयं और कभी–कभी मोहम्मद इरफान के माध्यम से फरार आरोपी राजनारायणी, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश को बेचता था, वह खोकादास से भी कछुओं को लेता था, लेकिन उसने खोकादास के साथ व्यापार बंद कर दिया था क्योंकि वह कछुओं को अच्छी हालत में नहीं देता था।

43. अभियोजन कथा अनुसार आरोपी तपश बसाक ने उसके बयान में यह भी बताया था कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी मन्नीवन्नन के साथ दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी करता था, और उसके तथा खोकनदास के उपर कलकत्ता में दुर्लभ विलुप्त प्राय प्रजाति के 52 नग कछुओं की तस्करी करने का प्रकरण (पी.ओ.आर. क्रमांक–32 / डब्ल्यू.एल. / 2015–16 दिनांक 10.08.2018) पंजीबद्ध है। आरोपी तपश बसाक ने बयान में यह भी बताया कि कोलकाता पुलिस ने उसे, मोहम्मद इरफान के साथ वर्ष 2013 में कलकत्ता, हवाई अड्डे पर 21 विलुप्त प्रजाति के कछुओं के साथ गिरफ्तार किया था, उसने यह भी बताया कि उसे वर्ष 2014 में हाबड़ा पुलिस के द्वारा 72 नग दुर्लभ और विलुप्त प्राय प्रजाति के कछुओं के साथ पकड़ा गया था। आरोपी तपश बसाक ने उसके बयान में यह भी लेख कराया था कि उसके द्वारा उत्तरप्रदेश तथा मध्यप्रदेश के चंबल नदी में पाये जाने वाले अन्य प्रजाति के कछुओं की भारी मात्रा में तस्करी की जाती थी, जिसमें आरोपी मन्नीवन्नन मूल रूप से बैंकाक तथा क्वालालंमपुर हवाई अड्डे पर माल की निकासी को संभालता था। आरोपी तपश बसाक ने उसके बयान में यह भी बताया कि भारत में कचुगा–कचुगा / लाल तिलकधारी कछुआ की कीमत 10,000 / –से 20,000 / –रूपये है तथा विदेशी बाजार में इसकी कीमत 1000 से 2000 डॉलर है और उसने तीस से चालीस बार दुर्लभ प्रजाति के कछुओं का कंसाईमेंण्ट भारत से थाईलेंण्ड और मलेशिया भेजा था और वह कछुओं के अवैध व्यापार में उसके कथन दिनांक से आठ–दस साल पहले से संलिप्त है। अभियोजन ने दौरान अनुसंधान आरोपी तपश बसाक के केनरा बैंक के खाता

क्रमांक–0980101022171 से संबंधित बैंक स्टेटमेंण्ट (प्रदर्श पी–469,469ए लगायत जी) प्राप्त किये, जिनसे उक्त अवैध व्यापार की पुष्टि हुई है।

44. अभियोजन ने उपरोक्त उपस्थित आरोपीगण आजाद, अजय, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, इकरार उर्फ डॉक्टर, थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका,तपश बसाक उर्फ रोनी के द्वारा अन्य सह–आरोपीगण की, की गई फोटो पहचान कार्यवाही तथा अधिनियम की धारा 50(8)(डी)के तहत दिये गये उसके संस्वीकृतिकारी कथनों के आधार पर, उक्त के समर्थन हेतु, दौरान विवेचना आरोपी आजाद से जप्त मोबाईल आगरा न्यायालय से प्राप्त कर उसकी एफ.एस.एल. से जांच करवाई, इसी प्रकार अन्य आरोपीगण के मोबाईल फोन संबंधी सी.डी.आर.प्राप्त कर उसका विश्लेषण कराया तथा इसी प्रकार आरोपीगण के द्वारा उनके सोशल नेटवर्किंग साईट, ई–मेल, आई क्लाउड आदि से, दौरान पूछतांछ, स्वयं आरोपीगण द्वारा बताये गये पासवर्ड से उक्त एकाउण्ट ओपन कर प्राप्त कराई गई जानकारी और उक्त संबंध में अभिकथित किये गये कथनों का दस्तावेज तैयार किया, इसी प्रकार आरोपीगण के बैंक स्टेटमेंण्ट प्राप्त कर उनके बीच हुये आपसी लेनदेन का विश्लेषण कर गोशवारा तैयार कराया तथा आरोपीगण से जप्त मोबाईलों की जांच उपरांत विशेषज्ञ रिपोर्ट प्रदर्श पी 324, प्रदर्श पी 326, प्रदर्श पी 326 प्राप्त की तथा विवेचना कार्यवाही पूर्ण करते हुये परिवाद पत्र इस न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

45. आरोपीगण के विरूद्ध निर्णय की कंडिका–1 में वर्णित धाराओं के आरोप विरचित कर उन्हें पढ़कर सुनाये समझाये जाने पर आरोपीगण ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा। आरोपीगण द्वारा धारा 313 दं.प्र.सं. के कथनों में अभियोजन कथा को नकारते हुये स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया है एवं अपने–अपने बचाव में निम्नानुसार कथन किये हैं–

(ए). आरोपी आजाद ने बचाव में व्यक्त किया है कि घटना के समय वह सबलगढ़ जेल में बंद था, वहां से वन विभाग वालों ने उसे निकालकर इस केस में झूठा फंसाया है, वह मजदूर व्यक्ति है तथा इस मामले के किसी आरोपीगण को वह नहीं पहचानता, और न ही उसकी कभी किसी आरोपी से कोई बातचीत व लेनदेन हुआ है।

(बी). आरोपी अजयसिंह ने बचाव में व्यक्त किया है कि वह प्रकरण दर्ज होने के करीब दो माह पूर्व से ही आगरा (उत्तप्रदेश) जेल में अन्य प्रकरण में बंद था, इसलिये वह कोई अपराध नहीं कर सकता था।

(सी). आरोपी सम्पतिया ने यह बचाव लिया है कि वन विभाग

द्वारा उसे सरकारी गवाह बनाने के लिये अपने साथ ले जाकर उसे जबरन सरकारी गवाह बनाने का दबाव बनाया गया था, उसके द्वारा मना करने पर उसके साथ मारपीट की गई, किन्तु उसने सरकारी गवाह बनने से मना किया, तब वन विभाग द्वारा उसे झूठे प्रकरण में फंसा दिया गया है। वह सिंचाई विभाग में शासकीय कर्मचारी है और वह प्रकरण के किसी भी आरोपी को नहीं पहचानता है, मात्र प्रकरण में सरकारी गवाह बनने से मना करने के कारण उसे झूठे केस में फंसा दिया गया है।

(डी). आरोपी विजय गौड़ ने बचाव में व्यक्त किया है कि वह घटना दिनांक को मित्र विक्रम के साथ मोटरसाईकिल से शनि मंदिर में प्रसाद चढ़ाकर लौट रहा था, रास्ते में मोटरसाईकिल रूकवाकर उसके हैंडिल में टंगे प्रसाद के पैकिट को, जो लगभग 500 ग्राम वजनी था, ले लिया और उसे वन विभाग के ऑफिस जबरन पकड़कर ले जाने लगे, जिसका उसने विरोध किया तथा उसके साथी विक्रम ने भी विरोध किया, तब विक्रम को छोड़ दिया गया और उसे वन विभाग के ऑफिस ले गये और हवालात में बंद कर दिया गया तथा वन विभाग ने उसके नाम से कब और क्या जप्ती बनाई, इसकी जानकारी उसे नहीं है। उसने वन विभाग वालों को किसी प्रकार का कथन नहीं दिया और न ही उसने किसी भी आरोपी की पहचान की थी। उसका वन अपराध करने वालों से कोई संबंध नहीं है।

(ई). आरोपी कमल बाथम ने बचाव में व्यक्त किया है कि वह तालाब में मछली पालन का कार्य करता है तथा वह किसी भी आरोपी को नहीं पहचानता है, उसे वन विभाग वाले घर से मछली पालन के संबंध में पूछतांछ के लिये ले गये थे और उक्त प्रकरण में झूठा फंसा दिया है।

(एफ.) आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने बचाव में व्यक्त किया है कि वह पल्लेदारी की मजदूरी करता है, उसका किसी भी आरोपी से कोई संबंध नहीं है और न ही वह किसी आरोपी को पहचानता है। उसके द्वारा कभी भी किसी वन्य प्राणी की खरीद फरोख्त नहीं की गयी है।

(जी). आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा ने बचाव में व्यक्त किया है कि वह गरीब मजदूर आदमी है, खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन–पोषण करता है, उसे जबरदस्ती पकड़कर मारपीट करके कोरे कागजों पर अगूंठा लगवा लिया है, यातनायें देकर उसे झूठा फंसा दिया है।

(एच.) आरोपी थमीम अंसारी ने बचाव में व्यक्त किया है कि प्रभारी अधिकारियों द्वारा उसके कोरे कागजों पर हस्ताक्षर लिये गये थे। प्रभारी अधिकारियों के दबाववश झूठा केस उसके विरूद्ध बनाया गया है। वह किसी आरोपीगण को नहीं जानता, केवल आरोपी अजयसिंह को जानता है, क्योंकि वह ट्रांसपोर्ट से संबंधित है। मर्सडीज गाड़ी का वह मालिक नहीं है, न ही वह

उसके नाम से रजिस्टर्ड है। यह मामला प्रभारी अधिकारी द्वारा झूठा बनाया गया है। प्रभारी अधिकारी द्वारा नेट से सर्च कर जो चित्र निकाले गये, वही चित्र प्रकरण में संलग्न किये गये हैं। वह सब फर्जी एवं असत्य हैं। उससे प्रकरण में कोई जप्ती नहीं हुई है। उसके नाम से एक ही फेसबुक आई.डी. है, जो कि चैन्नई उर्फ तमीम अंसारी नाम से है, जिसमें कछुये के व्यापार संबंधी कोई भी फोटो नहीं है और फारेस्ट वालों की गलतफहमी की वजह से उक्त फेसबुक आई.डी. को गलत दर्शाया गया है।

(आई.) आरोपी मोहम्मद इरफान ने यह बचाव लिया है कि वरिष्ठ अधिकारी रीतेश सिरोठिया व अनुसंधान अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे द्वारा उसके विरूद्ध फर्जी साक्ष्य तैयार कर, उससे खाली कागजों पर हस्ताक्षर कराकर व फर्जी जप्ती तैयार कर, उसके विरूद्ध उक्त फर्जी मामला तैयार किया गया है। उसकी उक्त अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संलिप्तता नहीं है, न ही उसकी उक्त अपराध में कोई भागीदारी रही है। उसके विरूद्ध फर्जी साक्ष्य व दस्तावेज तैयार किये गये हैं।

(जे.). आरोपी मन्नीवन्नन ने बचाव में व्यक्त किया है कि चैन्नई स्थित उसके घर पर वन विभाग के लोग आये तो वह उन्हें मिला, अपनी पहचान बताई, फिर वह उसे उसके घर दूर पोर्तगीज चर्च पर ले गये और कहा कि उन्हें पैसा दे दें तो उसे नहीं फंसायेंगे, उसने कहा कि जब उसने अपराध ही नहीं किया है तो पैसे क्यों दे, फिर उन लोगों ने उसे बहुत मारा और पकड़कर भोपाल ले आये, फिर वहां पर भी उसके साथ मारपीट कर कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये और फिर सागर ले आये। सागर न्यायालय से उसे पुनः भोपाल लेकर गये, जहां उस पर अत्याचार करते हुये फिर से पैसों की मांग यह कहते हुये की गई कि असली आरोपी कोई मनीकानन्दन है और वह चैन्नई का है। अगर पैसे दे दोगे तो तुम्हें छोड़ देंगे, परंतु उसके पास इतनी बड़ी रकम की व्यवस्था नहीं हो सकती थी, इसलिये वह पैसा नहीं दे पाया और यह जानते हुये कि उसका किसी भी तरह का इन्वाल्वमेंण्ट कछुओं की तस्करी में नहीं है, वन विभाग के अधिकारों द्वारा जान बूझकर उसे इस प्रकरण में झूठा फंसाया गया है, उसके किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं है और न ही उसने किसी भी आरोपी की पहचान की है। उसने मोबाईल दिसंबर–2017 में ही खरीदा था, जिससे उसमें कोई डेटा नहीं था और न ही उमसें इस प्रकरण से संबंधित कछुओं की तस्वीरें थी। वन विभाग द्वारा स्वयं के कम्प्यूटरों से दिन–रात कागजात् प्रिंट किये जाते थे और उन पर उसके हस्ताक्षर करवा लिये गये थे। उसके मोबाईल को जान–बूझकर न्यायालय में नहीं खुलवाया गया और वन विभाग के कर्मचारियों की मेल आई.डी. से एडिट करके मेल प्रस्तुत किये गये हैं। वह सिर्फ मछली का व्यापार करता है, जिसके संबंध में उसके पास दस्तावेज मौजूद है। वन विभाग द्वारा कार्यवाही विधि अनुसार नहीं की गई है तथा अपने पद का दुरूपयोग कर मनमाने ढंग से की

गई है।

(के). आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने बचाव में व्यक्त किया है कि वह बहुत गरीब व्यक्ति है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करता है।

46. उल्लेखनीय है कि प्रकरण में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि आरोप विरचन में अधिनियम की ''धारा 50(1) के परंतुक'' के स्थान पर टंकण त्रुटिवश ''धारा 50 के परंतुक'' टंकित हो गया है। उक्त संबंध में धारा 215 द. प्र.सं. के आलोक में न्यायालय का यह मत है कि आरोप विरचना में हुई यह टंकण त्रुटि या आरोप की विशिष्टियों में हुआ यह लोप मामले में तात्विक प्रकृति का नहीं है, क्योंकि ऐसी त्रुटि से न तो आरोपीगण किसी भुलावे में पड़े है और न ही ऐसी टंकण त्रुटि के कारण न्याय नहीं हो पाया है। वस्तुतः बचाव पक्ष ने धारा 50 (1) के परंतुक के आरोप के आधार पर ही मामले में साक्षियों का प्रतिपरीक्षण किया है, अपनी प्रतिरक्षा की है और तत्संबंध में तर्क प्रस्तुत किये हैं। इस प्रकार इस मामले के विचारण में आरोप विरचन में हुई ऐसी टंकण त्रुटि से न तो अभियोजन और न ही बचाव पक्ष के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अतः निर्णय पारित करते समय उक्त टंकण त्रुटि को दूर करके स्पष्ट उपबंध के आधार पर विचारणीय प्रश्न बनाकर मामले का निराकरण किया जा रहा है। इस संबंध में **न्याय दृष्टांत तुलसीराम एवं अन्य विरूद्ध उत्तरप्रदेश राज्य ए.आई.आर.1963 एस.सी.666 एवं वी.सी.शुक्ला विरूद्ध स्टेट द्वारा सी.बी.आई. 1980 सप्लीमेंण्ट्री एस.सी.सी.92 पेज–150 एवं पैराग्राफ 110** अवलोकनीय है। अतः प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि –

1. क्या आरोपी आजाद, अजयसिंह, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर, थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका एवं तपश बसाक उर्फ रोनी ने उनको अभिरक्षा में लिये जाने की दिनांक के पूर्व के वर्षों में, उक्त सह–आरोपीगण तथा आरोपी नंदलाल (मृत) एवं अन्य आरोपी शेखरदास, सुल्तान तथा फरार आरोपीगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में कार्य किया है?

2. क्या उक्त आरोपीगण ने सह–आरोपीगण के साथ मिलकर के उक्त समय व स्थान पर मुख्य रूप से भारत के मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, चैन्नई आदि राज्यों, तथा भारत के बाहर के श्रीलंका, बंग्लादेश, चीन, थाईलेंड, पाकिस्तान, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों, में अधिनियम की अनुसूची एक में उल्लिखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल

तिलकधारी कछुआ एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव अधिनियम के तहत जो अनुसूचित पशु है,को अवैध रूप से स्वयं के कब्जे में रखा?

3. क्या उक्त आरोपीगण ने सह–आरोपीगण के साथ मिलकर के उक्त समय व स्थान पर अधिनियम की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ (Red crowned Roof Turtle Scinetific name-Kachuga) एवं पेंगोलिन के स्कल्स, तथा अन्य वन्य प्राणी अवयव का बगैर अनुज्ञप्ति के उनकी खरीद–फरोख्त (व्यापार) किया तथा उक्त व्यापार के संबंध में उनका अवैध परिवहन किया?

4. क्या उक्त आरोपीगण ने सह–आरोपीगण के साथ मिलकर के उक्त समय व स्थान पर अनुसूचित पशु से प्राप्त ट्राफी, पशु वस्तु का, अवैध कब्जे में रखकर परिवहन कर व्यापार किया?

5. क्या आरोपी अजयसिंह, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका तथा तपश बसाक उर्फ रोनी ने उक्त समय एवं स्थान पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ का शिकार (अधिनियम में यथा परिभाषित) किया?

सकारण निष्कर्ष

47. अभियोजन की ओर से विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1), साक्षीगण प्रदीप यादव (अ.सा. 2), रवि शर्मा (अ.सा. 3), ओमप्रकाश शर्मा (अ.सा. 4), आरती शर्मा (अ.सा. 5), अनिल यादव (अ.सा. 6), मुहीब (अ.सा. 7), राहुल विश्वकर्मा (अ.सा. 8), महिपालसिंह (अ.सा. 9), रघुराज सेन (अ.सा. 10), हेमंत उपाध्याय (अ.सा. 11), वीरसींग (अ.सा. 12), प्रीतम अहिरवाल (अ.सा. 13), विनोद कुमार चौबे (अ.सा. 14), ज्योतिप्रसाद दण्डोतिया (अ.सा. 15), इंदरसिंह बारे (अ.सा. 16), रीतेश सीरोठिया (अ.सा. 17), चन्द्रशेखर शर्मा (अ.सा. 18), संजय पाण्डे (अ.सा. 19), डॉ.निधि राजपूत (अ.सा. 20), अब्दुल अलीम अंसारी (अ.सा. 21), प्रवीण बरडे (अ.सा. 22), प्रोसंजीत भट्टाचार्य (अ.सा. 23), बी.प्रीथी (अ.सा. 24), मुनीर अहमद (अ.सा. 25), राजेश मोहन (अ.सा. 26) एवं पी.एन. रामाकृष्णन (अ.सा. 27) को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है, तथा उनसे प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–497 के दस्तावेजों, एवं आर्टीकल ए–1 लगायत आर्टिकल ए–38 तक प्रदर्शित कराये गये हैं, **जबकि बचाव पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी की साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है,** यद्यपि दौरान प्रतिपरीक्षण प्रदर्श डी–1 लगायत प्रदर्श डी–81 तक के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया

है।

48. आरोपित अपराध के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना किये जाने के पूर्व उक्त साक्ष्य व उसमें प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजों के प्रदर्शों में त्रुटिवश उत्पन्न विसंगतियों पर विचार किया जाना आवश्यक है, जिससे कि निर्णय में स्पष्टता बनी रहे, उक्त संबंध में निम्न तथ्य महत्वपूर्ण है–

(ए) प्रकरण में विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) का मुख्य परीक्षण दिनांक 06.12.2017 को प्रारंभ किया जाकर कंडिका–1 लगायत 16 के रूप में लेख किया गया, परंतु इसके बाद की दिनांक 18.12.2019 को हुये आगे के मुख्य परीक्षण में त्रुटिवश पुनः कंडिका–01 लेख कर साक्ष्य लेखन प्रारंभ किया गया है, ऐसे में निर्णय में स्पष्टता सुनिश्चित करने हेतु उक्त दिनांकों संबंधी साक्ष्य की विवेचना में कंडिका का उल्लेख करते समय संबंधित दिनांक भी उल्लेखित की जायेगी।

(बी) इसी प्रकार प्रकरण की विवेचक सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) के मुख्य परीक्षण की कंडिका–11 (दिनांक 06.12.2017) में साक्षी अजयसिंह ठाकुर एवं साक्षी हेमंत उपाध्याय के आरोपी अजयसिंह के संबंध में दिनांक 22.06.2017 को विवेचक साक्षी को दिये गये कथन अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. को क्रमशः प्रदर्श पी–24 एवं प्रदर्श पी–25 के रूप में प्रदर्शित कराया जाना लेख किया गया है, परंतु त्रुटिवश उक्त दस्तावेजों पर उक्त अनुसार प्रदर्श अंकित नहीं किये गये, और उक्त साक्षीगण अजयसिंह ठाकुर एवं हेमंत उपाध्याय के उक्त कथन दिनांक 22.06.2017 को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसके मुख्य परीक्षण दिनांक 01.03.2019 की कंडिका–16 में पुनः क्रमशः प्रदर्श पी–55 एवं प्रदर्श पी–56 के रूप में प्रदर्शित कराया, जिसके प्रदर्श संबंधित दस्तावेजों में अंकित किये गये हैं। इस कारण उक्त विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की साक्ष्य में जहां–जहां प्रदर्श पी–24 एवं प्रदर्श पी–25 उल्लिखित है, उसे क्रमशः प्रदर्श पी–55 एवं प्रदर्श पी–56 पढ़ा जावेगा, और तदानुसार ही निर्णय में लेख किया जावेगा।

(सी) उल्लेखनीय है कि विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने उसके मुख्य परीक्षण दिनांक 15.03.2019 की कंडिका–27 में आरोपी अजय के मोबाईल फोन से आरोपी के समक्ष साईबर सेल प्रभारी द्वारा आई–क्लाउड से आरोपी के प्रकरण के अन्य आरोपी / वन्य प्राणियों के अवैध व्यापारी सादिक भाई से बातचीत करने के प्रिंट–आउट को यद्यपि प्रदर्श पी–81

के रूप में प्रदर्शित कराया गया, परंतु उक्त प्रदर्श के कुल पृष्ठों की संख्या साक्ष्य में लेख नहीं कराई गई, जो कुल उन्नीस पेज है, जिसका स्पष्टीकरण अभियोजन साक्षी अनिल यादव(अ.सा. 6) ने मुख्य परीक्षण के पैरा कं.4 (दिनांक 13.02.2020) में इस रूप में दिया है कि उक्त साक्षी के द्वारा उक्त प्रपत्र विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के समक्ष आरोपी अजयसिंह के आई–क्लाउड से निकाले गये हैं।

(डी) प्रकरण की विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) की साक्ष्य में दो दस्तावेजों पर त्रुटिवश समान प्रदर्श पी–346 अंकित हो गया है, जिनमें से **प्रथम दस्तावेज** अभियोजन साक्षी भगवतसिंह गौड़ का आरोपी तपश बशाक के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 161 के तहत दिया गया कथन दिनांक 06.03.2019(मुख्य परीक्षण दिनांक 24.05.2019 की कंडिका–121 में प्रदर्शित) है, एवं **द्वितीय दस्तावेज** पी.ओ.आर. क्रमांक–28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 आर.टी.एस.एफ. सागर की मूल प्रति(प्रतिपरीक्षण दिनांक 24.07.2019 की कंडिका–269में प्रदर्शित) है। प्रदर्श अंकन में की गई उक्त त्रुटि को साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) की साक्ष्य दिनांक 08.12.2020 की कंडिका–337 के पश्चात् उल्लिखित नोट के द्वारा समाप्त कर प्रकरण की पी.ओ.आर. क्रमांक–28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 की मूल प्रति को उभय पक्ष के समक्ष प्रदर्श पी–346''ए'' के रूप में पुनर्क्रमांकित किया गया है, और इस कारण पी.ओ.आर. क्रमांक–28060 / 02 की मूल प्रति को प्रकरण में प्रदर्श पी–346''ए'' के रूप में ही पढ़ा जावेगा।

(ई) इसी प्रकार प्रकरण की विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) की साक्ष्य में दो दस्तावेजों पर त्रुटिवश समान प्रदर्श पी–345 अंकित हो गया है, जिनमें से एक दस्तावेज दिनांक 24.05.2019 को प्रदर्शित कराया गया ''साक्षी महीपाल सिंह का कथन अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं.'' है, एवं दूसरा दस्तावेज दिनांक 24.07.2019 को प्रदर्शित कराया गया ''मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल का आदेश दिनांक 28.02.2017'' है। निर्णय में स्पष्टता सुनिश्चित रखने हेतु प्रथम दस्तावेज अर्थात् ''महिपाल सिंह के धारा 161 दं.प्र.सं. के कथन'' को **प्रदर्श पी–345 (कथन साक्षी महिपाल)** के रूप में, और द्वितीय दस्तावेज अर्थात् ''मध्यप्रदेश शासन वन विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन, भोपाल का आदेश दिनांक 28.02. 2017'' को **प्रदर्श पी–345 (शासन आदेश दिनांक 28.07.2017)**

के रूप में निर्णय में लेख किया जावेगा।

(एफ) इसी प्रकार प्रकरण की विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) की साक्ष्य में दो दस्तावेजों पर त्रुटिवश समान प्रदर्श डी–9 अंकित हो गया है, जिनमें से प्रथम दस्तावेज दिनांक 24.07.2019 को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की साक्ष्य की कंडिका–271 में प्रदर्शित कराया गया दस्तावेज ''पी.ओ.आर. क्रमांक–8877 / 25 से प्रस्तुत किया गया दिनांक 05.05.2017 का तलाशी पूर्व पंचनामा'' है, एवं द्वितीय दस्तावेज दिनांक 06.08.2019 को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की साक्ष्य की कंडिका–277 में प्रदर्शित कराया गया ''आरोपी मोहम्मद इरफान का गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 12.10.2017'' है। निर्णय में स्पष्टता सुनिश्चित रखने हेतु प्रथम दस्तावेज को **प्रदर्श डी–9 (तलाशी पूर्व पंचनामा)** तथा द्वितीय दस्तावेज को **प्रदर्श डी–9 (गिरफ्तारी वारण्ट मोहम्मद इरफान)** के रूप में निर्णय में लेख किया जायेगा।

(जी) इसी प्रकार प्रकरण की विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) की साक्ष्य में दो दस्तावेजों पर त्रुटिवश समान प्रदर्श डी–10 अंकित हो गया है, जिनमें से प्रथम दस्तावेज दिनांक 24.07.2019 को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की साक्ष्य की कंडिका–271 में प्रदर्शित कराया गया पी.ओ.आर. क्रमांक–8877 / 25 से प्रस्तुत किया गया ''दिनांक 05.05.2017 का तलाशी उपरांत पंचनामा'' है, एवं द्वितीय दस्तावेज दिनांक 06.08.2019 को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की साक्ष्य की कंडिका–277 में प्रदर्शित कराया गया ''दिनांक 20.10.2017 का मौका पंचनामा'' है। निर्णय में स्पष्टता सुनिश्चित रखने हेतु प्रथम दस्तावेज को **प्रदर्श डी–10 (तलाशी उपरांत पंचनामा)** एवं द्वितीय दस्तावेज को **प्रदर्श डी–10 (मौका पंचनामा दिनांक 20.10.2017)** के रूप में निर्णय में लेख किया जावेगा।

(एच) इसी प्रकार प्रकरण की विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) की साक्ष्य में दो दस्तावेजों पर त्रुटिवश समान प्रदर्श पी–147 अंकित हो गया है, जिनमें से एक दस्तावेज दिनांक 25.04.2019 को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की साक्ष्य की कंडिका–56 में प्रदर्शित कराया गया ''आरोपी मोहम्मद इकरार के परिवार को गिरफ्तारी की सूचना'' है, एवं दूसरा दस्तावेज दिनांक 25.04.2019 को ही विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की साक्ष्य की कंडिका–57 में प्रदर्शित कराया गया ''आरोपी मोहम्मद

इकरार का कथन दिनांक 09.09.2017'' है। निर्णय में स्पष्टता सुनिश्चित रखने हेतु प्रथम दस्तावेज अर्थात् ''आरोपी मोहम्मद इकरार के परिवार को गिरफ्तारी की सूचना'' को **प्रदर्श पी–147 (गिरफ्तारी की सूचना)** के रूप में, और द्वितीय दस्तावेज अर्थात् ''आरोपी मोहम्मद इकरार का कथन दिनांक 09.09.2017'' को **प्रदर्श पी–147 (कथन आरोपी मोहम्मद इकरार)** के रूप में निर्णय में लेख किया जावेगा।

49. साक्ष्य की विवेचना के पूर्व सर्वप्रथम अभियोजन साक्षियों द्वारा साक्ष्य में सशर्त रूप से प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजों की ग्राह्यता के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा की गई लंबित आपत्तियों का निराकरण किया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि साक्ष्य के दौरान अभियोजन साक्षियों के द्वारा सशर्त रूप से प्रदर्शित कराये गये प्र.पी.–442ए, प्र.पी.–451 लगायत प्र.पी. 451–ई, प्र.पी. –453ए लगायत प्र.पी.–453–एफ, प्र.पी.–458ए–1 लगायत प्र.पी.–458 ए–10, प्र.पी.–459, प्र.पी.–465, प्र.पी.468, प्र.पी.–471लगायत प्र.पी.–475, प्र.पी.–477, प्र.पी.–478, प्र.पी.–479–ए लगायत 479–एफ, प्र.पी.–480, प्र.पी.–481, प्र.पी. –484ए, प्रदर्श पी–485ए, प्र.पी.–489, प्र.पी.–487ए एवं प्र.पी.–491, के दस्तावेजों के संबंध में बचाव पक्ष द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति ली गई है कि अभियोजन द्वारा उक्त सभी दस्तावेज प्रतिपरीक्षण के स्तर पर प्रथम बार प्रदर्शित कराये गये हैं, तथा उक्त दस्तावजों में से कतिपय दस्तावेज पूर्व से अभिलेख पर प्रस्तुत ही नहीं थे, तथा उन्हें अभियोजन द्वारा साक्ष्य की लेकुना पूर्ति हेतु पश्चात्वर्ती अवस्था में तैयार कर प्रकरण में प्रदर्शित कराया गया है, जिनमें से कुछ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65(बी) के प्रमाण पत्र भी हैं।

50. बचाव पक्ष द्वारा की गई उक्त आपत्तियों के संबंध में अभियोजन के द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि सशर्त रूप से प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजों में से अधिकतर दस्तावेज पूर्व से अभिलेख पर प्रस्तुत थे, तथा कतिपय दस्तावेजों को धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत आहूत नवीन साक्षियों से इस आधार पर प्रथम बार प्रदर्शित कराया गया है कि वे सुसंगत होकर प्रकरण के न्यायिक निराकरण हेतु आवश्यक दस्तावेज हैं। उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया गया, जहां तक अभियोजन द्वारा उन दस्तावेजों को प्रथम बार प्रतिपरीक्षण में प्रदर्शित कराने का संबंध है, जो पूर्व से अभिलेख पर थे, उल्लेखनीय है कि साक्षी के पुनःपरीक्षण की अधिकारिता अभियोजन को विधि द्वारा प्राप्त है, और ऐसे में अभियोजन द्वारा उन दस्तावेजों को भी पुनःपरीक्षण में प्रदर्शित कराया जा सकता है, जो पूर्णतः नये विषयों से संबंधित हैं, बशर्ते कि वे दस्तावेज प्रकरण से सुसंगत होकर उसके निराकरण हेतु आवश्यक हों। उक्त संबंध में यह भी अवलोकनीय है कि अभियोजन के द्वारा आवेदन आई.ए.नंबर–24 / 20, जो धारा 246 (6) सहपठित धारा 311 दं.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत किया गया था, को न्यायालयीन आदेश पत्रिका दिनांक

22.12.2020 के आदेश द्वारा जिन प्रस्तावित साक्षियों के संबंध में स्वीकार किया गया था, उन साक्षियों को दं.प्र.सं. की धारा 246(6) सहपठित धारा 311 के तहत आहूत किये जाने के कारण अभियोजन न केवल उक्त नवीन साक्षियों की साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु सक्षम था, बल्कि उक्त नवीन साक्षीगण की साक्ष्य से सुसंगत दस्तावेज भी प्रदर्शित कराने हेतु सक्षम था, क्योंकि यदि किसी साक्षी को केवल साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अनुमत किया जाकर दस्तावेज प्रस्तुत करने से रोक दिया जाये, तो वह उसकी साक्ष्य सम्पूर्णता में प्रस्तुत करने हेतु सक्षम नहीं हो सकता, और यह नहीं माना जा सकता कि ऐसे साक्षी को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु वस्तुतः अनुमति प्रदान की गई है। स्पष्ट है कि उक्त नवीन साक्षीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की प्रकरण से सुसंगतता ही देखना शेष रह जाता है।

51. अब जहां तक अभियोजन द्वारा धारा 65(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्रों को प्रतिपरीक्षण के स्तर पर प्रथम बार प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि **न्यायदृष्टांत अर्जुन पंडित राव खोटकर वि. कैलाश कुसनराव बोरंट्याल एवं अन्य सिविल अपील नं. 20825–20826 वर्ष 2017** में माननीय न्यायालय द्वारा यह धारित किया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों के संबंध में धारा 65(बी) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर भी प्रस्तुत किये जा सकते हैं। अतः बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत लंबित आपत्तियां अस्वीकार कर उक्त सशर्त प्रदर्शित दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य होना निष्कर्षित किया जाता है। तदनुसार बचाव पक्ष की आपत्तियों एवं लंबित आवेदन आई.ए.नंबर 8/21 (दिनांक 12.01.2021), आई.ए. नंबर–9/21 (दिनांक 12.01.2021), आई.ए.नंबर 14/21 (दिनांक 15.01.2021), आई.ए.नंबर 19/21 (दिनांक 18.01.2021) और आई.ए.नंबर 23/21 (दिनांक 20.01.2021) निराकृत किये जाते हैं। .

52. उल्लेखनीय है कि निर्णय के समय निराकरण हेतु सुरक्षित रखी गई आपत्तियों में से एक आपत्ति अभियोजन साक्षी हेमंत उपाध्याय (अ.सा–11) की साक्ष्य की कंडिका 5 में उल्लिखित अभियोजन की आपत्ति यह है कि आर्टिकल ए–23 के पैकेट को साक्ष्य दिनांक 15.09.2020 को न्यायालय में खोले जाने पर उसके अंदर पीले रंग के लिफाफे में जो मोबाइल बंद मिला उसके उपर ''आरोपी कमल बाथम का मोबाइल पीओआर नं. 28060/02 दिनांक 05.05.2017'' लेख है, जिसके खोलने पर उसके अंदर इंटेक्स कंपनी का हल्के पीले कलर का मोबाइल निकला था, जबकि अभियोजन के अनुसार आर्टिकल ए 23 के रूप में आरोपी संपत्तिया का मोबाइल, जो कि वीडियोकॉन कंपनी का था, अभियोजन साक्षी क्रमांक 3 के द्वारा दिनांक 31.01.2020 को प्रदर्शित कराया गया है, ऐसे में आरोपी संपत्तिया बाथम से जप्त मोबाइल पर डला हुआ आर्टिकल ए 23 सही नहीं माना जा सकता, क्योंकि साक्षी क्रमांक 11 के कथन दिनांक 19.09.2020 तक, आरोपी संपत्तिया का मोबाइल किसी

भी साक्षी से अभियोजन ने प्रदर्शित नहीं कराया था, ऐसे में उक्त आर्टिकल ए 23 की पर्ची आरोपी कमल बाथम के इनटेक्स मोबाइल के उपर त्रुटिपूर्ण ढंग से चस्पा कर दी गई, जबकि वास्तव में उक्त पर्ची आरोपी संपत्तिया के वीडियोकॉन कंपनी के मोबाइल पर चस्पा की जानी चाहिए थी, जिसे अ.सा.–3 के द्वारा प्रदर्शित कराया गया है, और आरोपी कमल बाथम के इंटेक्स मोबाइल को अ.सा.–11 के द्वारा दिनांक 15.09.2020 को प्रथम बार प्रदर्शित कराकर आर्टिकल ए–23'क' डाला जाना उचित होगा।

53. उक्त आपत्ति के संबंध में संबंधित आर्टिकल और तत्संबंधी साक्ष्य का अवलोकन किया गया जिससे यह दर्शित होता है कि साक्षी रवि शर्मा (अ.सा–3) की साक्ष्य दिनांक 31.01.2020 की कंडिका–12 अनुसार न्यायालय के समक्ष सीलबंद अवस्था में लाये हुए पैकेट पर 2503 / 17 लेख था, जिसमें से चार मोबाइल अलग–अलग आरोपियों के प्राप्त हुए थे, जिसमें से एक मोबाइल के उपर लिपटे हुए कपडे में ''आरोपी संपत्तिया का मोबाइल पी. ओ.आर. नं. 28060 / 02 / 05.05.17 कंपनी वीडियोकॉन'' लेख था, जिसे न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित कर आर्टिकल ए–23 अंकित किया गया था। अतः स्पष्ट है कि दिनांक 15.09.2020 तक, जब आरोपी कमल बाथम से जप्त मोबाइल (इंटेक्स कंपनी का) अभियोजन द्वारा साक्ष्य में प्रदर्शित ही नहीं कराया गया था, और दिनांक 31.01.2020 को आरोपी संपत्तिया बाथम से जप्तशुदा मोबाइल (वीडियोकॉन कंपनी का) को आर्टिकल ए 23 के रूप में साक्षी क्रमांक 3 से प्रदर्शित कराया जा चुका था, तो दिनांक 15.09.2020 को मालखाने से प्रस्तुत पैकेट पर आर्टिकल ए–23 की पर्ची कमल बाथम के मोबाइल पर त्रुटि पूर्वक ढंग से चस्पा कर दी गई थी, जो कि उक्त चारों मोबाइलों के एक पैकेट में होने से हुई थी। अतः उक्त संबंध में अभियोजन द्वारा की गई आपत्ति को स्वीकार किया जाकर तद् दिनांक को आरोपी कमल बाथम से जप्त इंटेक्स मोबाइल पर आर्टिकल ए–23'क' डाला जाना उचित पाया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न क्रमांक–1 लगायत 5 की विवेचना एवं निष्कर्षः–</u>

54. उक्त विचारणीय प्रश्नों की अन्तर्मिश्रितता एवं प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

55. उपरोक्त प्रस्तुत अभियोजन कथा तथा तद्नुसार विरचित आरोप के अवलोकन से यह स्पष्ट दर्शित है कि अभियोजन द्वारा वर्तमान मामला आरोपीगण के विरूद्ध किसी एक विशिष्ट दिनांक अथवा एक विशिष्ट स्थान पर हुये किसी एक घटना के संबंध में प्रस्तुत न किया जाकर आरोपीगण के द्वारा वन्य जीवों विशेषकर पेंगोलिन के शल्क एवं लाल तिलकधारी कछुये, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची–I में क्रमशः भाग–1 की कंडिका–28 एवं भाग–2 की कंडिका–14बी में आते हैं, के संबंध में, एक

लंबी कालावधि तक, लगातार किये जाते रहने वाले कथित अवैध व्यापार के अपराध के संबंध में प्रस्तुत किया गया है, और इस कारण तत्संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना को, उक्त संदर्भ में ही किया जाना उचित होगा। उक्त संबंध में यह आवश्यक है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में उपबंधित उन विशिष्ट प्रावधानों का अवलोकन कर लिया जाये, जो वर्तमान प्रकरण से सुसंगत हैं और जिन्हें अपराध की विशेष प्रकृति के आधार पर विधायिका ने अधिनियम में समर्थकारी उपबंधों के रूप में विशिष्ट रूप से उपबंधित किया है।

56. उल्लेखनीय है कि किसी भी अपराध की न्यायपूर्ण विवेचना के लिए यह आवश्यक है कि उक्त प्रकरण की अनुसंधान कार्यवाही तथा अभियोग पत्र प्रस्तुति सक्षम प्राधिकारी के द्वारा संपादित की जाये, परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की **धारा 55** विशिष्टतः यह प्रावधानित करती है कि :–

कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के विरूद्ध किसी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित से भिन्न किसी व्यक्ति के परिवाद पर नहीं करेगा–

(ए) *वन्य जीव संरक्षण निदेशक या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी।*

(ए ए) .....

(ए बी) .....

(ए सी) .....

(बी) *मुख्य वन्य जीव संरक्षक या राज्य सरकार द्वारा ऐसी शर्तों के साथ जो विनिर्दिष्ट की जाये इस निमित्त प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, या*

(बी बी) .....

(सी) *कोई व्यक्ति.....*

उक्त संबंध में यह भी अवलोकनीय है कि अधिनियम की उक्त धारा 55 के पालन में राज्य शासन द्वारा म.प्र. नियम 1974 बनाये गये जिसके *नियम 55 के अनुसार अधिनियम की धारा 55 के तहत निम्नलिखित अधिकारियों को वन्य जीव संबंधी प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करने की अधिकारिता प्रदान की गयी है –*

(ए) *चीफ वाइल्ड लाईफ वार्डन*

(बी) *वाइल्ड लाईफ वार्डन*

(सी) *फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर*

उल्लेखनीय है कि परिवाद प्रस्तुति की अधिकारिता के संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) मध्य प्रदेश का आदेश क्रमांक 189 भोपाल दिनांक 22.08.2006 भी अवलोकनीय है, जिसमें वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 5 (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन विभिन्न अधिकारियों को परिशिष्ट 1 के अनुसार कर दिया गया है और जिसमें उप वन मंडल अधिकारी को अधिनियम की धारा 50 (8) तथा वन परिक्षेत्र अधिकारी को अधिनियम की धारा 55 के दायित्व और शक्तियों का निर्वाह करने हेतु प्रत्यायोजन किया गया है।

57. इसी प्रकार अभियुक्त की संस्वीकृति के संबंध में वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की **धारा 50 (8) (डी), एवं धारा 50 (9)** में यह उपबंधित किया गया है कि –

धारा –50 प्रवेश, तलाशी, गिरफतारी और निरूद्ध करने की शक्ति –

.....

8.*तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, किसी ऐसे अधिकारी को, जो वन्य जीव संरक्षण सहायक निदेशक की पंक्ति से नीचे का न हो, या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे अधिकारी को जो सहायक वनपाल की पंक्ति से नीचे का न हो, इस अधि0 के किसी उपबंध के विरूद्ध किसी अपराध का अन्वेषण करने के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी –*

.....

(डी) साक्ष्य ग्रहण करना और अभिलिखित कराना।

9. *उपधारा (8) के खंड (डी) के अधीन अभिलिखित कोई साक्ष्य किसी मजिस्टेट के समक्ष किसी पश्चातवर्ती विचारण में ग्राह्य होगा, परंतु यह तब जबकि उसे अभियुक्त व्यक्ति की उपस्थिति में लिया गया हो।*

58. इसी प्रकार दण्ड के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की **धारा 51** यह उपबंध करती है कि–

1–कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के किसी प्रावधान (अध्याय–5 क और धारा 38 ञ को छोड़कर) या अधिनियम

के अधीन बनाये गये किसी नियम या आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा या जो इस अधिनियम के अधीन दी गई, किसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र की शर्तों में से किसी का भंग करेगा, वह इस अधिनियम के विरूद्ध अपराध का दोषी होगा और दोषसिद्धि पर कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पच्चीस हजार रूपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा,

परंतु यदि किया गया अपराध अनुसूची–1 में या अनुसूची–2 के भाग–2 में विनिर्दिष्ट किसी प्राणी या किसी ऐसे प्राणी के मांस या ऐसे प्राणी से व्युत्पन्न प्राणी वस्तु, ट्राफी, असंसाधित ट्राफी के संबंध में है, या अपराध किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन में आखेट से संबंधित या किसी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उपवन की सीमाओं में परिवर्तन करने से संबंधित है, तो ऐसा अपराध, ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी, किन्तु जो सात वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपये से कम नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

.....

(1–क) कोई व्यक्ति जो अध्याय 5–क (कुछ प्राणियों से व्युत्पन्न ट्राफी, प्राणी वस्तुओं आदि में व्यापार या वाणिज्य का प्रतिषेध)के उपबंध का उल्लंघन करेगा, कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु सात वर्ष तक हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो दस हजार रूपये से कम का नहीं होगा, दण्डनीय होगा।

59. वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उक्त विशिष्ट प्रावधानों के समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि अधिनियम की उद्देशिका में यथा उल्लिखित अनुसार देश की पारिस्थितकीय और पर्यावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की दृष्टि से, वन्य प्राणियों, पक्षियों और पादपों के संरक्षण के लिए तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक या आनुसंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम में कतिपय विशिष्ट समर्थकारी प्रावधान उपबंधित किये गये है, जो सामान्य विधि के तहत अनुसंधान हेतु अनुसंधान अधिकारी को प्रदत्त नहीं है। उक्त समर्थकारी उपबंध वन्य जीवों के अवैध आखेट किये जाने, तथा वन्य जीवों की विशिष्ट पारिस्थितकीय परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही

विधायिका के द्वारा अधिनियम में समाहित किये हैं, ऐसे में वन्य जीव अपराध संबंधी वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना भी उक्त विशिष्ट समर्थकारी उपबंधों के आलोक में किया जाना आवश्यक होगा।

60. अभियोजन कथा अनुसार वर्तमान प्रकरण को पी.ओ.आर. क्रमांक–28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है, उक्त के समर्थन में विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य (कंडिका–1 दिनांक 06.12.2017 एवं 18.02.2019) में यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 05.05.2017 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर में उपवन संरक्षक के पद पर पदस्थ थी और उसी दिनांक को एस.टी.एस.एफ., भोपाल, आर.टी.एस.एफ., सागर एवं गेमरेंज सबलगढ़ की संयुक्त टीम के साथ सबलगढ़ केस में न्यायालय सबलगढ़ से पी.आर. पर प्राप्त आरोपी आजाद की निशादेही पर पांचों कॉलौनी, मोगियापुरा में नंदलाल के घर पहुंची थी, तब आरोपी नंदलाल (मृत) घर पर था, और उसे बुलाकर पूछतांछ की गई थी, तथा उसके घर की तलाशी ली गई तब तलाशी के दौरान उसके घर से एक पीले रंग की पॉलीथीन में वन्य प्राणी पेंगोलिन के खपटे प्राप्त हुये थे, जो कि तीन सौ ग्राम मात्रा में थे, जिसके संबंध में, वन रक्षक रवि शर्मा (अ.सा. 3) द्व ारा जप्ती की कार्यवाही कर मौका पंचनामा (प्रदर्श पी–1) बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार वन रक्षक रवि शर्मा (अ.सा. 3) द्वारा तत्समय ही आरोपी आजाद की निशादेही पर आरोपी नंदलाल (मृत) के विरूद्ध वन अपराध प्रकरण क्रमांक–28060 / 02 दिनांक 05. 05.2017 अंतर्गत वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 44, 48–ए, 49–बी, 51, 52, 57 पंजीबद्ध किया गया। उल्लेखनीय है कि साक्षी (अ. सा. 1) ने उक्त के संबंध में साक्ष्य की कंडिका–269 में यह स्वीकारा है कि दिनांक 05.05.2017 को पी.ओ.आर. प्र.पी. 346 **(न्यायालय द्वारा पुनर्क्रमांकित कर 346'ए' किया गया)** जारी की गई थी, जो मौके पर जप्तशुदा वन्य प्राणी पेंगोलिन की शल्क के संबंध में जारी की गई थी।

61. साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि उक्त दिनांक 05.05.2017 की कार्यवाही में वन विभाग की टीम में उसके साथ राजेश सिकरवार, प्रदीप यादव (अ.सा.2), मुस्तफा खान–वनरक्षक, सागर और अन्य लोग मौजूद थे, उक्त कथन का समर्थन करते हुए साक्षी प्रदीप यादव (अ.सा.2), साक्षी ओमप्रकाश शर्मा (अ.सा.4) ने नंदलाल के घर से पेंगोलिन के शल्क की जप्ती की कार्यवाही उनके समक्ष किया जाना अपनी न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त किया है और प्रदर्श पी–1 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी नंदलाल (मृत) एवं आरोपी आजाद को वन आपराधिक प्रकरण क्रमांक–8877 / 25 में न्यायालय, सबलगढ़ के समक्ष पेश कर वर्तमान प्रकरण क्रमांक–28060 / 02 में फार्मल

गिरफ्तारी की अनुमति प्राप्त की गई और गवाहों की उपस्थिति में गिरफ्तार कर उसके द्वारा गिरफ्तारी पंचनामा (प्रदर्श पी–58 एवं प्रदर्श पी–59) तैयार किये गये, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसके पश्चात् आरोपी नंदलाल (मृत) एवं आरोपी आजाद को न्यायालय सबलगढ़ से ट्रांजिट रिमाण्ड पर लेकर वर्तमान न्यायालय सागर में पेश करने हेतु प्राप्त किया गया था।

62. अभियोजन साक्षी (अ.सा–1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अन्य अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा–3) ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि उसके द्वारा दिनांक 05.05.2017 को मृत आरोपी नंदलाल मोगिया से लगभग 300 ग्राम वन्य प्राणी पेंगोलिन (चीटीखोर) के शल्क समक्ष गवाहान प्रदीप और मो. मुस्तफा के जप्त कर प्र.पी. 368 के मुताबिक जप्ती पत्रक तैयार किया गया, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, साक्षी के अनुसार उसके समक्ष साक्षियों ने भी प्र.पी. 368 पर हस्ताक्षर किये थे, तथा प्र.पी. 368 पर आरोपी नंदलाल की अंगूठा निशानी अंकित की गई थी, और जप्तशुदा पेंगोलिन के शल्क को मौके पर सीलबंद कर कब्जा दिया गया था। उल्लेखनीय है कि साक्षी रवि शर्मा (अ.सा–3) ने, उक्त जप्तशुदा माल पेंगोलिन की शल्क को न्यायालयीन साक्ष्य के दौरान उसके समक्ष भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाने पर, यह व्यक्त किया कि मौके पर उसने प्र.पी. 368 के अनुसार उक्त शल्क जप्त किये थे और बरनी में से उक्त पेंगोलिन के जप्तशुदा खपटे निकालकर न्यायालय के समक्ष गणना किये जाने पर जब उसमें कुल पेंगोलिन के 43 खपटे पाये गये, तो उक्त संबंध में उक्त साक्षी (अ.सा–3) ने व्यक्त किया कि जब जांच होने लेबोरेटरी में खपटे जाते है तो जांच के दौरान कुछ खपटे लेबोरेटरी वाले रख लेते है, और शेष खपटे जो वापस भेजे गए वे आर्टिकल ए 22 हैं।

63. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया कि आरोपी नंदलाल (मृत) एवं आरोपी आजाद के टी.एस.एफ.कार्यालय सागर में उसके समक्ष गवाहों की उपस्थिति में अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)डी) के तहत दिनांक 07.05.2017 को कथन लिपिबद्ध करवाये गये थे, जिसमें आरोपी नंदलाल (मृत) ने बताया था कि वह चम्बल नदी से लाल तिलकधारी कछुए एवं पेंगोलिन के शिकार का काम करता था और कथन दिनांक से कुछ दिन पहले उससे मिलने के लिये आरोपी आजाद आया था तथा आरोपी आजाद ने उससे कछुए और पेंगोलिन के खपटे खरीदने के लिये कहा था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी नंदलाल (मृत) ने उसके कथन में उसे यह भी बताया था कि तत्समय उसके पास चार से पांच नग लाल तिलकधारी कछुए उसके घर में रखे हुये थे तथा कुछ मात्रा में पेंगोलिन के खपटे भी उसके पास थे, जिसे आरोपी नंदलाल (मृत) ने आरोपी आजाद को बेच दिया था (प्रदर्श पी–2)। विवेचक साक्षी (अ.

सा.1) के अनुसार आरोपी नंदलाल (मृत) ने उसे कथन में यह भी बताया था कि आरोपी आजाद ने उसे अपना मोबाईल नंबर दिया और कहा था कि लाल तिलकधारी कछुए एवं पेंगोलिन के खपटे की व्यवस्था हो जावे तो वह फोन से उसे बता दे (प्रदर्श पी–21), उक्त आरोपी ने कथन में यह भी बताया कि पूर्व में सबलगढ़ गेमरेंज की टीम के द्वारा उसके घर से मोनीटर लिजार्ड (गोहा), कछुए एवं एक नग बंदूक जप्त किये जा चुके हैं।

64. उक्त के संबंध में विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि आरोपी नंदलाल (मृत) के विरूद्ध दर्ज उक्त कथित प्रकरण के दस्तावेज प्रकरण में संलग्न हैं जो प्र.पी 386सी, प्र.पी. 365सी, प्र.पी.366सी, प्र.पी. 387सी हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने यह भी व्यक्त किया कि आरोपी नंदलाल (मृत) के कथन उसके द्वारा साक्षीगण के समक्ष लिपिबद्ध कराये गये थे, जो प्र.पी–2 व प्र.पी. 21 हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं (कंडिका–4 व 8 दिनांक 06.12. 2017)। उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने आरोपी नंदलाल (मृत) के उक्त बयान प्रदर्श पी.–2 व प्रदर्श पी.–21 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभियुक्त की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति होना व्यक्त किया है और उक्त कथन अभियुक्त की उपस्थिति में लिये जाने के आधार पर उन्हें अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य होना बताया है।

65. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी वीरसिंह (अ.सा.12) ने भी व्यक्त किया है कि वह वर्ष 2017 में क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर में स्थाईकर्मी के रूप में पदस्थ था, और वह प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे एवं अन्य स्टाफ के साथ ग्राम मोगियापुरा थाना वीरपुर जिला श्योपुर में आरोपी नंदलाल के यहां गया था, जहां आरोपी नंदलाल से उसके के समक्ष पूछताछ क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स के सागर कार्यालय में सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1) द्वारा की गई थी जो प्र.पी. 2 है, जिस पर आरोपी नंदलाल ने अंगूठा निशानी की थी, उक्त साक्षी (अ.सा.12) के अनुसार आरोपी नंदलाल के संबंध में उसके कथन सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1) ने दिनांक 01.06.2017 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर के कार्यालय में लिये थे, जो प्रदर्श पी–5 हैं, जिसमें उसने बता दिया था कि आरोपी आजाद ने साक्षी के समक्ष यह कथन किया था कि वह आरोपी नंदलाल से कछुये तथा पेंगोलिन की खरीद फरोख्त करता था।

66. विवेचक साक्षी (अ.सा. 01) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी नंदलाल (मृत) से जप्तशुदा संपति पेंगोलिन के खपटे (स्केल) कुल 50 नग (300 ग्राम) सीलबंद अवस्था में वन विभाग द्वारा प्रेषित किये गये, जिनमें से सात नग खपटे परीक्षण हेतु रखकर 43 नग खपटे वन विभाग के वाहक को टीप अंकित कराकर वापिस कर दिये गये थे, इस संबंध में संबंधित टीप के प्रपत्र की प्रति प्रपी 461''ए'' है, तथा उसके साथ संस्थान को प्रेषित उक्त वन्य प्राणी अवयव

के संबंध में एनालिसिस उपरांत दी गई रिपोर्ट दिनांक 29.06.2017 प्रपी 161'बी' है।

67. आरोपी नंदलाल (मृत) के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि दिनांक 05.05.2017 को आरोपी नंदलाल (मृत) के घर पर की गई रेड की कार्यवाही और वहां से जप्त तीन सौ ग्राम पेंगोलिन शल्क संबंधी संपूर्ण कार्यवाही को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में व्यक्त किया है जिसका समर्थन अभियोजन साक्षी प्रदीप यादव (अ.सा. 2), ओमप्रकाश शर्मा (अ.सा. 4), वीरसिंह जाट (अ.सा. 12), की साक्ष्य से भी होता है तथा यह भी दर्शित होता है कि उक्त जप्त पेंगोलिन शल्क की प्रयोगशाला में जांच कराई गई थी जिसकी रिपोर्ट प्रपी 161बी है।

68. उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है उसने गवाहों के समक्ष आरोपी आजाद से पूछतांछ कर अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसार (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) उसके बयान लिपिबद्ध करवाये थे, जिनमें आरोपी आजाद ने बताया था कि उसने आरोपी नंदलाल (मृत) से खरीदे हुये लाल तिलकधारी कछुए तीन से चार नग एवं पेंगोलिन के खपटे आरोपी अजयसिंह को बेचे थे। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उक्त बयानों में आरोपी आजाद ने यह भी बताया कि ग्वालियर में उससे मिलने आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी रामसिंह उर्फ भोला आया था तो, आरोपी अजयसिंह ने अपने मोबाईल पर लाल तिलकधारी कछुए का फोटो दिखाकर उसे बताया था कि उक्त कछुओं की मांग बाजार में बहुत है और आरोपी अजयसिंह ने उससे (आरोपी आजाद से) कहा था कि वह लाल तिलकधारी कछुओं की व्यवस्था करे, जो चम्बल नदी में मिलते हैं, जिसके बाद आरोपी आजाद आरोपी नंदलाल (मृत) के घर वीरपुर गया था और आरोपी नंदलाल (मृत) के घर से तीन से चार नग लाल तिलकधारी कछुए खरीदकर लेकर आया था और उक्त कछुआ को आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा एवं आप आरोपी रामसिंह को फोन से बुलाकर उन्हें बेचा था।

69. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) का यह भी कहना है कि आरोपी आजाद ने उसके बयानों में यह भी बताया था कि वर्ष 2015 में उसके पिता हरीराम से 27 किलो पेंगोलिन के खपटे जप्त हुये थे, उस केस में वह जेल में रहा है तथा आरोपी नंदलाल (मृत) के साथ सबलगढ़ के केस में अपराध दर्ज है(बयान प्र.पी.–3 व प्र.पी.22)। उल्लेखनीय है कि अभियोजन ने आरोपी आजाद के उक्त बयान प्रदर्श पी.–3 व प्रदर्श पी.–22 को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभियुक्त की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति होना व्यक्त किया है और उक्त कथन अभियुक्त की उपस्थिति में लिये जाने के आधार पर उन्हें अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य होना

बताया है।

70. उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने उसके न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि आरोपी आजाद के कथन (प्रदर्श पी–3) उसके बताये अनुसार साक्षी वीरसिंह जाट (अ.सा.12) और हीरालाल के समक्ष उसने लिपिबद्ध कराये थे, तथा उक्त साक्षीगण वीरसिंह जाट और हीरालाल के कथन भी उसके द्वारा लेख किये गये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी–4, 5 एवं प्रदर्श पी–60, 61, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुये साक्षी वीरसिंह जाट (अ.सा. 12) ने व्यक्त किया है कि आरोपी आजाद के कथन भी उसके समक्ष सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1) द्वारा लिये गये थे, जो प्रदर्श पी 3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

71. उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने उसके न्यायालयीन कथन (दिनांक 18.02.2019 की कंडिका–5 लगायत 7) में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी नंदलाल (मृत) के घर की तलाशी के दौरान पेंगोलिन के खपटे की जप्ती की कार्यवाही के समय उपस्थित साक्षीगण–ओमप्रकाश शर्मा (अ.सा. 4), प्रदीप सिकरवार, सतीश पालिया ,राजेश सिकरवार,अनिल यादव (अ.सा.6), हेमंत उपाध्याय (अ.सा.11), मुस्तफा खान, शल्लेसिंह विश्वकर्मा, चन्द्रशेखर शर्मा (अ.सा.18), प्रदीप यादव (अ.सा.2), रवि शर्मा (अ.सा. 3) के कथन उनके बताये अनुसार उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे, जो क्रमशः प्र.पी.6 लगायत प्र.पी.16 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा मौके पर पेंगोलिन के खपटे की पहचान कर उसका पहचान प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–17) तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने उसके न्यायालयीन कथन में यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी नंदलाल से जप्त किये गये पैंगोलिन के खपटे संचालक वन्य जीव फोरेंसिक स्वास्थ्य केन्द्र, जबलपुर उक्त वन्य जीव की प्रजाति के पहचान हेतु सीलबंद कर भेजा गया था, जिसका पत्र प्रदर्श पी–18 है। उक्त साक्षी की साक्ष्य का समर्थन प्रदर्श पी.–5 के संबंध में साक्षी वीरसिंह जाट (अ.सा.12) तथा प्रदर्श पी.–18 के संबंध में डॉ. निधि राजपूत (अ.सा.20) की साक्ष्य से होता है।

72. आरोपी आजाद की आरोपी नंदलाल (मृत) तथा अन्य सह आरोपीगण से लाल तिलकधारी कछुओं के व्यापार के संबंध में बातचीत एवं उनकी परस्पर सम्बद्धता के संबंध में उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने उसके न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि आरोपी आजादसिंह के द्वारा साक्षी मुस्तफा एवं रवि (अ.सा.3) के समक्ष आरोपी अजयसिंह व आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की फोटो शिनाख्तगी, कराई गई थी, जिसका शिनाख्तगी पंचनामा क्रमशः प्र.पी.19 एवं प्र.पी–20 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अभियोजन ने उक्त प्रदर्श पी.–19 तथा प्रदर्श पी.–20 के संबंध में भी उक्त को

वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभियुक्त की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति होना व्यक्त किया है और उसे अभियुक्त की उपस्थिति में लिये जाने के आधार पर उन्हें अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य होना बताया है। उक्त विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने आरोपी नंदलाल के कथन प्रदर्श पी.–21 और आरोपी आजाद के कथन प्रदर्श पी.–22 के स्वयं के द्वारा अभियुक्तगण की उपस्थिति में लिया जाना व्यक्त करते हुए यह बताया है कि उक्त कथनों में आरोपी आजाद और आरोपी नंदलाल के बीच वन्य प्राणी जीवों की खरीद फरोख्त के संबंध में बातचीत मोबाइल फोन से किया जाना बताया गया था।

73. विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार प्रपी 21 व प्रपी 22 के संबंध में आरोपी आजाद के मोबाईल नंबर की सी.डी.आर., जिसके संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था, जिसके विश्लेषण से आरोपी आजादसिंह के मोबाईल नंबर से उक्त प्रकरण के आरोपी अजयसिंह, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी विजय गौड़, आरोपी सम्पत्तिया बाथम, आरोपी कमल बाथम एवं फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह के साथ लगातार बात करना पाया गया था (कंडिका 9 दिनांक 06.12.2017)। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कंडिका 104 में यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपी आजाद के मोबाईल नंबर 8827858792 की सी.डी.आर. की साफ्ट कॉपी सी.डी. के रूप में प्राप्त की थी, जो आर्टीकल ए–9 है, जिसे न्यायालय के समक्ष संचालित किये जाने पर आरोपी आजाद का अन्य आरोपीगण से सम्पर्क में रहना पाया गया था, जिसकी जानकारी एक्सल सीट पर सुरक्षित है।

74. आरोपी आजाद के संबंध में दी गई विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी वीरसिंह (अ.सा.12) ने व्यक्त किया है कि प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के समक्ष आरोपी आजाद ने उसकी उपस्थिति में आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की फोटो की पहचान की थी जिसका फोटो शिनाख्ती पंचनामा प्रपी 20 बनाया गया था। उक्त साक्षी (अ.सा.12) ने यह भी व्यक्त किया है कि प्रभारी अधिकारी के समक्ष आरोपी आजाद के संबंध में उसने कथन लेख कराया था कि आरोपी आजाद, अजय सिंह व रामसिंह उर्फ भोला के साथ वन्य प्राणी कछुआ और चींटीखोर का व्यापार करता था, जो प्रदर्श पी 60 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा. 12) के अनुसार आरोपी आजाद के कथन भी उसके समक्ष सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1) द्वारा लिये गये थे, जो प्रदर्श पी 3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

75. विवेचक साक्षी (अ.सा–1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3) ने अपने कथनों में यह बताया है कि उसके द्वारा वर्तमान प्रकरण के आरोपी आजाद के मोबाईल क्रमांक 8827858792 के संबंध

में प्राप्त सीडीआर के संबंध में धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किया था, जो प्र.पी. 369 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा. 3) के अनुसार उसके समक्ष आरोपी अजय की फोटो शिनाख्तगी संबंधी कार्यवाही की जाकर शिनाख्तगी पंचनामा तैयार किया गया था, जो प्र. पी. 19 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ. सा–3) के अनुसार आरोपी अजय के मोबाईल क्रमांक 9412124369, 7300737771 एवं 8279430238 के माध्यम से प्राप्त जानकारी के संबंध में उसके द्वारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किया था जो प्र.पी. 370 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ. सा–3) के अनुसार आरोपी अजय से प्राप्त जानकारी एवं उसके द्वारा बताये गये सोशल नेटवर्किंग साईट के माध्यम से किये गये कछुओ एवं अन्य वन्य प्राणियों व उनके अवयवों के व्यापार के संबंध में फोटोग्राफ अन्य डिजिटल दस्तावेज प्राप्त किए गए थे, जो प्र.पी. 34 लगायत प्र.पी. 54 है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी अजय द्वारा स्वयं फेसबुक आई.डी. व पासवर्ड दिया गया था, प्र.पी. 34 लगायत प्र.पी. 54 के दस्तावेज आरोपी की उपस्थिति में उसके समक्ष तैयार कर उसके बी से बी भाग पर उसने तथा सी से सी भाग पर आरोपी अजयसिंह ने हस्ताक्षर किए थे जिसके संबंध में उसके द्वारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्र.पी. 371 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

76. आरोपी आजाद के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि आरोपी आजाद के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में व्यक्त किया है जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी प्रदीप यादव (अ.सा. 2), रवि शर्मा (अ.सा. 3), वीरसिंह जाट (अ.सा. 12), डॉ0 निधि राजपूत (अ.सा. 20) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

77. विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी आजादसिंह की शिनाख्ती पर उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी अजयसिंह की तलाश की जा रही थी, जिस दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अजयसिंह 23 नग लाल तिलकधारी कछुओं के साथ जिला जेल आगरा में बंद है, तब आगरा जेल में बंद आरोपी अजयसिंह को न्यायालय से प्रोडक्शन वारण्ट पर प्राप्त कर साक्षी प्रीतम अहिरवाल और अजय सिंह ठाकुर के समक्ष न्यायालय के आदेश से गिरफ्तार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी.–71 उसके द्वारा तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, साक्षी के अनुसार तत्पश्चात आरोपी अजय को पूछतांछ हेतु पी.आर. पर प्राप्त किया गया था। साक्षी की उक्त साक्ष्य का

समर्थन अन्य साक्षी प्रीतम अहिरवाल (अ.सा.13) की साक्ष्य से भी होता है, जिसने प्रदर्श पी.–71 की कार्यवाही उसके समक्ष किया जाना व्यक्त करते हुए उक्त दस्तावेज पर अपने हस्ताक्षर होना बताया।

78. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने (कंडिका 10, 11 दिनांक 06.12.2017 और कंडिका 10 लगायत 13 दिनांक 01.03.2019 में) यह व्यक्त किया कि टी.एस.एफ. कार्यालय सागर में उसके समक्ष साक्षी अजय ठाकुर एवं हेमंत उपाध्याय की उपस्थिति में अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत (वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) आरोपी अजयसिंह से पूछतांछ कर बयान लिपिबद्ध कराये गये थे, जिसमें आरोपी अजयसिंह ने बताया था कि वह अधिक पैसे कमाने की लालच में वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुए एवं अन्य कछुए, मोनीटरी लिजार्ड एवं दो मुंहा सांप एवं पेंगोलिन के खपटे इत्यादि का व्यापार करने लगा था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी अजयसिंह ने उसके बयान में यह भी बताया था कि इस व्यापार में वह अपने मित्र आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के साथ मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश की चम्बल नदी में पाये जाने वाले लाल तिलकधारी कछुओं को खरीदने लगा और खरीदे हुए कछुओं को कोलकाता के आरोपी मोहम्मद इरफान एवं फरार आरोपी मोहम्मद सुल्तान को बेचने लगा था, इसके बाद उसकी पहचान बांग्लादेश एवं भारत के बार्डर चांदपारा, बनगांव के आरोपी खोका, फरार आरोपी खोकनसाह एवं आरोपी शेखर से हुई थी, आरोपी खोका, फरार आरोपी खोकनसाह एवं आरोपी शेखर को भी वह लाल तिलकधारी कछुओं एवं अन्य प्रजाति के कछुए एकत्र कर बेचने लगा।

79. विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी अजय ने उसके कथन में यह भी व्यक्त किया कि इसी दौरान उसकी मध्यप्रदेश के चम्बल नदी से लगे हुये शहरों के लोगों आरोपी विजय गौड़, आरोपी सम्पत्तिया बाथम एवं आरोपी आजाद से उसकी पहचान हुई थी, जिनसे वह लाल तिलकधारी कछुए खरीदकर उच्च स्तर पर बनगांव एवं कोलकाता के मोहम्मद इरफान, मोहम्मद सुल्तान, खोका और खोकनसाह को बेचने लगा था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी अजयसिंह ने उसके बयान प्रदर्श पी. 23 में यह भी बताया कि वन्य प्राणी के और कछुओं के प्रचार प्रसार के लिए वह उनके हिन्दी और अंग्रेजी नाम फेसबुक एवं व्हाटसएप के माध्यम से प्रचार प्रसार करने लगा, जिससे देश विदेश के लोग उससे जुड़ने लगे, जो कि उसकी फेसबुक की फ्रेंड लिस्ट में शामिल है। साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी अजयसिंह ने उसके बयान प्रदर्श पी. 23 में यह भी बताया कि उसकी पहचान फेसबुक और व्हाटसएप के माध्यम से चैन्नई के आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी थमीम अंसारी एवं फरार आरोपी सनिल से हुई, जो स्वयं ऑडी जैसी कारों से आगरा आकर लाल तिलकधारी कछुआ लेकर जाते थे तथा आरोपी थमीम अंसारी से लाल तिलकधारी कछुओं के संबंध में उसकी मोबाईल से

बातचीत होती थी और थमीम अंसारी उसकी कार से आगरा आया था और लाल तिलकधारी कछुएं एवं अन्य प्रजाति के कछुएं खरीदकर उसकी गाड़ी में ले गया था।

80. विवेचक साक्षी सुश्री श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी अजय ने उसके बयान में यह भी बताया कि चैन्नई निवासी आरोपी मन्नीवन्नन को भी उसने लाल तिलकधारी कछुएं बेचे है, जिसका पेमेन्ट वह कभी–कभी नगद एवं एच.एफ.डी.सी. एवं आई.सी.आई.सी.आई बैंक के अकाउंट के माध्यम से प्राप्त करता था और वह उक्त कछुएं उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश की चंबल नदी से आरोपी विजय गौड़, संपत्तिया बाथम एवं आजाद से खरीदा करता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी अजय ने उसके बयान में यह भी बताया था लाल तिलकधारी कछुए के अलावा आरोपी विजय गौड़ ने उसे एक वीडियो क्लिप भेजी थी, जिसमें उसने कहा था कि पेंगोलिन के खपटे की व्यवस्था हो जावेगी।

81. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार इस प्रकार आरोपी अजयसिंह के द्वारा आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी आजादसिंह, आरोपी सम्पत्तिया बाथम एव आरोपी विजय गौड़ से लाल तिलकधारी कछुए एवं अन्य कछुए खरीदे जाना व्यक्त किया गया है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उक्त आरोपी अजयसिंह ने उसके बयान में यह भी बताया कि वह दिनांक 20.03.2017 को 23 नग लाल तिलकधारी खरीदे हुये कछुए एकत्रित कर उसके मित्र दीपेन्द्र के साथ चैन्नई की पार्टी को देने जा रहा था, उसी समय एस.टी.एफ. उत्तरप्रदेश एवं वन विभाग आगरा की टीम द्वारा उसे कछुओं के साथ आगरा केण्ट रेल्वे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी अजयसिंह के उक्त कथन उसके बताये अनुसार साक्षियों के समक्ष लेखबद्ध कराये गये थे, जो प्रदर्श पी.–23 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा प्रपी 23 के उक्त साक्षीगण के कथन भी उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे, जो प्रदर्श पी.–24 व 25 है **(निर्णय की कंडिका 45 बी के अनुसार प्रदर्श पी 55 व प्रदर्श पी 56 है)**।

82. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी अजयसिंह द्वारा वन्य प्राणी एवं कछुए के खरीद फरोख्त में संलिप्त उक्त प्रकरण के आरोपीगण सम्पत्तिया बाथम, आरोपी मोहम्मद इरफान, आरोपी मन्नीवन्नम मुरगेशन, फरार आरोपी खोकन शाह, आरोपी थमीम अंसारी, आरोपी मोहम्मद सुल्तान, आरोपी आजादसिंह, आरोपी विजय गौड़ की फोटो शिनाख्ती उसके समक्ष गवाहों की उपस्थिति में की गई है, जो क्रमशः प्रदर्श पी–26 लगायत प्रदर्श पी.–33 है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा साईबर सेल प्रभारी से, आरोपी अजयसिंह के द्वारा सोशल नेट

वर्किंग साईड से किये गये वन्य प्राणी एवं वन्य प्राणी के अवयवों के व्यापार के संबंध में, आरोपी के द्वारा संचालित फेस–बुक अकाउण्ट, आरोपी अजय सिंह के समक्ष खुलवाया गया एवं साफ्ट कॉपी तथा उसके रंगीन प्रिंट आउट निकलवाये गये, जो प्रदर्श पी.–34 लगायत प्रदर्श पी.–54 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है, तथा उक्त के संबंध में सॉफट कॉपी की डी.वी.डी. भी प्रकरण में संलग्न है, जिससे संबंधित साईबर सेल के प्रभारी द्वारा धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.–371 है। विवेचक साक्षी के अनुसार आरोपी अजयसिंह के द्वारा संचालित फेस बुक एकाउण्ट के प्राप्त चित्र, जिस पर वन्य प्राणी लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य वन्य प्राणियों के अवयवों के चित्र हैं, आरोपी अजय सिंह की फेसबुक प्रोफाईल में पाया गया था (**कंडिका 12, 13 दिनांक 06.12.2017 एवं कंडिका 14, 15 दिनांक 01.03.2019**)।

83. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन प्रदर्श पी.–34 लगायत प्रदर्श पी.–54 के संबंध में साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3) की साक्ष्य से भी होता है, जिसने उक्त दस्तावेज आरोपी की उपस्थिति में स्वयं के समक्ष तैयार करना एवं उस पर स्वयं के हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है, और यह भी बताया है कि उसके द्वारा उक्त के संबंध में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी.–371 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी श्रद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन आरोपी अजय के कथन प्रदर्श पी.–23 के संबंध में उक्त साक्षी हेमंत उपाध्याय (अ.सा.11) से भी होता है, जिसमें उसने आरोपी के उक्त कथन उसके समक्ष आरोपी द्वारा उसके और अन्य साक्षी अजय ठाकुर की उपस्थिति में दिया जाना और उस पर स्वयं के तथा साक्षी अजय ठाकुर के हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है, उल्लेखनीय है कि विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने उक्त साक्षीगण के कथन क्रमशः प्रपी 55 एवं प्रपी 56 उनके बताये अनुसार स्वयं के द्वारा लेखबद्ध किया जाना बताया है और उस पर स्वयं के हस्ताक्षर स्वीकार किये है।

84. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी इन्दरसिंह बारे (अ.सा.16) ने अपने कथनों में व्यक्त किया है कि दिनांक 05.05.2017 को वह राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स तत्कालीन प्रभारी रीतेश सरोठिया (अ.सा.17) के आदेश से आरोपी आजाद की निशादेही पर नंदलाल मोंगिया के घर, जो सबलगढ़ के पास था, गये थे, उस समय उसके साथ एसटीएसएफ भोपाल की टीम, आरटीएसएफ सागर की टीम तथा वन परिक्षेत्र सबलगढ़ की टीम साथ में गई थी और उस समय नंदलाल के घर से टीम के द्वारा पेंगोलिन के शल्क की जप्ती की गई थी।

85. विवेचक साक्षी श्रद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य की कंडिका 23 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी अजय से जप्तशुदा मोबाईल एप्पल आईफोन को आगरा न्यायालय से प्राप्त कर आरोपी अजय के समक्ष

सायबर सेल प्रभारी द्वारा आई क्लाउड से लाल तिलकधारी कछुएं एवं अन्य कछुएं के चित्र का प्रिंट निकाला गया, जिसमें कछुओं का तराजू पर वजन किया जा रहा था, जो प्रदर्श पी.–73 एवं प्रदर्श पी.–74 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी अजय ने उसके तथा साक्षियों के समक्ष होटल एप्पल रेसीडेंसी चेन्नई का चित्र भी पहचाना था, जिसके रूम नंबर 402 में वह कछुओं के व्यापार के संबंध में रूका था, जो आरोपी मन्नीवन्नन के नाम से आरक्षित रहता है, जिसका शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी.–75 है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी अजय के मोबाईल फोन से आई क्लाउड सायबर सेल प्रभारी द्वारा उसके समक्ष प्रकरण के अन्य आरोपी तथा वन्य प्राणियों के अवैध व्यापारी सादिक भाई से बातचीत का प्रिंट आउट निकाला गया था, जो प्रदर्श पी.–81 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

86. विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) ने यह व्यक्त किया है कि जांच के दौरान आरोपी अजय के जप्तशुदा मोबाईल से आरोपी द्वारा आई क्लाउड ओपन करने पर आरोपी अजय द्वारा की गयी चेट से संबंधित प्रिंट आरोपी की उपस्थिति में प्रकरण की प्रभारी अधिकारी के समक्ष उसके द्वारा निकालकर दिया गया था, जो प्रदर्श पी.–81 (19 पेज) है, जिस पर उसके और आरोपी अजय के हस्ताक्षर है तथा प्रत्येक पृष्ठ के डी से डी भाग पर आरोपी अजय के बताये अनुसार टीप उल्लेखित की गयी है, उल्लेखनीय है कि उक्त टीपों में आरोपी अजय के द्वारा प्रत्येक पृष्ठों के संबंध में यह बताया गया है कि उसने किस आरोपी से किस नंबर पर क्या बात की। अभियोजन ने आरोपी अजय के उक्त बयान जो उसने प्रदर्श पी.–81 के विभिनन पृष्ठों के डी से डी भाग पर लेख कराये है, को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के तहत अभियुक्त की न्यायिकेत्तर संस्वीकृति होना व्यक्त किया है और उक्त कथन अभियुक्त की उपस्थिति में लिये जाने के आधार पर उन्हें अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य होना बताया है।

87. उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने यह भी बताया है कि आरोपी अजय ने उसके कथन में यह बताया था कि वह आरोपी मोहम्मद इरफान के साथ घड़ियाल देवरी ईको सेंटर घूमने गया था तथा चित्र में दर्शित लाल तिलकधारी कछुओं को उसने खरीदकर मोहम्मद इरफान को विक्रय किया था, जिसकी फोटो शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी.–76 लगायत प्रदर्श पी. –78 है, जिन पर उसके हस्ताक्षर है, साक्षी की उक्त साक्ष्य का समर्थन साक्षी महिपाल सिंह (अ.सा.9) की साक्ष्य से भी होता है, जिसमें उक्त फोटों की शिनाख्ती आरोपी अजय के द्वारा उसके समक्ष किया जाना व्यक्त करते हुए दस्तावेजों पर उसके स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उसने प्रकरण में राष्ट्रीय चम्बल घड़ियाल/डाल्फिन अभ्यारण्य

परियोजना देवरी में आरोपी अजय एवं आरोपी मोहम्मद इरफान के भ्रमण के संबंध में कैफे टिकिट्स भी संलग्न किये हैं तथा आरोपी अजय का आपराधिक रिकॉर्ड भी प्रकरण में संलग्न किया है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार इकोसेंटर देवरी से प्राप्त रसीद जो आरोपी अजयसिंह के नाम दिनांक 20.04. 2016 को काटी जाकर साथ में तीन व्यक्ति होना दर्शाती है प्रदर्श पी 443 एवं 443–ए है।

88. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के द्वारा साक्ष्य की कंडिका–50 में यह व्यक्त किया गया है कि उसके द्वारा आरोपी अजयसिंह से जप्त दो मोबाईल फोन एवं एपल आई फोन एवं दूसरा हेंण्ड सेट मोबाईल फोन न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आगरा के आदेश से प्राप्त कर फोरंन्सिक जांच हेतु सी.एफ.एस.एस. हैदराबाद भेजा गया था। उक्त विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कंडिका 98 में यह भी व्यक्त किया कि उसने आरोपीगण अजयसिंह, आरोपी मोहम्मद इरफान, आरोपी मन्नीवन्नन के मोबाईल के संबंध में सी.एफ.एस.एल.हैदराबाद से प्राप्त फोरेंसिक रिपोर्ट और उसके साथ संलग्न पेनड्राईव न्यायालय में प्रस्तुत की थीं, जिनमें से आरोपी अजय के मोबाईल फोन सेमसंग ड्यूल मॉडल नंबर एस.एल.बी.310 ई, आई.एम.ई.आई नंबर 358800079609757 एवं 358801079609755 की परीक्षण रिपोर्ट की साफ्ट कॉपी आर्टीकल–ए–2 और उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट प्रदर्श पी–324 है। उक्त साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अपने कथन की कंडिका 701 में यह भी व्यक्त किया है कि उसे आरोपी अजयसिंह का एस.डी.आर. प्रदर्श पी–491 का वैकल्पिक मोबाईल नंबर 7088369759 प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में सी.डी. आर. के संबंध में आवेदन के साथ संलग्न साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी–496 है तथा दस्तावेज प्रदर्श पी–73, प्रदर्श पी–74, प्रदर्श पी–81 तथा पी–81ए के संबंध में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र दिनांक 14.11.2018 प्रदर्श पी–497 है (कंडिका 702)। विवेचक साक्षी (अ.सा–1) के अनुसार आरोपी अजयसिंह का सब्सक्राइबर डिटेल प्रदर्श पी 491 है (कंडिका 681)।

89. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने कंडिका 102 में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी अजयसिंह के मोबाईल की सोशल नेटवर्किंग साईट में संचालित फेसबुक की साफट् कापी तैयार कर प्रकरण में संलग्न की गई थी, जो आर्टीकल ए–6 है, जिसमें कछुओं से संबंधित फोटोग्राफ, वीडयो एवं आडियो आरोपी अजयसिंह की फेसबुक आई.डी. से प्रसारित किया जाना पाया गया था, उक्त संबंध में आरोपी अजय के मोबाईल की सी.डी.आर. की साफ्ट कॉपी आर्टीकल–ए–7 एवं आर्टिकल ए–8 है।

90. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1) ने व्यक्त किया है कि आरोपी अजय के बैंक खाते के बैंक डिटेल्स प्रकरण में संलग्न किये गये हैं

(कंडिका 14 दिनांक 06.12.2017), उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी संजय पांडे (अ.सा. 19) ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी अजयसिंह के बैंक खाता नंबर 628701539444 का दिनांक 01.01.2015 से दिनांक 01.06.2017 का विवरण आई.सी.आई.सी.आई बैंक ब्रांच तिलकगंज सागर से तत्कालीन उप वन संरक्षक द्वारा पत्र प्रदर्श पी.–438 के माध्यम से चाहा गया था, जिसके ब्रांच द्व ारा तत्समय प्रदान की गयी प्रति प्रदर्श पी.–438 'ए' लगायत प्रदर्श पी.–438 'आई' है, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि से मिलान करने पर उक्त प्रतियां सत्य होनी पायी गयी (अ.सा.1 की कंडिका 425 दिनांक 14.12.2020 से भी समर्थित)। उक्त साक्षी (अ.सा.19) के अनुसार संबंधित खाता नंबर अजयसिंह का पता मकान नंबर 31 पुरूषोत्तम बाग कॉलोनी, पोईया घाट रोड दयालबाग, आगरा (उ.प्र.) के नाम से है।

91. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की साक्ष्य का आरोपी अजय के प्रस्तुत बैंक अकाउंट के संबंध में समर्थन करते हुए साक्षी राजेश मोहन (अ.सा.26) ने व्यक्त किया है कि एच.डी.एफ.सी. बैंक ब्रॉड वे ब्रांच चेन्नई के खाता धारक अजयसिंह के खाता क्रमांक 50200009154498 के दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 01.07.2017 तक के एकाउंट स्टेटमेंट की स्वहस्ताक्षरित एवं सील सहित मेल पर प्राप्त प्रति लेकर वह न्यायालय में उपस्थित हुआ है, जिसके संबंध में पूर्व में भी इस साक्षी की ब्रांच द्वारा उक्त एकाउंट के संबंधित दिनांकों के स्टेटमेंट रीतेश सिरोठिया (अ.सा.17) एसीएफ स्पेशल टास्क फोर्स (वाइल्ड लाइफ स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स भोपाल म0प्र0) के पत्र दिनांक 18.07.2017 (प्रदर्श पी.–477) के माध्यम से मांगे जाने पर एसीएफ प्रतिभा अहिरवार स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स को दिनांक 30.01.2018 (प्रदर्श पी.–478) को (स्केन दस्तावेज 30 / 11 लगायत 38 / 11) प्रदान किये गये थे। उक्त पत्रों की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी.–479 'ए' लगायत प्रदर्श पी. –479 'एफ' है। साक्षी (अ.सा.26) के अनुसार आरोपी अजयसिंह का एकाउंट ओपनिंग फार्म, संलग्न के.वाय.सी. और के.वाय.सी. रिपोर्ट प्रदर्श पी.–480 (कुल 7 पेज) तथा उक्त सभी दस्तावेजों के संबंध में धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.–481 है। उक्त साक्षी (अ.सा. 26) ने यह भी व्यक्त किया है कि खाता क्रमांक 50200009154498 के खाता धारक अजय से निवासी 31 पुरूषोत्तम बाग कॉलोनी दयालबाग पोईया घाट रोड डी.ई.आई. इंजीनियरिंग कॉलेज, आगरा 282005 (उ.प्र.) का रजिस्टर्ड मोबाईल नंबर 9760917770 ब्रांच के संबंधित दस्तावेजों में लेख है।

92. आरोपी अजयसिंह के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि आरोपी अजय के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में

व्यक्त किया है जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा. 3), महिपाल सिंह (अ.सा. 9), संजय पाण्डे (अ.सा. 19), राजेश मोहन (अ.सा. 26) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

93. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी अजयसिंह की निशादेही पर आर.टी.एस.एफ., सागर एवं एस. टी.एस. एफ.भोपाल की संयुक्त टीम द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी सम्पतिया बाथम को श्यामपुर जिला श्योपुर से पूछतांछ हेतु वन परिक्षेत्र श्यामपुर में बुलवाया गया था, जहां आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी सम्पतिया बाथम ने एक–दूसरे को पहचान लिया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी को अभिरक्षा में लिया जाकर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी.–63 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी संपत्तिया से पूछतांछ की गई थी तथा आरोपी सम्पत्तिया बाथम के परिवारजन को सूचना देकर मौका पंचनामा प्रदर्श पी–57 बनाया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने व्यक्त किया है कि आरोपी संपत्तिया से मौके पर ही आरोपी का मोबाईल दो सिम वाला वीडियोकॉन जप्त किया गया था, जिसका जप्ती पत्रक प्रदर्श पी.–64 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

94. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3) ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 09.06. 2017 को संयुक्त टीम द्वारा वन परिक्षेत्र कार्यालय, श्यामपुर में की गयी उक्त कार्यवाही का आरोपी सम्पत्तिया बाथम से संबंधित मौका पंचनामा, जिसमें आरोपी अजय और संपत्तिया ने मिलकर अपराध करना स्वीकार किया था, उसके समक्ष लेख किया गया था, जो प्रदर्श पी.–57 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी अजयसिंह व आरोपी संपत्तिया के भी हस्ताक्षर है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार वन परिक्षेत्र श्यामपुर में आरोपी सम्पत्तिया बाथम से समक्ष गवाहन अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)डी) के अंतर्गत पूछतांछ कर उसके द्वारा आरोपी के बयान लिपिबद्ध कराये गये थे, जिसमें आरोपी सम्पतिया ने बताया था कि वह सिंचाई विभाग में चम्बल नदी पर दैनिक वेतन भोगी का काम करता है और उसके अलावा उसकी एक मछली की दुकान भी है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी संपत्तिया ने उसके कथन में यह भी बताया कि उसकी पहचान आरोपी आजादसिंह से पहले से ही थी, आरोपी आजादसिंह एवं उसका परिवार पहले से ही वन्य प्राणी कछुआ, पेंगोलिन, शेर, तेंदुआ एवं अन्य वन्य प्राणियों के खरीद फरोख्त का काम करता रहा है और आरोपी आजाद ने उसे (आरोपी संपत्तिया को) लाल तिलकधारी कछुआ चम्बल नदी से इकट्ठे करने के लिये कहा था, तब वह अधिक पैसे कमाने के लालच में चम्बल नदी के स्थानीय मछुआरों एवं

शिकारियों से लाल तिलकधारी एवं अन्य कछुए खरीद कर एकत्रित करने लगा था, और एकत्रित किये हुये कछुओं को आरोपी आजादसिंह को फोन के माध्यम से सम्पर्क कर श्यामपुर में बुलवाकर बेच देता था, तथा आरोपी आजादसिंह ने ही उसका परिचय आरोपी विजय गौड़ एवं आरोपी अजयसिंह से करवाया था, फिर वह चम्बल नदी से खरीदे हुए लाल तिलकधारी कछुए व अन्य कछुए आरोपी अजयसिंह को महंगी कीमत पर बेचना चालू कर दिया।

95. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि आरोपी संपत्तिया ने उसके कथन में यह भी बताया था कि उसके पास आरोपी अजयसिंह के साथ उसका मित्र आरोपी रामसिंह उर्फ भोला भी लाल तिलकधारी कछुआ खरीदने आया करता था, ऐसे में आरोपी सम्पत्तिया के कछुआ के बढ़ते हुये अवैध धंधे से आरोपी सम्पतिया का सम्पर्क फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह से हुआ और वह फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह को भी कई बार लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुआ 1500 / –रूपये 2000 / –रूपये प्रति नग के हिसाब से बेचा करता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी सम्पतिया के कथन उसके बताये अनुसार साक्षीगण अजय ठाकुर एवं हेमंत उपाध्याय की उपस्थिति में लेखबद्ध कराये गये थे, जो प्रदर्श पी.–65 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी सम्पतिया बाथम के कथन लिपिबद्ध कराये जाते समय उपस्थित साक्षीगण अजय ठाकुर एवं हेमंत उपाध्याय ने भी कथन क्रमशः प्रदर्श पी–66 एवं 67 लेखबद्ध कराये हैं, जिस पर भी उसके हस्ताक्षर है।

96. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने यह भी बताया है कि आरोपी सम्पत्तिया बाथम द्वारा साक्षी हेमंत उपाध्याय एवं वीरसिंह जाट के समक्ष प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपीगण रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी अजयसिंह, आरोपी विजयसिंह गौड की पहचान क्रमशः प्रदर्श पी–68 लगायत 70 के फोटो शिनाख्तगी पत्र द्वारा की गई थी। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कथन की कंडिका 105 में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी सम्पतिया बाथम के मोबाईल नंबर 8120392818 की सी.डी.आर. की साफ्ट कॉपी की सी.डी. आर्टीकल ए–10 है, जिसे न्यायालय में संचालित कर देखे जाने पर यह पाया गया कि आरोपी सम्पत्तिया शेष आरोपीगण के सम्पर्क में था, जिसकी जानकारी एक्सल सीट पर सुरक्षित है। विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन कंडिका 514 में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी सम्पतिया बाथम से जप्त मोबाईल क्रमांक 8120392818 से संबंधित सी.डी.आर. प्रदर्श पी–445 (कुल 22 पेज) तथा आरोपी सम्पतिया बाथम के मोबाईल क्रमांक 9412124359 एवं 8120392818 की सी.डी.आर. के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी–446 है, जिसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 370 है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी वीरसिंह जाट (अ.सा.12) ने व्यक्त किया कि उसके समक्ष आरोपी

संपत्तिया बाथम ने आरोपी विजय गौड़ उर्फ नत्थी उर्फ राहुल सिंह की फोटो शिनाख्ती की थी और उसका फोटो शिनाख्ती पंचनामा बनाया गया था, जो कि प्रपी 70 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

97. विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की उक्त साक्ष्य को साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3) ने समर्थित करते हुये व्यक्त किया है कि आरोपी संपत्तिया को दिनांक 09.06.2017 को समक्ष गवाहान चंद्रशेखर शर्मा एवं अजय कुमार दामढ़े के गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रदर्श पी.–63 का गिरफतारी पंचनामा तैयार किया गया था, जिस पर उसके और आरोपी संपत्तिया बाथम तथा साक्षीगण के हस्ताक्षर है। साक्षी (अ.सा.3) के अनुसार उक्त दिनांक को ही आरोपी संपत्तिया बाथम से उक्त साक्षीगण के समक्ष प्रदर्श पी.–64 के मुताबिक मोबाईल वीडियोकॉन एक नग दो सिम वाला जप्त किया गया थ, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त साक्षी (अ.सा.3) ने विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया है कि ततकालीन जांचकर्ता अधिकारी श्रद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने साक्षी की एवं अन्य साक्षी अजय ठाकुर की उपस्थिति में आरोपी संपत्तिया बाथम से दिनांक 09.06.2017 को कथन लिये थे, जिस पर उसके तथा अन्य साक्षी अजय ठाकुर के हस्ताक्षर है और उनकी उपस्थिति में आरोपी संपत्तिया ने भी उक्त कथनों पर हस्ताक्षर किये थे, जिसमें उसने प्रकरण के अन्य आरोपीगण के साथ कछुआ वन्य प्राणी एवं अन्य वन्य प्राणियों के अवयवों के लेन देन की बात बतायी थी। उक्त साक्षी (अ.सा.3) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी संपत्तिया बाथम के मोबाईल नंबर 8120392818 के सी.डी. आर. की सॉफ्ट कॉपी क्षेत्रीय टाईगर स्टाईक फोर्स, सागर के समक्ष में कार्यालय कम्प्यूटर से सी.डी. में स्थानान्तरित कर उसके द्वारा प्रभारी को धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के साथ प्रदान की गयी थी, जिसका धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी.–375 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है।

98. आरोपी सम्पत्तिया के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी संपत्तिया के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा. 3), वीरसिंह जाट (अ.सा. 12) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

99. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान संलिप्त आरोपी विजय गौड़ के बारे में ज्ञात

होने पर दिनांक 24.06.2017 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर के दल द्वारा आरोपी विजय गौड़ की तलाश थाटीपुर ग्वालियर में की गई थी और आरोपी विजय गौड़ को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स के दल द्वारा पी. डब्ल्यू.डी. क्वार्टरों के पास गिरफ्तार किया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी विजय गौड की तलाशी लिये जाने पर एक मोबाईल डबल सिम का तथा एक मोटर साईकिल में रखी पॉलीथिन में वन्य प्राणी पेंगुलिन के खपटे लगभग 500 ग्राम पाये गये थे, जो विधिवत् जप्त कर साक्षी के द्वारा मौका पंचनामा प्रदर्श पी–82 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी विजय गौड़ को उसके स्टाफ के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसकी सूचना उसके द्वारा उसके परिवार वालों को मोबाइल फोन से दी गई थी, जिसका पंचनामा पी–83 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

100. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया कि दिनांक 26.06.2017 को उसके द्वारा कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, सागर में साक्षीगण के समक्ष आरोपी विजय से अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत कथन लिपिबद्ध कराये गये थे, जिसमें आरोपी विजय ने यह बताया था कि कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट होने के कारण वाहन चालक का काम बंद हो गया था, तब उसके घर उसके रिश्ते का भाई आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा आया था, जिसने उसे लाल तिलकधारी कछुओं की फोटो मोबाईल में दिखाकर कहा था कि उक्त कछुये चंबल नदी में बहुत पाये जाते हैं और बाजार में उसकी अच्छी कीमत मिलती है और तब अजयसिंह की उक्त बात सुनकर आरोपी विजय गौड़ उक्त धंधे में शामिल हो गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी विजय ने उसके कथन में यह बताया था कि उसने सबसे पहले श्यामपुर के आरोपी सम्पत्तिया बाथम एवं आरोपी कमल बाथम से लाल तिलकधारी कछुए खरीदकर आरोपी अजय को बेचे थे और उसके बाद उसने उसके घर के सामने रहने वाले फरार आरोपी अजय कोरकू को भी इस धंधे में शामिल कर लिया था।

101. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी विजय ने कथन में यह भी बताया था कि लाल तिलकधारी कछुये के लिये उसने आरोपी आजाद सिंह से भी सम्पर्क किया था और उसे भी लाल तिलकधारी कछुये खरीदकर आरोपी अजयसिंह को बेचे थे, और उसके बाद उसका सम्पर्क फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह से हुआ था, जिसको भी आरोपी विजय गौड़ ने खरीदे हुये लाल तिलकधारी कछुये कई बार बेचे थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी विजय गौड ने उसके कथन में यह बताया कि आरोपी अजयसिंह के माध्यम से उसका परिचय आरोपी रामसिंह उर्फ भोला से हुआ था, जो कि

अजय सिंह के लिए काम किया करता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी विजय गौड़ ने उसके बयानों में यह बताया कि आरोपी अजयसिंह ने उसे एक बार कोलकत्ता के वनगांव, जो कि बंगलादेश और भारत का बॉर्डर है, के निवासी आरोपी खोका के पास भेजा था, तब आरोपी खोका से उसे लाल तिलकधारी कछुये के व्यापार के संबंध में और जानकारी प्राप्त हुई थी और तब वह सीधे खोका को लाल तिलकधारी कछुये बेचने लगा था।

102. उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उसे आरोपी विजय गौड़ ने बयान में यह बताया था कि दिनांक 24.06.2017 को वह, फरार आरोपी मिश्रीलाल जाटव के पास ओरपुड़ा, ग्वालियर के पास कछुआ खरीदने गया था और उसके पास से पेंगोलिन के खपटे खरीदकर लौट रहा था तभी उसे वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर लिया। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी विजय गौड के उक्त कथन प्रदर्श पी–84 है जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं और आरोपी विजय गौड़ के कथन लेखबद्ध कराते समय उपस्थित साक्षीगण सल्लेसिंह विश्वकर्मा तथा अजयसिंह ठाकुर के कथन भी उसके समक्ष लिपिबद्ध कराये गये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी–85 एवं 86 हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने यह भी व्यक्त किया है कि दिनांक 24.06.2017 की कार्यवाही के मौका पंचनामा प्रदर्श पी–82 के साक्षीगण विनोद चौबे, वीरेन्द्रसिंह राजपूत, मुहीब खॉन, रघुराज सिंह के कथन उसके द्वारा लिपिबद्ध कराये गये थे जो क्रमशः प्रदर्श पी–87 लगायत प्रदर्श पी–90 जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन साक्षी मुहीब खान (अ.सा.7) ने करते हुए यह व्यक्त किया है कि वह दिनांक 24.06.2017 को प्रभारी अधिकारी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) की गाडी चलाता था और उक्त दिनांक को अन्य वन स्टाफ के साथ थाटीपुर ग्वालियर में पी.डब्ल्यू.डी. क्वार्टर के पास गया जहां आरोपी विजय गौड मिला जिसके पास से एक मोटरसाइकिल, मोबाइल एवं एक पॉलिथिन में पेंगुलिन के खपट्टे मिले थे,जिन्हें उसके समक्ष मौके पर मुताबिक पंचनामा प्रदर्श पी 82 तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और उक्त संबंध में उसके कथन प्रदर्श पी 89 है।

103. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए वन रक्षक साक्षी रघुराज सेन (अ.सा.10) एवं विनोद कुमार चौबे (अ.सा.14) ने दिनांक 24.06.2017 को ग्वालियर थाटीपुर में पीडब्ल्यूडी क्वार्टर के पास हुई संपूर्ण कार्यवाही को उसके कथनों में दोहराया है और यह व्यक्त किया है कि वहां आरोपी विजय गौड़ एक मोटरसाईकिल से मिला था, जिसके पास से एक मोबाईल और वन्य प्राणी पेंगोलिन के लगभग 500 ग्राम खपटे मिले थे, जिसका पंचनामा प्र.पी. 82 है, जिसे वनपाल विनोद कुमार चौबे द्वारा लेख किया गया था, उक्त साक्षीगण के अनुसार दिनांक 24.06.2017 को वनपाल विनोद

कुमार चौबे ने उनके और साक्षी वीरनसिंह राजपूत के समक्ष आरोपी की उपस्थिति में आरोपी से प्र.पी. 417 के मुताबिक एक मोबाईल दो सिम वाला चालू हालत में, टाटाडोकोमो व बीएसएनएल की सिम सहित, एवं लगभग 500 ग्राम वन्य प्राणी पेंगोलिन के खपटे जप्त कर जप्ती पत्रक (प्र.पी. 417) तैयार किया था और तत्पश्चात् आरोपी विजय गौड़ को उनके और साक्षी वीरनसिंह राजपूत के समक्ष वनपाल विनोद चौबे द्वारा गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा (प्र.पी. 418) तैयार किया गया था। उक्त साक्षीगण (अ.सा.10) व (अ.सा.14) ने आरोपी विजय गौड से जप्त मोबाइल और पेंगुलिन के खपटों को न्यायालय में क्रमशः आर्टिकल ए–36 व आर्टिकल ए–37 के रूप में पहचाना हैं।

104. उक्त साक्षी रघुराज सेन (अ.सा.10) के अनुसार दिनांक 24.06.2017 की संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में उससे पूछताछ कर विवेचक साक्षी सुश्री (अ.सा.1) के द्वारा उसके बताये अनुसार बयान प्र.पी. 90 लेख किये गये थे, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं, इसी प्रकार साक्षी विनोद कुमार चौबे (अ.सा.14) ने दिनांक 24.06.2017 की संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में विवेचक साक्षी द्वारा दिये गये उसके कथन प्रदर्श पी 87 होना बताया है और यह भी व्यक्त किया है कि उक्त पूछताछ के समय उसके अलावा आरोपी विजय गौड तथा साक्षी वीरसिंह जाट कम्प्यूटर ऑपरेटर के रूप में मौजूद था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी विजय गौड़ ने वन्य प्राणी कछुओं की अवैध व्यापार में संलिप्त आरोपीगण आरोपी सम्पतिया बाथम, आरोपी कमल बाथम, आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह, फरार आरोपी अजय कोरकू, आरोपी रामसींग उर्फ भोला, आप आरोपी आजादसिंह की फोटो शिनाख्तगी समक्ष गवाहन की थी, जो क्रमशः प्रदर्श पी–91 लगायत 97 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

105. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार प्रकरण में आरोपी विजय गौड़ के मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर. प्राप्त की गई थी, जिसके अनुसार आरोपी विजय का सम्पर्क प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपीगण से पाया गया था, जिसकी हार्ड एवं साफ्ट कापी प्रकरण में संलग्न की गई है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कथन की कंडिका 106 में यह व्यक्त किया है कि साथ ही आरोपी विजय गौड के मोबाईल नंबर 7581021773 की साफ्ट कॉपी की सी.डी. प्राप्त की थी, जो आर्टीकल ए–11 है, जिसे संचालित किये जाने पर आरोपी विजय गौड़ का शेष आरोपीगण के सम्पर्क में रहना पाया गया था, जिसकी समस्त जानकारी एक्सल सीट पर सुरक्षित है। साक्षी वीरसिंह (अ.सा.12) ने व्यक्त किया है कि साक्षी विनोद चौबे के उक्त कथन इस साक्षी की तथा आरोपी विजय गौड की उपस्थिति में प्रभारी अधिकारी श्रृद्धा पंद्रे द्वारा वर्ष 2017 में लिये गये थे, जिसमें विनोद चौबे ने यह बताया था कि वन विभाग की टीम द्वारा थाटीपुर ग्वालियर में आरोपी विजय गौड़ को गिरफ्तार किया गया था और उसके पास से पेंगोलिन के खपटे तथा उसकी

जेब में एक मोबाईल जप्त किया गया था।

106. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि आरोपी विजय गौड़ का बैंक स्टेटमेंण्ट प्रकरण में संलग्न किया गया, जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि श्योपुरकला से आरोपी के एकाउण्ट में बार–बार पैसों का लेनदेन हुआ है, जहां प्रकरण के अन्य आरोपी सम्पतिया बाथम व आप आरोपी कमल बाथम निवास करते थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने प्रकरण में आरोपी विजय गौड से जप्तशुदा पेंगुलिन के खपटों की पहचान की थी, जो कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के भाग–1 क्रमांक 28 का वन्य प्राणी है, जिसका प्रमाण पत्र प्र.पी. 98 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा विजय गौड़ से जप्तशुदा वन्य प्राणी पैंगोलिन के खपटे (500ग्राम) जांच हेतु संचालक वन्य जीव फोरेंसिंक केन्द्र, जबलपुर भेजे गये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने अपने कथन में यह भी बताया है कि उक्त प्रकरण में पूर्व में गिरफ्तार आरोपी नंदलाल (मृत) के घर से जप्त 300ग्राम एवं आरोपी विजय से जप्त पेंगोलिन के खपटे की प्रजाति का परीक्षण उपरांत जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर उक्त साक्षी के द्वारा रिपोर्ट सहित प्रदर्श पी–161 का प्रतिवेदन न्यायालय के समक्ष पेश किया था (कंडिका 59)।

107. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी डॉ. निधि राजपूत (अ.सा.20) ने व्यक्त किया है कि प्र.पी. 460 के पत्र के माध्यम से उसे पेंगुलिन के खपटे कुल 500 ग्राम सीलबंद अवस्था में दिनांक 10.07.2017 को प्राप्त हुये थे, जिन्हें परीक्षण उपरांत वन विभाग को पत्र प्र.पी 462 के माध्यम से वापस कर दिया गया था और उक्त साक्षी के अनुसार भेजे गये खपटों की जांच रिपोर्ट प्र.पी. 463 है जिसके अनुसार जांच हेतु उक्त प्रेषित वन्य जीव अवयव के डी.एन.ए. के एनालिसिस से यह ज्ञात हुआ कि वह पेंगुलिन के शल्क हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3) ने यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी विजय से प्राप्त जानकारी एवं उसके द्वारा बताये गये मोबाइल क्रमांक 9977104416, 9424344322, 7581021773 एवं 9826777094 की सी.डी.आर. के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी–372 है जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अन्य साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) ने व्यक्त किया है कि दिनांक 24.06.2017 को आरोपी विजय से जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक एम.पी. 07 एन.ए. 1096 को वनपाल विनोद कुमार चौबे द्वारा उसके और साक्षी मिर्जा बेग के समक्ष वनरक्षक भारत भूषण भार्गव ग्वालियर को सुपुर्दनामा पर दी गयी थी, जो प्रदर्श पी–390 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

108. आरोपी विजय गौड़ के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त

क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी विजय गौड़ के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3), अनिल यादव (अ.सा. 6), मुहीब खान (अ.सा. 7), रघुराज सेन (अ.सा. 10), विनोद कुमार चौबे (अ.सा. 14), डॉ0 निधि राजपूत (अ.सा. 20) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

109. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, भोपाल एवं क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर का दल आरोपी विजय गौड की निशानदेही पर ग्राम वीरपुर जिला श्योपुर संदिग्ध आरोपी कमल बाथम को पकड़ने के लिए गया था, जहां आरोपी विजय गौड ने आरोपी कमल बाथम की पहचान की, जिसके बाद संयुक्त दल द्वारा अग्रिम कार्यवाही हेतु आरोपी कमल बाथम को सागर बुलाकर कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर में समक्ष गवाहन अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत आरोपी कमल बाथम के कथन लिपिबद्ध कराये गये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी कमल बाथम ने उन्हें उसके कथन में बताया था कि वह मछली पकड़ने का काम करता है और कथन दिनांक से कुछ समय पहले उसके यहां आरोपी आजाद निवासी कैलारस घर आया था और आरोपी आजाद ने उसका मोबाईल नंबर कमल बाथम को देकर लाल तिलकधारी कछुआ की व्यवस्था करने को कहा था और जब आरोपी कमल बाथम ने लाल तिलकधारी कछुओं की व्यवस्था कर ली, तो उसने फोन करके आरोपी आजाद को बताया था, तब आरोपी आजाद ने उन कछुओं को अच्छे दामों पर उससे खरीदा था।

110. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने यह भी बताया है कि आरोपी कमल बाथम ने उसके बयान में यह भी बताया था कि उसका परिचय आरोपी विजय गौड़ निवासी ग्वालियर से हुआ था, जिसे आरोपी आरोपी कमल बाथम ने कई बार लाल तिलकधारी कछुये बेचे थे और आरोपी विजय गौड के माध्यम से आरोपी कमल बाथम, आरोपी अजय से मिला था जो लाल तिलकधारी कछुये खरीदता था और तब आरोपी कमल बाथम, आरोपी अजयसिंह को भी लाल तिलकधारी कछुआ बेचने लगा था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी कमल बाथम ने उसके बयान में यह भी बताया था कि आरोपी विजय गौड़ एवं आरोपी अजयसिंह ने उसकी पहचान फरार आरोपी अजय कोरकू, निवासी ग्वालियर एवं आरोपी रामसिंह उर्फ भोला से

करायी थी, जिनके माध्यम से लाल तिलकधारी कछुये आरोपी अजय और आरोपी विजय को वह बेचा करता था, आरोपी कमल बाथम के अनुसार उसके क्षेत्र के पास रहने वाले आरोपी सम्पतिया बाथम भी उक्त लोगों को लाल तिलकधारी कछुये बेचता था, जिसे वह पूर्व से जानता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उक्त आरोपी कमल बाथम के कथन प्रदर्श पी–99 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी कमल बाथम की अंगूठा निशानी और साक्षियों के हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी कमल बाथम के संबंध में की गयी कार्यवाही के साक्षीगण हेमंत उपाध्याय, सल्लेसिंह विश्वकर्मा, वीरसिंह जाट, अजयसिंह के कथन आरोपी कमल बाथम की उपस्थिति में उसने उनके बताये अनुसार लेख कराये थे, जो प्र. पी–100 लगायत प्रदर्श पी–103 हैं, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

111. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी कमल बाथम द्वारा प्रकरण के अन्य आरोपीगण आरोपी आजादसिंह, आरोपी नंदलाल (मृत), आरोपी अजयसिंह, आरोपी विजय गौड़, आरोपी सम्पत्तिया बाथम, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला तथा फरार आरोपी अजय कोरकू की गवाहों के समक्ष फोटो शिनाख्तगी की गयी थी और उक्त आरोपीगण को स्वयं से पूर्व परिचित तथा वन्य प्राणी कछुआ आदि के अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्त होना बताया गया था, उक्त फोटो शिनाख्तगी पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–104 लगायत पी–110 हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर तथा आरोपी कमल बाथम की अंगूठा निशानी है।

112. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने उसके न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि आरोपी कमल बाथम के मोबाइल नंबरों का सीडीआर सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी में प्राप्त किया था, जिसके अवलोकन से आरोपी कमल बाथम के द्वारा आरोपी सम्पत्तिया, आरोपी सम्पत्तिया बाथम, आरोपी आजाद, आरोपी विजय गौड़ एवं शैलेन्द्रसिंह के साथ लगातार बातचीत करना पाया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कथन की कंडिका 107 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी कमल बाथम के मोबाईल नंबर 8103114218 की जानकारी की साफ्ट कॉपी की सी.डी. में प्राप्त की थी, जो आर्टीकल ए–12 है, जिसे संचालित किये जाने पर आरोपी कमल बाथम का, शेष आरोपीगण के सम्पर्क में रहना पाया गया था, जिसकी जानकारी एक्सलसीट पर सुरक्षित है। उक्त साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने दौरान पूछतांछ आरोपी कमल बाथम को इंटरनेट से डाउनलोड किये गये दो कछुओं के चित्र का प्रिंटआउट पहचान हेतु दिखाया था, जिनमें से एक क्राउण्ड रिवर टर्टल एवं दूसरा कचुगा–कचुगा (लाल तिलकधारी कछुआ) का था, जो चंबल नदी में पाये जाते हैं, जिन्हें देखकर आरोपी कमल बाथम ने पहचान की थी और यह भी बताया था कि वह उक्त प्रजाति के कछुये आरोपी आजादसिंह, आरोपी विजय गौड़, आरोपी अजयसिंह, एवं फरार आरोपी अजय कोरकू आदि को

विक्रय करता रहता है।

113. आरोपी कमल बाथम के मोबाइल क्रमांक 8103114218 की सीडीआर के संबंध में साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3) ने यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी कमल बाथम से प्राप्त जानकारी और उसके बताये गये उक्त मोबाइल क्रमांक की प्राप्त सीडीआर के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के तहत प्रमाणपत्र जारी किया गया था जो प्र.पी. 373 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा–3) के अनुसार वर्तमान प्रकरण में जप्त मोबाईल क्रमांक 9589103736, 9827855434, 9037286449, 8755454392 एवं 7055232553 की सीडीआर के संबंध में उसके द्वारा दिनांक 08.09.2017 का प्रमाण पत्र जारी किया गया था जो प्र.पी. 374 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

114. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की आरोपी कमल बाथम के संबंध में प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी हेमंत उपाध्याय (अ.सा.11) ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 29.09.2017 को राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल एवं क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर की टीम के साथ वह वीरपुर जिला श्योपुर स्थित वन परिक्षेत्र कार्यालय गया था, जहां आरोपी कमल बाथम की शिनाख्त आरोपी विजय गौड़ आदिवासी ने की थी, जिसके संबंध में प्र.पी. 419 का पंचनामा उसके समक्ष तैयार किया गया था, जिस पर आरोपी कमल बाथम की अंगूठा निशानी तथा उसके भाई रमेश के हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.11) ने यह भी व्यक्त किया है कि उक्त दिनांक 29.06.2017 को उसके द्वारा आरोपी कमल बाथम से मोबाईल की जप्ती की गई थी, जो आर्टिकल ए23'क' है, जिसे उसने समक्ष गवाहान वीरसिंह जाट एवं महेन्द्र ठाकुर के मोबाइल जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी–420 तैयार किया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी कमल बाथम की अंगूठा निशानी तथा साक्षी वीरसिंह जाट और महेन्द्र ठाकुर के भी हस्ताक्षर हैं। साक्षी (अ.सा.11) के अनुसार उसके द्वारा साक्षी वीरसिंह जाट और महेन्द्र सिंह के समक्ष आरोपी कमल बाथम को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक एवं गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किये गये थे, जो प्रदर्श पी–421 एवं प्रदर्श पी–422 हैं, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी कमल बाथम की अंगूठा निशानी है। उक्त साक्षी (अ.सा.11) ने व्यक्त किया कि दिनांक 30.06.2017 को प्रकरण की तत्कालीन जांचकर्ता अधिकारी सुश्री श्रृद्धां पंद्रे (अ.सा.1) द्वारा उससे पूछताछ कर आरोपी कमल बाथम की उपस्थिति में उसके कथन प्रदर्श पी–100 लेखबद्ध किये गये थे, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी कमल बाथम की अंगूठा निशानी है। उक्त साक्षी (अ.सा.11) के अनुसार आरोपी कमल बाथम के संबंध में उसके कथन हैं, जो उसने प्रभारी अधिकारी के समक्ष लेखबद्ध कराये थे, जिसमें कमल ने बताया था कि वह अजय सिंह और विजय गौड़ से चीटी खोर के चिपटे और कछुए खरीदता, बेचता था, जो प्रदर्श पी 102 है, जिस

पर उसके हस्ताक्षर है।

115. आरोपी कमल बाथम के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी कमल बाथम के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3), हेमंत उपाध्याय (अ.सा. 11) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

116. उल्लेखनीय है कि आरोपी आजाद, आरोपी अजय, आरोपी विजय गौड़, आरोपी कमल बाथम, आरोपी सम्पत्तिया बाथम के कथनों में आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की प्रकरण में संलिप्तता बतायी गयी थी, जिसके संबंध में विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की तलास जारी थी और तब उसकी टीम को यह ज्ञात हुआ कि उक्त आरोपी मेनपुरी जेल में एन.डी.पी.एस. एक्ट के किसी अपराध में निरूद्ध है, तब उसे प्रोडक्शन वारण्ट जारी कर न्यायालय के माध्यम से प्रस्तुत कराया गया और न्यायालय की अनुमति से अभिरक्षा में लेकर पूछताछ हेतु रिमाण्ड प्राप्त किया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर में आरोपी रामसिंह उर्फ भोला से साक्षीगण की उपस्थिति में अधिनियम में निहित प्रावधानों (वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत पूछतांछ कर उसका कथन लेखबद्ध कराया गया था, जिसमें आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने यह बताया था कि वह उसके मित्र आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा के साथ मिलकर चंबल नदी में पाये जाने वाले लाल तिलकधारी कछुये एवं यमुना व गंगा नदी में पाये जाने वाले अन्य प्रजाति के कछुये को खरीद कर व्यापार करता है तथा चंबल नदी में पाये जाने वाले लाल तिलकधारी कछुये आरोपी आजाद एवं अन्य स्थानीय मछुआरों से खरीद कर आरोपी अजयसिंह, आरोपी मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर एवं फरार आरोपी रजनीकांत ओझा को बेचा करता था तथा कई बार वह आरोपी अजयसिंह के कहने पर लाल तिलकधारी कछुये लेकर आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी मोहम्मद सुल्तान को बेचने गया था और उसने लाल तिलकधारी कछुये फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह को भी अच्छे दामों पर बेचे हैं।

117. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने उसके बयान में यह भी बताया कि उसने लाल तिलकधारी कछुये का आरोपी विजय गौड, आरोपी कमल बाथम एवं आरोपी

संपतिया बाथम के साथ भी खरीद फरोख्त की थी। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने बयान में यह भी बताया था कि उसकी फरार आरोपी रजनीकांत ओझा से पहचान आरोपी मोहम्मद इकरार के माध्यम से इटावा के एक होटल में हुई थी और रजनीकांत ओझा के एजेंण्ट के माध्यम से वह कई बार लाल तिलकधारी कछुये उसे बेचा है तथा कछुये के व्यापार में मुनाफा अधिक होने के कारण उसने कई बार लाल तिलकधारी कछुये आरोपी अजयसिह, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा एवं आरोपी मोहम्मद इकरार को बेचे। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने यह भी बताया था कि दिनांक 09.06. 2017 को उसकी निशानदेही पर एस.टी.एस.एफ.भोपाल एवं आर.टी.एस.एफ., सागर की टीम ने नूराबाद जिला मुरैना पहुंचकर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा को तीन नग लाल तिलकधारी कछुओं के साथ गिरफ्तार किया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के कथन प्रदर्श पी–111 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी रामसिंह उर्फ भोला एवं साक्षीगण ने भी उसके समक्ष उक्त कथनों पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये थे तथा उक्त साक्षीगण वीरनसिंह राजपूत तथा राहुल विश्वकर्मा के कथन क्रमशः प्रदर्श पी–112 एवं पी–113 हैं, जो आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की उपस्थिति में उक्त साक्षीगण के बताये अनुसार लिपिबद्ध कराये गये थे।

118. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथनों में यह भी बताया है कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला द्वारा प्रकरण के अन्य आरोपीगण में से आरोपी आजादसिंह, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा, आरोपी संपतिया बाथम, आरोपी मोहम्मद इरफान, फरार आरोपी अजय कोरकू, फरार आरोपी मोहम्मद सुल्तान, आरोपी विजय गौड़, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह, आरोपी अजयसिंह, विवेक, आरोपी मोहम्मद इकरार एवं आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की फोटो शिनाख्तगी साक्षीगण की उपस्थिति में की गई थी और उक्त संबंध में आरोपी रामसिंह उर्फ भोला द्वारा दिये गये कथन में यह भी बताया गया कि वह उन सभी आरोपीगणों के साथ वन्य प्राणी कछुये के अवैध व्यापार में संलिप्त रहा है, उक्त कथन क्रमशः प्रदर्श पी–114 लगायत प्रदर्श पी–125 हैं, जिनपर आरोपी रामसिंह उर्फ भोला तथा विवेचक साक्षी के हस्ताक्षर हैं।

119. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि उसने आरोपी रामसिंहं उर्फ भोला की निशानदेही पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से नूराबाद जिला मुरैना से जप्त 3 नग लाल तिलकधारी कछुये की शिनाख्तगी भी आरोपी रामसिंह उर्फ भोला से ही करायी थी, जिसके संबंध में आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने उक्त लाल तिलकधारी कछुओं की पहचान करने के उपरांत बताया था कि उक्त प्रजाति के कछुये का वह आरोपी सम्पतिया बाथम, आरोपी आजादसिंह, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा, आरोपी विजय गौड़,

आरोपी अजय,फरार आरोपी शैलेन्द्र, आरोपी मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर, आरोपी मोहम्मद सुल्तान, आरोपी मोहम्मद इरफान, फरार अजय कोरकू, फरार आरोपी खोकन शाहा, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा के साथ मिलकर अवैध खरीद फरोख्त करता था, जिसका शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–126 है, जिसपर आरोपी रामसिंह उर्फ भोला तथा उसके (अ.सा. 1) के हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने यह भी बताया है कि उसने आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य प्राणी एवं सुरक्षा को प्रदर्श पी–127 का पत्र लिखा था और उससे प्राप्त सीडीआर के अवलोकन में से उसने यह पाया था कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के द्वारा मोबाईल फोन से आरोपी आजादसिंह, आरोपी संपत्तिया बाथम, आरोपी अजयसिंह, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा, आरोपी मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर एवं आरोपी विजय गौड़ तथा फरार आरोपी रजनीकांत ओझा के साथ लगातार बातचीत की थी और उक्त संबंध में उसके (अ.सा. 1) द्वारा तैयार किया गया गोशवारा प्रदर्श पी–128 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

120. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन की कंडिका 108 में यह व्यक्त किया है कि उसने आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के मोबाईल नंबर 7055232553 की जानकारी की साफ्ट कॉपी की सी.डी. प्राप्त की थी, जो आर्टीकल ए–13 है, जिसे संचालित किये जाने पर आरोपी रामसिंह उर्फ भोला का उक्त मोबाईल नंबर से शेष आरोपीगण के सम्पर्क में रहना पाया गया था, जिसकी जानकारी एक्सलसीट पर सुरक्षित है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला से पूछताछ के दौरान उसको इंटरनेट से डाउनलोड कछुओं के चित्र पहचान हेतु दिखाये गये थे, जिनमें से एक क्राउण्ड रिवर टर्टल एवं दूसरा कचुगा–कचुगा (लाल तिलकधारी कछुआ) का था, जो चंबल नदी में पाया जाता है, जिन्हें देखकर आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने पहचाना था और यह बताया कि उक्त प्रजाति के कछुये वह आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा एवं आरोपी संपत्तिया बाथम आदि से खरीदता था।

121. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी आरती शर्मा (अ.सा. 5) ने प्र.पी. 388 के अनुसार उसके समक्ष आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की न्यायालय के आदेश से गिरफ्तारी वीरेन्द्रसिंह राजपूत द्वारा की जाना बताया है और उनके हस्ताक्षर स्वीकार हैं। इसी प्रकार साक्षी राहुल विश्कर्मा (अ.सा. 8) ने आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के द्वारा उसके समक्ष दिनांक 07.09.2017 को कथन प्र.पी. 111 उपरोक्त अनुसार लिया जाना व्यक्त किया है और उस पर स्वयं के तथा आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के हस्ताक्षर स्वीकारे हैं।

122. आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के

उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी आरती शर्मा (अ.सा. 5), राहुल विश्वकर्मा (अ.सा. 8) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

123. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि प्रकरण की विवेचना के दौरान न्यायालय से रिमाण्ड पर प्राप्त आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के साथ क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स एवं एस.टी.एफ. भोपाल का दल आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की निशानदेही पर अन्य आरोपी आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की पकड़ हेतु नूराबाद जिला मुरैना गया था, जहां पर आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के पहचानने पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा को रोककर उससे पूछतांछ की गई थी, जो तत्समय मोटरसाइकिल से अपने घ ार की तरफ आ रहा था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार जब आरोपी कैलाशी की तलाशी ली गई तो उसके पास 03 नग जीवित लाल तिलकधारी कछुये एक थैले में पाये गये थे, जिन्हें मय मोटरसाईकिल के संयुक्त दल द्वारा मौके से जप्त किया गया था तथा मौके पर ही मौका पंचनामा, जप्तीनामा एवं जामा तलाशी, गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया था और गिरफ्तारी की सूचना आरोपी के परिजनों तथा पुलिस को देकर मय जप्तशुदा लाल तिलकधारी कछुओं के आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा को साथ सागर लाया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा साक्षीगण की उपस्थिति में कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, सागर में आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत कथन प्रदर्श पी–129 उसके बताये अनुसार लिपिबद्ध कराये गये है, जिस पर उसके (अ.सा.1) हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की अंगूठा निशानी है।

124. उक्त साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा ने अपने कथन प्र.पी. 129 में यह बताया कि वह लगभग 15 वर्षों से ईको सेण्टर देवरी में मछली सप्लाई का कार्य करता है और वहां पर स्थित घड़ियाली एवं कछुओं को मछली डालता है और पिछले कुछ वर्षों वह इको सेण्टर देवरी से लाल तिलकधारी कछुआ चुराकर आरोपी आजाद, आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी शैलेन्द्र एवं आरोपी रामसिंह उर्फ भोला को बेचा करता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा ने उसके कथन में यह भी बताया कि उसके द्वारा दिनांक 06.09.2017 को लाल तिलकधारी कछुये 03 नग लेकर ईको सेण्टर देवरी से चुराकर लाये

जा रहे थरे, तभी आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के साथ वन विभाग की टीम के द्वारा उसे उसके घर के पास नूराबाद जिला मुरैना से गिरफ्तार कर लिया गया था और सागर लेकर आये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार नूराबाद जिला मुरैना में संपादित उक्त कार्यवाही के साक्षीगण राहुल विश्वकर्मा, वीरनसिंह राजपूत, अनिल यादव, ज्योतिप्रसाद दण्डोतिया, मानसिंह सिसोदिया एवं नरेन्द्र प्रजापति के कथन उनके बताये अनुसार उसने लिपिबद्ध कराये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी–130 लगायत पी–137 हैं, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

125. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा ने उसके एवं साक्षियों के समक्ष प्रकरण में संलिप्त आरोपी आजादसिंह, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह की फोटो शिनाख्तगी में पहचान कर यह बताया था कि उक्त आरोपीगण भी उसके साथ वन्य प्राणी कछुओं की अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्त रहे हैं, उक्त फोटो शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–138 लगायत पी–141 हैं, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उसने आरोपी कैलाशी से जप्त 03 नग लाल तिलकधारी कछुये की पहचान कर पहचान प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–142 तैयार किया गया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के मोबाईल नंबरों की सी.डी.आर. हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रदर्श पी–143 का पत्र लेख किया था और प्राप्त मोबाईल सी.डी.आर. का अवलोकन कर गोशवारा प्रदर्श पी–144 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, और उक्त गोसवारा के अनुसार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की प्रकरण में अन्य गिरफ्तार आरोपी अजयसिंह, रामसिंह उर्फ भोला, एवं फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह से लगातार बातचीत होती थी। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के मोबाइल सीडीआर की सॉफट एवं हार्ड कॉपी प्रकरण में संलग्न की जो आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के मोबाईल क्रमांक 9589103736 तथा 9827855434 के संबंध में प्रस्तुत सी.डी. आर. प्रदर्श पी–450 है (कंडिका 603)। साक्षी वीरसिंह जाट (अ.सा.12) ने उक्त साक्ष्य के समर्थन में व्यक्त किया कि आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के द्वारा आरोपी आजाद सिंह की, की गई फोटो शिनाख्ती की कार्यवाही का दस्तावेज है, जो प्रदर्श पी 138 है जिस पर ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

126. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन साक्ष्य की कंडिका 109 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के मोबाईल नंबर 9589103736 एवं 9827855434 की जानकारी की साफ्ट कॉपी की सी.डी. में प्राप्त की थी, जो आर्टीकल ए–14 एवं 15 है, जिनको संचालित किये जाने पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा का, उक्त मोबाईल नंबर से शेष आरोपीगण के सम्पर्क में रहना पाया गया था, जिसकी समस्त जानकारी

एक्सल सीट पर सुरिक्षत है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कथन की कंडिका 125 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से जप्तशुदा 03 जीवित लाल तिलकधारी कछुओं को चंबल अभ्यावरण या वन बिहार में छोडने की अनुमति न्यायालय से प्राप्त होने के उपरांत उक्त जप्तशुदा कछुओं को गैमरेंज प्रभारी घडियाल अभ्यावरण ईको सेंटर देवरी जिला मुरैना की उपस्थिति में चंबल नदी में छोडा गया, छोडे जाने का पालन प्रतिवेदन प्रदर्श पी 357 है और उसका पंचनामा प्रदर्श पी 358 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

127. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन अभियोजन साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6), राहुल यादव (अ.सा.8), ज्योतिप्रसाद दण्डौतिया (अ.सा.15) तथा इंदरसिंह बारे (अ.सा.16) की न्यायालयीन साक्ष्य से भी होता है, जिसमें जहां इंदरसिंह बारे (अ.सा.16) ने आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की संपूर्ण कार्यवाही का वर्णन किया है, वहीं साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) तथा राहुल यादव (अ.सा.8) ने एस.टी.एस.एफ. भोपाल आर.टी.एस.एफ. सागर की टीम द्वारा दिनांक 06.09.2017 को नूराबाद जिला मुरैना में आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के संबंध में की गयी कार्यवाही उनके समक्ष किया जाना व्यक्त किया है और तत्संबंध में बनाये गये प्र.पी. 391 का मौका पंचनामा, प्र.पी. 392,393 के जप्ती पत्रक, प्र.पी. 394 का जामातलासी पंचनामा, प्र.पी. 395 का घटना स्थल का नक्शा मौका तथा प्र.पी. 396 के सुपुर्दनामा और प्र.पी. 397 के गिरफ्तारी पंचनामा को उनके स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए उनके समक्ष उक्त दस्तावेजों पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा द्वारा अंगूठा निशानी किया जाना बताया है। साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) ने उक्त संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में विवेचक द्वारा साक्षी के कथन प्र.पी. 134 उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना बताया है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.8) के अनुसार उसके द्वारा नूराबाद जिला मुरैना को आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के संबंध में सूचना दी गयी थी जिसकी कार्बन प्रति प्र.पी. 407 है जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

128. साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.8) ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 06.09.2017 को ईको सेन्टर देवरी जिला मुरैना सामान्य वन मण्डल में हेचरी में उपस्थित कछुओं की गिनती उसके समक्ष की गई थी, जिसका पंचनामा पंचनामा प्र.पी. 408 उसके द्वारा साक्षी नरेन्द्र एवं ज्योति के समक्ष तथा आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की उपस्थिति में तैयार किया गया था, जिसपर अभियुक्त कैलाशी उर्फ चच्चा के द्वारा अपना अंगूठा निशानी तथा उक्त साक्षी के द्वारा हस्ताक्षर किये गये थे। उक्त साक्षी (अ.सा.8) ने व्यक्त किया कि प्र.पी. 391 लगायत प्र.पी. 397 तक की संपूर्ण कार्यवाही दिनांक 06.09.2017 को उसके द्वारा की गई थी, जिसके संबंध में प्रकरण की प्रभारी जांचकर्ता अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के द्वारा उसके कथन लिये गये थे जो प्र. पी. 113, प्र.पी. 130 एवं प्र.पी. 132 है, और प्र.पी. 130 एवं प्र.पी. 132 पर

आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की अंगूठा निशानी अंकित है। साक्षी (अ.सा.8) के अनुसार उसने आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के संबंध में दिये गये अपने कथन में यह लेख कराया था कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा प्रकरण के अन्य सहआरोपियों के साथ मिलकर वन्य प्राणी लालतिलकधारी कछुआ और पेंगोलिन के अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्त थे। उक्त साक्षी (अ.सा.8) ने यह व्यक्त किया है कि दिनांक 06.09.2017 को आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से जप्त 03 नग जीवित लाल तिलकधारी कछुओं से संबंधित फोटो आर्टिकल ए–26 और ए–27 हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.8) के अनुसार उक्त जप्त 03 नग लाल तिलकधारी कछुओं को न्यायालय के आदेशानुसार स्वस्थ्य, स्वच्छ एवं स्वतंत्र परिवेश में चंबल नदी के पिपरई घाट पर प्राकृतिक परिवेश में छोडे जाने का पंचनामा प्र.पी. 411 है तथा उक्त संबंध में लिये गये छायाचित्र आर्टिकल ए–28 व ए–29 हैं, जिन्हें विवेचक साक्षी (अ. सा.1) द्वारा प्रमाणित किया गया है। उक्त साक्षी (अ.सा.8) ने आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से दिनांक 06.09.2017 को जप्तशुदा मोबाइल को न्यायालय में पहचान कर आर्टिकल ए–30 के रूप में प्रदर्शित कराया है।

129. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी ज्योतिप्रसाद दण्डोतिया (अ.सा.15) ने व्यक्त किया है कि वह दिनांक 06.09.2017 को घड़ियाल पुर्नवास केंद्र देवरी जिला मुरैना, जिसे ईको सेंटर देवरी भी कहा जाता है, में वन रक्षक पद पर पदस्थ था, जब सागर टाइगर स्ट्राइक फोर्स, जिसमें विवेचक साक्षी (अ.सा.1) भी थी, द्वारा कैलाशी उर्फ चच्चा को पकड़कर ईको सेंटर देवरी लाया गया था। साक्षी (अ.सा. 15) के अनुसार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के साथ तीन कछुए जीवित अवस्था में लाये गये थे, जो कछुंगा कछुंगा प्रजाति के थे, जिन्हें लाल तिलकधारी कछुआ भी कहा जाता है, जो मुख्यतः चंबल अभ्यारण्य में ही पाये जाते हैं। साक्षी (अ.सा.15) के अनुसार जिन लाल तिलकधारी कछुओं को आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के साथ लाया गया था उनका ईको सेंटर देवरी में ही पालन ग्रो एण्ड रिलीफ प्रोग्राम के तहत किया जाता है, इसलिए तब ईको सेंटर देवरी में जो लाल तिलकधारी कछुए उपलब्ध थे, उनकी गिनती कराई गई थी, तो सेंटर की कछुओं की गिनती में से तीन कछुए कम पाये गये थे। उक्त साक्षी (अ.सा.15) ने यह भी कथन किया कि ईको सेंटर में उपलब्ध लाल तिलकधारी कछुए और आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के पास से पाये गये तीन लाल तिलकधारी कछुओं की मिलान आपस में की गई थी तो यह पाया गया था कि आरोपी के साथ लाये गये कछुए सेम ऐज ग्रुप, सेम मेजरमेंट, सेम हेचलिन के पाये गये, उक्त कार्यवाही के संबंध में प्रदर्श पी 408 का पंचनामा लेख किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

130. साक्षी ज्योतिप्रसाद दण्डौतिया (अ.सा.15) के अनुसार प्रपी 408 के पंचनामा लेख करते समय व संपूर्ण कार्यवाही के दौरान आरोपी

कैलाशी उर्फ चच्चा वहीं उपस्थित था तथा प्रपी 408 पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा की अंगूठा निशानी ली गयी थी। उक्त साक्षी (अ.सा.15) के अनुसार उक्त संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में प्रभारी अधिकारी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के द्वारा उससे पूछताछ कर उसके बताये अनुसार उसके कथन प्रपी 135 के मुताबिक लेख किये थे।

131. अभियोजन साक्षी ज्योतिप्रसाद दण्डोतिया (अ.सा.15) ने साक्षी राहुल विश्कर्मा (अ.सा.8) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया है कि आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से जप्तशुदा जीवित तीन लाल तिलकधारी कछुओं को न्यायालय से आदेश प्राप्त कर उनके प्राकृतिक रहवास में छोड़े जाने हेतु ईको सेंटर देवरी, क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर की टीम लेकर आई थी, उक्त कार्यवाही के संबंध में उसके समक्ष प्रपी 358 का पंचनामा तैयार किया गया था। उक्त साक्षी (अ.सा.15) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा, जिसको टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर पकड़ लाई थी, वह उसके ईको सेंटर देवरी में मछली सप्लाई करने वाला था और इस कारण वह ईको सेंटर देवरी में प्रतिदिन आता–जाता रहता था।

132. आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी अनिल यादव (अ.सा. 6), राहुल विश्वकर्मा (अ.सा. 8), ज्योतिप्रसाद दण्डौतिया (अ.सा. 15), इंदरसिंह बारे (अ.सा. 16) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

133. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने पूछतांछ के दौरान प्रकरण के अन्य आरोपी मोहम्मद इकरार के बारे में जानकारी दी थी और उक्त आधार पर दिनांक 08.09.2017 को क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स का दल आरोपी रामसिंह उर्फ भोला को लेकर मोहम्मद इकरार की पकड़ हेतु भौगांव जिला मेनपुरी उत्तरप्रदेश गया था और आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की निशानदेही पर उक्त टीम ने पैराडाइज जेंण्ट्स ब्यूटी पार्लर पर दबिश देकर आरोपी मोहम्मद इकरार पिता गुल मुहम्मद का गिरफ्तार कर गिरफ्तारी की सूचना उसके परिजनों को थाना पुलिस भौगांव के माध्यम से प्रदर्श पी–147 (गिरफतारी की सूचना) द्वारा देने के उपरांत मौका पंचनामा प्रदर्श पी–145 तथा मौका स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी–146 उसके दल के सदस्यों द्वारा तैयार किया गया था,

जिसपर उनके हस्ताक्षर हैं।

134. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार दिनांक 08.09.2017 की मौका कार्यवाही के उपरांत आरोपी मोहम्मद इकरार को कार्यालय क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, सागर लाया गया, जहां साक्षीगण के समक्ष अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत आरोपी मोहम्मद इकरार से पूछताछ की जाकर उसके कथन प्रदर्श पी–147 (कथन आरोपी मो. इकरार) उसके बताये अनुसार लिपिबद्ध कराये गये, जिसपर साक्षी व आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मोहम्मद इकरार ने उसके कथन प्रदर्श पी 147 (कथन आरोपी मो. इकरार) में बताया कि वह हेयर कटिंग के अलावा भी चंबल नदी में पाये जाने वाले लाल तिलकधारी कछुए एवं अन्य प्रजाति के कछुए का व्यापार करता है और उसके पास के क्षेत्र मेनपुरी का रहने वाला आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, जिसकी ससुराल भौंगांव में है, आता–जाता रहता था, जिससे वह लाल तिलकधारी कछुए खरीदकर कोलकाता की पार्टी फरार आरोपी रजनीकांत ओझा को बेचा करता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मोहम्मद इकरार ने उसके बयान में यह भी बताया था कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी अजयसिंह एवं फरार आरोपी शैलेन्द्र सिंह से हुई थी, और क्योंकि आरोपी अजयसिंह एवं फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह भी लाल तिलकधारी कछुए एवं अन्य प्रजाति के कछुओं का व्यापार करते हैं, इसलिये उसने उनसे सम्पर्क बनाया था और वह आरोपी रामसिंह उर्फ भोला एवं स्थानीय लोगों से लाल तिलकधारी कछुए एवं अन्य प्रजाति के कछुए एकत्रित कर आरोपी अजयसिंह एवं फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह को बेचने लगा था, और इससे लाभ अधिक होने के कारण अपना व्यापार बढ़ाने लगा था।

135. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर ने उसके बयान में यह भी बताया था कि उसकी पहचान फरार आरोपी रजनीकांत ओझा के माध्यम से कोलकाता निवासी आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी मोहम्मद सुल्तान से हुई थी और पहचान होने के बाद वह, आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी मोहम्मद सुल्तान को भी लाल तिलकधारी कछुए एवं अन्य प्रजाति के कछुए बेचने लगे थे, जब अच्छा व्यापार चल रहा था, तभी उसे पता चला कि आरोपी अजयसिंह पकडा गया, तब से उसका व्यापार मंदा हो गया था। इसके बाद वह केवल फरार आरोपी रजनीकांत ओझा को ही लाल तिलकधारी कछुए एवं अन्य प्रजाति के कछुए उसके एजेंण्ट के माध्यम से बेचा करता था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने यह भी बताया है कि आरोपी मोहम्मद इकरार के संबंध में की गयी उक्त कार्यवाही के दौरान उपस्थित साक्षीगण वीरनसिंह राजपूत, वीरसिंह जाट, आरती शर्मा, प्रीतम अहिरवाल के कथन उसने उनके बताये अनुसार आरोपी मोहम्मद इकरार की

उपस्थिति में लिपिबद्ध कराये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी–148 लगायत पी–151 हैं, जिनपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मोहम्मद इकरार द्वारा प्रकरण में उसके साथ वन्य प्राणियों के अवैध व्यापार में संलग्न सह आरोपीगण, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी रजनीकांत ओझा, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह, आरोपी मोहम्मद इरफान, फरार आरोपी मोहम्मद सुल्तान की फोटो शिनाख्तगी की थी, जिसके पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–152 लगायत पी–157 उसके निर्देशन में तैयार किये गये थे, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी मोहम्मद इकरार के हस्ताक्षर हैं।

136. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा जिन कछुओं का अवैध व्यापार आरोपी मोहम्मद इकरार द्वारा किया जाता था, उनकी पहचान हेतु आरोपी को प्रकरण में जप्तशुदा लाल तिलकधारी कछुओं का छायाचित्र दिखाकर पहचान पंचनामा प्रदर्श पी–158 तैयार किया गया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके आरोपी मोहम्मद इकरार के मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल को प्रदर्श पी–159 का पत्र लिखा था और जिसके आधार पर सीडीआर प्राप्त की थी, जिसका धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया गया और सीडीआर के अवलोकन में यह पाया गया कि आरोपी मोहम्मद इकरार के मोबाईल नंबर से आरोपी अजयसिंह, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, फरार आरोपी शैलेन्द्रसिंह तथा फरार आरोपी रजनीकांत ओझा से भी लगातार बात की गयी थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा तैयार किया गया गोशवारा प्रतिवेदन प्र.पी. 160 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

137. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.1) ने उसके साक्ष्य के कथन की कंडिका 110 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी मोहम्मद इकरार के मोबाईल नंबर 7037286449 की जानकारी की साफ्ट कॉपी की सी.डी. में प्राप्त की थी, जो आर्टीकल ए–16 है, जिसको संचालित किये जाने पर आरोपी मोहम्मद इकरार का, उक्त मोबाईल नंबर से शेष आरोपीगण के सम्पर्क में रहना पाया गया था, जिसकी जानकारी एक्सल सीट पर सुरक्षित है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी आरती शर्मा (अ.सा.5) ने व्यक्त किया है कि आरोपी रामसिंह उर्फ भोला कि निशानदेही पर प्रभारी अधिकारी एवं स्टाफ के साथ वह ग्राम भौगांव जिला मैनपुरी जहां आरोपी रामसिंह उर्फ भोला द्वारा बताये गये पते पैराडाइज जैंट्स पार्लर पर झापामारी की कार्यवाही कर मोहम्मद इकरार को गिरफ्तार किया गया था। उक्त साक्षी (अ.सा.5) ने प्रदर्श पी 145 के पंचनामे एवं प्रदर्श पी–146 के नजरी नक्शा एवं प्रदर्श पी 389 के गिरफ्तारी पत्रक को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए उक्त कार्यवाही के संबंध में विवेचक साक्षी (अ.सा.1) द्वारा उसके कथन प्रदर्श पी 150 उसके बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना बताया गया है।

138. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी वीरसिंह (अ.सा.12) ने आरोपी मोहम्मद इकरार के कथन प्रदर्श पी 147 (कथन आरोपी मो. इकरार) उसके समक्ष प्रभारी अधिकारी (अ.सा.1) के द्व ारा आरोपी के बताये अनुसार लेखबद्ध किया जाना बताया है और उसपर स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित किये हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.12) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने प्रदर्श पी 149 के कथन आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के संबंध में लेख कराये थे, जिसमें आरोपी रामसिंह उर्फ भोला ने बताया था कि वह आरोपी मोहम्मद इकरार से लाल तिलकधारी कछुआ खरीदता बेचता है। विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन साक्षी प्रीतम अहिरवाल (अ.सा.13) की साक्ष्य से भी होता है, जिसमें आरोपी मोहम्मद इकरार की गिरफ्तारी कार्यवाही प्रदर्श पी–389 स्वयं के समक्ष किया जाना तथा उक्त संबंध में प्रदर्श पी 423 का गिरफ्तारी पंचनामा उसके तथा साक्षी वीरेन्द्रसिंह और आरती शर्मा के समक्ष वन रक्षक हेमंत उपाध्याय द्वारा बनाया जाना बताया है और स्वयं के हस्ताक्षर भी स्वीकारे हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.13) ने प्रदर्श पी 145 के मौका पंचनामा को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी 146 आरोपी मोहम्मद इकरार की उपस्थिति में साक्षीगण दीपक मिश्रा, हेमलता और महेन्द्रसिंह के समक्ष तैयार किया जाना बताया है तथा प्रदर्श पी 146 पर स्वयं के हस्ताक्षरों को व आरोपी मोहम्मद इकरार के हस्ताक्षरों को प्रमाणित किया है। विवेचक साक्षी (अ.सा–1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन साक्षी हेमंत उपाध्याय (अ.सा–11) ने करते हुए यह व्यक्त किया है कि दिनांक 08.09.2017 को पैराडाईज जेन्ट्स ब्यूटीपार्लर भौगांव जिला मेनपुरी उ0प्र0 में आरोपी मो. इकरार को समक्ष गवाहान प्रीतम अहिरवाल एवं आरती शर्मा के गिरफ्तार कर प्र.पी. 389 का गिरफ्तारी तैयार किया गया था तथा उसने दिनांक 08.09.2017 को आरोपी मो0 इकरार की गिरफ्तारी पंचनामा के संबंध में समक्ष गवाहान प्रीतम अहिरवाल, वीरन सिंह, आरती शर्मा के गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी–423 तैयार किया था।

139. आरोपी मो. इकरार उर्फ डाक्टर के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी आरती शर्मा (अ. सा. 5), वीरसिंह जाट (अ.सा. 12), प्रीतम अहिरवाल (अ.सा. 13) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

140. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि

प्रकरण में तत्समय फरार आरोपी थमीम अंसारी की तलास जारी थी, तभी उसे सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी थमीम अंसारी को चैन्नई में कस्टम विभाग द्वारा वन्य जीवों की तस्करी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर करते हुये गिरफ्तार किया गया है, तब उसके द्वारा न्यायालय से आरोपी थमीम अंसारी का प्रोडक्शन वारण्ट जारी करने का निवेदन किया गया , जिसके पालन में चैन्नई पुलिस द्वारा आरोपी थमीम अंसारी को दिनांक 11.10.2017 को विशेष न्यायालय, सागर के समक्ष प्रोडक्शन वारण्ट पर प्रस्तुत किया गया, जहां से अनुमति प्राप्त करके आरोपी थमीम अंसारी को गिरफ्तार कर पूछतांछ हेतु पुलिस/फारेस्ट रिमाण्ड पर प्राप्त किया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी से अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत पूछतांछ कर साक्षीगण की उपस्थिति में उक्त आरोपी थमीम अंसारी के बताये अनुसार उसके कथन प्रदर्श पी–162 लेखबद्ध कराया गये थे।

141. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि आरोपी थमीम अंसारी ने (प्रदर्श पी 162में) बताया था कि वह तमिल व अंग्रेजी भाषा पढना व लिखना जानता है तथा हिंदी भाषा पढ व समझ लेता है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने उसके बयान में यह भी बताया था कि वह दाल चीनी और काली मिर्च के व्यापार के सिलसिले में श्रीलंका जाता था, जहां पर उसकी मुलाकात कालूतारा के निवासी फरार आरोपी बेंटी से हुई थी और तब आरोपी बेंटी ने उसे भारत में पाये जाने वाले कछुओं एवं श्रीलंकाई कछुओं के बारे में बताया था तथा उक्त कछुओं के फोटोग्राफ्स भी दिखाये थे, और यह बताया था कि इन कछुओं की मलेशिया, सिंगापुर एवं होंगकांग जैसे देशों में अत्याधिक मांग है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने उसके बयान में यह भी बताया था कि तब से वह कछुओं के व्यापार से संबंधित लोगों को फेसबुक, वॉट्सएप एवं इंटरनेट के माध्यम से सर्च करना प्रारंभ किया और तभी फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा से हुई थी और उसका मोबाइल नंबर प्राप्त कर उससे कछुओं के संबंध में बातचीत करने लगा था।

142. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने उसे यह भी बताया था कि कछुओं के अवैध व्यापार में उसके साथ अन्य लोग भी उसका सहयोग करते थे और वह स्वयं की मर्सीडीज कार क्रमांक टी.एन.38 ए.सी.300 से चैन्नई से आगरा जाकर आरोपी अजयसिंह से मिला था और उससे लगभग 450 कछुये खरीदे, जिसमें लाल तिलकधारी कछुओं भी शामिल थे, जिसके बदले में उसने आरोपी अजयसिंह को नगद डेढ़ लाख रूपये एवं नेट बैंकिंग के द्वारा उसके खाते में तीन लाख रूपये ट्रांसफर किये थे और उक्त कछुओं को लेकर वह मर्सीडीज कार से आगरा से चैन्नई

गया था और वह उक्त कछुओं को फरार आरोपी बेंटी के एजेंण्ट के माध्यम से बंदरगाह, तूतीकोरीन में श्रीलंका सप्लाई करने के लिये लाया था, परंतु तभी डी.आर.आई.विभाग के द्वारा उसे कछुओं के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने उसके कथन में यह भी बताया था कि वर्ष 2017 में वह वेंकटेश के साथ 2700 कछुओं के साथ कस्टम विभाग के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे उक्त कछुओं की खरीद–फरोख्त में चैन्नई निवासी फरार आरोपी सनील वी सेम्यूल उसका सहयोग करता था क्योंकि वह आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा को अच्छी तरह से जानता था, आरोपी थमीम अंसारी के अनुसार फरार आरोपी सनील वी सैम्यूल के माध्यम से उसने कई बार आरोपी अजयसिंह से लाल तिलकधारी कछुये और अन्य प्रजाति के कछुये आगरा से खरीदकर चैन्नई मंगवाये थे और उन्हें श्रीलंका के अलावा मलेशिया, सिंगापुर एवं हांगकांग में भी बेचा था।

143. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने उसके बयान में यह भी बताया था कि अवैध कछुओं के व्यापार में आरोपी मन्नीवन्नन निवासी चैन्नई एवं कोलकाता निवासी आरोपी मोहम्मद इरफान के द्वारा भी इन कछुओं का व्यापक स्तर पर व्यापार किया जाता था, जो उक्त कछुओं का प्रचार प्रसार फेसबुक, व्हाट्सऐप एवं वी–चैट के माध्यम से करते थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने यह भी बताया कि आरोपी थमीम अंसारी ने उसके कथन में यह बताया था कि वह लाल तिलकधारी कछुओं को वह छः हजार से लेकर आठ हजार के लगभग प्रतिनग के हिसाब से खरीदता था, जबकि अन्य प्रजाति के कछुओं को लगभग 1000 से 2000 / –रूपये के बीच प्रतिनग के हिसाब से आरोपी अजयसिंह निवासी आगरा से खरीदता था। विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि आरोपी थमीम अंसारी के संबंध में की गयी उक्त कार्यवाही में उपस्थित साक्षीगण प्रीतम अहिरवाल (अ.सा. 13) , राहुल विश्वकर्मा (अ.सा. 8) के कथन भी उसने आरोपी थमीम अंसारी की उपस्थिति में साक्षीगण के बताये अनुसार लिपिबद्ध कराये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी 163, 164 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा साक्षीगण और आरोपी थमीम अंसारी ने भी उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे।

144. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपीगण आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी सनील वी सैम्यूल, आरोपी मन्नीवन्नन, मनी माहेहन, फरार आरोपी हमीद सिल्मी, आरोपी मोहम्मद इरफान की पहचान साक्षीगण व उसके समक्ष की थी और उक्त संबंध में बनाये गये पहचान पंचनामा प्रदर्श पी 165 लगायत 170 में स्वयं के हस्ताक्षरों से यह लेख कराया था कि उक्त सभी आरोपीगण उसके साथ कछुओं के अवैध व्यापार में संलिप्त रहे हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के

अनुसार आरोपी थमीम अंसारी ने उसके समक्ष स्वयं की मर्सीडीज कार, जिसका नंबर टी.एन.38ए.सी.300 है, को फोटोग्राफ देखकर पहचाना था और यह व्यक्त किया था कि वह स्वयं की उक्त कार से कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में आगरा गया था, जिसका पहचान पंचनामा प्रदर्श पी–171 है, जिसे विवेचक साक्षी ने स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए आरोपी थमीम अंसारी और साक्षीगण के द्वारा उसके समक्ष दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना बताया है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी के समक्ष प्रकरण में जप्तशुदा कछुओं के चित्र पहचान हेतु प्रस्तुत किये थे, तब आरोपी थमीम अंसारी ने कछुओं की पहचान करते हुए बताया था कि वे लाल तिलकधारी कछुओं हैं, जिनकी खरीद फरोख्त में वह लिप्त रहा है, उक्त पहचान कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी 172 है, इसी प्रकार विवेचक साक्षी के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी को श्रीलंका स्थित कालूतारा नाम की जगह नक्शे में दिखाई थी, जिसे आरोपी ने पहचाना था और यह बताया था कि उक्त स्थान पर आरोपी बेंटी नामक व्यक्ति रहता है, जो कछुओं का व्यापार करता है, उक्त पहचान कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श पी–173 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

145. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी के मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. प्राप्त करने हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक को प्रदर्श पी–174 का पत्र लेख किया था, उक्त साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी के मोबाईल नंबरों की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया है, जिसके संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाण पत्र भी संलग्न किया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी के सी.डी.आर. के अवलोकन से यह पाया था कि आरोपी थमीम अंसारी के द्वारा आरोपी अजयसिंह, आरोपी मन्नीवन्नन एवं फरार आरोपी सनील वी सैम्यूल, फरार आरोपी बेंटी के साथ लगातार बातचीत की गयी है, जिससे संबंधित गोशवारा प्रतिवेदन प्रदर्श पी–175 उसने तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने उसके कथन की कंडिका 111 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी थमीम अंसारी के मोबाईल नंबर 8056109242 एवं 9940557996 की जानकारी की साफ्ट कॉपी की सी.डी. के रूप में प्राप्त की, जो आर्टीकल ए–17 एवं 18 है, जिसको संचालित किये जाने पर आरोपी थमीम अंसारी का, उक्त मोबाईल नंबर से शेष आरोपीगण के सम्पर्क में रहना पाया गया।

146. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि आरोपी थमीम अंसारी की फेसबुक अकाउण्ट का विवरण, जिसमें उसकी फ्रेण्ड लिस्ट एवं अन्य जानकारी संधारित थी, साईबर सेल प्रभारी के माध्यम से सोशल नेटविर्कंग साईट से आरोपी थमीम

अंसारी एवं उक्त साक्षी (अ.सा.1) की उपस्थिति में निकालकर सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी तैयार की गयी थी, जिसे धारा 65बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्रदाय किया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी थमीम अंसारी की प्रकरण के अन्य आरोपी अजयसिह से हुई बातचीत के संबंध में सीडीआर एवं मोबाईल टावर लोकेशन का अवलोकन कर गोशवारा प्रदर्श पी–176 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी एव आरोपी अजयसिंह के बीच पैसों के लेनदेन के संबंध में बैंक स्टेटमेंण्ट का अवलोकन किया था और दोनों आरोपी के बीच एवं फरार आरोपी सनील वी सैम्यूल के साथ भी लेनदेन होना पाया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी के वाहन टी.एन.38 ए.सी.300 के आगरा से म0प्र0 होते हुये चैन्नई जाने के संबंध में टोलनाका की रिपोर्ट भी प्राप्त की थी।

147. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसने आरोपी थमीम अंसारी से संबंधित चैन्नई से प्राप्त पूर्व आपराधिक रिकार्ड, प्रभारी राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल के माध्यम से प्राप्त कर प्रकरण में संलग्न किया है, जो डीआरआई के द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि है। उल्लेखनीय है कि उक्त संबंध में विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य की कंडिका 469 में आरोपी थमीम अंसारी के दो आपराधिक रिकॉर्ड प्रदर्श पी 439 (75 पेज) तथा प्रदर्श पी 440 (60 पेज) प्राप्त किया जाना बताया है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी के बैंक एकाउण्ट की के.वाई.सी प्रदर्श पी–451 तथा एक्सेस बैंक के बैंक स्टेटमेंण्ट प्रदर्श पी–452, बैंक एकाउण्ट की के.वाई.सी प्रदर्श पी–453 है एवं एक्सेस बैंक का एकाउण्ट डिटेल प्रदर्श पी–454, आरोपी थमीम अंसारी के वाहन मर्सडीज टी एन 38 ए सी 300 की टोलनाका की सी.सी.टी.व्ही. फुटेज प्राप्त करने की जानकारी के संबंध में लेख पत्र प्रदर्श पी–455, उक्त पत्र के संबंध में प्राप्त जानकारी प्रदर्श पी–456, आरोपी थमीम अंसारी के अन्य आरोपीगण से अवैध कछुओं के व्यापार के संबंध में किये गये कॉल डिटेल रिकार्ड की नेट प्रति प्रदर्श पी–457 है (कंडिका 617)। उक्त साक्षी (अ.सा–1) ने कंडिका 631 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी थमीम अंसारी व उसकी पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट से संबंधित प्रपत्र प्रदर्श पी 458 है (कुल 04 पेज)।

148. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) के द्वारा आरोपी थमीम अंसारी के संबंध में की गयी संपूर्ण कार्यवाही के संबंध में किये गये उक्त कथनों का पूर्ण समर्थन करते हुए साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.8) की साक्ष्य से होता है, जिसमें उसने आरोपी थमीम अंसारी के गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 409, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 410, आरोपी थमीम अंसारी के कथन प्रदर्श पी 162, आरोपी थमीम अंसारी द्वारा की गयी फोटो पहचान कार्यवाही प्रदर्श पी 165 लगायत प्रदर्श पी 170, वाहन पहचान पंचनामा प्रदर्श

पी 171, पहचान पंचनामा प्रदर्श पी 172 व 173, दिनांक 15.10.17 को की गयी वाहन जप्ती का जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 401 सी कार्यवाही का पंचनामा प्रदर्श 402सी, तथा आरोपी द्वारा वाहन जप्ती के संबंध में दी गयी सहमति का पंचनामा प्रदर्श पी 411सी (संशोधित क्रमांक प्रदर्श पी 411'एसी') की कार्यवाही स्वयं के समक्ष किया जाना बताते हुए उक्त दस्तावेजों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है और उनपर आरोपी थमीम अंसारी के हस्ताक्षर होना भी बताये है, साथ ही साक्षी (अ.सा.8) ने तत्संबंध में विवेचक साक्षी द्वारा लिये गये उसके कथन प्रदर्श पी 164 पर भी स्वयं के तथा आरोपी थमीम अंसारी के हस्ताक्षर होना पहचाना है।

149. आरोपी थमीम अंसारी के संबंध में की गयी कार्यवाही प्रदर्श पी 411ए, जो आरोपी थमीम अंसारी के वाहन मर्सडीज वेंज का पंचनामा है, को अपने हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए साक्षी प्रीतम अहिरवाल (अ.सा.13) ने बताया है कि उक्त पंचनामा तैयार करते समय आरोपी थमीम अंसारी ने यह बताया था कि वह सह आरोपी अजय से लाल तिलकधारी कछुआ लेकर उक्त वाहन में आगरा से चैन्नई आया था, साक्षी के अनुसार उक्त आरोपी थमीम अंसारी बवीना टोलटैक्स झांसी पर प्राप्त किये गये फुटेज के आधार पर पकडा गया था।

150. इसी प्रकार विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए अन्य साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) ने व्यक्त किया है कि आरोपी थमीम अंसारी से प्राप्त जानकारी एवं उसके द्वारा बताये गये मोबाइल क्रमांक 8056109242 एवं 99940557996 के संबंध में सीडीआर संबंधी साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र उसने जारी किया था, जो प्रदर्श पी–398, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.6) के द्वारा आरोपी थमीम अंसारी से प्राप्त जानकारी एवं उसके द्वारा बताये गये सोशल नेटवर्किंग साईट के माध्यम से अन्य आरोपीगण से कछुआ एवं उनके अवयवों के व्यापार के संबंध में संचालित फोटोप्रति निकालकर दी गई थी तथा उक्त के संबंध में साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–399 जारी किया गया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा. 6) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा सोशल नेटवर्किंग साईट के माध्यम से प्राप्त संलग्न छायाचित्र आर्टिकल–ए24 एवं आर्टिकल–ए25 है, जिनमें उसके द्वारा फेसबुक से प्राप्त फोटो को एक साथ संग्रह किया गया है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी (अ.सा.6) के अनुसार उसके समक्ष आरोपी थमीम अंसारी से वन्य प्राणी अपराध में संलिप्त वाहन क्रमांक टी.एन. 38 एसी 0300 काले रंग की वन रक्षक राहुल विश्कर्मा द्वारा जप्त कर प्रदर्श पी 401 का जप्ती पंचनामा तैयार किया गया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी थमीम अंसारी के हस्ताक्षर हैं, उक्त पंचनामा की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 402 है क्योंकि मूल जप्ती वाहन की राजसात कार्यवाही में संलग्न है।

151. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुए प्रीतम अहिरवाल (अ.सा.13) ने व्यक्त किया है कि उसने आरोपी थमीम अंसारी के वाहन मर्सडीज़ वेन्ज टीएन 38 एसी 300 के संबंध में प्रदर्श पी 411ए का पंचनामा बनाया था, जो दिनांक 13.10.2017 को समक्ष गवाहान वीरसिंह जाट, राहुल, आरती शर्मा एवं आरोपी थमीम अंसारी की उपस्थिति में तात्कालीन प्रकरण प्रभारी सुश्री श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की उपस्थिति टीएसएफ कार्यालय सागर में लेख किया गया था। उक्त साक्षी (अ.सा.13) के अनुसार उक्त पंचनामा तैयार करते समय आरोपी थमीम अंसारी ने बताया था कि आरोपी थमीम सह आरोपी अजय से लाल तिलकधारी कछुआ अपने उक्त वाहन में आगरा से चैन्नई लेकर आया था। उक्त आरोपी को वबीना टोल टैक्स झांसी पर प्राप्त किये गये फुटेज के आधार पर पकड़ा गया था।

152. अभियोजन कथा एवं विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए बैंक मैनेजर साक्षी बी प्रीथी (अ.सा.24) ने व्यक्त किया है कि वह एक्सिस बैंक purasawalkam ब्रांच चैन्नई में ब्रांच हेड के पद पर 27.05.2020 से पदस्थ है और वह खाताधारक आरोपी थमीम अंसारी के खाता क्रमांक 916010003478713, 916010014119058 एवं 915010041603334 के दिनांक 01.07.2016 से दिनांक 24.06.2017 तक के स्वहस्ताक्षरित एकाउंट स्टेटमेंट की सत्यप्रतिलिपि लेकर न्यायालय में उपस्थित हुई है, जिसके संबंध में पूर्व में भी उसकी ब्रांच द्वारा एकाउंट स्टेटमेंट रीतेश सिरोठिया (अ.सा.17) के पत्र दिनांक 17.07.2017 के माध्यम से मांगे जाने पर संबंधित को प्रदान किये गये थे। उक्त साक्षी (अ.सा.24) के अनुसार पूर्व में प्रदान किये गये बैंक स्टेटमेंट क्रमशः 452, प्रपी 454, एवं प्रपी 458 के संलग्नक स्केन दस्तावेज 25/11 से 29/11 हैं, जो प्रपी 458'ए' लगायत प्रपी 458'ई' हैं, जिन्हें पूर्व प्रदर्शित दस्तावेज प्रपी 452, प्रपी 454, तथा प्रपी 458 के संलग्नक के रूप में संलग्न किया गया। उक्त साक्षी (अ.सा.24) ने यह भी व्यक्त किया है कि वह आरोपी थमीम अंसारी की पत्नी शबाना आसमी के एकाउंट नंबर 915010041603334 के एकाउंट ओपनिंग फॉर्म, जो प्रपी 458 है, के संलग्नक दस्तावेजों को तथा पूरे फॉर्म की सत्यप्रतिलिपि लेकर उपस्थित हुई है। उक्त साक्षी (अ.सा.24) के अुनसार आरोपी थमीम अंसारी के संबंध में रीतेश सिरोठिया (अ.सा.17) द्वारा मांगे गये एकाउंट स्टेटमेंट का कथित पत्र की सत्यप्रतिलिपि प्रपी 474 है, तथा संबंधित एकाउंट के संबंध में प्रस्तुत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रपी 475, और आरोपी थमीम अंसारी की पत्नी शबाना आसमी के एकाउंट ओपनिंग फॉर्म तथा उससे संलग्न दस्तावेज (कुल पेज पांच) प्रपी 458'ए1' लगायत प्रपी 458'ए10' हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.24) के अनुसार आरोपी थमीम अंसारी के एकाउंट ओपनिंग फॉर्म तथा उससे संलग्न दस्तावेज (कुल पेज तीन) प्रपी 453'ए' लगायत प्रपी 453'एफ' हैं, जो पूर्व से प्रदर्शित प्रपी 453 का संलग्नक है।

153. साक्षी बी.प्रीथी (अ.सा.24) ने व्यक्त किया है कि आरोपी थमीम अंसारी के एकाउंट नंबर 916010003478713 के एकाउंट ओपनिंग फॉर्म जिसे प्रपी 451 के संलग्नक दस्तावेज तथा उक्त पूरे फॉर्म की सत्यप्रतिलिपि प्रपी 451'ए' लगायत प्रपी 451'ई' हैं, जो पूर्व से प्रदर्शित प्रपी 451 के साथ संलग्न हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.24) के अनुसार खाता क्रमांक 916010003478713 आरोपी थमीम अंसारी एस निवासी 45, 5–2 क्रॉस स्ट्रीट 5th मेन रोड बी ब्लॉक थनिकाचलम नगर पोन्नीअम्मन मेड्सी चैन्नई तमिलनाडु पिन कोड 600110 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 8056109242 के नाम से है तथा खाता क्रमांक 916010014119058 आरोपी थमीम अंसारी एस निवासी 45, 5–2 क्रॉस स्ट्रीट 5th मेन रोड बी ब्लॉक थनिकाचलम नगर पोन्नीअम्मन मेड्सी चैन्नई तमिलनाडु पिन कोड 600110 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 8056109242 के नाम से है, जबकि खाता क्रमांक 915010041603334 मिसेज शबाना आसमी ज्वाइंट होल्डर आरोपी थमीम अंसारी एस निवासी 45, 5–2 क्रॉस स्ट्रीट 5th मेन रोड बी ब्लॉक थनिकाचलम नगर पोन्नीअम्मन मेड्सी चैन्नई तमिलनाडु पिन कोड 600110 रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर 9962718004 के नाम से है।

154. आरोपी थमीम अंसारी के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी थमीम अंसारी के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा. 8), प्रीतम अहिरवाल (अ.सा. 13), अनिल यादव (अ.सा. 6), बी प्रीथि (अ.सा. 24) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

155. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि तत्समय फरार आरोपी मोहम्मद इरफान की तलाश जारी थी, तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, सागर एवं राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, भोपाल की संयुक्त टीम द्वारा विशेष न्यायालय, सागर के गिरफ्तारी वारण्ट के परिपालन में आरोपी मोहम्मद इरफान को लखनउ उत्तरप्रदेश स्थित रंजीश होटल के पास गिरफ्तार किया किया। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार मौके पर आरोपी मो0 इरफान की तलाशी के दौरान एक नग मोबाईल, एप्पल आईफोन 6 एस. जप्त किया गया और मौके पर मौका पंचनामा तैयार किया गया था। इस साक्षी ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि जप्ती, गिरफ्तारी एवं गिरफ्तार की सूचना के उपरांत आरोपी मोहम्मद इरफान को लखनउ की न्यायालय से ट्रांजिट रिमाण्ड में प्राप्त कर क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर को रवाना हुई थी।

156. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने व्यक्त किया कि विशेष न्यायालय, सागर के समक्ष आरोपी मोहम्मद इरफान को पेश कर उसकी पुलिस/फारेस्ट रिमाण्ड पूछतांछ एवं अग्रिम जांच हेतु प्राप्त की गयी तथा आरोपी मो0 इरफान से राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स, भोपाल द्वारा साक्षीगण के समक्ष अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत पूछताछ कर कथन अभिलिखित किये गये थे, जिसमें आरोपी मोहम्मद इरफान ने बताया था कि वह उसके भाई आरोपी मोहम्मद सुल्तान के साथ वर्ष 2010 से लाल तिलकधारी कछुआ एवं अन्य प्रजाति के कछुआ मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से खरीदकर व्यापार करता है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो0 इरफान ने उसके कथन में यह भी बताया था कि वर्ष 2010 में ही कोलकाता निवासी फरार आरोपी विनोद थेवर के माध्यम से उसकी पहचान आरोपी मन्नीवन्नन से कछुओं का व्यापार करने के कारण हुई थी और तब से वह मन्नीवन्नन के साथ मिलकर लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश से खरीदकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने लगा था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो0 इफरान ने अपने बयान में यह भी बताया था कि व्यापार करने के दौरान कछुओं के व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों फरार आरोपी तारक घोष एवं आरोपी तपस बसाक उर्फ रोनी से उसकी मुलाकात हुई थी, तथा वह फेसबुक के माध्यम से आगरा निवासी आरोपी अजयसिंह से भी कछुओं के व्यापार के संबंध में जानकारी प्राप्त किया था, जिससे वह संपर्क कर कछुओं का व्यापार आरोपी मन्नीवन्नन के साथ करने लगा।

157. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने उसके न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया कि आरोपी मो0 इरफान ने उसके बयान में यह बताया था कि वह लाल तिलकधारी कछुये आरोपी अजयसिंह, आरोपी तपस बसाक एवं फरार आरोपी तारकघोष से 5000/–– 10,000/–रूपये प्रतिनग के हिसाब से एवं अन्य प्रजाति के कछुये 1000/–रूपये से 2000/–रूपये प्रतिनग के हिसाब से आरोपी मन्नीवन्नन के लिये खरीदने लगा था, एवं खरीदे हुये इन कछुओं को वह गिनती करके पैकिंग कर ट्रेन के माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन के पास चैन्नई भेजता था, जिनका आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार किया जाता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो0 इरफान ने उसके बयान में यह बताया कि वह उक्त कछुओं का अंतरराष्ट्रीय बाजार में तीन रास्तों के माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन के साथ व्यापार करता था, जिनमें से पहला रास्ता वह था, जिसमें मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश के लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये, आरोपी अजयसिंह, आरोपी तपस बसाक उर्फ रोनी एवं फरार आरोपी तारकघोष से खरीदकर कानपुर या लखनउ या सीधे कोलकाता

डम्प किये जाते थे और उक्त कछुओं को उसके (आरोपी मो. इरफान) के द्वारा गिन कर पैंकिंग कर ट्रेन के माध्यम से चैन्नई भेजा जाता था, जहां से आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा चैन्नई से मदुरई होते हुये उक्त कछुये कन्याकुमारी बाई रोड एवं जलीय मार्ग से श्रीलंका भेजे जाते थे, एवं श्रीलंका से उक्त कछुए आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा मलेशिया होते हुये हांगकांग के रास्ते चीन ले जाये जाते थे, जिसमें एम.टी., बैंकाक के द्वारा भी आरोपी मन्नीवन्नन का सहयोग किया जाता था।

158. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी मो. इरफान ने उसके कथन में यह भी बताया था कि दूसरे रास्ते से एकत्रित किये हुये लाल तिलकधारी कछुये, आरोपी अजयसिंह, उसका एजेंण्ट आरोपी रामसिंह उर्फ भोला एवं आरोपी मोहम्मद इकरार के माध्यम से कोलकाता से गया बाई ट्रेन से पहुंचाये जाते थे, जहां से उक्त लाल तिलकधारी कछुये गया से बैंकांक के रास्ते आरोपी मन्नीवन्नन के पास आरोपी मन्नीवन्नन के एजेंण्ट फरार आरोपी रजनीकांत ओझा के द्वारा गया से बैंकांक सीधे एरोप्लेन के माध्यम से पहुंचाये जाते थे। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उसे आरोपी मो. इरफान ने उसके बयान में यह भी बताया था कि वर्ष 2014 में आरोपी मन्नीवन्नन का एजेंण्ट फरार आरोपी रजनीकांत ओझा उक्त दूसरे रास्ते में कछुओं के परिवहन के दौरान बैंकाक में पकड़ा गया था, तब फरार आरोपी रजनीकांत ओझा को आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा छुड़वाया गया था।

159. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी मो. इरफान के अनुसार तीसरे रास्ते से खरीदे हुये लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये कोलकाता से पैंकिंग होने के बाद, वनगांव निवासी आरोपी शेखरदास, फरार आरोपी खोकनशाह एवं फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी बंगलादेश के एजेंण्ट के माध्यम से बंगलादेश एवं भारत का बार्डर क्रास करवा कर फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी बंगलादेश तक पहुंचाये जाते थे, और उन्हें फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश एवं फरार आरोपी रहमान तालुकदार निवासी बंगलादेश के माध्मय से बंगलादेश (ढाका) से मलेशिया में एयरपोर्ट पर आरोपी मन्नीवन्नन तक पहुंचाते थे, फिर उक्त कछुओं का आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा मलेशिया से बैंकांक, होंगकांग होते हुये चीन के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच दिया जाता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसे आरोपी मो0 इरफान ने बयान में यह भी बताया कि वह उक्त लाल तिलकधारी कछुए प्रतिनग एक हजार से दो हजार डॉलर के हिसाब से एवं अन्य प्रजाति के कछुये 100 से 200 / –रूपये प्रति डालर के हिसाब से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बेचे जाते हैं तथा इसका प्रचार प्रसार फेसबुक, ईमेल, वी चैट एवं वॉट्सएप के माध्यम से संचालित कर किया जाता था।

160. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो0 इरफान ने यह भी बताया कि उक्त कछुओं की खरीद फरोख्त आरोपी अजयसिंह, फरार आरोपी तारकघोष, आरोपी तपस बसाक एवं अन्य लोगों के साथ नेटबैंकिंग के माध्यम से एवं नगद भी की जाती थी और वह वर्ष 2013 में आरोपी तपस बसाक उर्फ रोनी के साथ कछुओं सहित कोलकाता एयरपोर्ट पर चेन्नई जाते समय पकड़ा गया था। आरोपी इरफान के अनुसार वर्ष 2014 में भी वह, उसके भाई आरोपी मो. सुल्ताल और आरोपी तारकघोष के साथ भी लगभग 1400 कछुओं के साथ पकड़ा गया था, आरोपी मो. इरफान के अनुसार कछुओं के अवैध व्यापार में आरोपी मन्नीवन्नन के अलावा आरोपी थमीम अंसारी एवं फरार आरोपी सनील वी सैम्यूल भी संलिप्त हैं, जिनके द्वारा लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये आरोपी अजयसिंह से खरीदे जाते हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो. इरफान ने उसके बयान में यह भी बताया कि लाल तिलकधारी कछुओं की मांग अधिक होने के कारण आरोपी मन्नीवन्नन के कहने पर आरोपी मोहम्मद इरफान वर्ष 2016 में आगरा आया हुआ था और वह आगरा में आरोपी अजयसिंह के द्वारा बुक किये गये होटल वेड्रम ग्रेंड होटल आगरा में रूका था और उसी दौरान आरोपी अजयसिंह के साथ 20 अप्रैल 2016 को आरोपी अजयसिंह की गाड़ी यू.पी.18 9101 से देवरी इको सेंटर मुरैना, जहां पर घड़ियाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, में भ्रमण करने गया था, और तब आरोपी अजयसिंह ने उक्त अभ्यारण्य में आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के बारे में बताया था कि उक्त आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से आरोपी अजयसिंह की अच्छी जान–पहचान है, और वह उससे कछुआ एवं क्रोकोडाईल खरीदता है।

161. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो. इरफान ने उसके बयान में यह भी बताया था कि देवरी ईको सेंटर मुरैना भ्रमण के समय आरोपी अजयसिंह ने आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से 20 नग लाल तिलकधारी कछुये खरीदकर उसे (मो0 इरफान को) दिये थे, जिसका नगद पेमेंण्ट चालीस हजार तथा बाकी शेष अस्सी हजार रूपये का पेमेंण्ट वापिस कोलकाता आने पर नेट बैंकिंग के माध्यम से किया गया था और वह उक्त कछुओं को पैकिंग करके कोलकाता लेकर आया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो. इरफान ने अपने बयान में यह भी बताया कि वह उक्त कछुओं के व्यापार के सिलसिले में आरोपी मन्नीवन्नन के नाम से होटल एप्पल रेसीडेंसी चैन्नई में बुक रूम नंबर 402 में आरोपी मन्नीवन्नन से मिलने के लिये रूका था तथा कछुओं के व्यापार के सिलसिले में चैन्नई के अलावा वह ढाका, बैंकांक एवं हांगकांग भी प्रवास किया है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि उसने आरोपी मोहम्मद इरफान के उक्त कथन साक्षीगण की उपस्थिति में आरोपी के बताये अनुसार लेखबद्ध कराये गये थे, जो प्रदर्श पी–177 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी और साक्षीगण ने भी

उक्त पर उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो. इरफान के कथन लेखबद्ध किये जाने की कार्यवाही में उपस्थित साक्षीगण राहुल विश्वकर्मा, आरती शर्मा के कथन भी उनके बताये अनुसार आरोपी की उपस्थिति में उसके द्वारा लेखबद्ध किये थे, जो क्रमशः प्रदर्श पी–178 एवं पी–179 हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा साक्षीगण व आरोपी ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

162. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने व्यक्त किया है कि उसने आरोपी मोहम्मद इरफान के द्वारा प्रकरण के अन्य, आरोपी अजयसिंह, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा, फरार आरोपी सनील वी सेम्यूल, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी मोहम्मद इकरार, फरार आरोपी मोहम्मद सुल्तान, फरार आरोपी विनोद थेबर, आरोपी मन्नीवन्नन, शिंबु, एम.टी., आरोपी थमीम अंसारी, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश, फरार आरोपी तारकघोष की फोटोग्राफ की पहचान का शिनाख्तगी पंचनामा साक्षीगण की उपस्थिति में तैयार किया था, जो क्रमशः प्रदर्श पी–180 लगायत प्रदर्श पी–192 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी व साक्षीगण ने भी उन पर हस्ताक्षर किये। विवेचक साक्षी (अ. सा.1) के अनुसार उक्त शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी 180 लगायत प्रदर्श पी 192 में सह आरोपीगण की पहचान करते हुए आरोपी मो. इरफान ने लेख कराया कि उक्त आरोपीगण उसके साथ वन्य जीव कछुओं की अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्त थे।

163. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसने साक्षीगण के समक्ष आरोपी मोहम्मद इरफान से प्रकरण में जप्तशुदा लाल तिलकधारी कछुओं के फोटोग्राफ दिखाकर प्रदर्श पी–193 का पहचान पंचनामा तैयार किया था, जिसमें आरोपी मोहम्मद इरफान ने लाल तिलकधारी कछुओं की पहचान कर यह बताया था कि वह प्रकरण के अन्य आरोपीगण के साथ कछुओं के अवैध खरीद फरोख्त में संलिप्त रहा है, साक्षी के अनुसार उसने अन्य प्रजाति ईस्टर्न हील टेरापीन प्रजाति के कछुये का फोटोग्राफ भी आरोपी मो0 इरफान को दिखाकर फोटो पहचान पंचनामा प्रदर्श पी–194 तैयार किया था, इसी प्रकार आरोपी मो. इरफान को आगरा स्थित बैंडम ग्रांड होटल का फोटोग्राफ दिखाकर शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–195 बनाया गया था, जिनपर उसके एवं आरोपी के हस्ताक्षर हैं, जिसके संबंध में आरोपी मो. इरफान ने यह लेख कराया है कि उक्त होटल में वह प्रकरण के अन्य आरोपी अजयसिंह से कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में मिलने के लिये ठहरा था।

164. साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने कथन में यह भी व्यक्त किया कि उसने आरोपी मोहम्मद इरफान से चैन्नई स्थित होटल एप्पल रेसींडेंसी का फोटो दिखाकर प्रदर्श पी–196 का शिनाख्तगी पंचनामा तैयार किया है, जिसमें आरोपी द्वारा पहचान कर यह बताया गया था कि वह प्रकरण के अन्य आरोपी

मन्नीवन्नन के नाम से उक्त होटल में बुक रूम 402 में कछुओं के अवैंध व्यापार के संबंध में ठहरता था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी मो. इरफान को कोलकाता स्थित द ग्रेंड ओवेरॉय होटल का फोटो दिखाया था, जिसके संबंध में आरोपी मो. इरफान ने यह पहचाना था कि वह प्रकरण के अन्य आरोपी आरोपी अजयसिंह से दिनांक 09.05.2016 को उक्त होटल में मिला था, और उक्त होटल में आरोपी अजयसिंह कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में रूकता था और अन्य आरोपीगण से सम्पर्क करता था, साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उक्त होटल का फोटो शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–197 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

165. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने यह व्यक्त किया कि उसने आरोपी मोहम्मद इरफान से जप्त मोबाईल एप्पल आईफोन एस–6 से ईको सेंटर घड़ियाल अभ्यारण्य देवरी जिला मुरैना में भ्रमण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ् का प्रिंटआउट आरोपी के समक्ष उसके मोबाइल से निकाला था और उक्त फोटो शिनाख्तगी आरोपी मो. इरफान से करायी थी, जिसका पंचनामा प्रदर्श पी–198 एवं 199 हैं, जिसपर उसके व आरोपी के हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी मोहम्मद इरफान से जप्त मोबाईल को फोरेंसिक जांच हेतु सी.एफ.एस.एल.हैदराबाद भेजा गया था, जिसकी जांच रिपोर्ट एवं मोबाईल न्यायालय में पेश है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) अनुसार उसने आरोपी मोहम्मद इरफान से लाल तिलकधारी कछुओं के अवैध व्यापार में संलिप्त अन्य आरोपीगण के संबंध में आरोपी के कथन के आधार पर एक लिंकचार्ट आरोपी की उपस्थिति में तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी 200 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उसने राष्ट्रीय राजमार्ग पाथ इंडिया लिमिटेड 76 माल रोड मउ इंदौर से प्रदर्श पी–201 का पत्र लिखकर आरोपी अजय के वाहन क्रमांक–यू.पी.80डी.आर.9101 की सी.सी.टी.व्ही.फुटेज की रिकार्डिंग की साफ्ट कापी एवं हार्ड कापी मांगी थी, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ. सा.1) के अनुसार उसके द्वारा वन मंडल अधिकारी मुरैना को प्रदर्श पी–202 का पत्र लिखकर दिनांक 18.04.2016 से दिनांक 20.04.2016 तक घड़ियाल ईको सेंटर देवरी मुरैना में संधारित पर्यटक रजिस्टर की सत्यप्रति चाही गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में गेम रेंज रेंजर, देवरी जिला मुरैना द्वारा पर्यटक ऐटी रसीद क्रमांक 26875 से 26899 तक दिनांक 18.04.2016 से दिनांक 20.04. 2016 तक की छायाप्रति की सत्यप्रति भेजी गई।

166. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी–203 का पत्र लेख कर होटल मैंनेजर वेंडम ग्रेड होटल आगरा से दिनांक 18.04.2016 से दिनांक 21.04.2016 तक आरोपी मोहम्मद इरफान के संबंध में आगंतुक रजिस्टर में एंट्री के संबंध में जानकारी एवं सी.सी.टी.व्ही. रिकार्डिंग चाही गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में होटल मैंनेजर बेंडम ग्रेड

आगरा द्वारा एन्ट्री के संबंध में आरोपी मोहम्मद इरफान के नाम से सत्यापित दस्तावेज दिये गये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी–204 का पत्र लेख कर आरोपी मोहम्मद इरफान की पत्नि के बैंक अकाउण्ट से संबंधित ब्यौरा शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई.बैंक ब्रांच डिम्पल पैट्रोल पम्प सागर से चाहा गया था, जिसके प्रतिउत्तर में बैंक मैंनेजर द्वारा तबस्सुम खातून के बैंक अकाउण्ट की समरी दिनांक 30.03.2015 से दिनांक 30.06.2017 तक की प्रदान की थी, जिसके अवलोकन से यह पाया गया कि आरोपी मो. इरफान के द्वारा आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी मन्नीवन्नन के साथ पैसों का लेनदेन किया गया है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी–205 का पत्र लेखकर आरोपी मोहम्मद इरफान के अन्य अकाउण्ट के संबंध में शाखा प्रबंधक आई.सी.आई.सी.आई बैंक ब्रांच डिम्पल पैट्रोल पम्प सागर से जानकारी चाही गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में शाखा प्रबंधक द्वारा तबस्सुम खातून के अकाउण्ट की समरी दिनांक 14.12.2012 से दिनांक 15.12.2017 तक प्रदान की गई थी, जिसके अवलोकन में यह पाया गया कि आरोपी मोहम्मद इरफान के द्वारा उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी अजयसिंह एव आरोपी मन्नीवन्नन के साथ पैसों का लेनदेन हुआ था। साक्षी (अ.सा–1) के अनुसार तब्बसुम खातून का ज्वाइंट खाता आरोपी मो. इरफान के साथ था जो प्रदर्श पी 490 से दर्शित होता है (कंडिका 659)।

167. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने उसके न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि उसने प्रदर्श पी–206 का पत्र लेखकर आरोपी मोहम्मद इरफान के अन्य खाते के संबंध में जानकारी प्राप्त करने हेतु उसके द्वारा शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, सिविल लाईन ब्रांच, सागर से जानकारी चाही थी, जिसके प्रतिउत्तर में शाखा प्रबंधक द्वारा अमिरोनिसा के नाम से संचालित बैंक अकाउण्ट की समरी दिनांक 02.07.2010 से दिनांक 27.01.2012 तक प्रदान की गई थी। विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मो. इरफान की मेल आई डी से प्रकरण के अन्य आरोपी मन्नीवन्नन को किये गये मेल के संबंध में राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल के साईबर सेल प्रभारी द्वारा दोनों आरोपीगण के मध्य मेल से की गई बातचीत की प्रिंट आउट आरोपी मो. इरफान की उपस्थिति में निकाली गयी थी, जिसके अवलोकन से पाया गया कि आरोपी मो. इरफान के चैन्नई, ढाका एवं अन्यत्र स्थान के प्रवास के ट्रेन एवं एयर टिकिट तथा कछुओं के व्यापार के संबंध में पैसों के लेनदेन संबंधी दस्तावेज हैं, जो आरोपी तपश बसाक उर्फ रोनी एवं फरार आरोपी तारकघोष को प्रदाय किये गये थे, उक्त ई–मेल से निकाले गये प्रिंट आउट प्रदर्श पी–207 लगायत 255 हैं, जिसके संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है।

168. विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मो. इरफान के

मोबाईल नंबर की सी.डी.आर. की सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी उसके द्वारा प्राप्त कर उसके अवलोकन से पाया गया था कि आरोपी मो. इरफान की बातचीत उक्त प्रकरण में संलिप्त आरोपी अजयसिंह, आप आरोपी मन्नीवन्नन, फरार आरोपी तारकनाथ घोष, आरोपी थमीम अंसारी के साथ लगातार होती थी। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन की कंडिका 112 में यह व्यक्त किया है कि आरोपी मो. इरफान के मोबाईल नंबर 9176371047 व आरोपी मो. इरफान की मंगेतर तबस्सुम खातून के मोबाईल नंबर 8910952636 की जानकारी की साफ्ट कॉपी की सी.डी. प्राप्त की थी, जो आर्टीकल ए–19 है, जिसको को संचालित किये जाने पर आरोपी मोहम्मद इरफान के उक्त मोबाईल नंबर व आरोपी मोहम्मद इरफान की मंगेतर तबस्सुम खातून के मोबाईल नंबर 8910952636 की एक्सल सीट पाई गई, एवं आरोपी मोहम्मद इरफान के मोबाईल नंबर 9038786287 एवं आरोपी अजयसिंह के मोबाईल नंबर 9412124359 से बातचीत की कॉल डिटेल एवं आरोपी मन्नीवन्नन एवं आरोपी मोहम्मद इरफान के मध्य हुये कॉल की डिटेल व आरोपी मन्नीवन्नन एवं आरोपी अजयसिंह के मध्य हुये कॉल की डिटेल पायी गयी।

169. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी मो. इरफान से जप्त मोबाईल और आईफोन 6 एस के फोरेंसिक जांच हेतु उसे डायरेक्टर सी.एफ.एल.हैदाराबाद को पत्र प्रदर्श पी–256 एवं 257 लिखकर भेजा था, जिसका प्राधिकार प्रमाण पत्र पी–258 है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कंडिका 100 में व्यक्त किया कि उसने आरोपीगण अजयसिंह, आरोपी मोहम्मद इरफान, आरोपी मन्नीवन्नन के मोबाईल के संबंध में सी.एफ.एस.एल.हैदराबाद से प्राप्त फोरेंसिक और उसके साथ संलग्न पेनड्राईव प्राप्त की थी, जिसमें आरोपी मोहम्मद इरफान के मोबाईल एप्पल आईफोन मॉडल नंबर ए–1688 आई.एम.ई.आई नंबर 355418071488758 के संबंध में प्राप्त सी.एफ.एस.एल.हैदराबाद की रिपोर्ट प्रदर्श पी–326, की साफ्ट कापी की पेन ड्राईव आर्टीकल ए–4 है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी मो. इरफान के पूर्व आपराधिक रिकार्ड की सत्यप्रतिलिपि भी प्रकरण में प्रस्तुत की है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने आरोपी मो. इरफान संबंधित सीडीआर दस्तावेज को प्रदर्श पी 444 के रूप में प्रदर्शित कराते हुए यह व्यक्त किया है कि उक्त दस्तावेज साइबर सेल के प्रभारी अनिल यादव (अ.सा. 6) के द्वारा निकाला गया था जिसका प्रमाण पत्र प्रदर्श पी 400 है।

170. विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन साक्षी प्रदीप यादव (अ.सा. 2) ने करते हुए आरोपी मो. इरफान की गिरफ्तारी प्रदर्श पी–359 और जप्ती प्रदर्श पी 360 को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है, इसी प्रकार साक्षी अनिल यादव (अ.सा. 6) ने आरोपी इरफान से संबंधित दस्तावेज प्रदर्श पी 207 लगायत 255 पर आरोपी और स्वयं के हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए यह व्यक्त किया है कि उसने आरोपी मो0 इरफान के जी.

मेल को आरोपी के समक्ष उसके द्वारा बताये गये पासवर्ड से ओपन कर प्रिंटआउट निकाला था। उक्त साक्षी (अ.सा. 6) के अनुसार प्रदर्श पी 207 लगायत 255 तथा उक्त के संलग्नकों यथा– प्रदर्श पी 212ए लगायत प्रदर्श पी 212 सी, प्रदर्श पी 215ए लगायत प्रदर्श पी 215सी, प्रदर्श पी 216ए, प्रदर्श पी 216बी, प्रदर्श पी 220ए लगायत प्रदर्श पी 220डी, प्रदर्श पी 225ए लगायत प्रदर्श पी 225एफ, प्रदर्श पी 233ए, 233बी, प्रदर्श पी 235ए लगायत प्रदर्श पी 235एफ, प्रदर्श पी 242ए लगायत प्रदर्श पी 242डी, प्रदर्श पी 247ए लगायत प्रदर्श पी 247एफ, प्रदर्श पी 251 लगायत प्रदर्श पी251सी, प्रदर्श पी 252ए, 252बी तथा प्रदर्श पी 255ए के डी से डी भाग पर आरोपी मो0 इरफान के बताये अनुसार उसके समक्ष टीप अंकित की गयी थी, जिसपर आरोपी एवं साक्षी ने हस्ताक्षर किये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने कंडिका 476 में तब्बसुम खातून के कथन अंतर्गत धारा 164 द.प्र.स. को प्रदर्श पी 441 के रूप में प्रदर्शित कराया है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार फॉरेंसिक लैब हैदराबाद द्वारा पेनड्राइव खाली रूप से प्राप्त करने की पावती प्रदर्श पी 442 (कंडिका 495) ।

171. साक्षी अनिल यादव (अ.सा. 6) ने विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया है कि उसने प्रकरण में संलिप्त आरापीगण के मोबाईल नंबर 9038786287, 8910952636, 9962245961 एवं 9176371047 की सीडीआर को मूल रूप से बिना हेरफेर किये कार्यलयीन कम्प्यूटर से शासकीय मेल आईडी से प्राप्त कर शासकीय प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल कर जांचकर्ता प्रभारी अधिकारी (अ.सा. 1) को दिये थे, जिसके संबंध में इस साक्षी द्वारा जारी किया गया साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्र.पी. 400 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ. सा. 6) के अनुसार उसके द्वारा प्रकरण के आरोपी मो. इरफान से जप्त मोबाईल एपल आईफोन आईएमईआई 355418071988758 की फोरेंसिक रिपोर्ट से प्राप्त ऑडियो / वीडियो / टेक्स्ट डेटा का अपराध से संबंधित गोशवारा प्रतिवेदन प्रदर्श पी–404 तैयार कर प्रकरण की प्रभारी जांचकर्ता अधिकारी (अ.सा. 1) को दिया था, जिसके साथ 10 पेज संलग्न हैं, जिसके प्रत्येक पेज पर उसके हस्ताक्षर हैं।

172. विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी राहुल विश्कर्मा (अ.सा. 8) ने दिनांक 25.01.2018 को आरोपी मो. इरफान के संबंध में की गयी आरटीएफएफ और एसटीएसएफ की संयुक्त टीम द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही को अपनी साक्ष्य में शब्दशः दोहराते हुए मौका पंचनामा प्रदर्श पी 412, जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 360 और 413, और आरोपी इरफान के कथन प्रदर्श पी 177, फोटो शिनाख्तगी प्रदर्श पी 180 लगायत प्रदर्श पी 199 को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है तथा उक्त जप्ती प्रदर्श पी 360 अनुसार जप्त मोबाइल एप्पल आई फोन 6एस को आर्टिकल ए–31 तथा लिफाफा जिसमें आर्टिकल ए31 सील किया गया था, को आर्टिकल ए32 तथा

आरोपी इरफान से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 413 अनुसार जप्त कम्बोडियन मुद्रा 500/–रूपये तथा नेपाली मुद्रा 10/– रूपये को आर्टिकल ए33 और जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 413 के बिन्दु क्रमांक 3 और 4 पर उल्लेखित क्रमशः ऐयर ऐशिया टिकिट क्वालालंपुर से न्यौहपैन, एक नग कागज जिसमें अमेरिकन डॉलर का हिसाब–किताब लेख है, को क्रमशः आर्टिकल ए–34 और ए–35 के रूप में प्रदर्शित कराया था। उक्त साक्षी (अ.सा. 8) ने स्वयं के समक्ष आरोपी मो. इरफान के लिये गये कथन प्रदर्श पी 177 के संबंध में स्वयं के द्वारा प्रदर्श पी 178 के कथन लेख कराना व्यक्त किया है और उस पर अपने हस्ताक्षर स्वीकारे हैं।

173. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन कार्यवाही के अन्य साक्षी महिपालसिंह (अ.सा. 9) की साक्ष्य से भी होता है जिसने आरोपी इरफान के संबंध में दिनांक 25.01.2018 को संयुक्त टीम द्वारा की गयी कार्यवाही में स्वयं के सम्मिलित होने का तथ्य व्यक्त करते हुए कार्यवाही संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी 359 की गिरफ्तारी, प्रदर्श पी 412 के मौका पंचनामा, प्रदर्श पी 360 व 413 की जप्ती, जप्त मोबाइल व अन्य बस्तु के आर्टिकल ए31 और ए33 लगायत ए35 को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए यह भी व्यक्त किया है कि विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के द्वारा उसके समक्ष आरोपी मो0 इरफान से अन्य आरोपी मन्नीवन्नन की उपस्थिति में पूछताछ कर आरोपी मो0 इरफान के बताये अनुसार उसके कथन लेखबद्ध कराये थे, जो प्रदर्श पी 260 (दो पेज में) हैं, जिस पर आरोपी मो. इरफान और आरोपी मन्नीवन्नन के हस्ताक्षर हैं तथा साक्षी ने भी हस्ताक्षर विवेचक साक्षी के समक्ष किये थे। आरोपी मो. इरफान के विरूद्ध विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के द्वारा व्यक्त उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए साक्षी इंदरसिंह बारे (अ.सा. 16) ने उक्त आरोपी के संबंध में संयुक्त टीम द्वारा की गयी संपूर्ण कार्यवाही को न्यायालयीन साक्ष्य में शब्दशः न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त किया है और प्रदर्श पी 412 के पंचनामा तथा प्रदर्श पी 424 के ट्रांजिट रिमाण्ड को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है।

174. अभियोजन कथा तथा उक्त संबंध में विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) के कथन का समर्थन करते हुये अभियोजन साक्षी संजय पाण्डेय (अ.सा. 19) ने यह व्यक्त किया है कि वह आईसीआईसीआई बैंक की तिलकगंज सागर ब्रांच में ब्रांच मैनेजर के पद पर पदस्थ है और खाता धारक आरोपी मो. इरफान तथा आरोपी मो. इरफान की मंगेतर तबस्सुम खातून के खाता नंबर 030501536688 का दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2017 तक का विवरण पत्र, जो प्रदर्श पी 204 के पत्र के माध्यम से विवेचक (अ.सा. 1) द्वारा मांगा गया था, को लेकर उपस्थित हुआ है, जो प्रपी 204'ए' लगायत प्रपी 204'एल' है, जिसका मिलान उक्त साक्षी के द्वारा लायी गयी दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से किया जाकर सही होना पाया गया। उक्त साक्षी संजय पाण्डेय(अ.सा. 19) के अनुसार

खाता नंबर 030501536688 तबस्सुम खातून, पता 6 / 1ए देही सीरमपुर रोड, पोस्ट ऑफिस इन्टेली थाना बेनियापुकुर कलकत्ता पश्चिम बंगाल के नाम से है। उक्त साक्षी (अ.सा. 19) ने यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी मोहम्मद इरफान के खाता नंबर 129601501807 का दिनांक 01.01.2015 से 31.12.2017 तक का विवरण पत्र प्रपी 205 के माध्यम से विवेचक (अ.सा. 1) के द्वारा चाहा गया था, जो उसके द्वारा मूल रूप में न्यायालय में साक्ष्य के दौरान पेश किया गया है, जो प्रपी 205'ए' लगायत प्रपी 205'टी' है, जिसका मिलान साक्षी के द्वारा लायी गयी तत्संबंधी दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि से सही होना पाया गया।

175. आरोपी मो. इरफान के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी मो. इरफान के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी प्रदीप यादव (अ.सा. 2), अनिल यादव (अ.सा. 6), राहुल विश्वकर्मा (अ.सा. 8), महिपाल सिंह (अ.सा.9), इंदरसिंह बारे (अ.सा.16), और संजय पाण्डे (अ.सा. 19) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

176. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि इस न्यायालय द्वारा प्रकरण में वांछित आरोपी मन्नीवन्नन वल्द मुर्गेशन के विरूद्ध जारी स्थाई गिरफ्तारी वारण्ट दिनांक 22.11.2017 के परिपालन में एस.टी.एफ. वाईल्ड लाईफ पुलिस की टीम चैन्नई गई थी, जहां पर तमिलनाडू फारेस्ट विभाग की मदद से थईअप्पा रोड पुरानी जेल चेन्नई के पास से आरोपी मन्नीवन्नन को पहचान प्रमाणित करने के उपरांत टीम के द्वारा मौके पर गिरफ्तार किया गया और मौका पंचनामा बनाया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार मौके पर ही उक्त टीप द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन से एक मोबाईल एप्पल कंपनी का एक्स–10 जप्त किया गया था और मौके पर ही आरोपी मन्नीवन्नन ने टीम को अपना कथन दिया था, जो अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत मौके पर ही टीम के द्वारा लेखबद्ध किया गया था और टीम के द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन की गिरफ्तारी कर उसके परिजनों को सूचना देकर उसे न्यायालय, सागर में प्रस्तुत करने हेतु लाया गया। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार सागर न्यायालय से आरोपी मन्नीवन्नन को पुलिस / फारेस्ट रिमाण्ड पर प्राप्त करने के उपरांत आरोपी से मोहली स्थित वन विश्राम गृह पर अधिनियम में निहित प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत साक्षियों की

उपस्थिति में पूछतांछ की गई थी।

177. विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त किया कि पूछताछ के पूर्व आरोपी मन्नीवन्नन को यह बता दिया गया था कि उसके द्वारा दिये गये कथन न्यायालय के समक्ष उसके विरूद्ध प्रस्तुत किये जायेंगे, जिस पर से उसे सजा भी हो सकती है, बावजूद इसके आरोपी मन्नीवन्नन ने अधिनियम के प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)डी) के तहत अभिलिखित किये गये उसके कथन प्रदर्श पी 259 में यह बताया कि वह वर्ष 2007 से फिश एक्वेरियम का व्यापार करता रहा है, जिसके सिलसिले में वह बैंकॉक, मलेशिया देशों से सामान खरीद–फरोख्त करता था और वह बैंकांक से विभिन्न प्रकार के जहरीले सांप भारत आयात करवाता था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके बयान में यह भीबताया कि व्यापार के उद्देश्य से वर्ष 2009 में वह कोलकाता आकर उसके चचेरे भाई फरार आरोपी विनोद के माध्यम से आरोपी मोहम्मद इरफान से मिला था, क्योंकि वर्ष 2009 में ही बैंकाक में उसने कछुओं के व्यापार के संबंध में सुना था, जिसमें फायदा अधिक होने के कारण वह कछुओं का व्यापार करने लगा था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्न ने यह भी बताया कि वह उक्त व्यापार के संबंध में फरार आरोपी रहमान तालुकदार निवासी बंग्लादेश एवं फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी ढाका बंग्लादेश, जो कि कछुओं के बहुत बड़े तश्कर थे, से व्यापार में जुड़ गया और उक्त व्यापार के दौरान उसे सबसे पहले आरोपी मोहम्मद इरफान के माध्यम से आरोपी तपश बसाक उर्फ रोनी एवं फरार आरोपी तारकघोष निवासी कोलकाता के कान्टेक्ट नंबर प्राप्त हुये थे, जिनसे उसने कछुओं के व्यापार के लिये सम्पर्क स्थापित किया था और इस प्रकार वह कछुओं का व्यापार आरोपी मोहम्मद इरफान के साथ मिलकर करने लगा था और उसने आरोपी मोहम्मद इरफान को 25000–30,000 / –रूपये मासिक सैलरी बेस पर रखा था।

178. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पेन्द्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त किया है कि आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके कथन में यह भी बताया कि उसके लिए आरोपी मो. इरफान लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये फरार आरोपी तारकनाथ घोष एवं आरोपी तपस बशाक उर्फ रोनी से खरीदकर एकत्रित करता था और फिर एकत्रित हुये कछुओं का हेल्थ चैकअप करने के बाद उन्हें पैकिंग कर स्टोर करता था, और फिर आरोपी मोहम्मद इरफान एजेंण्ट के माध्यम से उक्त कछुए चैन्नई में सप्लाई कर देता था, उक्त कार्य के लिए आरोपी मोहम्मद इरफान के द्वारा एजेंण्ट की व्यवस्था कर लाल तिलकधारी कछुये, बतागुर कचुगा, कचुगा–कचुगा, हेमंटोनी, चित्रा इंडिका एवं अन्य प्रजाति के कछुओं को खरीदा जाता था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया कि आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके कथन

में यह भी बताया था कि वह आरोपी अजयसिंह से लाल तिलकधारी कछुये खरीदकर आरोपी थमीम अंसारी के साथ मिलकर उक्त कछुओं का व्यापार करता था और उक्त कछुओं को आरोपी थमीम अंसारी के द्वारा श्रीलंका के माध्यम से मलेशिया, बैंकाक में भेजा जाता था, जहां से आरोपी मन्नीवन्नन का पार्टनर एम.टी. उक्त व्यापार में सहयोग करता था, आरोपी मन्नीवन्नन के अनुसार वह आरोपी मोहम्मद इरफान के माध्यम से आरोपी तपस बसाक उर्फ रोनी एवं फरार आरोपी तारक घोष व आरोपी अजयसिंह को पैसों का लेनदेन ई–पेमेंण्ट व नगद के माध्यम से करता था।

179. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने उसके न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि आरोपी मन्नीवन्नन ने कथन में यह भी बताया कि चैन्नई निवासी यूमिनो पेट शॉप का मालिक राजनारायण, के साथ मिलकर भी उसके द्वारा कछुओं का व्यापार किया जाता था और वे लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुओं का व्यापार तीन रास्तों के माध्यम से करते थे, जिसमें से पहला रास्ता, वह है जिसमें मध्यप्रदेश व उत्तरप्रदेश के चंबल नदी से प्राप्त लाल तिलकधारी कछुये, आरोपी अजयसिह निवासी आगरा, आरोपी तपस बसाक उर्फ रोनी एवं फरार आरोपी तारकघोष से आरोपी मोहम्मद इरफान के द्वारा एकत्रित कर लखनउ के रास्ते कानपुर लाया जाता था और फिर उन्हें ट्रेन के माध्यम से कोलकाता लाया जाता था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि उसे आरोपी मन्नीवन्नन ने यह भी बताया कि आरोपी मो. इरफान द्वारा एकत्रित किये हुये उक्त कछुओं को वह मदुरई के रास्ते कन्याकुमारी तक लाकर श्रीलंका से होते हुये मलेशिया, बैंकाक, हांगकांग पहुंचा कर चाईना के फरार आरोपी कारजन और फरार आरोपी माईक के माध्यम से विदेशों में व्यापार करता था, तथा व्यापार का दूसरा दूसरे रास्ता वह था, जिसमें देवरी ईको सेंटर जिला मुरैना से लाये गये लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के एकत्रित कछुओं को गया के रास्ते, बौद्धिजम के समय गया से बैंकाक का एयर मार्ग खुला रहने के दौरान, बैंकाक पहुंचाया जाता था, आरोपी मन्नीवन्नन के अनुसार उक्त कार्य में उसके एजेंण्ट फरार आरोपी अब्बास भाई एवं फरार आरोपी विनोद सिंह उसकी मदद करते थे, जो कि एयरलाईंस में एजेंण्ट का कार्य करते हैं।

180. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके कथन में यह भी बताया था कि वर्ष 2014 में उसका एजेंण्ट फरार आरोपी रजनीकांत ओझा निवासी कोलकाता 300 प्रतिबंधित कछुओं के साथ पकड़ा गया था, जिसे उसके (आरोपी मन्नीवन्नन) द्वारा छुड़वाया गया था, आरोपी मन्नीवन्न के अनुसार व्यापार का तीसरा रास्ता वह था, जिसमें एकत्रित किये हुये लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुय आरोपी मोहम्मद इरफान के माध्यम से बनगांव भेजे जाते थे, और फिर

फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी ढाका बंग्लादेश के एजेंण्ट आरोपी शेखरदास एवं फरार आरोपी खोकनशाह के माध्यम से उक्त कछुओं को बंग्लादेश बार्डर क्रांस कराके ढाका तक पहुंचाते थे, जहां से आरोपी मन्नीवन्न कुवालालंपुर एयरपोर्ट तक फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश के माध्यम से उक्त कछुओं को पहुंचाता था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी मन्नीवन्नन के अनुसार उसके द्वारा कछुओं के व्यापार का प्रचार प्रसार वी चैट, ई–मेल, वाट्सएप एवं फेसबुक के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में किया जाता था और कछुओं के उक्त अवैध व्यापार में विदेशों के फरार आरोपी जैकी, फरार आरोपी कारजन, फरार आरोपी एलविश, फरार आरोपी माईक, एम.टी., फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश, फरार आरोपी रहमान तालुकदार तथा अन्य विदेशी सम्मिलत थे, जिनके द्वारा लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये का व्यापार विदेशों में किया जाता था, और इस प्रकार आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा बैंकाक, हांगकांग एवं मलेशिया देशों में उक्त कछुओं का व्यापार किया जाता था।

181. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन ने कथन में यह भी बताया था कि वर्ष 2016 में लाल तिलकधारी कछुये की मांग बाजार में बहुत अधिक होने के कारण उसने आरोपी मो. इरफान को आगरा निवासी आरोपी अजयसिंह के पास कछुओं के लिये भेजा था, तब आरोपी मो. इरफान द्वारा आरोपी अजयसिंह से लाल तिलकधारी कछुये खरीदकर लाये गये थे, जिनका भुगतान कुछ ई–पेंमेंण्ट के माध्यम से तथा कुछ नगद किया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि ई–पेमेंण्ट के माध्यम से किये गये भुगतान के उक्त साक्षी ने दस्तावेज प्राप्त कर एकमुश्त प्रतिवेदन तैयार किया था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी मन्नीवन्नन द्वारा उसके कथन में यह बताया गया था कि उसने 30–40 बार कछुओं का व्यापार बंग्लादेश के रास्ते, 5–6 बार गया के रास्ते बैंकाक, 25–30 बार श्रीलंका के रास्ते बैंकाक, मलेशिया और 2 से 3 बार कोलकाता एयरपोर्ट के माध्यम से विदेशों में व्यापार किया गया है, और विदेशों में लाल तिलकधारी कछुये एक हजार से दो हजार डॉलर प्रतिनग के हिसाब से एवं अन्य प्रजाति के कछुये 100 से 200 रूपये डॉलर प्रतिनग के हिसाब से बेचे जाते थे, आरोपी मन्नीवन्नन के अनुसार वह वर्ष 2012 में एक बार बैंकाक एयरपोर्ट में दुर्लभ एवं प्रतिबंधित कछुओं के साथ पकड़ा गया था।

182. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त किया कि आरोपी मन्नीवन्न ने उसके कथन में यह बताया कि उसके द्व ारा मध्यप्रदेश एवं उत्तरप्रदेश की चंबल नदी एवं अन्य नदियों में पाये जाने वाले लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार आरोपी अजयसिंह, आरोपी तपश बसाक उर्फ रोनी, फरार आरोपी

तारकनाथ घोष, आरोपी मो. इरफान, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश एवं फरार आरोपी रहमान तालुकदार निवासी बंग्लादेश व फरार आरोपी राजनारायण निवासी चैन्नई व आरोपी थमीम अंसारी के साथ मिलकर व्यापक स्तर पर किया जाता रहा है। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि उसने प्रकरण के आरोपी मो. इरफान से भी आरोपी मन्नीवन्नन की उपस्थिति में उसी दिनांक को मोहली स्थित वन विश्राम गृह में पूछतांछ कर आरोपी मोहम्मद इरफान के प्रदर्श पी–260 के कथन लेखबद्ध कराये थे और उक्त कार्यवाही के दौरान मौजूद वन स्टाफ के सदस्य महिपालसिंह का कथन प्रदर्श पी–261 उसके बताये अनुसार आरोपी मोहम्मद इरफान एव आरोपी मन्नीवन्नन की उपस्थिति में लिपिबद्ध कराया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

183. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि आरोपी मन्नीवन्नन ने प्रकरण के अन्य आरोपीगण, अजयसिंह, आरोपी मोहम्मद इरफान, आरोपी थमीम अंसारी, फरार आरोपी तारकघोष, फरार आरोपी मोंटी, फरार आरोपी राजनारायण, फरार आरोपी मोहम्मद सुलतान, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश, सिम्भु तथा फरार आरोपी सनील वी सैम्यूल की फोटो देखकर उन्हें पहचाना था और कछुओं के अवैध व्यापार में उक्त आरोपीगण की संलिप्तता स्वीकार की थी, जिसका शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–262 लगायत पी–271 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसकी उपस्थिति में आरोपी ने भी हस्ताक्षर किये हैं। साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन ने प्रदर्श पी 272 के शिनाख्वतगी पंचनामा के द्वारा होटल एप्पल रेसींडेंसी चैन्नई, की तस्वीर पहचान कर यह बताया था कि वह अन्य आरोपीगण के साथ कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में उक्त होटल में मीटिंग किया करता था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने कथन में यह भी बताया है कि इसी प्रकार आरोपी मन्नीवन्नन को प्रकरण में पूर्व में आरोपी अजयसिंह से जप्त लाल तिलकधारी कछुओं की फोटो दिखाकर पहचान कराई गई थी, जिसे देखकर आरोपी मन्नीवन्नन ने बताया था कि उक्त प्रजाति के कछुओं एवं अन्य प्रजाति के कछुओं के संबंध में वह प्रकरण के अन्य फरार आरोपी एलविश, फरार आरोपी जैकी, फरार आरोपी राजनारायण, फरार आरोपी कारजन, फरार आरोपी माईक, फरार आरोपी टैरी, फरार आरोपी अजीज, फरार आरोपी इवान के साथ मिलकर अन्तर्राष्टीय स्तर पर कछुओं का अवैध व्यापार करता था, जिसका शिनाख्तागी पंचनामा प्रदर्श पी–273 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं।

184. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन की देश एवं विदेश के आरोपियों से मोबाईल एवं अन्य माध्यमों से सम्पर्क में रहने एवं कछुओं के अवैध व्यापार में एक दूसरे से संबंध रखने संबंधी एक लिंक चार्ट प्रदर्श पी–274 आरोपी मन्नीवन्नन की उपस्थिति

में तैयार किया गया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी ने भी उसकी उपस्थिति में लिंक चार्ट पर हस्ताक्षर किये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी मन्नीवन्नन के अकाउण्ट नंबरों के बैंक स्टेटमेंण्ट प्राप्त किये गये थे तथा उक्त दोनों अकाउण्ट नंबरों के स्टेटमेंण्ट के आधार पर आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी मन्नीवन्नन के मध्य लाखों रूपयों का लेनदेन पाया गया था, जिसके संबंध में प्रदर्श पी–275 लगायत पी–278 का गोशवारा तैयार किया गया था, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार प्रकरण में विवेचना के दौरान उसने यह पाया था कि आरोपी मोहम्मद इरफान की मंगेतर तबस्सुम खातून का अकाउण्ट नंबर एवं उन दोनों का ज्वाईण्ट अकाउण्ट नंबर का उपयोग, आरोपी मोहम्मद इरफान के द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी मन्नीवन्नन एवं अन्य आरोपियों के साथ कछुओं के व्यापार में पैसों के लेनदेन करने में किया गया था, जिस संबंध में आरोपी मोहम्मद इरफान की मंगेतर तबस्सुम खातून का न्यायालय के समक्ष धारा 164 दं.प्र.सं.के कथन भी कराये गये।

185. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा प्रकरण में संलिप्त आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी अजयसिंह एवं आरोपी मोहम्मद इरफान के बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज का एनालाईसिस करके साईबर सेल के द्वारा उक्त आरोपीगण के साथ अन्य संदिग्ध एवं फरार वांछित आरोपी के साथ पैसों के लेनदेन के संबंध में गोशवारा प्रतिवेदन एवं सी.डी.तैयार किया गया है, जो प्रदर्श पी –279 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार दौरान अनुसंधान उसने यह पाया था कि आरोपी मन्नीवन्नन उसके e-mail-mani-chai-@yahoo.com के माध्यम से भारत के बाहर विदेश में लोगों से कछुओं की तस्करी के संबंध में संपर्क में रहा था और वह मेल के माध्यम से ही अपना व्यापार किया करता था, जिसके संबंध में साक्षी के द्वारा साईबर सेल राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल से आरोपी मन्नीवन्नन की उपस्थिति में उसकी उक्त मेल की डिटेल निकलवाई गयी थी, जो प्रदर्श पी–280 लगायत प्रदर्श पी–309 (टंकण त्रुटिवश प्रदर्श पी 308 लेख), जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन के मेल से प्राप्त उक्त जानकारी में आरोपी द्वारा विदेश में रहे लोगों से किये गये संपर्क व्यवहार शामिल हैं तथा आरोपी के चार–पांच पासपोर्ट तथा दो विदेशियों के पासपोर्ट और प्रकरण के फरार आरोपी राजनारायण के पासपोर्ट तथा लाल तिलकधारी कछुआ और अन्य प्रजाति के कछुओं की फोटोग्राफ शामिल है, साथ ही उक्त दस्तावेजों में, भारत की सीमावर्ती देशों के नक्शे भी हैं, साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उक्त समस्त दस्तावेज प्रदर्श पी 280 लगायत 309 में आरोपी मन्नीवन्नन ने साक्षी के समक्ष हस्ताक्षर किये थे।

186. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसने इंटरपोल के माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की थी, जिसमें आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा दुर्लभ प्रजाति के प्रतिबंधित कछुओं की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आरोपी तालकुदार के साथ मिलकर, इंटरपोल के माध्यम से प्रभारी राज्य टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र.भोपाल भारत देश के अलावा विदेशों में सिंगापुर, थाईलेंड, मलेशिया देशों में तस्करी करने संबंधी दस्तावेजों का उल्लेख है, साथ ही उक्त दस्तावेजों में आरोपी, इंटरपोल के माध्यम से प्रभारी राज्य टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल मन्नीवन्नन के विरूद्ध बैंकाक एयरपोर्ट में वर्ष 2012 में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ गिरफ्तार होने पर दर्ज प्रकरण क्रमांक–345/2555 और मन्नीवन्न के एजेंट आरोपी रजनीकांत ओझा के विरूद्ध भी थाईलेंड पुलिस के द्वारा वर्ष 2014 में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ गिरफ्तार होने पर दर्ज प्रकरण क्रमांक–87/2557 के संबंध में दर्ज किया गया था, उक्त संबंध में इंटरपोल के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज भी हैं, जो प्रपी 310 लगायत प्रपी 317 हैं।

187. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) के अनुसार उसने आरोपी मन्नीवन्नन से जप्त मोबाईल एप्पल मॉडल आईफोन एक्स 10 वाहईट कलर विथ सिम के आई.एम.ई.आई. नंबर के 353048091098295 और वोडाफोन की सिम नंबर 9962245961, को वन अपराध में लिप्त अन्य अपराधियों की लंबी श्रृंखला से जुड़ा होने के आधार पर फोरेंसिक जांच हेतु सी.एफ.एस.एल. हैदराबाद तेलंगाना भेजा गया था, जिसके संबंध में लिखा गया पत्र प्रदर्श पी–318 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उक्त पत्र के साथ में एक शील नमूना, दो नग खाली पेन ड्राईव 64 जी.बी., एक नग आईफोन एक्स 10 एवं एक नग सिम सहित और पी.ओ.आर. 28060/02 की सत्यापित प्रति भी भेजी थी। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार प्रदर्श पी 318 के साथ उसके द्वारा वांछित जानकारी के संबंध में अपराध का स्वरूप, परीक्षण के लिये भेजे गये प्रदर्शों की सूची, एवं किये जाने वाले परीक्षण के स्वरूप संबंधी पत्र प्रदर्श पी 319 और प्राधिकार प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–320 भेजा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार सी.एफ.एस.एल. हैदराबाद की उक्त की पावती प्रदर्श पी–321 है।

188. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन के विरूद्ध न्यायालय थाईलेंण्ड के द्वारा जारी गिरफ्तारी वारण्ट पत्र क्रमांक/एस.टी.एस.एफ./2018/970 भोपाल दिनांक 14.08.2018 के माध्यम से थाईलेंड की भाषा में प्राप्त हुआ था, जिसका उक्त कार्यालय के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी प्रदाय किया गया था, जो प्रदर्श पी 322 के पत्र के साथ संलग्न हैं, जिसमें लिफाफा सहित कुल 05 पृष्ठ हैं। विवेचक साक्षी (अ. सा. 1) के अनुसार कार्यालय राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र.भोपाल के पत्र क्रमांक/एस.टी.एस.एफ./2018/971 भोपाल दिनांक 14.08.2018 के

माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन एवं आरोपी मोहम्मद इरफान से जप्त मोबाईल का आडियो वीडियो टेस्ट डाटा संबंधी दस्तावेज प्राप्त हुआ था, जिसमें आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा प्रकरण के फरार वांछित आरोपीगण के साथ दुर्लभ प्रजातियों के कछुओं के अवैध तस्करी के संबंध में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक क्षेत्र में व्यापार करने संबंधी दस्तावेज संलग्न थे, जो प्रदर्श पी 323 के पत्र के साथ संलग्न हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

189. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी व्यक्त किया है कि प्रकरण में आरोपी मननीवन्नन एवं आरोपी थमीम अंसारी एवं आरोपी अजयसिंह, सिम्भु, आरोपी मोहम्मद इरफान के बीच आपस में बातचीत के संबंध में, सी.डी.आर. प्राप्त की गयी जिसके अवलोकन से उक्त आरोपीगण के आपस में संबद्ध होना पाया गया था, जिसे धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र के साथ प्रस्तुत किया गया, जो न्यायालय में संचालित की गयी, आर्टिकल ए–1 है और उसमें प्राप्त डाटा एक्सल सीट पर होना पाया गया। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने व्यक्त किया कि उसने आरोपीगण अजयसिंह, आरोपी मोहम्मद इरफान, आरोपी मन्नीवन्नन के मोबाईल के संबंध में सी.एफ.एस.एल. हैदराबाद से प्राप्त फोरेंसिक और उसके साथ संलग्न पेनड्राईव प्राप्त की थी, जिसमें आरोपी मन्नीवन्नन के मोबाईल एप्पल आईफोन एक्स मॉडल नंबर ए–1909 आई.एम.ई.आई नंबर 353048091098295 के संबंध में प्राप्त सी.एफ.एल.एल.हैदराबाद की रिपोर्ट प्रदर्श पी–325 है, जिसकी साफ्ट कापी पेन ड्राईव आर्टीकल ए–3 है।

190. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी मोहम्मद इरफान एवं आरोपी अजयसिंह के अकाउण्ट नंबरों के आपस में लेनदेन एवं अन्य संलिप्त आरोपीगण से उनके लेनदेन के संबंध में बैंक अकाउण्ट से संबंधित डाटा सॉफ्ट कॉपी के रूप में सीडी में प्राप्त किया था, जो आर्टीकल ए–5 है, जिसमें आरोपी अजयसिंह, आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी मोहम्मद इरफान, फरार आरोपी मोहम्मद सुल्तान तथा आरोपी मोहम्मद इरफान की मंगेतर तबस्सुम खातून के बैंक स्टेटमेंण्ट की डिटेल तथा फरार आरोपी तारकनाथ घोष के बैंक अकाउण्ट की डिटेल होना न्यायालय में सीडी संचालित कर पाया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा न्यायालय के आदेश उपरांत फोरेंसिक लैब हैदराबाद से आरोपी मन्नीवन्नन और आरोपी इरफान से संबंधित पेनड्राईव में प्राप्त रिपोर्ट कॉपी हेतु प्राप्त की गई थी और उक्त को कॉपी कराने एस. टी.एस.एफ.भोपाल के साईबर सेल में भेजा गया था, जहां से कापी पेनड्राईव में प्राप्त हुई थी, जो आर्टीकल ए–2,ए–3,ए–4, जिनकी कॉपी साईबर सैल भोपाल द्वारा की गई थी, के संबंध में धारा 65 बी साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–492, पी–493 एवं 494 संलग्न कर उसे प्रेषित किये गये थे। उक्त प्रदर्श पी–492,पी–493 एवं पी–494 है जो तत्समय अधिकृत साईबर सेल

अधिकारी, भोपाल रवि शर्मा द्वारा तैयार किया गया है। विवेचक साक्षी (अ. सा–1) के अनुसार दस्तावेज प्रदर्श पी–404, जिसके साथ 10 पेज संलग्न हैं, और 405, जिसके साथ 05 पेज संलग्न हैं, के संबंध में डिजिटल एविडेंस धारा 65 बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र प्रदर्श पी–495 है।

191. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) की आरोपी मन्नीवन्न के संबंध में प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी प्रदीप यादव (अ.सा.2) ने दिनांक 31.01.2018 को आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में की गयी संपूर्ण कार्यवाही को न्यायालयीन साक्ष्य में शब्दशः दोहराया है और स्वयं को दल का सदस्य बताते हुए प्रारंभिक पंचनामा प्रदर्श पी 361, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी–362, आरोपी कथन प्रदर्श पी 363 तथा गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 464 और आर्टिकल ए20 तथा ए21 को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) ने भी विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन के मेल को आरोपी के समक्ष उसके द्वारा बताये गये पासवर्ड से मेल ओपन कर प्रिंट आउट निकाला गया था, जो प्र.पी. 280 लगायत प्र.पी. 309 हैं, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बी से बी भाग पर आरोपी मन्नीवन्नन के हस्ताक्षर है तथा सी से सी भाग पर आरोपी की हस्तलिपि में उसके द्वारा अंकित की गई टीप उल्लेखित है, एवं डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी (अ.सा.6) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन की मेल आईडी से निकाले गये प्रिंट के संबंध में बिना हेरफेर किये प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकालकर कर दिये जाने के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी किया था, जो प्र.पी. 403 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी (अ.सा.6) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन से जप्त मोबाईल एपल आईफोन X आईएमईआई 353048091098295 की फोरेंसिक से प्राप्त ऑडियो/वीडियो/ टेक्स्ट डेटा का अपराध से संबंधित गोशवारा प्रतिवेदन तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी–405 (पांच पेज संलग्न) है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

192. आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में विवेचक साक्षी द्वारा दी गयी उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी रीतेश सीरोठिया (अ.सा.17) ने यह व्यक्त किया है कि वह प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ है, जिसके आदेश की स्वप्रमाणित प्रति प्रपी 431 है। साक्षी (अ.सा.17) के अनुसार राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन शासन के आदेश वर्ष 2008 के द्वारा किया गया था। उक्त साक्षी (अ.सा.17) ने यह भी व्यक्त किया है कि वर्तमान प्रकरण में वांछित आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में सह आरोपी मोहम्मद इरफान से तत्समय जानकारी (लीड) प्राप्त होने पर, आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में पूर्व से मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सागर के न्यायालय से वारंट जारी होने के कारण, उक्त

वारंट लेकर वह एक टीम के साथ चैन्नई रवाना हुआ था, जिसमें उसके अलावा तीन अन्य लोग थे, जिनमें से दो भोपाल एसटीएसएफ से तथा एक इंदौर एसटीएसएफ से था। साक्षी (अ.सा.17) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में उनकी टीम की सर्चिंग के दौरान डब्ल्यूसीसीबी के द्वारा इंटरपोल के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि आरोपी मन्नीवन्नन वन्य प्राणी कछुओं के अंतर्राष्ट्रीय तस्करी में पूर्व से लिप्त रहा है और वह कई बार गिरफतार भी हो चुका है, उक्त जानकारी उसके द्वारा प्रदर्श पी 310 के माध्यम से भेजी गयी थी, जिसमें यह तथ्य लेख था कि आरोपी मन्नीवन्नन पूर्व में कछुओं के व्यापार के संबंध में अगस्त 2012 में बैंकॉक एयरपोर्ट पर गिरफतार हो चुका था और उसके विरूद्ध तत्संबंध में प्रकरण भी पूर्व से दर्ज है, जिस प्रकरण की जानकारी भी भेजी गई थी।

193. अभियोजन साक्षी रीतेश सीरोठिया (अ.सा.17) ने व्यक्त किया कि उक्त पत्र प्रपी 310 के माध्यम से यह जानकारी भी दी गई थी कि आरोपी मन्नीवन्नन, बांग्लादेश निवासी एक अन्य आरोपी शफीककुल इस्लाम तालुकदार के साथ मिलकर भारत से बांग्लादेश, मलेशिया, होंगकोंग, थाइलेंड, में प्रतिबंधित प्रजातियों के कछुओं की तस्करी करता है, तथा उक्त पत्र प्रपी 310 के माध्यम से तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह दी गयी थी आरोपी मन्नीवन्नन के सहयोगी भारतीय नागरिक रजनीकांत ओझा को प्रतिबंधित एवं दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की अवैध अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के संबंध में मार्च 2014 बैंकॉक एयरपोर्ट पर गिरफतार किया जा चुका है, प्रपी 310 के साथ प्रेषित इंटरपोल डब्ल्यू.सी.सी.बी. नई दिल्ली से ईमेल पर प्राप्त उक्त जानकारी 6 पृष्ठ में थी, जो प्रपी 311 लगायत प्रपी 316 है। उक्त साक्षी (अ.सा.17) के अनुसार उसके द्वारा प्रपी 433 के माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन के विरूद्ध थाईलेंड में दर्ज प्रकरण के संबंध में थाईलेंड कोर्ट के द्वारा आरोपी के विरूद्ध जारी गिरफतारी वारंट, जो थाई भाषा में था, की छायाप्रति तथा उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन और ट्रांसलेशन करने वाली कंपनी ''लिंगो चिप्स ट्रांसलेशन सर्विस देहरादून'' का प्रमाण पत्र संलग्न कर भेजा गया था जो तीन पृष्ठों में है, साक्षी के अनुसार उक्त थाई भाषा का गिरफतारी वांरट, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन, तथा ट्रांसलेशन के संबंध में दिया गया प्रमाण पत्र क्रमशः प्रपी 433ए, प्रपी 433बी, प्रपी 433सी हैं, प्रपी 433ए, प्रपी 433बी, प्रपी 433 सी, प्रपी 433 के भाग हैं, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा प्रदर्श पी 433बी और प्रदर्श पी 433सी पर ए से ए भाग पर ट्रांसलेटर पुष्करसिंह के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह पहचानता है।

194. उक्त अभियोजन साक्षी रीतेश सिरौठिया (अ.सा.17) ने यह व्यक्त किया है कि आरोपी मन्नीवन्नन के आरापधिक रिकॉर्ड के संबंध में इंटेलीजेंस सूचना के आधार पर उसे यह जानकारी प्राप्त हुई कि वर्ष 2012 में आरोपी मन्नीवन्नन के विरूद्ध बैंकॉक में प्रतिबंधित एवं दुर्लभ प्रजाति के कछुओं

की अवैध तस्करी संबंधी प्रकरण दर्ज किया गया था और इस कारण आरोपी मन्नीवन्नन के विरूद्ध भारत में जो कार्यवाही हुई उसके संबंध में इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी किया गया है। साक्षी (अ.सा.17) ने दिनांक 31.01. 2018 को आरोपी आरोपी मन्नीवन्नन के विरूद्ध की गयी संपूर्ण कार्यवाही का शब्दशः वर्णन करते हुए यह बताया कि आरोपी मोहम्मद इरफान से लीड प्राप्त होने पर वह योजना बनाकर लगभग 12:00 बजे दिन लोकल टीम के साथ टारगेट मन्नीवन्नन के घर पहुंचे थे और आरोपी मन्नीवन्नन के घर पर आरोपी के साथ उसके परिवार के लोग भी मिले थे, जहां साक्षी ने उसके बारे में जानकारी देकर आरोपी मन्नीवन्नन की पहचान सुनिश्चित की, तब आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा तत्समय वर्तमान प्रकरण के अपराध में स्वयं की संलिप्तता होना स्वीकार की थी, जिसके संबंध में साक्षी के द्वारा उक्त संपूर्ण कार्यवाही के संबंधी पंचनामा प्रपी 361 बनाया गया, जिसपर टीम के सदस्यों के साथ–साथ तथा स्थानीय टीम तमिलनाडू फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्क्वॉड चैन्नई के तीन सदस्यों ने भी हस्ताक्षर किये थे।

195. अभियोजन साक्षी रीतेश सीरोठिया (अ.सा.17) के अनुसार पंचनामा प्रपी 361 बनाये जाने के पश्चात आरोपी से मौके पर ही गवाहान प्रदीप यादव, चंद्रेशखर शर्मा के समक्ष संक्षिप्त पूछताछ की गई थी, जिसमें आरोपी मन्नीवन्नन ने बताया था कि दुर्लभ प्रतिबंधित प्रजाति के वन्य प्राणी कछुए के अवैध व्यापार में कोलकाता निवासी मोहम्मद इरफान, सुल्तान, जो खिदरपुर कलकत्ता के हैं, व आरोपी तपश बशाक, व तारक घोष निवासी कोलकाता एवं आरोपी अजय निवासी आगरा, उसके साथ संलिप्त हैं, साथ ही आरोपी मन्नीवन्नन ने यह भी बताया था कि चैन्नई निवासी आरोपी थमीम अंसारी भी संलिप्त हैं और आरोपी मन्नीवन्नन ने विदेशी नागरिक माइक और कॉर्सन, जो चीन के निवासी हैं, और जिन्हें प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए भेजे जाते थे, के नाम भी कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में बताये थे तथा आरोपी मन्नीवन्नन ने यह भी बताया था कि वर्ष 2010–11 से वह दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं के अवैध व्यापार में संलग्न रहा है, जिसके लिए वह अन्य उपरोक्त आरोपीगण के साथ प्रतिबंधित एवं दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के व्यापार को फोन एवं टेली कम्यूनिकेशन के माध्यम से स्थापित कर चलाता है। साक्षी (अ.सा.17) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन से पूछताछ कर उसके बताये अनुसार उसकी उपस्थिति में साक्षीगण के समक्ष उसके उक्त कथन लेख किये गये थे, जो प्रपी 363 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसकी उपस्थिति में आरोपी ने भी हस्ताक्षर किये हैं।

196. अभियोजन साक्षी रीतेश सीरोठिया (अ.सा.17) ने यह भी कथन किया है कि आरोपी मन्नीवन्नन और आरोपी मोहम्मद इरफान के बीच एवं उनके द्वारा अन्य आरोपीगण से दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में जो बैंक लेनदेन हुआ था, उससे संबंधित

दस साल के बैंक रिकॉर्ड की एक्सट्रेक्ट रिपोर्ट (गोशवारा), जो 15 पेज में थी, और जिसकी एक सी0डी0 भी थी, को तैयार कर उसने कार्यालय राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक /एसटीएसएफ/ 2018/951 भोपाल दिनांक 10.08.2018 के द्वारा विवेचना अधिकारी एवं प्रभारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर को भेजा था, जो प्रदर्श पी–434 है, जिसके साथ संलग्न 15 पृष्ठों में से प्रथम पृष्ठ जिस पर वन अपराध क्रमांक 28060 /02 दिनांक 05.05.2017 में लिप्त गिरोह के सदस्यों के अवैध लेनदेन संबंधी जानकारी व दस्तावेज की सूची प्रदर्श पी–434ए लेख की गयी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, साक्षी के अनुसार उक्त प्रदर्श पी 434 के साथ संलग्न अन्य 15 पृष्ठों में प्रदर्श के अलावा प्रदर्श पी 376 लगायत 384 हैं।

197. अभियोजन साक्षी रीतेश सीरोठिया (अ.सा.17) ने यह भी कथन किया है कि उसने गिरफ्तार आरोपी मन्नीवन्नन और मोहम्मद इरफान से जप्त मोबाइल की जो रिपोर्ट फॉरेंसिक लेब से प्राप्त हुई थी, जिसमें तीन प्रकार के कंटेंट ऑडियो, वीडियो, टैक्ट्स शामिल थे, जिसमें दुर्लभ एवं प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं के अवैध व्यापार से संबंधित डेटा था, उसका गोशवारा प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक /एसटीएसएफ/ 2018/951 भोपाल दिनांक 10.08.2018 के पत्र प्रदर्श पी–435 के माध्यम से संलग्न कर भेजा था, जो कुल 17 पृष्ठ संलग्न थे, जो कि प्रपी 404 तथा उसके साथ संलग्न दस पेज और प्रपी 405 और उसके साथ संलग्न पांच पेज हैं।

198. आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में की गई दिनांक 31.01.2018 की कार्यवाही संबंधी अभियोजन साक्षी रीतेश सिरौठिया (अ.सा.17) की उक्त साक्ष्य का शब्दशः समर्थन करते हुए साक्षी चन्द्रशेखर शर्मा (अ.सा.18) ने स्वयं को टीम का सदस्य बताते हुए कार्यवाही के दस्तावेज प्रदर्श पी 361 के मौका पंचनामा, प्रदर्श पी 363 के आरोपी के कथन, प्रदर्श पी 363 के जप्तीनामा और उक्त अनुसार जप्त मोबाइल आर्टिकल ए38, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 364, गिरफ्तारी सूचना प्रदर्श डी16 और आरोपी के द्वारा प्रस्तुत आर्टिकल 20 और 21 की कार्यवाही एवं दस्तावेजों को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है।

199. आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में दी गयी विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन अभियोजन महिपालसिंह (अ.सा.9) ने करते हुए दिनांक 04.02.2018 की संपूर्ण कार्यवाही स्वयं के समक्ष किया जाना बताते हुए तत्संबंध में प्रदर्श पी 259 के आरोपी के कथन, प्रदर्श पी 261 के साक्षी के स्वयं के कथन, प्रदर्श पी 262 लगायत 271 के फोटो पहचान शिनाख्तगी तथा प्रदर्श पी 272 व प्रदर्श पी 273 की फोटो शिनाख्तगी कार्यवाही को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है। अभियोजन साक्षी बैंक मैनेजर संजय पाण्डे (अ.सा.19) ने व्यक्त किया है कि आरोपी मन्नीवन्न के संबंध में उसके बैंक एकाउण्ट क्रमांक

602001522738 से संबंधित बैंक स्टेटमेंट प्रदर्श डी 41 (स्कैन दस्तावेज 13/12 से 114/12) हैं, जिनकी सत्यापित प्रतिलिपि वह न्यायालय में लेकर आया है। साक्षी (अ.सा.19) के अनुसार उक्त खाता आरोपी मन्नीवन्नन एम. पता ओल्ड नंबर 112 न्यू नंबर 32 सेकेण्ड फ्लोर थैयप्पा स्ट्रीट नीयर सेवनवेल्स चैन्नई तमिलनाडू के नाम से है। उक्त साक्षी (अ.सा.19) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन बैंक एकाउण्ट प्रदर्श डी 41 के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 459 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

200. आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी प्रदीप यादव (अ.सा.2), अनिल यादव (अ.सा. 6), महिपाल सिंह (अ.सा. 9), रीतेश सिरोठिया (अ.सा. 17), चंद्रशेखर शर्मा (अ.सा. 18), बैंक मैनेजर संजय पाण्डे (अ.सा. 19) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

201. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि प्रकरण में वांछित स्थाई वारण्टी आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका की तलाश हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक भोपाल का आदेश क्रमांक 2018/291 भोपाल दिनांक 26.11.2018 द्वारा चार सदस्यीय दल का गठन कर कलकत्ता पश्चिम बंगाल जाने का आदेश (प्रपी 327) जारी हुआ था, जिसके पालन हेतु उक्त दल को कोलकाता बनगांव पहुंचने पर पता चला कि आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका वन्य जीव कछुओं की तस्करी के एक अन्य प्रकरण में बनगांव कोलकाता उपजेल में निरूद्ध है, तब उक्त जानकारी के आधार पर न्यायालय से आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका का प्रोडक्शन वारण्ट जारी कराया जाकर उपस्थित कराया गया और प्रकरण की जांच हेतु आरोपी को रिमाण्ड पर प्राप्त किया गया। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका से अधिनियम के प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत पूछतांछ की गई, और उसे कथन लेखबद्ध किये जाने के पूर्व यह चेतावनी दी गई थी कि उसके द्वारा दिया गया कथन न्यायालय में उसकके विरूद्ध प्रयोग किया जा सकता है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अुनसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसके कथन में यह व्यक्त किया है कि बंगला भाषा के अलावा हिंदी भाषा भी जानता है, क्योंकि वह व्यापार के सिलसिले में उत्तरप्रदेश आता जाता रहता था, आरोपी के अनुसार वह वर्ष 2009 से उत्तरप्रदेश के आरोपी अजय एवं आरोपी रामसिंह

उर्फ भोला से लाल तिलकधारी कछुये, जो कि चंबल नदी में मिलते हैं, एवं अन्य प्रजाति के कछुये उत्तरप्रदेश के अन्य लोगों से खरीदकर, फरार आरोपी खोकनशाह के साथ मिलकर व्यापार करता रहा है।

202. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसके कथन में यह भी बताया कि आरोपी अजयसिंह ने लाल तिलकधारी कछुये लेकर वर्ष 2016 में आरोपी विजय गौड़ को उसके पास बनगांव भेजा था, जिसके बाद उक्त आरोपीगण से उसने लाल तिलकधारी कछुये खरीदकर फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी बंगला देश को बेचे थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने अपने कथन में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसे यह भी बताया है कि आरोपी विजय गौड़ ने उसको सीधे भी लाल तिलकधारी कछुये बेचे थे, आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के अनुसार चांदपारा के फरार आरोपी खोकनशाह एवं वनगांव के आरोपी शेखरदास के द्वारा भी कछुए उत्तरप्रदेश से सब्जियों के ट्रकों में लाये जाते थे, जिन्हें उसके द्वारा नगद पेमेंट कर खरीद लिया जाता था और उक्त खरीदे हुये कछुओं को उसके द्वारा फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी बंग्लादेश व अन्य बंग्लादेशियों को एजेण्टों के माध्यम से बेच दिया जाता था।

203. विवेचक साक्षी श्रृद्धा (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि सुशीलदास उर्फ खोका ने उसके समक्ष यह बताया था कि उसने आरोपी विजय गौड़ एवं आरोपी अजयसिंह से 100–150 नग लाल तिलकधारी कछुये 5–6 बार में खरीदे थे, और वह आरोपी मोहम्मद इरफान को भी जानता है, जिसके द्वारा भी कछुओं का व्यापार किया जाता था तथा वह वनगांव से 50 किलोमीटर दूर स्थित अशोकनगर निवासी आरोपी तारकनाथ घोष को भी वह जानता है, जिससे द्वारा भी लाल तिलकधारी कछुये व अन्य प्रजाति के कछुये खरीदे जाते हैं, साक्षी के अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने कथन में यह भी बताया था कि फरार आरोपी खोकनशाह एवं आरोपी शेखरदास के द्वारा लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुये आरोपी अजयसिंह से खरीदे जाते हैं और आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने यह भी बताया था कि उसके द्वारा आरोपी तपशबसाक को उक्त कछुये बेचे गये थे, किन्तु उसका पेमेंण्ट आरोपी तपशबसाक के द्वारा नहीं दिया गया था। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने कथन में यह भी बताया था कि माह दिसंबर में उत्तरप्रदेश के कुछ लोगों से उसने कछुओं के कवच एवं हड्डियां खरीदे थे, जो बंगला देश की एक पार्टी को देना था, किन्तु पुलिस को खबर लगने पर उसे भी उत्तरप्रदेश के लोगों के साथ कछुओं के कवच एवं हड्डियां सहित गिरफ्तार कर लिया था।

204. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी

सुशीलदास उर्फ खोका का उक्त कथन प्रदर्श पी–328 है, जो उसके बताये अनुसार साक्षी के निर्देशन में लेख किया गया है, जिसपर उसके व आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका व उक्त कार्यवाही में उपस्थित साक्षीगण महिपालसिंह राजपूत एवं राहुल विश्वकर्मा भी हस्ताक्षर हैं, उक्त कार्यवाही के संबंध में साक्षीगण के कथन प्रदर्श पी–329 तथा 330 उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये थे, जिस पर उसने हस्ताक्षर किये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी बताया है कि आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के द्वारा प्रकरण के अन्य आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी शेखरदास, आरोपी अजयसिंह, आरोपी विजय गौड़, फरार आरोपी खोकनशाह, आरोपी तपशबसख, फरार आरोपी तारकनाथ घोष, आरोपी मोहम्मद इरफान, फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश की पहचान फोटो शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी–331 लगायत 339 द्वारा की गई थी, जिसमें आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने यह भी लेखबद्ध कराया कि उक्त अरोपीगण भी उसके साथ कछुओं एवं वन्य जीवों के खरीद फरोख्त में शामिल रहे थे, उक्त शिनाख्तगी पंचनामा प्रदर्श पी 331 लगायत 339 पर आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने उसकी अंगूठा निशानी अंकित व साक्षीगण ने हस्ताक्षर किये थे। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने प्रकरण में पूर्व में जप्त कछुओं की फोटोग्राफ आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका को दिखा कर उक्त कछुओं की प्रजाति की पहचान करायी थी, जिसका फोटो शिनाख्तगी पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–340 एवं 341 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर व आरोपी की अंगूठा निशानी हैं और जिसमें आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका ने यह बताया कि वह उक्त प्रजाति के लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुओं का प्रकरण के अन्य आरोपी के साथ मिलकर अवैध व्यापार करता था।

205. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा प्रकरण के अन्य आरोपीगण के साथ आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के संबंध में, एवं कछुओं के अवैध व्यापार में संलिप्तता दर्शित करने के संबंध में एक लिंकचार्ट तैयार किया था, जो प्रदर्श पी–342 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा आरोपी ने उसके समक्ष अंगूठा निशानी की है।

206. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के दो बैंक अकाउण्ट नंबरों का स्टेटमेंण्ट प्राप्त किया, जिसके अवलोकन से अवलोकन एवं जांच में पाया गया था कि आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के बैंक अकाउण्ट में लाखों रूपयों का डिपोजिट होना पाया गया है, इसी प्रकार विवेचक साक्षी साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसने आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के सी.डी.आर. प्राप्त कर उसका अवलोकन किया जिसमें यह देखा गया कि आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका की म.प्र. के निवासी आरोपी विजय गौड़ एवं आरोपी अजयसिंह के साथ लगातार बातचीत

होना पायी गयी थी। साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार उसके द्वारा रेंज ऑफीसर बनगांव को पत्र क्रमांक टी.एस.एफ / 2019 / 10 सागर दिनांक 05.01.2019 के द्वारा आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के संबंध में बनगांव में पंजीबद्ध अपराध के संबंध में जानकारी चाही गई थी, जो प्रदर्श पी 343 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त पत्र के प्रतिउत्तर में उसे आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों की सत्यप्रति प्राप्त हुयी है, जो प्रकरण में संलग्न है।

207. आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के संबंध में प्रस्तुत विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन अभियोजन साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ.सा.8) तथा साक्षी महिपालसिंह (अ.सा.9) की साक्ष्य से भी होता है, जिसमें उन्होंने दिनांक 28.12.2018 की कार्यवाही को शब्दशः दोहराते हुए आरोपी सुशीलदास संबंधी दस्तावेज यथा गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 414, गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी 415, अभियुक्त के कथन प्रदर्श पी 328, साक्षीगण के कथन प्रदर्श पी 329 व 330, अभियुक्त द्वारा की गयी फोटो शिनाख्तगी प्रदर्श पी 331 लगायत 341 को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है। अभियोजन साक्षी महिपालसिंह (अ.सा.9) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसने प्रकरण के प्रभारी (अ.सा.1) के समक्ष आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका की उपस्थिति में उसकी प्रकरण के अन्य आरोपीगण से अपराध में संलिप्तता दर्शित करते हुए प्रकरण में आयी साक्ष्य के अनुसार एक लिंक चार्ट तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी 342 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उसके समक्ष आरोपी ने उक्त दस्तावेज पर स्वयं की अंगूठा निशानी अंकित की थी। अभियोजन साक्षी राहुल विश्कर्मा (अ.सा.8) ने यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा प्रकरण से संबंधित आरोपीगण के संबंध में प्रदर्श पी 355 के मुताबिक लिंक चार्ट तैयार किया गया था जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। अन्य अभियोजन साक्षी प्रीतम अहिरवाल (अ.सा.13) ने भी आरोपी के संबंध में प्रस्तुत उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए प्रदर्श पी 414, 415 के गिरफ्तारी पत्रक एवं गिरफ्तारी पंचनामों को अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित किया है।

208. आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के संबंध में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत बैंक एकाउण्ट संबंधी साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी प्रवीण कुमार वर्डे (अ.सा.22) ने व्यक्त किया कि पत्र प्रपी 465 के माध्यम से चाही गई खाताधारक सुशीलदास उर्फ खोका के खाता क्र0 913010012419278 के दिनांक 08.03.2013 से दिनांक 16.07.2016 तक के एकाउंट स्टेटमेंट प्रपत्र, प्रपी 466'ए' लगायत प्रपी 466'ई' हैं, इसी प्रकार उक्त पत्र प्रपी 465 के माध्यम से चाही गई खाताधारक सुशीलदास उर्फ खोका के खाता क्र0 911010028070441 के दिनांक 02.06.2011 से दिनांक 13.01.2018 तक के एकाउंट स्टेटमेंट प्रपत्र प्रपी 467'ए' लगायत प्रपी 467'एन' हैं। साक्षी (अ.सा.22) के अनुसार उक्त बैंक स्टेटमेंट के संबंध में उसके द्वारा प्रस्तुत

भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65 बी का प्रमाणपत्र प्रदर्श पी 468 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी (अ.सा.22) ने यह भी व्यक्त किया है कि उक्त खाता नंबर 913010012419278 एवं 911010028070441 सुशीलदास निवासी ग्राम खैरामारी पोस्ट ऑफिस बोनगांव नीयर न्यू बोनगांव हायर सेकेण्ड्री स्कूल पश्चित बंगाल पिन नंबर 743235 के नाम से है, जिसका पंजीकृत मोबाइल नंबर 9332412638 लेख है।

209. आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दश : व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी राहुल विश्वकर्मा (अ. सा. 8), महिपाल सिंह (अ.सा. 9), प्रीतम अहिरवाल (अ.सा. 13), प्रवीण कुमार वर्डे (अ.सा. 22) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

210. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये उसकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि प्रकरण के अन्य वांछित स्थायी वारण्टी आरोपी तपश बसाक उर्फ रोनी की तलाश जारी थी और उसके लिए एस.टी.एस.एफ., भोपाल एवं सागर की टीम कलकत्ता गयी थी, जहां पर उक्त आरोपी को टीम ने लोकल पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया था, परंतु दल के पास प्रकरण की केस डायरी और न्यायालय का वारण्ट नहीं था, जिस कारण कलकत्ता की न्यायालय ने आरोपी तपश बसाक को इस निर्देश के साथ जमानत का लाभ दिया था कि आप सात दिवस के अंदर न्यायालय सागर में उपस्थित हो, किन्तु आरोपी तपश बसाक उक्त निर्देश के पालन में उपस्थित होने की बजाय अग्रिम जमानत प्राप्त करने हेतु प्रयासरत रहा और अन्ततः माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर दिनांक 05.03.2019 को इस न्यायालय में उपस्थित हुआ, तब न्यायालय की अनुमति से आरोपी को फारेस्ट रिमाण्ड पर पूछतांछ हेतु प्राप्त किया गया था और आरोपी तपश बशाक उर्फ रोनी से कार्यालय राज्य स्तरीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स म.प्र. भोपाल में अधिनियम के प्रावधानों (अर्थात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के अंतर्गत) के तहत पूछतांछ की गई थी। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) ने कथन में यह व्यक्त किया कि आरोपी तपशबसाक उर्फ रोनी को प्रावधानों के तहत पूछतांछ किये जाने के पूर्व यह समझाईश दी गई थी कि उसके द्वारा जो बयान दिया जाएगा, वह न्यायालय के समक्ष पेश किया जावेगा, जिस पर से उसे सजा भी हो सकती है।

211. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी तपश

बसाक ने उसके कथन में यह बताया था कि वह बंगला भाषा के अलावा हिंदी, अंग्रेजी भाषा भी पढ़ना लिखना जानता है तथा उसने बताया था कि वह 19 वर्ष से फिश एक्वेरियम का कार्य करता है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी तपश बसाक ने उसके कथन में यह भी बताया था कि उसके द्वारा रंगीन मछलियां सिंगापुर, मलेशिया एवं बैंकाक से आयात की जाती हैं तथा वह वर्ष 2009 में कछुओं के व्यापार के संबंध में जानकारी प्राप्त किया था कि उक्त कछुओं का व्यापार भारत देश से बंग्लादेश के रास्ते से अन्य देशों में होता है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी तपश बसाक ने उसके कथन में यह बताया कि कछुओं के व्यापार में फायदा अधिक होने के कारण वह आरोपी मन्नीवन्नन एवं आरोपी मोहम्मद इरफान के साथ मिलकर कछुओं का व्यापार करना शुरू कर दिया था, जिसके लिये वह लाल तिलकधारी कछुये आरोपी अजय से एवं अन्य प्रजाति के कछुये उत्तरप्रदेश से खरीदता था तथा उक्त खरीदे हुये कछुओं को फरार आरोपी राजनारायण एवं फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी बंग्लादेश ढाका को बेचा दिया करता था।

212. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी तपश बशाक ने उसे यह भी बताया कि आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा क्वालालम्पुर एवं बैंकाक में कछुओं का कारोबार संभाला जाता है तथा वर्ष 2015 में वह दुर्लभ प्रजाति के प्रतिबंधित कछुओं के साथ आरोपी खोकनदास के साथ पकड़ा गया था, जिसका अपराध प्रकरण पंजीबद्ध है, इसी प्रकार वह वर्ष 2013 में आरोपी मोहम्मद इरफान के साथ भी दुर्लभ प्रजाति के प्रतिबंधित कछुओं के साथ कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़ा गया था, जिसका भी प्रकरण पंजीबद्ध है, इसी प्रकार वह वर्ष 2014 में 72 दुर्लभ प्रजाति के प्रतिबंधित कछुओं के साथ हावड़ा पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, जिसका भी आपराधिक प्रकरण उसके विरूद्ध पंजीबद्ध है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी तपश बसाक ने उसके कथन में यह भी बताया था कि भारत देश में उसके द्वारा लाल तिलकधारी कछुओं को दस हजार रूपये से बीस हजार रूपये प्रतिनग के हिसाब से खरीदकर, सीमावर्ती देशों में एक हजार से दो हजार डालर प्रतिनग के हिसाब से बेचता था, आरोपी तपश बसाक ने उसके कथन में यह भी बताया कि उक्त खरीदे हुये कछुओं को वह आरोपी मोहम्मद इरफान के माध्यम से आरोपी मन्नीवन्नन को भी बेचा करता था, जिसका आरोपी मोहम्मद इरफान के द्वारा नगद पेंमेंण्ट किया जाता था। विवेचक साक्षी (अ.सा1) के अनुसार आरोपी तपश बशाक उर्फ रोनी ने उसके कथन में यह भी बताया कि उसने आरोपी खोकादास निवासी बनगांव से भी कुछ कछुये खरीदे थे, किन्तु उन कछुओं की गुणवत्ता अच्छी न होने के कारण उसने खोखनदास से कछुये खरीदना बंद कर दिया था।

213. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा1) ने न्यायालयीन कथन

में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी तपश बसाक के द्वारा यह बताया गया कि उसके द्वारा तीस से चालीस कछुओं का खेप का भारत से मलेशिया, सिंगापुर एवं बैंकाक में व्यापार किया गया है। विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी तपशबसाक ने यह भी बताया कि वह आरोपी मननीवन्नन आरोपी मोहम्मद इरफान ,फरार आरोपी अजीज उर्फ आकाश निवासी बंग्लादेश, फरार आरोपी राजनारायण एवं आरोपी अजयसिंह के साथ मिलकर लाल तिलकधारी कछुये एवं अन्य प्रजाति के कछुओं के अवैध व्यापार में संलिप्त था। विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) के अनुसार उसने आरोपी तपशबसाक उर्फ रोनी के उक्त कथन उसने साक्षीगण की उपस्थिति में लेख कराये थे, जो प्रदर्श पी–344 हैं, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और उसपर उपस्थिति साक्षीगण ने तथा आरोपी ने भी उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे, उक्त कार्यवाही के संबंध में साक्षी (अ.सा1) के द्वारा उपस्थित साक्षीगण महिपालसिंह एवं भागवतसिंह के कथन क्रमशः प्रदर्श पी–345 (कथन साक्षी महिपाल) एवं प्रदर्श पी–346 उनके बताये अनुसार लिपिबद्ध कराये थे, जिस पर उसके एवं आरोपी के भी हस्ताक्षर हैं।

214. विवेचक साक्षी श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने न्यायालयीन कथन में यह भी व्यक्त किया है कि आरोपी तपश बशाक उर्फ रोनी के द्वारा उसके समक्ष अन्य सह आरोपीगण के संबंध में यह बताते हुए कि उक्त आरोपीगण के साथ वह कछुओं के अवैध व्यापार में संलिप्त रहा है, उनकी फोटो शिनाख्ती पंचनामा प्रदर्श पी–347 लगायत 354 तैयार कराकर हस्ताक्षरित किये गये थे, जिसके ए से ए भाग पर साक्षी के हस्ताक्षर हैं तथा उक्त कार्यवाही के साक्षीगण ने भी उसके समक्ष हस्ताक्षर किये। विवेचक साक्षी (अ.सा1) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी तपशबशाक उर्फ रोनी के अन्य आरोपीगण से कछुओं के व्यापार के संबंध में एवं संलिप्तता दर्शित करने हेतु एक लिंक चार्ट तैयार किया गया था, जो प्रदर्श पी–355 है, जिसपर उसके हस्ताक्षर हैं तथा साक्षीगण व आरोपी ने भी उसके समक्ष हस्ताक्षर किये। विवेचक साक्षी (अ.सा1) के अनुसार उसके द्वारा आरोपी तपशबशाक और उसकी पत्नि रूमा बसाक के बैंक अकाउण्ट के स्टेटमेंण्ट प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं, जिनके अवलोकन एवं जांच में पाया गया कि आरोपी तपशबसाक उर्फ रोनी के बैंक अकाउण्ट में फरार आरोपी राजनारायणी के द्वारा रूपये जमा किये गये।

215. विवेचक साक्षी श्रद्धा पंद्रे (अ.सा1) के अनुसार उसे आरोपी तपश बसाक के संबंध में इंटरपोल द्वारा डब्ल्यू.सी.सी.व्ही. दिल्ली को प्राप्त मेल, जो वहां से भोपाल एस.टी.एस.एफ. को भेजा गया, और जहां से उक्त मेल साक्षी को प्राप्त हुआ था, वह प्रदर्श पी 356 है, जिसमें आरोपी तपशबशाक उर्फ रोनी के संबंध में इंटरपोल द्वारा टिप्पणी की गयी है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचक साक्षी (अ.सा1) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी तपश बसाक का कलकत्ता न्यायालय से सबंधित आपराधिक रिकार्ड की

सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गयी है. जो प्रदर्श पी 437''ए'' लगायत प्रदर्श पी 437''एच'' है, जो आरोपी के कंप्लेंट केस नंबर पी.ओ.आर.32/डब्लू एल वर्ष 2015–16 दिनांक 10.08.2015 केस नंबर पी.आर.–41/15 से संबंधित है। विवेचक साक्षी (अ.सा1) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी तपश बसाक के बयान दिनांक 06.03.2019 को लिये गये थे, और उसके पश्चात आरोपी का दिनांक 07.03.2019 को ही 01.00 पी.एम. पर, बयान के पश्चात, कराये गये चिकित्सीय परीक्षण की रिर्पोट प्रदर्श पी. 436 में आरोपी को कोई भी चोट न होना लेख किया गया है।

216. साक्षी इन्दरसिंह बारे (अ.सा. 16) ने विवेचक साक्षी (अ.सा.1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए व्यक्त किया है कि आरोपी तपश बशाक के संबंध में राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स प्रभारी के आदेशानुसार एक दल का गठन वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश से किया गया था जिसमें भोपाल टीम से मेरे साथ चंद्रशेखर शर्मा वनपाल, रवि शर्मा वनरक्षक, और सागर टीम से महिपाल सिंह राजपूत और प्रीतम अहिरवाल थे, जो दल आरोपी तपश बसख के संबंध में कोलकाता रवाना हुआ था और कोलकाता पहुंचकर सूचना अनुसार आरोपी तपश बसख के क्षेत्राधिकार संबंधी थाने में उसके द्वारा प्रदर्श पी–425 की सूचना दी गई थी, तत्पश्चात स्थानीय स्टाफ के साथ आरोपी तपश बसख के घर, जो कि थाने के पास था, गये थे और उसे उसके घर से थाना गरफा लेकर आये थे, जहां आरोपी से पूछताछ की गई थी, आरोपी द्वारा वन्य प्राणी कछुआ की तस्करी के संबंध में उक्त वन अपराध में अपनी संलिप्तता होना स्वीकार किये जाने पर आरोपी की गिरफतारी की गई थी और गिरफतारी की सूचना प्रदर्श पी–426 आरोपी के परिवार को देकर आरोपी को थाने में रखा गया था, जिसकी थाने में दी गयी सूचना प्रदर्श पी 427 है।

217. साक्षी इन्दरसिंह (अ.सा. 16) के अनुसार गिरफतारी की सूचना उपरांत आरोपी तपश बशाक को रात में संबंधित थाने की अभिरक्षा में रखने हेतु इस साक्षी के द्वारा थाना प्रभारी को लिखित में प्रदर्श पी–428 का पत्र देकर थाने की अभिरक्षा में रखा गया था, फिर दूसरे दिन संबंधित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में पेश का उसका ट्रांजिट रिमांड लिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चाहा गया था जो कि प्रपी 429 है, संबंधित न्यायालय द्वारा आरोपी तपश बशाक को ट्रांजिट रिमांड अस्वीकृत करते हुये इस शर्त पर जमानत दे दी गई थी कि निश्चित समयावधि के अंदर आरोपी तपश बसख को मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सागर के समक्ष प्रस्तुत होगा, उक्त कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रपी 430 है। विवेचक साक्षी (अ.सा1) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी महिपालसिंह (अ.सा9) ने यह व्यक्त किया है कि प्रकरण की प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे द्वारा प्रकरण के आरोपी तपस बशाक उर्फ रोनी से उसके समक्ष एसटीएसएफ कार्यालय भोपाल में पूछताछ कर उसके बयान लिपिबद्ध किये थे, जो प्रदर्श पी–344 (दो पृष्ठ) है, जिस पर

उसके हस्ताक्षर हैं तथा जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर आरोपी तपश बसाक ने उसके समक्ष हस्ताक्षर किये थे। साक्षी (अ.सा9) व्यक्त किया है कि आरोपी तपस बसाक के कथनों के संबंध में उसके कथन भी साक्षी (अ.सा1) के द्वरा आरोपी तपस बसाक के समक्ष लिपिबद्ध कराये गये थे, जो प्रदर्श पी–345 (कथन साक्षी महिपाल) है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरोपी ने भी हस्ताक्षर किये थे, साक्षी (अ.सा.9) के अनुसार आरोपी तपस बसक के संबंध में इस साक्षी के समक्ष आरोपी की उपस्थिति में प्रभारी अधिकारी टीएसएफ सागर द्वारा साक्षी भगवतसिंह के कथन प्रदर्श पी–346 भी उसके बताये अनुसार लिपिबद्ध कराये गये थे।

218. साक्षी महिपाल सिंह (अ.सा.9) के अनुसार आरोपी तपस बसाक से प्रभारी अधिकारी टीएसएफ सागर सुश्री श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) द्वारा इस साक्षी के तथा भगवत के समक्ष प्रकरण के अन्य आरोपीगणों की फोटोचित्र की पहचान कराई गई थी जिसमें आरोपी तपस बसाक प्रकरण के अन्य आरोपीगण अजय सिंह, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोखा, खोकन शाह, मो. इरफान, मो. सुल्तान एवं अन्य आरोपीगण को पहचान प्र.पी. 347 लगायत 354 के फोटो शिनाख्तगी पंचनामा द्वारा की गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त शिनाख्तगी पंचनामा प्रभारी अधिकारी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे के समक्ष आरोपी तपस बसाक के बताये अनुसार, उसकी उपस्थिति लेखबद्ध किया गया था। आरोपी तपश बसाक के संबंध में विवेचक साक्षी (अ.सा.1) एवं साक्षी महिपालसिंह (अ.सा.9) की उक्त साक्ष्य का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा.3) ने व्यक्त किया है कि वह राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राईक फोर्स के दल के साथ आरोपी तपश बसाक की गिरफ्तारी हेतु कलकत्ता गया था, जहां पर गरफा थाने में आरोपी तपश बसाक को साक्षी की उपस्थिति में दल के सदस्य महिपाल सिंह (अ.सा.9) के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसका गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 385 है जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

219. अभियोजन कथा तथा तत्संबंध में विवेचक साक्षी सुश्री श्रद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) की आरोपी तपश बसाक के बैंक एकाउण्ट स्टटमेंट संबंधी साक्ष्य का समर्थन करते हुये ब्रांच मैनेजर साक्षी प्रोसेनजीत भट्टाचार्य (अ.सा.23) ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा आरोपी तपस बसाक के एकाउंट 0980101022171 के दिनांक 01.01.2011 से दिनांक 18.02.2019 तक के एकाउंट स्टेटमेंट प्रस्तुत किये गये, जो प्रपी 469 'ए' लगायत प्रपी 469'जी' हैं और उक्त एकाउंट स्टेटमेंट के संबंध में प्रस्तुत धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र प्रपी 470 है। साक्षी (अ.सा.23) के अनुसार आरोपी तपश बसाक का एकाउण्ट ओपनिंग फार्म की मूल प्रति (दो पेज) प्रदर्श पी 471, उसके साथ संलग्न फार्म नंबर 60 प्रदर्श पी 472 तथा आरोपी के वोटरआईडी कार्ड (केवायसी) की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी 473 है। साक्षी (अ.सा.23) के अनुसार खाता क्रमांक 0980101022171 खाता धारक तपश बसाक निवासी 64ए

प्रतापगढ कलकत्ता के नाम से है।

220. आरोपी तपश बशाक के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन के मामले का समर्थन करते हुये, आरोपी तपश बशाक के द्वारा वन्य जीव अपराध के संबंध में दी गई उसकी न्यायिकेतर संस्वीकृतियों, और उसके विरूद्ध प्रकरण में आई साक्ष्य, तथा अभियोजन द्वारा उसके विरूद्ध की गई कार्यवाही, तथा उसके संबंध में संग्रहित साक्ष्य को विवेचक साक्षी (अ.सा. 1) ने उसकी असंदिग्ध साक्ष्य में शब्दशः व्यक्त किया है, जिसका समर्थन अन्य अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा. 3), महिपाल सिंह (अ.सा.9) इंदर सिंह बारे (अ.सा. 16) और बैंक मैनेजर प्रोसेनजीत भट्टाचार्य (अ.सा. 23) की असंदिग्ध व अखंडित साक्ष्य से भी हुआ है।

221. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विशेषज्ञ साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ. सा.27) ने अभियोजन कथा तथा उसके संबंध में प्रस्तुत विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) की साक्ष्य का समर्थन करते हुये उनकी न्यायालयीन साक्ष्य में यह व्यक्त किया है कि वे केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञापन प्रयोगयशाला में सहायक निदेशक सांइटिस्ट सी भौतिक विभाग के पद पर वर्ष 2016 से पदस्थ हैं और उन्होंने उनके 30 साल के कैरियर में 500 से अधिक फॉरेंसिक फिजिक्स और कम्प्यूटर फॉरेंसिक के केसेज पर रिपोर्ट दी है। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल जांच हेतु हैदराबाद लेब में पत्र क्रमांक एसटीएसएफ / 2017 / 1062 दिनांक 22.09.2017 के माध्यम से प्रेषित किया गया था, जो प्रपी 482 है। उक्त साक्षी के अनुसार प्र.पी.482 के पत्र के माध्यम से हैदराबाद लेब के डायरेक्टर को एक सील्ड पार्सल में आरोपी से जप्त मोबाइल एक आईफोन आईएमईआई नंबर 355765075218411 तथा दूसरा फोन सेमसंग ड्योज़ आईएमईआई नंबर 358800079609757 तथा दूसरा आईएमईआई नंबर 358801079609755 परीक्षण हेतु भेजे गये थे और यह चाहा गया था कि उक्त मोबाइल फोन की मेमोरी में उपलब्ध ऑडियो वीडियो, पिक्चर, कॉन्टेक्ट व एसएमएस का डाटा क्रियेशन व मॉडिफिकेशन दिनांक सहित एक पेनड्राइव में प्रेषक को उपलब्ध कराया जाये तथा उक्त पत्र के साथ संलग्न के रूप में (1) सील नमूना, (2)– दो खाली पेनड्राइव 64 जीबी, (3) – एक नग आईफोन मेमोरी कार्ड एवं सिम सहित, (4)– 01नग सेमसंग फोन मेमोरी कार्ड एवं सिम सहित लेख भेजे गये थे।

222. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) ने यह भी व्यक्त किया है कि प्रपी 482 के पत्र द्वारा प्रेषित आर्टिकल की विश्लेषण उपरांत संस्थान द्वारा भेजी गई रिसीप्ट का पत्र प्रपी 483 है, जिसपर संस्थान के तत्कालीन निदेशक वाई0एस0 सूर्यप्रसाद के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार संस्थान द्वारा प्रपी 482 के पत्र के माध्यम से प्रेषित आर्टिकल की एनालिसिस करके भेजी गई रिपोर्ट प्रपी 324 है। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उक्त एग्जामिनेशन रिपोर्ट

में जिन आर्टिकल के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, उनका लेख रिपोर्ट के "discription of parcel and exhibit" कॉलम में है, जिसके अनुसार पार्सल नंबर 01 के रूप में 01 सील्ड प्लास्टिक बॉक्स प्राप्त हुआ था, जिसके अंदर दो मोबाइल फोन थे, जिन्हें एक्जीविट 1 और एक्जीविट 2 के रूप में चिन्हित किया गया था तथा उक्त रिपोर्ट प्रपी 324 के अनुसार संबंधित आर्टिकल एक्जीविट 1 का विवरण यह पाया गया था कि उक्त मोबाइल गोल्डन कलर एप्पल आईफोन मॉडल नंबर ए1688 सिम कार्ड सहित तथा आईएमईआई नंबर 355765075218411 था तथा उसके सिम कार्ड को एक्जीविट 1एस के रूप में चिन्हित किया गया, जो जियो सर्विस प्रोवाइडर विथ आईसीसीआईडी नंबर 89918700400083335549 लेख पाया गया था।

223. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी324 के अनुसार प्रेषित किये गये पार्सल में जो एक्जीविट 2 आर्टिकल पाया गया था उसका विवरण के अनुसार वह एक सेमसंग ड्योज़ फोन था, जिसका मॉडल– एसएम–बी310ई तथा सीरियल नंबर आरजेड1एच5044बीएफएन, आईएमईआई नंबर एस (1) 358800079609757 तथा (2) 358801079609755 पाया गया था, और प्रपी 324 की रिपोर्ट के अनुसार एक्जीविट 2 के रूप में चिन्हित उक्त मोबाइल की दोनों सिमों का विवरण उक्त कॉलम में सिम कार्ड मार्क्ड एज़ EX-1S तथा EX-2S2 के रूप में लेख किया गया है तथा EX-1S की सिम एयरटेल 64K with nos. ICCID- 91971512071530 (only few numbers visible due to cut) पाया गया और EX-2S2 की सिम बीएसएनएल प्रीपेड मोबाइल कट टू माइक्रोसिम पाई गई थी और उक्त मोबाइल के मेमोरी स्लोट में कोई मेमोरी कार्ड नहीं पाया गया था। साक्षी (अ. सा.27) के अनुसार प्रपी 324 की रिपोर्ट के खण्ड 11 के अनुसार उक्त रिपोर्ट में संबंधित संस्थान से प्राप्त आर्टिकल एक्जीविट 01, एक्जीविट 1एस, एक्जीविट 02, एक्जीविट 2एस1, एवं एक्जीविट 2एस2 का विश्लेषण फिजीकल एनालाइजर– यूएफईडी (यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रेक्शन डिवाइज) टच टू ऑफ सेलिब्राइट वर्जन 6.1.0.140 और फॉरेंसिक मोबिलएडिट ऑफ कम्प्लेशन वर्जन 9.2.0.22984 का उपयोग करके किया गया था और प्रपी 324 की रिपोर्ट के खण्ड 12 के अनुसार जिस आर्टिकल के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है, वह संस्थान को "intact and tallied" प्राप्त हुई थी, तथा खण्ड 13 के अनुसार उक्त जांच की घोषणा दिनांक 05.03.2018 को की जाकर रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 को तैयार की गई थी।

224. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 324 की उक्त रिपोर्ट के परिणाम खण्ड में तीन बिंदु लेख हैं, जिनके अनुसार मोबाइल फोन और सिम कार्ड का जिन्हें रिपोर्ट के लिये एक्जीविट 01, एक्जीविट 1एस, एक्जीविट 02, एक्जीविट 2एस1, एवं एक्जीविट 2एस2 के रूप में चिन्हित किया गया था, का पूरी सावधानी से कम्प्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस

कर जो परिणाम पाया था उसके अनुसार चिन्हित सिम एक्जीविट 1एस, जो कि जियो सर्विस प्रोवाइडर विथ आईसीसीआईडीनंबर 89918700400083335549 है, चिन्हित सिम कार्ड एक्जीविट 2एस1 जो कि एयरटेल 64K with nos. ICCID- 91971512071530 (only few numbers visible due to cut) है तथा पूर्व में जिसे टंकण त्रुटिवश एक्जीविट 1एस लेख कर दिया गया था, एवं चिन्हित सिम कार्ड एक्जीविट 2एस2 जो कि बीएसएनएल प्रीपेड मोबाइल कट टू माइक्रोसिम के रूप में लेख है, के संबंध में इस साक्षी ने एनालिसिस के बाद संपूर्ण डाटा को एक अलग फोल्डर में पेनड्राइव में दिया था और उक्त पेनड्राइव को "DATA- CAH-104-2017" मार्क किया था, जो प्रकरण में आर्टिकल ए2 के रूप में प्रस्तुत है।

225. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) को आर्टिकल ए2 को न्यायालय के समक्ष ओपन कर दिखाया गया, तब साक्षी ने व्यक्त किया कि संबंधित पेनड्राइव ही "DATA- CAH-104-2017" द्वारा प्रपी 324 में चिन्हित किया गया आर्टिकल है, जिसके 'ए से ए' भागों पर उसके के इनीशियल हस्ताक्षर हैं। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उसके द्वारा प्रपी 324 के रूप में दी गई एग्जामिनेशल रिपोर्ट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर और सील अंकित हैं तथा बी से बी भाग पर उसने रिपोर्ट के संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संस्थान के नियमानुसार लेख करते हुये प्रदान किया है, जबकि सी से सी भाग पर उसके के डिवीज़न की चपड़ा सील लगी है, जिसमें प्रपी 324 के नोट में लगे हुये छटवें बिन्दु के अनुसार सीएफएसएल फिजिक्स हैदराबाद लेख होना दर्शित है। उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा. 27) के अनुसार संस्थान के द्वारा उक्त एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रपी 324 तथा आर्टिकल ए2 को विशेष वाहक मोहम्मद मुस्तफा खान फोरेस्ट गार्ड आरटीएसएफ सागर को प्राप्ति लेकर प्रदान किया गया था, जो पत्र प्रपी 484 है, जिसके ए से ए भाग पर संस्थान के तत्कालीन निदेशक ए0 बालास्वामी के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है।

226. उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उसके द्वारा प्रदर्श पी 318 के माध्यम से प्रकरण में जप्तशुदा, आरोपी मन्नीवन्नन का, मोबाइल नंबर एप्पल मॉडल आईफोन एक्स10 व्हाइट कलर आईएमईआई नंबर 353048091098295 प्राप्त किया था, जो पत्र प्रपी 318 है, जिसमें सिम वोडाफोन नंबर 9962245961 परीक्षण हेतु प्राप्त किये गये थे, और उक्त पत्र के साथ एक सील्ड पार्सल में आरोपी मन्नीवन्नन से जप्त मोबाइल नंबर एप्पल मॉडल आईफोन एक्स10 व्हाईट कलर विथ सिम आईएमईआई नंबर 1– 353048091098295 एण्ड सिम वोडाफोन 9962245961, जो कि पत्र के अनुसार वन अपराध में लिप्त अन्य अपराधियों की लंबी श्रंखला से जुड़ा था, परीक्षण हेतु प्राप्त किया गया था। साक्षी (अ.सा. 27) के अनुसार उक्त के संबंध में वन विभाग के द्वारा चाहा गया था कि उक्त मोबाइल फोन की मेमोरी में जो भी

ऑडियो वीडियो, पिक्चर, कॉन्टेक्ट व एसएमएस हैं, उनका डाटा क्रियेशन व मॉडिफिकेशन दिनांक सहित एक पेनड्राइव में प्रेषक को उपलब्ध कराया जाये और इस हेतु उक्त पत्र के साथ संलग्न के रूप में 01–सील नमूना, 02– दो नग खाली पेनड्राइव 64 जीबी, 03– 01 नग आईफोन एक्स10 एवं 01 नग सिम सहित, 04– पीओआर की सत्यापित प्रतिलिपि भेजा गया था, साथ ही प्रपी 318 के साथ सीएफएसएल हैदराबाद का अग्रेषण टिप्पणी संबंधी दस्तावेज प्रदर्श पी 319, जिसमें चपड़ा सील नमूना अंकित है तथा प्राधिकार का प्रमाण पत्र भी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद भेजा गया था, जो प्रपी 320 है।

227. साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार आरटीएसएफ सागर द्वारा उक्त पत्र प्रपी 318, प्रपी 319, व प्रपी 320 के साथ जांच एनालिसिस हेतु भेजे गये आर्टिकल की प्राप्ति संबंधित को प्रपी 321 के माध्यम से प्रदान की गयी थी, जिस पर तत्कालीन डायरेक्टर इंचार्ज पी0 विजय शंकर के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 318 के पत्र के माध्यम से आरटीएसएफ सागर के द्वारा प्रेषित आर्टिकल की एनालिसिस करके भेजी गयी रपोर्ट प्रपी 325 है, जिसके अनुसार उक्त एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जिन आर्टिकल के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, उनका लेख रिपोर्ट के बिंदु क्रमांक 10 के नीचे "discription of parcel and exhibit" कॉलम में है। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 325 की रिपोर्ट के खण्ड 11 के अनुसार उक्त रिपोर्ट में संबंधित संस्थान से प्राप्त आर्टिकल मोबाइल फोन और सिम एक्जीविट 01, और एक्जीविट 1एस, का विश्लेषण फिजीकल एनालाइजर– यूएफईडी (यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रेक्शन डिवाइज) टच टू ऑफ सेलिब्राइट वर्जन 7.1.0.751 का उपयोग करके किया गया था, इसी प्रकार प्रपी 325 की रिपोर्ट के खण्ड 12 के अनुसार जिस आर्टिकल के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है, वह संस्थान को "intact and tallied" प्राप्त हुई थी, तथा खण्ड 13 के अनुसार उक्त जांच की घोषणा दिनांक 05.03.2018 को की जाकर रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 को तैयार की गई थी तथा प्रपी 325 की उक्त रिपोर्ट के परिणाम खण्ड में दो बिंदु लेख हैं, जिनके अनुसार मोबाइल फोन और सिम कार्ड का जिन्हें रिपोर्ट के लिये एक्जीविट 01, एक्जीविट 1एस के रूप में चिन्हित किया गया था, का पूरी सावधानी से कम्प्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस करके यह परिणाम पाया गया था कि चिन्हित सिम कार्ड जिसे एक्जीविट 1एस से चिन्हित किया गया था, जो कि वोडाफोन 4 जी (नेनो सिम कार्ड) सर्विस प्रोवाइडर विथ आईसीसीआईडी नंबर 8991840042442169510जीई है, के संबंध में एनालिसिस के बाद संपूर्ण डाटा को रिट्राइव कर एक अलग फोल्डर में पेनड्राइव में दिया गया था और उक्त पेनड्राइव को "DATA- CAH-17(टंकण त्रुटिवश 16 लेख है)-2018" मार्क किया था, जो प्रकरण में आर्टिकल ए3 के रूप में प्रस्तुत है। एप्पल

आईफोन जिसे एक्जीविट 01 से चिन्हित किया गया, जो कि रोज़ गोल्ड/व्हाईट कलर का एप्पल आईफोन–X , मॉडल– ए1901 having SIM card with IMEI Number 353048091098295 है, के संबंध में एनालिसिस के बाद संपूर्ण डाटा को रिट्राइव कर एक अलग फोल्डर में पेनड्राइव में दिया गया था, जो "DATA- CAH-17-2018" होकर आर्टिकल ए3 है।

228. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 325 के रूप में दी गई एग्जामिनेशन रिपोर्ट के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर और सील अंकित हैं तथा बी से बी भाग पर उसने अपनी रिपोर्ट के संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संस्थान के नियमानुसार लेख करते हुये प्रदान किया है, तथा उसके सी से सी भाग पर उसके डिवीज़न की चपड़ा सील लगी है, जिसमें प्रपी 325 के नोट में लगे हुये छटवें बिन्दु के अनुसार सीएफएसएल फिजिक्स हैदराबाद लेख होना दर्शित है। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार संस्थान के द्वारा उक्त एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रपी 325 तथा आर्टिकल ए3 को भेजे गये विशेष वाहक मोहम्मद मुस्तफा खान फोरेस्ट गार्ड आरटीएसएफ सागर को प्राप्ति लेकर सीएफएसएल के पत्र प्रपी 485 के साथ प्रेषित किया गया।

229. उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल जांच हेतु हैदराबाद लेब में पत्र क्रमांक क्षे.टा.स्ट्रा.फो./2018/197 दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, और उक्त पत्र के माध्यम से हैदराबाद लेब के डायरेक्टर को एक सील्ड पार्सल में आरोपी मोहम्मद इरफान से जप्त मोबाइल क्रमांक एप्पल मॉडल आईफोन 6एस व्हाईट कलर विथ सिम आईएमईआई नंबर 1– 355418071988758 और सिम रिलायंस जिओ 8910952636 परीक्षण हेतु भेजे गये थे और यह चाहा गया था कि उक्त मोबाइल फोन की मेमोरी में जो भी ऑडियो वीडियो, पिक्चर, कॉन्टेक्ट व एसएमएस का डाटा क्रियेशन व मॉडिफिकेशन दिनांक सहित एक पेनड्राइव में प्रेषक को उपलब्ध कराया जाये। साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उक्त पत्र के साथ संलग्न के रूप में 01–सील नमूना, 02– दो नग खाली पेनड्राइव 64 जीबी, 03– 01 नग आईफोन 6एस एवं 01 नग सिम सहित, 04– पीओआर की सत्यापित प्रति, सहित लेख है तथा उक्त पत्र के साथ अग्रेषण टिप्पणी का पत्र प्रपी 257 तथा प्राधिकार का प्रमाण पत्र प्रपी 258 भी संलग्न थे, जिसमें से अग्रेषण टिप्पणी में आरटीएसएफ सागर म0प्र0 की चपड़ा नमूना सील प्रपी 257 के बी से बी भाग पर लगी हुई है।

230. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 256 के पत्र द्वारा आरटीएसएफ सागर से प्रेषित आर्टिकल की उसके संस्थान द्वारा भेजी गई रिसीप्ट प्रपी 486, जिस पर उसके संस्थान के तत्कालीन निदेशक वाई सूर्यप्रसाद के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह पहचानता है।

उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 256 के पत्र के माध्यम से आरटीएसएफ सागर के द्वारा प्रेषित आर्टिकल की एनालिसिस करके उसके द्वारा जो रिपोर्ट भेजी गई थी वह प्रपी 326 है, जिसमें उसके द्वारा जिन आर्टिकल के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, उनका लेख रिपोर्ट के बिन्दु क्रमांक 10 के नीचे लेख कॉलम "discription of parcel and exhibit" में है, जिसके अनुसार पार्सल नंबर 01 के रूप में कपड़े से बंधा हुआ सीलबंद पार्सल जिसमें एक मोबाइल फोन था, जिसे प्रयोगशाला में एक्जीविट 1 से चिन्हित किया गया, जिसका विवरण यह है कि वह रोज़ गोल्ड / व्हाईट कलर एप्पल आईफोन मॉडल– ए 1688 हेविंग सिम कार्ड विथ आईएमईआई नंबर 355418071488758 था, और प्रेषित आर्टिकल की सिम कार्ड को प्रयोगशाला में एक्जीविट 1एस के रूप में चिन्हित किया गया, जो जिओ (नेनो सिम कार्ड) सर्विस प्रोवाइडर विथ आईसीसीआईडी नंबर 89918730400044219869 था।

231. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 326 की रिपोर्ट के खण्ड 11 के अनुसार उक्त रिपोर्ट में संबंधित संस्थान से प्राप्त आर्टिकल मोबाइल फोन और सिम, एक्जीविट 1, एक्जीविट 1एस का विश्लेषण फिजीकल एनालाइजर– यूएफईडी (यूनिवर्सल फॉरेंसिक एक्सट्रेक्शन डिवाइज) टच टू ऑफ सेलिब्राइट वर्जन 7.1.0.751 का उपयोग करके किया गया था और प्रपी 326 की रिपोर्ट के खण्ड 12 के अनुसार जिस आर्टिकल के संबंध में रिपोर्ट प्रेषित की गई है, वह संस्थान को "intact and tallied" प्राप्त हुई थी, तथा खण्ड 13 के अनुसार उक्त जांच की घोषणा दिनांक 05.03.2018 को की जाकर रिपोर्ट दिनांक 15.03.2018 को तैयार की गई थी।

232. उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 326 की उक्त रिपोर्ट के परिणाम खण्ड में दो बिंदु लेख हैं, जिनके अनुसार मोबाइल फोन और सिम कार्ड का जिन्हें रिपोर्ट के लिये एक्जीविट–1, एक्जीविट–1एस के रूप में चिन्हित किया गया था, का पूरी सावधानी से कम्प्यूटर फॉरेंसिक एनालिसिस कर निम्नानुसार परिणाम पाया गया था–

01. चिन्हित सिम कार्ड जिसे एक्जीविट 1एस से चिन्हित किया गया था, जो कि जिओ (नेनो सिम कार्ड) सर्विस प्रोवाइडर विथ आईसीसीआईडी नंबर 89918730400044219869 है, के संबंध में मैंने एनालिसिस के बाद संपूर्ण डाटा को रिट्राइव कर एक अलग फोल्डर में पेनड्राइव में दिया था और उक्त पेनड्राइव को "DATA- CAH-16-2018" के रूप में रिपोर्ट के साथ मार्क किया था, जो प्रकरण में आर्टिकल ए4 के रूप में प्रस्तुत है।

02. एप्पल आईफोन जिसे एक्जीविट 1 से चिन्हित किया गया, जो कि रोज़ गोल्ड / व्हाईट कलर एप्पल आईफोन मॉडल– ए1688 हेविंग सिम कार्ड विथ आईएमईआई नंबर

355418071488758 है, के संबंध में मैंने फाइल सिस्टम एनालिसिस के बाद संपूर्ण डाटा को रिट्राइव कर एक अलग फोल्डर में पेनड्राइव में दिया था, जो उपरोक्त पेनड्राइव ''DATA- CAH-16-2018" है, जो प्रकरण में आर्टिकल ए4 के रूप में प्रस्तुत है।

233. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार उसके द्वारा प्रपी 326 के रूप में दी गई एग्जामिनेशन रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर और सील अंकित हैं, इस साक्षी के अनुसार उसकी रिपोर्ट प्रपी 326 के संबंध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र संस्थान के नियमानुसार प्रपी 326 के सी से सी भाग पर लेख करते हुये प्रदान किया गया है, तथा उसके डी से डी भाग पर उसकी डिवीज़न की चपड़ा सील लगी है, जिसमें प्रपी 326 के नोट में लगे हुये छठवें बिन्दु के अनुसार सीएफएसएल फिजिक्स हैदराबाद लेख होना दर्शित है। उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार संस्थान के द्वारा उक्त एग्जामिनेशन रिपोर्ट प्रपी 326 तथा आर्टिकल ए4 को भेजे गये विशेष वाहक मोहम्मद मुस्तफा खान फोरेस्ट गार्ड आरटीएसएफ सागर को प्राप्ति लेकर प्रपी 487 के माध्यम से भेजी गई थी, जिस पर संस्थान के तत्कालीन निदेशक इंजार्च एम0 कृष्णा के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है। उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 318 के पत्र द्वारा उसके संस्थान को भेजे गये आर्टिकल, जिसमें आरोपी मन्नीवनन्न से जप्त मोबाइल और उससे संबंधित सिम थी, के संबंध में जांच एनालिसिस करने के पश्चात दी गई रिपोर्ट प्रपी 325 और संबंधित आर्टिकल को संस्थान के जिस पत्र के द्वारा वापिस भेजने हेतु पत्र लेख किया गया था, को प्रपी 488 के रूप में प्रदर्शित किया गया, जिसपर उसके संस्थान के तत्कालीन निदेशक वाई0 सूर्यप्रसाद के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है।

234. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार उसके द्व ारा प्रकरण में प्रपी 324, प्रपी 325 और प्रपी 326 की, जो रिपोर्ट एनालिसिस के पश्चात प्रदान की गई है, उसमें से प्रपी 324 और प्रपी 325 के डी से डी भाग पर तथा प्रपी 326 के ई से ई भाग पर '' INFORMATION TECHNOLOGY ACT (AMD.2008)" लेख है, जो कि टंकण त्रुटिवश लेख हो गया है, उक्त के स्थान पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 लेख किया जाना था, अतः उक्त भाग पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 पढ़ा जाये। उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार आरोपी मन्नीवन्नन के आधिपत्य से जप्त मोबाइल आर्टिकल ए38 है, जिसका अवलोकन करने पर जो मोबाइल फोन एप्पल का निकाला, उस पर सफेद रंग की चिट लगी थी, जिसके उपर 601111 लेख है, तथा नीले रंग के पेन से Ex-1 CAH-17/18 लेख होकर इनीशियल बने हुये हैं, तथा उक्त

मोबाइल के सामने की स्क्रीन गार्ड क्रेक है, जिसे साक्षी (अ.सा.27) ने न्यायालय पर देखने पर यह व्यक्त किया कि मोबाइल के पीछे लगी हुई चिट जिस पर ''601111'' नीले रंग से लेख है, के नीचे उल्टे तरफ से 'ए से ए' भाग पर उसके के इनीशियल हस्ताक्षर हरे रंग से बने हुये हैं और उसके उपर हरे रंग के स्केच से EX-1CAH-17/18 लेख है और इस प्रकार उसके द्वारा आर्टिकल ए3 के पेनड्राइव में जो डाटा प्रपी 325 के संबंध में प्रदान किया गया है, वह उक्त आर्टिकल ए38 का ही है।

235. उक्त साक्षी (अ.सा.27) ने आरोपी इरफान से जप्त मोबाइल आर्टिकल ए31 का भौतिक अवलोकन कर व्यक्त किया कि उक्त मोबाइल के पीछे हरे रंग से लिखा हुआ सीएफएसएल (एच) / सीएएच–16 / 2018 EX-1 उसके स्वयं के हस्तलेख में लिखा गया है, तथा उस पर उसके इनीशियल हस्ताक्षर हैं । उक्त साक्षी (अ.सा. 27)ने व्यक्त किया कि आर्टिकल ए4 के पेनड्राइव में जो डाटा प्रपी 326 के संबंध में प्रदान किया गया है, वह उक्त आर्टिकल ए31 का है, जो उसने एनालिसिस के पश्चात प्रदान किया था।उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उसके द्वारा पेनड्राइव में जो भी डाटा मोबाइल अथवा सिम के एनालिसिस के पश्चात रिपोर्ट प्रपी 324 लगायत प्रपी 326 के संबंध में प्रदान किया गया था, वह उसका ऑरिजनल डाटा है।

236. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार प्रपी 405 के साथ संलग्न चार पृष्ठ स्केन दस्तावेज में दर्शित छायाचित्र उसके द्वारा आर्टिकल ए38 के एनालिसिस के समय देखे गये थे, साक्षी के अनुसार उसके द्व ारा उक्त डाटा उसने मोबाइल से प्राप्त कर पेनड्राइव आर्टिकल ए3 में संबंधित को प्रदान किया था। उक्त साक्षी (अ.सा.27) ने यह भी व्यक्त किया कि प्रपी 404 के साथ संलग्न दस पेज स्केन दस्तावेज 07 / 05 लगायत 16 / 05, को उसके द्वारा आर्टिकल ए31 के एनालिसिस के समय देखा गया था और उसने उक्त का डाटा संबंधित मोबाइल से प्राप्त कर पेनड्राइव आर्टिकल ए4 में प्रदान किया था।

237. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके संस्थान में यह प्रोटोकॉल है कि किसी आर्टिकल का एनालिसिस पूरा हो जाने के पश्चात संस्थान के द्वारा संबंधित अथॉरिटी को एक सूचना भेजी जाती है कि वह एनालिसिस रिपोर्ट और आर्टिकल संस्थान से प्राप्त कर सकता है, जिसके पश्चात संबंधित अथॉरिटी का मेसेन्जर उसके साथ एक प्राधिकृत पत्र लेकर संस्थान में उपस्थित होता है, जिसके पश्चात उक्त मैसेन्जर की प्रोटोकॉल के तहत जांच किये जाने के बाद ही संबंधित रिपोर्ट और उसका आर्टिकल उक्त मेसेन्जर को एक पत्र के माध्यम से सौंपा जाता है और उस पत्र की द्वितीय प्रति पर संबंधित मेसेन्जर की प्राप्ति के संबंध में टीप सहित हस्ताक्षर प्राप्त किये जाते हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उक्त प्रोटोकॉल के तहत संस्थान के पत्र क्रमांक सीएफएसएल

(एच) / 1345 / डीओसी / 674 / सीएएच–104 / 2017 जिसका केस डिस्पेच नंबर 1061 / 2018 दिनांक 27.03.2018 से मेसेन्जर मोहम्मद मुस्तफा को दिनांक 27.03.2018 को प्रपी 484 के माध्यम से संबंधित आर्टिकल और रिपोर्ट प्रपी 324 प्रदान की गई थी, उक्त पत्र प्रपी 484'ए' है, जिस पर तत्कालीन उपनिदेशक ए0वाई0 बालास्वामी के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है तथा बी से बी भाग पर संबंधित विभाग के मैसेन्जर की प्राप्त करने की टीप सहित हस्ताक्षर, पदनाम, मोबाइल नंबर व दिनांक अंकित हैं तथा प्रपी 484'ए' के सी से सी भाग पर उसके संस्थान की नमूना सील अंकित है, जिससे सील करके संबंधित आर्टिकल उक्त मैसेन्जर को प्रदान किया गया था।

238. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार उसके संस्थान के पत्र क्रमांक सीएफएसएल (एच) / 307 / डीओसी / 196 / सीएएच–17 / 2018, जिसका केस डिस्पेच नंबर 1060 दिनांक 27.03. 2018 है, के द्वारा मेसेन्जर मोहम्मद मुस्तफा को दिनांक 27.03.2018 को प्रपी 485 के माध्यम से संबंधित आर्टिकल और रिपोर्ट प्रपी 325 प्रदान की गई थी, जो पत्र प्रपी 485'ए' है, जिस पर तत्कालीन निदेशक इंचार्ज एम0 कृष्णा के हस्ताक्षर हैं, जिन्हें वह उनके साथ कार्य करने के कारण पहचानता है, तथा बी से बी भाग पर संबंधित विभाग के मैसेन्जर की प्राप्त करने की टीप सहित हस्ताक्षर, पदनाम, मोबाइल नंबर व दिनांक अंकित हैं तथा प्रपी 485'ए' के सी से सी भाग पर उसके के संस्थान की नमूना सील अंकित है, जिससे सील करके संबंधित आर्टिकल उक्त मैसेन्जर को प्रदान किया गया था। उक्त साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उसके संस्थान में आरटीएसएफ सागर के पत्र क्र0 आरटीएसएफ / 2018 / 197 दिनांक 16.02.2018 के माध्यम से लेब में एनालिसिस हेतु भेजे गये आर्टिकल की पावती संस्थान द्वारा वाहक को प्रपी 442 के रूप में प्रदान की गई थी, और उसकी रिसीविंग द्वितीय प्रति पर प्रपी 442'ए' में ली गयी थी, उक्त प्रपी 442'ए' के ए से ए भाग पर उसके संस्थान के तत्कालीन इंचार्ज डायरेक्टर पी0 विजय शंकर के हस्ताक्षर हैं तथा प्रपी 442'ए' के बी से बी भाग पर संबंधित मैसेन्जर के पावती की टीप सहित हस्ताक्षर लेख हैं।

239. उक्त साक्षी पी.एन.रामाकृष्णन (अ.सा.27) के अनुसार आरटीएसएफ सागर विभाग के द्वारा मैसेन्जर के साथ संबंधित एनालिसिस रिपोर्ट और आर्टिकल वापिस प्राप्त करने हेतु उक्त विभाग का पत्र क्रमांक / क्षे. टा.स्ट्रा.फो. / 2018 / 327 दिनांक 21.03.2018 प्रेषित किया गया था, जो उसके संस्थान को दिनांक 27.03.2018 को प्राप्त होकर आवक क्रमांक के रूप में 1954 पर दर्ज हुआ था, उक्त पत्र में वाहक के हस्ताक्षरों को संबंधित प्राधिकारी के द्वारा प्रमाणित करके भेजा गया था, उक्त पत्र प्रदर्श पी 489है, जिसके ए से ए भाग पर उसके संस्थान की आवक सील अंकित है। उक्त

साक्षी (अ.सा.27) के अनुसार उसके संस्थान का पत्र क्रमांक सीएफएसएल (एच)/306/डीओसी/ 195/सीएएच–16/2018 जिसका केस डिस्पेच नंबर 1059 दिनांक 27.03.2018 है, जिसके द्वारा मेसेन्जर मोहम्मद मुस्तफा को दिनांक 27.03.2018 को प्रपी 487 के माध्यम से संबंधित आर्टिकल और रिपोर्ट प्रपी 326 प्रदान की गई थी, जो प्रपी 487'ए' है, जिस पर ए से ए भाग पर तत्कालीन निदेशक इंचार्ज एम0 कृष्णा के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर संबंधित विभाग के मैसेन्जर की प्राप्त करने की टीप सहित हस्ताक्षर, पदनाम, मोबाइल नंबर व दिनांक अंकित हैं तथा प्रपी 487'ए' के सी से सी भाग पर उसके संस्थान की नमूना सील अंकित है, जिससे सील करके संबंधित आर्टिकल उक्त मैसेन्जर को प्रदान किया गया था।

240. उक्त से स्पष्ट है कि अभियोजन साक्षी पी.एन.रामकृष्णन (अ. सा. 27) ने उसकी उक्त अखंडित और असंदिग्ध साक्ष्य से यह दर्शित किया है कि क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर के कार्यालय से परीक्षण/जांच हेतु भेजे गये आरोपीगण के मोबाईलों को विधि अनुसार शील्ड अवस्था में प्राप्त किया है और उनका वैज्ञानिक नियमों के तहत सावधानीपूर्वक एनालॉसिस करके तत्संबंध में प्राप्त डाटा की वैज्ञानिक रिपोर्ट प्रदर्श पी–324 लगायत 326 के माध्यम से आर्टिकल ए–2 लगायत ए–4 में भेजी है। उक्त साक्षी ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसके द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन और आरोपी इरफान के संबंध में उनके आर्टिकल ए–31 व ए–38 के एनालॉसिस के दौरान जो जानकारी देखी थी, वह प्रपी–404 व 405 के संलग्नक दस्तावेजों में दर्शित जानकारी है।

241. अभियोजन कथा का समर्थन करते हुए अभियोजन साक्षी रीतेश सिरौठिया (अ.सा.17) ने यह व्यक्त किया है कि वह प्रभारी अधिकारी राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत है, जिसका आदेश सितम्बर वर्ष 2015 में जारी किया गया था, जिसकी स्वप्रमाणित नेट की प्रति प्रपी 431 है। उक्त साक्षी (अ.सा.17) के अनुसार राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स का गठन शासन के आदेश वर्ष 2008 के द्वारा किया गया था, जिसके तहत उसके द्वारा वर्तमान प्रकरण के संबंध में अपराध गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु कार्यालय राज्य स्तरीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्य प्रदेश भोपाल के आदेश क्र0/एसटीएसएफ/गोपनीय/2017/05 भोपाल दिनांक 03.05.2017 के माध्यम से सात सदस्य टीम का गठन करने हेतु आदेश जारी किया गया था, जो प्रदर्श पी 432 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि साक्षी रीतेश सीरौठिया ने जहां प्रपी–432 को स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित किया है, वहीं वर्ष 2008 में शासन द्वारा राज्य क्षेत्रीय स्ट्राईक फोर्स का गठन उपरोक्त आदेश से किया जाना बताया है।

242. अन्य अभियोजन साक्षी अब्दुल अलीम अंसारी (अ.सा.21) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये व्यक्त किया है कि वह वर्ष 2017 में

डीएफओ मुरैना के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत था, तब उसके द्वारा राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में संरक्षित वन्य जीवों का भी प्रबंधन कार्य देखा जाता था, उक्त साक्षी के अनुसार दिनांक 06 सितम्बर 2017 को एसटीएफ की एक टीम के द्वारा तीन जीवित जप्तशुदा कछुओं के बच्चे मिलान हेतु इस बावत् प्रदान किये थे कि उक्त कछुए किस प्रजाति के हैं और कहां पाये जाते हैं, तब उसके द्वारा घड़ियाल सेंटर देवरी संस्थान में पूर्व से विद्यमान कछुओं से उक्त प्रस्तुत तीन कछुओं का मिलान कर यह पाया गया था कि प्रस्तुत कछुए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की अनुसूची एक के प्राणी होकर Batagur kachuga है, जिसका कॉमन नेम रेड क्राउन रूफ टर्टल भी है, उक्त साक्षी के अनुसार उक्त संबंध में उसके द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रपी 464 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त साक्षी के अनुसार प्रपी 464 का उक्त प्रमाण पत्र उसने इस आधार पर प्रदान किया है कि वह आईएफएस होकर एक विटनरी डॉक्टर भी है जिसे उक्त संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। स्पष्ट है कि उक्त साक्षी ने उसकी अखंडित साक्ष्य से आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के आधिपत्य से जप्त तीन जीवित कछुओं को उसकी जांच में अनुसूची एक के प्राणी होकर Batagur kachuga होना प्रमाणित किया है।

243. अभियोजन साक्षी निधि राजपूत (अ.सा. 20) ने अभियोजन कथा का समर्थन करते हुये यह व्यक्त किया है कि वह वर्ष 2012 से स्कूल ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक एण्ड हेल्थ जबलपुर में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ है, और उसके संस्थान को वर्तमान प्रकरण में जप्तशुदा संपति प्रदर्श पी 18 एवं पत्र क्र0/टीएसएफ/2017/733 सागर दिनांक 07.07.2017 के माध्यम से एनालिसिस हेतु प्रेषित की गई थी, जिस पत्र की कार्यालयीन प्रति प्रदर्श पी 460 है। उक्त साक्षी (अ.सा.20) ने यह व्यक्त किया है कि प्रपी 18 के माध्यम से प्राप्त पेंगोलिन के खपटे (स्केल) कुल 50 नग (300 ग्राम) सीलबंद अवस्था में वन विभाग, सागर द्वारा प्रेषित किये जाने पर दिनांक 25.05.2017 को प्राप्त हुये थे, जिनमें से उसके द्वारा सात नग खपटे परीक्षण हेतु रखकर 43 नग खपटे वन विभाग के वाहक को टीप अंकित कराकर वापिस कर दिये गये थे, और उक्त संबंध में संबंधित टीप के प्रपत्र की कार्यालयीन प्रति प्रपी 461 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

244. उक्त साक्षी निधि राजपूत (अ.सा.20) के अनुसार संस्थान को वन विभाग,सागर द्वारा प्रेषित उक्त वन्य प्राणी अवयव के संबंध में उसके द्वारा एनालिसिस उपरांत दी गई रिपोर्ट दिनांक 29.06.2017 को आरटीएसएफ सागर को भेजा गया था, जिसकी सत्यापित प्रतिलिपि प्रपी 161'बी' है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा सी से सी भाग पर उसके डायरेक्टर के हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.20) के अनुसार भेजे गये वन्य प्राणी अवयव की डीएनए के 12S rRNA gene के एनालिसिस से यह पाया गया था कि प्रेषित वन्य जीव पेंगोलिन के शल्क हैं। उक्त साक्षी (अ.सा.20) ने प्रकरण में प्रपी 460

के द्वारा एनालिसिस हेतु भेजे गये पेंगोलिन के खपटे (स्केल) कुल 500 ग्राम की रिपोर्ट प्रदर्श पी 463 स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित की है और यह व्यक्त किया है कि उसके अनुसार प्रदर्श पी 460 के माध्यम से एनालॉसिस हेतु भेजा गया वन्य जीव अवयव के डीएनए के 12S rRNA gene के एनालिसिस से यह ज्ञात हुआ था कि प्रेषित वन्य जीव पेंगोलिन के शल्क हैं। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि विशेषज्ञ साक्षी निधि राजपूत (अ.सा. 20) ने उसकी अखंडित साक्ष्य से आरोपी नंदलाल (मृत) के घर से दिनांक 05.05.2017 को जप्त 300 ग्राम पेंगोलिन शल्क और आरोपी विजय गौड़ के आधिपत्य से थाटीपुर ग्वालियर में जप्त 500 ग्राम पेंगोलिन शल्क को वैज्ञानिक एनालॉसिस के बाद पेंगोलिन शल्क होना पाया है।

245. अभियोजन साक्षी रवि शर्मा (अ.सा–3) ने व्यक्त किया है कि उसके द्वारा क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स भोपाल प्रभारी रीतेश सीरोठिया (अ. सा–17) के आदेशानुसार प्रकरण के आरोपीगण मो. इरफान, तारक घोष, मन्नीवन्नन मुरगेशन, अजय सिंह, मो. सुल्तान एवं मो. इरफान के साथ संलग्न तबस्सुम खातून के ज्वाइंट अकाउण्ट एवं तबस्सुम खातून के पृथक बैंक खाता के विवरण के संबंध गोशवारा प्र.पी. 376 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं, उक्त साक्षी (अ.सा–3) ने यह भी व्यक्त किया कि उक्त सभी आरोपीगण एवं सभी खातों में आपस में लेनदेन करने का विस्तृत विवरण ब्यौरा उसके द्वारा उक्त सभी खातों का सूक्ष्म अवलोकन करके तैयार किए गए गोशवारा प्रतिवेदन प्र.पी. 377 लगायत 384 में वर्णित है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्ष्य से स्पष्ट है कि साक्षी रवि शर्मा (अ.सा. 3) ने आरोपीगण के बैंक खातों से दर्शित उनके आपसी लेनदेन के संव्यवहारों के संबंध में उसके द्वारा संबंधित आरोपियों के बैंक एकाउण्ट का सूक्ष्म अवलोकन कर उसके द्वारा तैयार किये गये गोशवारा प्रदर्श पी–376 लगायत 384 को उसकी असंदिग्ध एवं अखंडित साक्ष्य से अपने हस्ताक्षरों को पहचानते हुये प्रमाणित किया है।

246. साक्ष्य के उपरोक्त क्रमबंधन के समग्र अवलोकन से यह दर्शित होता है कि विचारित आरोपों के संबंध में यद्यपि अभियोजन द्वारा आरोपित अपराध का कोई चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका है, परंतु उक्त तथ्य को अस्वाभाविक या अभियोजन की कमी के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन्य जीवों के साथ होने वाले अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियां ही ऐसी होती हैं, जिनमें चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त होना संभव नहीं होता। वन्य जीव अपराध में पीड़ित पक्ष अर्थात वन्य जीव एक बे–आवाज, निरीह (वर्तमान मामले में तो अहिसंक भी) जीव होता है, जो न तो मानव अपराध की दशा अनुसार स्वयं की पीड़ा किसी अन्य से या किसी फोरम पर व्यक्त कर पाने में सक्षम होता है, और न ही संबंधित अपराध की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उसके संबंध में घटना स्थल का कोई रहवासी या कोई अन्य चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्षी मिल पाना

संभव हो। ऐसे में विधि भी अपराध के प्रमाणन हेतु किसी ऐसे प्रत्यक्ष साक्ष्य की अपेक्षा नहीं रखती जो एक प्रज्ञावान मस्तिष्क के लिए प्रकरण की परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से उपलब्ध होना संभव न हो। यही कारण है कि विधायिका को वन्य जीव संरक्षण हेतु एक विशिष्ट अधिनियम सृजित कर उक्त प्रकृति के अपराधों के अनुसंधान हेतु कतिपय असामान्य नियम उपबंधित करने पड़े हैं, और इसी कारण मामले में आयी हुयी साक्ष्य का विवेचन भी उक्त विशिष्ट उपबंधों के आलोक में ही किया जाना होगा।

247. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि प्रकरण की विवेचक सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) के द्वारा अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत सभी अभियुक्तगण के कथन उनकी उपस्थिति में अभिलिखित कराये गये हैं, जो अधिनियम की ही धारा 50 के उपखण्ड 9 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है। यदि हम सभी अभियुक्तगण के द्वारा की गयी उक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृति पर विचार करें, तो यह दर्शित होता है कि सभी अभियुक्तगण ने अपने–अपने उक्त संस्वीकृतिकारी कथनों में न केवल लाल तिलकधारी कछुओं का व्यापार सह आरोपीगण के साथ मिलकर किया जाना व्यक्त किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट किया है कि उक्त वन्य जीवों का अवैध व्यापार उनके द्वारा किस प्रकार, किन रास्तों से और कब से किया जाता रहा है।

248. उल्लेखनीय है कि आरोपीगण के संस्वीकृतिकारी कथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि सभी आरोपीगण भले ही एक दूसरे से व्यक्तिशः परिचित या संपर्कित नहीं थे, परंतु उनके बीच एक ऐसी कड़ी दर कड़ी विद्य मान थी जिससे आरोपीगण वन्यजीवों के शिकार और उनके अवैध व्यापार हेतु एक अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय रेकिट के रूप में मिलकर कार्य करते हुये दर्शित होते हैं। जैसे कि आरोपी नंदलाल (मृत) ने उसके संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 2 और प्रदर्श पी 21 में आरोपी आजाद से संबंध होना बताया, आरोपी आजाद के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 3 और प्रदर्श पी 22 में आरोपी अजय, आरोपी रामसिंह, आरोपी नंदलाल (मृत) के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी अजय के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 23 में आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, मो. इरफान, सुल्तान, खोका, थमीम, मन्नीवन्नन, विजय, और आजाद के साथ कई फरार आरोपियों के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी कमल बाथम के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 99 में आरोपी आजाद, विजय, अजय सिंह, रामसिंह, संपत्तिया के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी सम्पत्तिया के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 65 में आरोपी आजाद, विजय, अजय, रामसिंह के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी विजय गौड़ के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 84 में आरोपी अजय, संपत्तिया, कमल, रामसिंह, व खोका के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 111 में उसके भाई आरोपी अजय, मो. इकरार, आजाद, विजय, संपत्तिया, मो. इरफान

और कैलाशी सहित अन्य फरार आरोपीगण के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 129 में आरोपी रामसिंह, आजाद, अजय, के साथ फरार आरोपी शैलेन्द्र सिंह का नाम है, इसी प्रकार आरोपी मो. इरफान के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 177, प्रदर्श पी 260 में समस्त उपस्थित आरोपीगण के साथ–साथ कई फरार आरोपीगण के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी मो. इकरार के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 147 (कथन आरोपी मो. इकरार) में आरोपी रामसिंह, अजय, इरफान सहित कुछ फरार आरोपीगण के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी मन्नीवन्नन के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 259, प्रदर्श पी 363 में आरोपी इरफान, अजय, तपश बसाक, थमीम अंसारी सहित लगभग सभी फरार आरोपीगण के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी थमीम अंसारी के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 162 में आरोपी अजय, मन्नीवन्नन, इरफान सहित कई फरार आरोपीगण के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 328 में आरोपी अजय, रामसिंह, विजय, इरफान, तपश बसाक सहित कई फरार आरोपीगण के नाम हैं, इसी प्रकार आरोपी तपश बसाक के संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 344 में आरोपी इरफान, मन्नीवन्नन, अजय, खोका दास सहित कई फरार आरोपीगण के नाम हैं, और उक्त कथनों में उनके आपसी संबंधों को बताया गया है।

249. आरोपीगण के उक्त दर्शित गिरोह के संबंधी में उक्त गिरोह के सरगना आरोपी मन्नीवन्नन तथा उसके एजेंट आरोपी मो. इरफान ने उनके कथनों में यह स्पष्ट स्वीकारा है कि कछुओं का उक्त अवैध व्यापार मुख्यतः तीन रास्तों से किया जाता था, जिसका विस्तृत वर्णन उनके उक्त कथनों में है। आरोपीगण के द्वारा की गई उक्त न्यायिकेतर संस्वीकृतिकारी कथनों से यह भी दर्शित होता है कि उनके गिरोह का रैकेट तीन स्तरों पर कार्य करता था, और जिसमें आरोपीगण का प्रत्येक समूह अपने स्तर पर अपनी विशिष्ट भूमिका निभाता था। जैसे कि जहां चंबल नदी के आसपास के क्षेत्रों तथा ग्रामीण स्तर से कछुओं को एकत्रित कराने का कार्य आरोपी मो. इरफान के द्वारा किया जाता था, और उसमें आरोपी अजय, आरोपी रामसिंह, आरोपी तपश बसाक, आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका, आरोपी थमीम अंसारी तथा आरोपी मो. इकरार के द्वारा कछुओं के संग्रहण व परिवहन में सहायता प्रदान की जाती थी, वहीं उक्त आरोपीगण को कछुये ग्रासरूट (निचले स्तर) पर आरोपी नंदलाल (मृत), आरोपी आजाद, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा, आरोपी विजय गौड़, आरोपी संपत्तिया, आरोपी कमल बाथम तथा उन जैसे लोगों से प्राप्त होते थे, और इस प्रकार अपने एजेंट आरोपी मो. इरफान के द्वारा परिवहन कर भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लाये गये लाल तिलकधारी कछुओं का आगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, उक्त रैकेट के सरगना मन्नीवन्नन के द्वारा फरार आरोपीगण सनील व्ही. सेमुअल, रजनीकांत ओझा, हमीद सिलमी, बेन्टी,

मोन्टरी, राजनारायण ए बिरानी, अजीज उर्फ आकाश, अलहज शफीकउल इस्लाम उर्फ रहमान तालुकदार, अब्बासभाई, माईक, कार्सन, टेर्री, ईवान, एल्विस, एवं जैकी जैसे अपराधियों, के माध्यम से किया जाता था।

250. यहां यह भी अवलोकनीय है कि अभियोजन की ओर से आरोपीगण के, अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य, उक्त संस्वीकृतिकारी कथनों की पुष्टि हेतु, उक्त अधिनियम की ही धारा 50 (8) (डी) के तहत आरोपीगण से कराई गई अन्य सह आरोपीगण की फोटो शिनाख्तगी पत्रक प्रदर्श पी 19, प्रदर्श पी 20, प्रदर्श पी 26 लगायत 33, प्रदर्श पी 91 लगायत 97, प्रदर्श पी 104 लगायत 110, प्रदर्श पी 114 लगायत 125, प्रदर्श पी 138 लगायत 141, प्रदर्श पी 152 लगायत 157, प्रदर्श पी 180 लगायत 192, प्रदर्श पी 262 लगायत 271, प्रदर्श पी 331 लगायत 339 और प्रदर्श पी 347 लगायत 354 भी तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं। यद्यपि विधि ऐसी किसी फोटो शिनाख्तगी परेड को मान्यता नहीं देती जहां मात्र एक ही आरोपी का फोटो दिखाकर पहचान कराई गयी हो, और उक्त संबंध में बचाव पक्ष का प्रस्तुत यह तर्क कि ऐसी फोटो शिनाख्तगी कार्यवाही आरोपी की पहचान परेड का स्थान नहीं ले सकती, स्वीकार योग्य है, परन्तु यहां यह तथ्य महत्वपूर्ण है कि उक्त फोटो शिनाख्तगी जिन–जिन आरोपियों से करायी गयी है उन आरोपियों के द्वारा न केवल संबंधित व्यक्ति के साथ वन्य अपराध में अपनी भूमिका का वर्णन किया गया है बल्कि कछुओं के अवैध व्यापार में संबंधित आरोपी की भूमिका का वर्णन भी संस्वीकृतिकारी कथनों के रूप में किया गया है, और उक्त कथन चूंकि आरोपी की उपस्थिति में लिए जाकर उस पर आरोपी ने उसके हस्ताक्षर / अंगूठा निशानी भी बनाये हैं, ऐसे में निश्चिय ही उक्त संस्वीकृतिकारी कथन न्यायिकेत्तर संस्वीकृति के रूप में अधिनियम की धारा 50 के उपखण्ड 9 के तहत साक्ष्य में ग्राह्य होंगे, क्योंकि उन्हें सक्षम विवेचना अधिकारी के द्वारा आरोपीगण की उपस्थिति में अधिनियम की ही धारा 50 (8) (डी) के तहत अभिलिखित कराया गया है।

251. इस प्रकार उपरीवर्णित आरोपीगण के उक्त फोटो शिनाख्तगी पत्रकों के द्वारा की गयी संस्वीकृतियों से भी उनके मूल न्यायिकेत्तर संस्वीकृति कथन की पुष्टि होती है और तद्द्वारा इस तथ्य की भी पुष्टि होती है कि आरोपीगण कछुओं के शिकार व अवैध व्यापार के संबंध में एक कड़ी के रूप में जुड़े हुये थे और उनके द्वारा मिलकर निचले स्तर पर कछुओं का शिकार करने से लेकर, कछुओं का देश के अंदर परिवहन कर उक्त वन्य जीव के अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच बनाए रखने, तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उंची कीमत पर उनका व्यापार करने हेतु आरोपीगण एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य कर रहे थे जिसमें प्रत्येक आरोपी की अपने स्तर पर अपनी एक विशिष्ट भूमिका थी, यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि यद्यपि एक स्तर पर कार्य करने वाले आरोपी किसी अन्य स्तर पर कार्य करने वाले आरोपीगण

से भले ही व्यक्तिगत रूप से परिचित नहीं थे, परंतु वे न केवल अपने स्तर पर कार्यरत आरोपीगण से परिचित थे, बल्कि उक्त संगठित गिरोह के द्वारा कारित किए जाने वाले अपराध में उन्हें उनकी विशिष्ट भूमिका का ज्ञान भी था, और इस प्रकार आरोपीगण द्वारा की गई उक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृतिकारी से भी आरोपीगण का आपस में एक गिरोह के रूप में संबद्ध होना स्थापित होता है।

252. उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका है कि प्रस्तुत मामले में वन्य जीवों के शिकार एवं उनके अवैध व्यापार का यह रैकेट तीन स्तरों पर कार्य करता था, और सबसे निचले स्तरपर यानि ग्रॉस रूट लेवल पर आरोपी नंदलाल (मृत), आरोपी आजाद, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा, आरोपी संपतिया बाथम एवं आरोपी विजय गौड़, आरोपी कमल बाथम जैसे लोग पेंगोलिन व लाल तिलकधारी कछुओं को चंबल नदी से पकड़कर (शिकार कर), देवरी ईको सेंटर मुरैना से चुराकर अथवा ग्रामीण स्तर पर अन्य व्यक्तियों से प्राप्त कर एकत्रित करने का कार्य करते थे, जिसकी पुष्टि अभियोजन की ओर से आरोपी आजाद की निशानदेही पर आरोपी नंदलाल (मृत) के घर से प्रदर्श पी 368 के अनुसार जप्त, 300 ग्राम पेंगोलिन शल्क आर्टिकल ए–22 से, तथा आरोपी आरोपी अजयसिंह की निशानदेही पर आरोपी विजय गौड़ से प्रदर्श पी 417 के जप्तीनामा अनुसार जप्त 500 ग्राम पेंगोलिन के खपट्टे आर्टिकल ए–37 से और आरोपी रामसिंह उर्फ भोला की निशानदेही पर आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से जप्तीनामा प्रदर्श पी 392 के अनुसार जप्त तीन जीवित लाल तिलकधारी कछुये से होती है।

253. अतः उक्त प्रदर्श पी 368, प्रदर्श पी 417 एवं प्रदर्श पी 392 के जप्ती पत्रकों के आधार पर क्रमशः आरोपी नंदलाल (मृत), आरोपी विजय गौड़ एवं आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से की गई वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुआ व पेंगोलिन शल्क की जप्ती से भी यह पुष्ट होता है कि आरोपीगण निचले स्तर पर वन्य जीवों के शिकार, व अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन वन्य जीवों को पहुंचाने के लिए संगठित गिरोह की सबसे पहली कड़ी के रूप में निचले स्तर पर कार्य करते थे। इन तीनों आरोपीगण नंदलाल, विजय गौड़ व कैलाशी उर्फ चच्चा के संस्वीकृतिकारी कथनों से यह भी स्पष्ट होता है कि इन्हीं आरोपियों से उक्त वन्य जीव प्राप्त कर आरोपी आजाद, अजयसिंह, रामसिंह उर्फ भोला, संपत्तिया बाथम, कमल बाथम, आरोपी मो. इकरार परिवहन कर आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका एवं आरोपी इरफान, आरोपी थमीम अंसारी, आरोपी तपश बसाक तक पहुंचाते थे, जो उनका परिवहन करते हुए उन्हें आरोपी मन्नीवन्नन तक या उसके बताये हुये स्थानों/आरोपियों तक पहुंचाते थे जहां से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इन निरीह वन्य जीवों का पहुंचाना आरोपी मन्नीवन्नन अपने अंतर्राष्ट्रीय साथी (उपरिवर्णित फरार आरोपीगण) की सहायता से सुनिश्चित करता था।

254. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि वन विभाग के साइबर प्रभारी साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) के द्वारा आरोपी इरफान, आरोपी मन्नीवन्नन एवं आरोपी थमीम अंसारी के ई.मेल, आई क्लाउड, फेसबुक जैसी सोशल नेटवर्किंग साइट एवं उनके मोबाइल फोनों से संचालित मेल एकाउण्ट से, स्वयं आरोपीगण द्वारा दिये गये पासवर्ड व जानकारी के आधार पर, प्रदर्श पी 207 लगायत प्रदर्श पी 255, प्रदर्श पी 280 लगायत प्रदर्श पी 309, आर्टिकल ए–24 व आर्टिकल ए–25 तथा प्रदर्श पी 404 (संलग्न 10 पेज) व प्रदर्श पी 405 (संलग्न 5 पेज) के दस्तावेज निकाले गये हैं, जिनके बारे में अभियोजन साक्षियों ने व्यक्त किया है कि उक्त आरोपीगण के मेल एकाउण्ट उनके समक्ष ओपन किये गये और तत्पश्चात् उनके मेल एकाउण्टों, तथा सोशल नेटवर्किंग से प्राप्त जानकारी को उनकी विशिष्टियों के साथ अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत आरोपी की उपस्थिति में लेखबद्ध करायी गई और उसपर उक्त साक्षियों ने अपने तथा आरोपी के तत्समय हस्ताक्षर कराये हैं, और उक्त साक्षियों ने दौरान साक्ष्य ऐसे हस्ताक्षरों को प्रमाणित भी किया है। स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत प्राप्त व अभिलिखित उक्त दस्तावेज अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है।

255. यहां यह भी अवलोकनीय है कि अभियोजन की ओर से ही प्रस्तुत विशेषज्ञ साक्षी पी.एन. रामकृष्णनन (अ.सा.27) सहायक निदेशक सांइटिस्ट सी भौतिकी विभाग केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद के द्वारा भी प्रदर्श पी 324 लगायत 326 की सी.एफ.एस.एल. रिपोर्ट और तत्संबंधी आर्टिकल ए–2 लगायत ए–4 को अपने न्यायालयीन साक्ष्य में स्वयं के हस्ताक्षरों से प्रमाणित करते हुए इस तथ्य की पुष्टि की गयी है कि साइबर सैल के प्रभारी के रूप में अनिल यादव द्वारा आरोपीगण के मोबाइल फोनों और उनके ई.मेल एकाउण्ट से जो जानकारी प्राप्त कर प्रस्तुत की गयी है, वह सत्य व सही है तथा उक्त साक्षी को जांच के समय संबंधित मोबाइल फोनों से उक्त दस्तावेज व चित्र प्राप्त हुये थे।

256. यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि साक्षी अनिल यादव (अ.सा.06) प्रभारी साइबर सैल के द्वारा आरोपी इरफान के ई.मेल और मोबाइल फोन से जो जानकारी प्रदर्श पी 207 लगायत 255ए प्राप्त की गयी है, वो आरोपी इरफान की उपस्थिति में अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत तैयार की गयी है और उक्त दस्तावेजों के डी से डी भाग पर उक्त आशय की टीप भी अंकित कर आरोपी इरफान के हस्ताक्षर कराये गये हैं, जिस कारण उक्त दस्तावेज अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य हैं और उक्त सभी दस्तावेजों के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि आरोपी इरफान द्वारा आरोपी तारक, आरोपी सुल्तान और फरार आरोपी रॉनी को कई बार प्रचुर मात्रा में राशि उपलब्ध करायी गयी है, जिसका हिसाब स्वयं उसने अपने उक्त

ई.मेल एकाउण्ट पर संधारित कर रखा था। आरोपी इरफान के ई.मेल से ही प्राप्त जानकारी प्रदर्श पी 217, प्रदर्श पी 226, प्रदर्श पी 242, प्रदर्श पी 243, से यह भी स्पष्ट होता है कि आरोपी इरफान हैमिल्टिन प्रजाति के कछुओं को 1800 रूपया प्रतिनग और ट्रिसेंडा प्रजाति के कछुओं को 1000 रूपये प्रतिनग के हिसाब से इन लोगों से क्रय करता था।

257. इसी प्रकार आरोपी इरफान के ई.मेल से प्राप्त जानकारी प्रदर्श पी 247डी, 247ई से भी यह दर्शित होता है कि आरोपी विभिन्न प्रजाति के कछुओं के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक मजबूत कडी था। आरोपी इरफान के ई.मेल एकाउण्ट से ही प्राप्त प्रदर्श पी 207, प्रदर्श पी 208, प्रदर्श पी 210, प्रदर्श पी 212, प्रदर्श पी 212बी, प्रदर्श पी 215ए, प्रदर्श पी 218, प्रदर्श पी 219, प्रदर्श पी 220, प्रदर्श पी 220ए, प्रदर्श पी 220बी, प्रदर्श पी 220सी, प्रदर्श पी 220डी, प्रदर्श पी 221, प्रदर्श पी 222, प्रदर्श पी 224, प्रदर्श पी 225 से यह भी स्पष्ट दर्शित होता है कि आरोपी इरफान न केवल कार्गो सर्विस के द्वारा कछुओं को भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान और फिर ढाका, बांगलादेश, दोहा कतर, बैंकॉक आदि देशों में पहुंचाता था, बल्कि यह भी दर्शित होता है कि वह भारत के अंदर ट्रेन के माध्यम से स्वयं तथा अपने अन्य सहयोगियों को एक स्थान से दूसरे स्थान कछुओं के व्यापार के संबंध में आता जाता एवं भेजता रहता था, और भारत से बाहर वह तथा उसके सहयोगी ऐयरलाईंस के माध्यम से भी लाल तिलकधारी कछुए के अवैध व्यापार को अंजाम देते थे। इस प्रकार आरोपी इरफान के ई.मेल एकाउण्ट से प्राप्त उक्त सभी जानकारियों से भी स्वयं आरोपी इरफान के इस संस्वीकृतिकारी कथन प्रदर्श पी 177 व प्रदर्श पी 260 की पुष्टि होती है कि वह आरोपी मन्नीवन्नन के एजेंट के रूप में कछुओं एवं अन्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार का कार्य करता था, और इस हेतु वह भारत के अंदर व भारत के बाहर निरंतर ऐसे अवैध व्यापार से जुडे अन्य लोगों से व्यापार के सिलसिले में मिलता रहता था।

258. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) साइबर प्रभारी के द्वारा आरोपी मन्नीवन्नन के ई.मेल और मोबाइल फोन से जो जानकारी प्रदर्श पी 280 लगायत 309 प्राप्त की गयी है, वो आरोपी मन्नीवन्नन की उपस्थिति में अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत तैयार की गयी है और उक्त दस्तावेजों के सी से सी भाग पर उक्त आशय की टीप भी अंकित कर आरोपी मन्नीवन्नन के हस्ताक्षर कराये गये हैं, जिस कारण उक्त दस्तावेज अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य हैं। उक्त संबंध में यह भी महत्वपूण है कि प्रदर्श पी 280, प्रदर्श पी 281, प्रदर्श पी 282,प्रदर्श पी 283,प्रदर्श पी 284,प्रदर्श पी 285,प्रदर्श पी 286,प्रदर्श पी 287,प्रदर्श पी 288,प्रदर्श पी 289,प्रदर्श पी 291 के आरोपी मन्नीवन्नन के ई.मेल एकाउण्टों की चैटों से न केवल यह दर्शित होता है कि आरोपी मन्नीवन्नन कछुओं की विभिन्न प्रजातियों के अवैध

अंतराष्ट्रीय व्यापार में शामिल रहा है, बल्कि यह भी दर्शित होता है कि वह इस पूरे रैकेट का मुख्यतः उपरी स्तर पर सरगना था और उसके द्वारा ही बैंकॉक, हॉगकांग, ढाका, थाईलैंड आदि देशों के अवैध व्यापार से जुडे तस्करों से संपर्क किया जाता था और इन विभिन्न देशों में अपने एजेंटों के माध्यम से वन्य जीव कछुओं के विभिन्न प्रजातियों की खरीद–बिक्री की जाती थी। आरोपी मन्नीवन्नन के ई.मेल एकाउण्ट से ही प्राप्त प्रदर्श पी 292, प्रदर्श पी 293, प्रदर्श पी 301 से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि आरोपी मन्नीवन्नन कछुओं की विभिन्न प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अवैध रूप से विक्रय करने का काम संगठित गिरोह के सरगने के रूप में करता था, इस प्रकार आरोपी मन्नीवन्नन के ई.मेल से प्राप्त उक्त संसूचनाओं से भी उसके संस्वीकृतकारी कथन प्रदर्श पी 259, प्रदर्श पी 363 में व्यक्त तथ्यों की पुष्टि होती है।

259. साइबर सैल प्रभारी साक्षी अनिल यादव (अ.सा.6) के द्वारा आरोपी इरफान के संबंध में प्रदर्श पी 404 एवं आरोपी मन्नीवन्नन के संबंध में प्रदर्श पी 405 के गोशवारा भी तैयार कर प्रस्तुत किये गये हैं, जिसके साथ ही प्रदर्श पी 404ए, 404बी के आरोपी इरफान के ई.मेल एकाउण्ट से प्राप्त फोटो चित्र एवं रिपोर्ट के साथ अन्य पासपोर्ट व कछुओं की विभिन्न प्रजातियों की आरोपी के ई.मेल से प्राप्त फोटो भी प्रस्तुत की गयी हैं, साथ ही प्रदर्श पी 405 के साथ चार पृष्ठ स्कैन दस्तावेज भी साक्षी अनिल यादव द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं। उक्त प्रदर्श पी 404 के गोशवारे के साथ प्रस्तुत उक्त दस्तावेजों के आरोपी इरफान के मोबाइल से प्राप्त होने, एवं प्रदर्श पी 405 के गोशवारे के साथ प्रस्तुत दस्तावेज के आरोपी मन्नीवन्नन के मोबाइल से प्राप्त होने की पुष्टि अभियोजन के विशेषज्ञ साक्षी पी.एन. रामाकृष्णन (अ.सा.27) सहायक निदेशक सांइटिस्ट केन्द्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला हैदराबाद ने भी अपने परीक्षण की कंडिका 27 में यह कहते हुए की है कि प्रदर्श पी 404 के साथ संलग्न 10 स्कैन पेज उनके द्वारा आर्टिकल ए31 (आरोपी इरफान का मोबाइल व सिमकार्ड) के एनालिसिस के समय देखे गये थे और उसे उन्होंने संबंधित मोबाइल से प्राप्त कर पैनड्राईव आर्टिकल ए4 में संबंधित को प्रदान किया था, एवं प्रदर्श पी 405 के साथ संलग्न 04 स्कैन दस्तावेज में दर्शित छायाचित्र उनके द्वारा आर्टिकल ए–38 (आरोपी मन्नीवन्नन का मोबाइल फोन व सिमकार्ड) के एनालिसिस के समय देखे गये थे, जिसे उन्होंने मोबाइल से प्राप्त कर पैनड्राईव आर्टिकल ए3 में संबंधित को प्रदान किया था।

260. स्पष्ट है कि उक्त प्रदर्श पी 404 व 405 के गोशवारे व उनके साथ आरोपी मन्नीवन्नन व उसके सहयोगियों के पासपोर्टों की प्रति, विभिन्न प्रजातियों के कछुओं की फोटो, देवरी ईको सेंटर मुरैना के ब्रीडिंग फार्म के कछुओं की फोटो तथा अन्य दस्तावेजों आदि से भी आरोपी इरफान व आरोपी मन्नीवन्नन के कछुओं के अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय रैकेट से जुडे होने

और कछुओं के अवैध व्यापार मे संलिप्त होने की पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रदर्श पी 404 व 405 व उनके साथ संलग्न स्कैन दस्तावेजों, जो आरोपीगण के ई.मेल एकाउण्ट से प्राप्त किया जाना प्रमाणित है, से भी आरोपी इरफान एवं आरोपी मन्नीवन्नन के संस्वीकृतिकारी कथनों क्रमशः प्रदर्श पी 177 व 260 तथा प्रदर्श पी 259 व 363 में व्यक्त तथ्यों की पुष्टि होती है।

261. उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि आरोपीगण एक संगठित गिरोह के रूप में वन्य जीवों व कछुओं का शिकार एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसका व्यापार करते थे, और निश्चय ही आरोपीगण का मुख्य उद्देश्य प्रचुर मात्रा में धनराशि का अर्जन करना था और इसके लिए आरोपीगण एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुडे हुये थे और जहां ग्रॉसरूट लेबल अर्थात ग्रामीण स्तर पर लाल तिलकधारी कछुओं का शिकार व उनकी पकड़ कराकर उक्त कछुये आरोपी इरफान द्वारा परिवहनित कर चेन्नई और कलकत्ता पहुंचाए जाते थे वहीं आरोपी मन्नीवन्नन के द्वारा गिरोह के सरगना के रूप में उक्त कछुओं को अपने फरार विदेशी आरोपीगण के सहयोग से अंतराष्ट्रीय बाजारों में पहुचांया जाता था, जैसा कि अभियोजन का संपूर्ण मामले के दौरान कहना रहा है। निश्चिय ही ऐसे वन्य जीवों के ग्रामीण स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अवैध परिवहन के संबंध में इस पूरे रैकेट को चलाने में आरोपीगण के बीच धनराशि का भी आपसी लेनदेन होता रहा होगा क्योंकि कोई भी व्यापार बिना धन के लेन–देन के पूरा नहीं हो सकता।

262. उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से आरोपी इरफान के खाता क्रमांक 913010042247115 से सह आरोपी अजयसिंह के खाता क्रमांक 628701539444 में 59,000 / – रूपये जमा किये जाने के संबंध में प्रदर्श पी 383 का बैंक गोशवारा प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत प्रदर्श पी 382 के बैंक गोशवारे से यह दर्शित होता है कि आरोपी मन्नीवन्नन के खाता क्रमांक 602001522738 में फरार आरोपी राजनारायण द्व ारा 11 संव्यवहारों के माध्यम से कुल 5,47,026 / – रूपये का अंतरण किया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श पी 382 के गोशवारा से ही यह भी दर्शित होता है कि आरोपी मन्नीवन्नन के उक्त बैंक खाते से तबस्सुम (आरोपी इरफान की मंगेतर) के खाता क्रमांक 30501536688 में 50,000 / – रूपये का अंतरण किया गया है। इसी प्रकार प्रदर्श पी 378 के बैंक गोशवारा के अनुसार अरोपी इरफान के खाता क्रमांक 93000109096799 में आरोपी सुल्तान के खाता क्रमांक 93000109109279 से कुल 3,50,000 / – रूपये पांच बार में अंतरण किये गये हैं।

263. इसी प्रकार अभियोजन की ओर से ही प्रस्तुत प्रदर्श पी 378 के बैंक गोशवारा के अनुसार आरोपी इरफान के पंजाब नेशनल बैंक खाते क्रं. 93000109096799 में 51,31,000 / – रूपये अवैध कछुओं के व्यापार से जुडे

संदिग्ध व्यक्तियों के खातों से जमा हुये, और 8,21,795/– रूपये निकाले गये, जो कि आरोपी इरफान ने आरोपी सुल्तान के खाते में 09 अंतरणों के द्वारा जमा किये थे। इसी प्रकार प्रदर्श पी 458बी और 479बी के बैंक गोशवारे से यह परिलक्षित होता है कि आरोपी थमीम अंसारी की पत्नी शबाना आसमी के एक्सिस बैंक खाता क्रमांक 915010041603334 से सह आरोपी अजयसिंह के एचडीएफसी बैंक खाता क्रमांक 50200009154498 में दिनांक 17.09.2016 को 1,50,000/– रूपये अंतरित किये गये। इसी प्रकार प्रदर्श पी 377 के बैंक गोशवारे से यह दर्शित होता है कि आरोपी मन्नीवन्नन के खाता क्रमांक 602001522738 से आरोपी मो. इरफान व उसकी मंगेतर तब्बसुम खातून के खाता क्रमांक 129601501807 में वर्ष 2014–15 के बीच कुल 12 बार में 5,15,000/–रूपये की राशि जमा की गई जो अभियोजन के इस तर्क को समर्थित करता है कि आरोपी इरफान आरोपी मन्नीवन्नन के मासिक पेड एजेंट के रूप में कार्य करता था क्योंकि उक्त 12 संव्यवहारों में से अधिकतर संव्यवहारों में 50,000/–रूपये की या उससे अधिक की राशि 02 माह के अंतराल में अंतरित की गई है जिसे अभियोजन ने उसका वेतन होना बताया है, तथा यह भी कि आरोपी मन्नीवन्नन ने उसके संस्वीकृतिकारी कथन प्र.पी. 259 में यह स्वीकारा है कि आरोपी इरफान को वह 25000/– से 30000/– प्रति माह वेतन प्रदान करता था।

264. उपरोक्त विवेचना से आरोपीगण के कछुओं के अवैध व्यापार के गिरोह के रूप में संगठित होकर कार्य करने का तथ्य स्पष्ट परिलक्षित होता है, क्योंकि इस तथ्य की पुष्टि एक आरोपी के बैंक खाते से दूसरे आरोपी के बैंक खाते में जमा की गयी राशियों के उपरोक्त विवरण से पूर्णतः हो रहा है कि उक्त आरोपीगण के बीच न केवल वित्तीय संव्यवहार बैंक के माध्यम से हो रहा था, बल्कि उक्त संव्यवहार नियमित रूप से और बड़ी–बड़ी राशि का किया जा रहा था। उक्त संबंध में यह भी महत्वूपर्ण है कि आरोपीगण की ओर से सह आरोपीगण के बैंक खातों से एक दूसरे को किये गये ऐसे लेनदेन के संबंध में, या आरोपीगण के ऐसे आपसी संबंधों के संबंध में स्वीकार योग्य कोई भी स्पष्टीकरण न तो दौरान साक्ष्य दिया गया है और न ही दौरान तर्क, जिससे उनके बीच किए गए उपरोक्त व्यापारिक संव्यवहारों का वैध होना दर्शित होता हो। उक्त संबंध में यह तथ्य किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नहीं है कि कोई भी व्यक्ति अकारण और बिना व्यवसायिक या निजी संबंधों के किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक खाते में इस प्रकार से धनराशिओं का अंतरण करेगा। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से कोई भी खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने से न्यायालय के मत में आरोपीगण के उक्त बैंक संव्यवहारों से भी उनके उक्त संस्वीकृतिकारी कथनों की पुष्टि होती है, जिसमें उन्होंने सभी आरोपीगण से मिलकर लाल तिलकधारी कछुओं के अवैध व्यापार को करना और उक्त संबंध में कार्यरत एक ऐसे अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का

सदस्य होना, जो तीन स्तरों पर अपने अपने अन्य सहयोगियों के साथ कार्य कर वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुओं को अवैध अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते थे, स्वीकारा है।

265. अभियोजन की ओर से आरोपीगण की विचारित आरोपों में संलिप्तता को दर्शित करने हेतु उनके मोबाइल फोनों से एक दूसरे से बातचीत किए जाने और इस प्रकार से वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुओं के अवैध व्यापार को सुगम बनाने के संबंध के तथ्य के संबंध में कतिपय आरोपीगण के संबंधित मोबाइल फोनों की सीडीआर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं। यद्यपि उक्त सीडीआर रिपोर्टों के साक्ष्य में ग्राह्य होने के संबंध में साइबर सेल के प्रभारी अनिल यादव एवं रवि शर्मा के द्वारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 65बी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है परन्तु उक्त संबंध में बचाव पक्ष का यह तर्क स्वीकार योग्य है कि आरोपीगण के कथित मोबाइल नं के संबंध में प्रस्तुत उक्त सीडीआर साक्ष्य में उक्त मोबाइल कंपनी के सर्विस प्रोवाइडरों की ओर से धारा 65बी के प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत न किए जाने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है, जैसा कि **न्यायदृष्टांत अर्जुन पंडित राव खोटकर वि. कैलाश कुसनराव बोरंट्याल एवं अन्य सिविल अपील नं. 20825–20826 वर्ष 2017** में धारित किया गया है।

266. इसी प्रकार अभियोजन की ओर से आरोपी मो. इरफान व आरोपी मन्नीवन्नन के बीच धनराशियों के हुए लेन देन के संबंध में व उनके मध्य वन्य जीवों के अवैध व्यापार के संबंध में व्यापारिक संबंध होने के बारे में आरोपी मो. इरफान की मंगेतर तब्बसुम खातून को दौरान विवेचना न्यायालय में प्रस्तुत कर उसके धारा 164 द.प्र.स. के कथन प्रदर्श पी 441 कराए गए हैं, किन्तु दौरान साक्ष्य उक्त तब्बसुम खातून नामक महिला को अभियोजन द्वारा साक्षी के रूप में परीक्षित नहीं कराया गया है। किसी भी मामले का निराकरण उस मामले में आई हुई साक्ष्य के आधार पर होता है और किसी अन्य मामले में या किसी अन्य अवसर पर दी गई साक्ष्य मात्र साक्षी के इस न्यायालयीन कार्यवाही में दिए गए साक्ष्य के खंडन में प्रयुक्त की जा सकती है। धारा 164 द.प्र.स. के कथन साक्षी के न्यायालयीन कथनों के खंडन के साथ–साथ संपुष्टिकरण हेतु भी प्रयुक्त हो सकते हैं किन्तु जबकि मामले में तब्बसुम खातून को न्यायालयीन साक्षी के रूप में अभियोजन द्वारा परीक्षित ही नहीं कराया गया है तो ऐसे में निश्चिय ही उसके द्वारा किए गए धारा 164 द.प्र.स. के प्रदर्श पी 441 के कथन किसी भी रूप में इस मामले में साक्ष्य में न तो ग्राह्य हैं और न हीं पठनीय हैं। तत्संबंध में न्यायालय बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क से सहमत है और न्यायालय के ऐसे मत की पुष्टि **न्यायदृष्टांत बैजनाथ शाह वि. बिहार राज्य 2010 (6) एससीसी 736** से भी होती है।

267. उपरिवर्णित संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है

कि विचारित आरोपों को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन की ओर से प्रस्तुत अधिनियम की धारा 50 (8) (डी) के तहत आरोपीगण की उपस्थिति में उनके संस्वीकृतिकारी कथन साक्षियों की उपस्थिति में प्रकरण की विवेचक सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) द्वारा अभिलिखित कराये गये हैं जो अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य है, जिनके संबंध में यह ध्यातव्य है कि सामान्य विधि की अपेक्षाकृत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में ऐसी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति का विशेष महत्व व साक्ष्यिक मूल्य है। यहां यह भी स्पष्ट परिलक्षित होता है कि अभियोजन की ओर से आरोप प्रमाणन हेतु आरोपीगण की ऐसी न्यायिकेत्तर संस्वीकृति मात्र ही अभिलेख पर प्रस्तुत नहीं की गई है, बल्कि ऐसे संस्वीकृतिकारी कथनों की पुष्टि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोपीगण के सह आरोपीगण के संबंध में प्रस्तुत शिनाख्ती पंचनामा कार्यवाही, आरोपी मन्नीवन्नन व आरोपी इरफान के ईमेल एकाउंट से प्राप्त जानकारी एवं आरोपी अजयसिंह के फेसबुक एकाउंट से लाल तिलकधारी कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में प्राप्त इनपुट आदि से भी होती है। उक्त के अलावा आरोपीगण के ऐसे संस्वीकृतिकारी कथनों की पुष्टि आरोपीगण के बैंक खातों के संबंध में प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रतियों (बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट की धारा 4 के तहत ग्राह्य) एवं बैंक खातों के गोशवारों से भी होती है, जिनसे यह दर्शित होता है कि आरोपीगण एक दूसरे के बैंक एकाउंट्स में निरंतर पैसों का लेन–देन कर अपने ऐसे लाल तिलकधारी कछुओं के अवैध व्यापार का संचालन व कछुओं का अवैध परिवहन करते थे जिसका वर्णन उन्होंने अपने–अपने उक्त न्यायिकेत्तर संस्वीकृतिकारी कथनों में किया है।

268. इसके साथ ही आरोपीगण के इन संस्वीकृतिकारी कथनों कि वे एक दूसरे के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुओं एवं पेंगोलिन का व्यापार ग्रासरूट लेबल से उन्हें प्राप्त कर, परिवहनित कर, उक्त वन्य जीवों एवं उनके अंगों को अवैध अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाते थे, की पुष्टि मृत आरोपी नंदलाल, आरोपी विजय गौड एवं आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से हुई उक्त वन्य जीवों एवं उनके अंगों की जप्ती कार्यवाही से भी होती है, जो लाल तिलकधारी कछुओं एवं पेंगोलिन शल्क के अवैध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ग्रासरूट स्तर पर कार्य करते थे, जहां से प्राप्त कर गिरोह के अन्य सदस्य यथा आरोपी आजाद, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी अजय, आरोपी संपत्तिया आदि गिरोह के मध्यम स्तर पर कार्य करते हुए उक्त वन्य जीवों/अवयवों को आरोपी इरफान को प्रदान करते थे, जो उन्हें परिवहनित कर उच्च स्तर पर कार्य करने वाले आरोपी यथा मन्नीवन्नन तथा अन्य फरार विदेश आरोपीगण तक पहुंचाता था। स्पष्ट है कि प्रकरण के आरोपी नंदलाल (मृत), आरोपी विजय गौड एवं आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से हुई उक्त वन्य जीवों एवं उनके अंगों की जप्ती कार्यवाही न केवल उक्त आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है, बल्कि उक्त जप्ती लाल तिलकधारी

कछुए के अवैध व्यापार में संलग्न संबंधित अंतर्राष्ट्रीय गिरोह, जो तीन स्तरों पर संचालित होता था, के एक स्तर (निचले स्तर) से की गई जप्ती होकर संपूर्ण गिरोह के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगी।

269. साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभियोजन आरोपीगण के विरूद्ध यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य या चक्षुदर्शी साक्ष्य तो प्रस्तुत नहीं कर सका है, किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत पुष्ट परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियोजन ने आरोपीगण के विरूद्ध विचारित आरोपों के संबंध में यह मामला स्थापित करने का पूर्ण प्रयास किया है। ध्यातव्य है कि कतिपय अपराधों के संबंध में यद्यपि प्रत्यक्ष साक्ष्य का आभाव होता है, किन्तु परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कडियां एक दूसरे से जुडकर यह इंगित करती हैं कि अपराध केवल और केवल आरोपी के द्वारा ही कारित किया गया है, और ऐसे मामलों में अपराध के परिस्थितिजन्य साक्ष्य का महत्व तत्संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य से कम नहीं होता है, संभवतः इसीलिए **विधिशास्त्री पेबी** का यह कहना था कि **''व्यक्ति झूठ बोल सकता है, परिस्थितियां नहीं'',** और उक्त विवेचना अनुसार वर्तमान प्रकरण में अभियोजन की ओर से प्रस्तुत समस्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य आरोपीगण की दोषिता इंगित करती है।

270. बचाव पक्ष के द्वारा आरोपीगण की निर्दोषिता के संबंध में मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन ने उसके द्वारा संपादित अनुसंधान कार्यवाहियों के संबंध में कोई भी स्वतंत्र साक्षी न तो कार्यवाही के दौरान बनाया है, और न ही विचारण में प्रस्तुत किया है, और न ही घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी या उस संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जहां तक साक्ष्य में कोई चक्षुदर्शी साक्षी या प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने का प्रश्न है उक्त संबंध में यह विचारणीय है कि आरोपित अपराध एक विशिष्ट कालखंड में वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुए तथा वन्य जीव अवयवों के आरोपीगण द्वारा संगठित गिरोह के रूप में किए गए निरंतर अपराध के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं, न कि किसी एक विशिष्ट घटना अथवा कुछ घटनाओं के संबंध में। यहां यह भी अवलोकनीय है कि आरोपित अपराध मूक, निरीह, निर्बल वन्य जीव लाल तिलकधारी कछुए तथा वन्य जीव अवयव पेंगोलिन शल्क के विरूद्ध आरोपीगण द्वारा कारित किया गया है जिसका कोई बचाव, प्रतिरोध या शिकायत उक्त पीड़ित पक्ष करने में सक्षम नहीं है, ऐसे में अपराधों के संव्यवहारों का कोई चक्षुदर्शी साक्षी अथवा तत्संबंध में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत न कर पाना स्वाभाविक है, और न हीं कोई प्रज्ञावान व्यक्ति ऐसे किसी साक्ष्य के प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है। उक्त संबंध में यह भी महत्वपूर्ण है कि वन्य जीव के विरूद्ध किए जाने वाले अपराधों के संबंध में किसी साक्ष्य की अपेक्षा उक्त अपराध की विशिष्ट प्रकृति व परिस्थिति को ध्यान में रखकर ही किया जाना उचित होगा, इस संबंध में न्यायदृष्टांत **संसारचंद वि. राजस्थान राज्य क्रिमिनल अपील नं. 2024 वर्ष 2010** अवलम्बनीय है।

271. जहां तक कार्यवाहियों के स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के तर्क का प्रश्न है, अभियोजन द्वारा प्रस्तुत विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ. सा–1) के विस्तृत प्रतिपरीक्षण जो कंडिका 127 लगायत 697,(कंडिका 699 लगायत 702 को छोड़कर) तक किया गया है, में बचाव पक्ष के द्वारा उक्त तथ्य को बार–बार उठाया गया है, जिसका समाधानप्रद उत्तर देते हुए साक्षी ने अन्वेषण की तात्कालिक परिस्थिति व प्रकरण की गंभीरता को दर्शित किया है जिसे अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता, वैसे भी विवेचक साक्षी अथवा वन विभाग में कार्यरत साक्षियों के संबंध में यह उपधारित नहीं किया जा सकता कि वे वन विभाग के अधीन लोकसेवक होने से अविश्वसनीय हैं, तत्संबंध में न्यायदृष्टांत **रामू उर्फ रमेश वि. स्टेट ऑफ म.प्र. 2003 (5) एमपीएलजे 31, न्यायदृष्टांत राजस्थान राज्य वि. श्रीमती कालकी एवं अन्य एआईआर 1981 (2) एस.सी. 1390 तथा न्यायदृष्टांत जुगरू वि. स्टेट ऑफ म.प्र. 2004 (1) एमपीएलजे 530** अवलम्बनीय है।

272. बचाव पक्ष द्वारा यह भी तर्क किया गया है कि वर्तमान प्रकरण वन विभाग के उच्च अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करने हेतु षड्यंत्र करके सुनियोजित ढंग से आरोपीगण के संबंध में उपलब्ध विभागीय डाटा का दुरूपयोग करते हुए एवं दस्तावेजों का कूटकरण कर आरोपीगण के विरूद्ध फर्जी रूप से पंजीबद्ध किया है। उक्त के समर्थन में बचाव पक्ष द्वारा मुख्यतः प्रदर्श पी 432 को दिनांक 03.05.2017 को जारी किया जाना, तथा उसमें प्रयुक्त शब्दावली ''प्रभारी क्षेत्रीय टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर की मांग पर व आरोपी की रिमांड अवधि में उसकी निशानदेही पर वन्य प्राणी के अपराध गिरोह के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने हेतु'' को आक्षेपित करते हुए यह तर्क किया है कि जब दिनांक 03.05.2017 को ही आरोपी आजाद को वन्य अपराध प्रकरण क्रमांक 8877/25 में पुलिस रिमांड पर प्राप्त किया गया था तो उक्त दिनांक 03.05.2017 को ही विभाग के अधिकारियों को संबंधित गिरोह के द्वारा अपराध कारित किए जाने का ज्ञान कैसे हो सकता है, तथा यह भी कि उक्त दिनांक 03.05.2017 के पूर्व क्षेत्रीय प्रभारी अधिकारी सागर के द्वारा मुख्यालय से टीम गठित करने की मांग कैसे की जा सकती है, जैसा कि उक्त आदेश में लेख है, जो यह दर्शाता है कि पूरी कार्यवाही सुनियोजित षड्यंत्र के तहत की गई है। उक्त के समर्थन में बचाव पक्ष के द्व ारा प्रदर्श पी 1 तथा प्रदर्श पी 368 के दस्तावेजों की कूटरचना किये जाने का आरोप अभियोजन पर यह कहते हुए लगाया है कि प्रदर्श डी2 सी से, प्रदर्श डी 9 (तलाशी पूर्व पंचनामा), प्रदर्श डी 10 (तलाशी उपरांत पंचनामा) तथा प्रदर्श डी 7 से यह स्पष्ट दर्शित होता है कि दिनांक 05.05.2017 को मोगियापुरा में की गयी संपूर्ण कार्यवाही प्रकरण क्रमांक 8877/25 में की गयी थी और सुनियोजित षडयंत्र के तहत उक्त कार्यवाही के दस्तावेजों का कूटकरण कर नवीन प्रकरण पीओआर 28060/02 पंजीबद्ध किया गया है।

273. बचाव पक्ष के उक्त तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि प्रकरण के दस्तावेजों तथा तत्संबंध में प्रस्तुत विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा–1) की साक्ष्य से यह स्पष्ट दर्शित है कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स सागर, जिसका गठन वर्ष 2008 में वन्य जीवों के संरक्षण हेतु प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए किया गया है, कि क्षेत्रीय कार्यालय सागर की प्रभारी होकर वह शासन के आदेश प्रदर्श पी 449 के तहत सागर शिवपुरी एवं ग्वालियर वन वृत की प्रभारी अधिकारी के रूप में कार्यरत थीं, और मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के **नोटिफिकेशन क्रमांक सी/1715/।।।–6–6/90 जबलपुर दिनांक 19.04.2017** (प्रदर्श पी 448) अनुसार दिनांक 19.04.2017 से सागर, शिवपुरी, ग्वालियर, दमोह, गुना, श्योपुर, भिंड, मुरैना, दतिया और अशोकनगर के संपूर्ण वन परिक्षेत्र की विचारण अधिकारिता सागर स्थित सीजेएम न्यायालय को प्रदान कर दिये जाने से उक्त संपूर्ण परिक्षेत्र भी, उसके सागर मुख्यालय के प्रभारी होने के कारण, उसके अन्वेषण क्षेत्राधिकार में आ गया था। वैसे भी प्रदर्श पी 449 से यह तथ्य पुष्ट होता है कि विवेचक साक्षी श्रृद्धा पंद्रे द्वारा दिनांक 05.05.2017 को मोंगियापुरा श्योपुर में की गई संपूर्ण कार्यवाही क्षेत्राधिकार के तहत की गई कार्यवाही थी, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी 432 के आदेश से भी होती है, और उक्त अधिकारी उक्त संपूर्ण परिक्षेत्र में होने वाले वन्य जीव अपराधों के संबंध में जानकारी रखने हेतु न केवल अधिकृत थीं बल्कि कर्तव्यबद्ध भी थी।

274. जहां तक दिनांक 03.05.2017 को प्रदर्श पी 432 के जारी होने और उसकी शब्दावली का प्रश्न है तीव्र संचार साधानों के इस युग में यह तर्क कि प्रथम पुलिस रिमांड दिनांक को ही उक्त आदेश कैसे जारी हो सकता है, तर्क संगत नहीं है, वैसे भी विवेचक साक्षी (अ.सा.1) के अनुसार आरोपी आजाद के पुलिस रिमांड के संबंध में आवेदन उक्त दिनांक के पूर्व ही न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका था, और जहां तक प्रयुक्त शब्दावली में ''गिरोह'' शब्द के प्रयुक्त किए जाने का प्रश्न है, तो संबंधित आरोपी आजाद के पूर्व से ग्वालियर के वन्य अपराध प्रकरण 4840/04 में अभिरक्षा में होने का तथ्य, ग्वालियर परिक्षेत्र विवेचक साक्षी (अ.सा–1) के क्षेत्राधिकार में होने से, विवेचक साक्षी को पूर्व से ज्ञात था। जहां तक प्रदर्श पी 1 और प्रदर्श पी 368 को कूटकृत कर बनाये जाने के तर्क का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी2सी, प्रदर्श डी 9 (तलाशी पूर्व पंचनामा), प्रदर्श डी10 (तलाशी उपरांत पंचनामा), प्रदर्श डी7 वन्य प्रकरण क्रमांक 8877/25 के दस्तावेज हैं, जिन्हें दिनांक 05.05.2017 की कार्यवाही के संबंध में उक्त प्रकरण में बावत् सूचनार्थ अथवा कार्यवाही के पत्रक के रूप में संलग्न किया गया है, क्योंकि उक्त दिनांक 05.05.2017 की कार्यवाही मूलतः उक्त प्रकरण में फॉरेस्ट रिमाण्ड पर लिये गये आरोपी आजाद की निशानदेही पर संपादित की गयी थी। जहां तक पूर्व से वन प्रकरण 4840/04 और 8877/25 के पंजीबद्ध होने

के बावजूद, उन्हीं आरोपीगण के लिए दिनांक 05.05.2017 की कार्यवाही के संबंध में पृथक पीओआर 28060/02 का वन प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने का प्रश्न है, तो उल्लेखनीय है कि अभियोजन का यह तर्क अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता है कि आरोपी नंदलाल के घर से दिनांक 05.05.2017 को पैंगोलिन शल्क (300ग्राम) जप्त होने और आरोपी नंदलाल से की गयी प्रारंभिक पूछताछ में लाल तिलकधारी कछुओं के अवैध व्यापार के संबंध में व्यापक स्तर पर अपराध कारित होने की जानकारी मिलने पर पृथक से पीओआर 28060/02 जारी की गयी थी, वैसे भी वन्य अपराधों के संबंध में प्रकरणों की पंजीबद्धता का अधिकार विवेचक को इस आधार पर प्रदान किया गया है कि जिससे वह न केवल प्रकरण के अनुसंधान की सरलता सुनिश्चित कर सके, बल्कि वन्य जीव संरक्षण के अपराधों पर एक प्रभावपूर्ण कार्यवाही करने में सक्षम हो सके। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं रह जाता है।

275. बचाव पक्ष के द्वारा एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोपीगण के नाम से अभिलिखित की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृतियां स्वेच्छया न होने के कारण तथा डर व मारपीट के अधीन लिये जाने के कारण साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। उक्त संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि सभी आरोपीगण के संस्वीकृतिकारी कथन प्रकरण की विवेचक श्रृद्धा पेंद्रे (अ.सा–1) ने साक्षियों की उपस्थिति में अभिलिखित कराए हैं, और उक्त संबंध में प्रस्तुत साक्षी ने भी न्यायालय में आरोपीगण द्वारा स्वेच्छया संस्वीकृति किए जाने का कथन किया है। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि यदि आरोपीगण से डर, भय या उत्पीडन के अधीन उक्त संस्वीकृतियां ली गई थीं तो तत्संबंध में आरोपी पक्ष की ओर से प्रथम सुलभ अवसर पर उक्त संबंध में शिकायत या परिवाद किया जाना चाहिए था, किन्तु आरोपी पक्ष की ओर से ऐसा कोई परिवाद विचारण प्रांरभ के पूर्व नहीं किया गया और अभियुक्त परीक्षण के प्रक्रम पर उक्त संस्वीकृतियों को साक्ष्य में न पढा जावे, इस आशय से तत्संबंधी आपत्ति की गई है, जो स्वाभाविक न होने से स्वीकार योग्य नहीं है। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत तर्क से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

276. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि फॉरेस्ट ऑफिसर भी पुलिस अधिकारी की श्रेणी में आते हैं और इस कारण से प्रकरण की विवेचक उप वन सरंक्षक श्रृद्धा पैंद्रे द्वारा आरोपीगण की अभिलिखित की गई न्यायिकेत्तर संस्वीकृतियां धारा 25 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रकाश में साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं और न हीं इन्हें साक्ष्य में पढा जा सकता है। अपने तर्क के समर्थन में आरोपी पक्ष की ओर से न्यायदृष्टांत **तूफान सिंह वि. तमिलनाडू राज्य क्रिमिनल अपील नं. 152/2013 पारित निर्णय दिनांक 29.10.2020** प्रस्तुत किया गया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्व ारा यह धारित किया गया है कि एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्य कर रहे अधिकारीगण पुलिस अधिकारियों की श्रेणी में आते हैं और इसलिए उनके द्वारा

लिए गए संस्वीकृतिकारी कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से बाधित होते हैं।

277. इस संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि आरोपीगण के उक्त संस्वीकृतिकारी कथन प्रकरण की विवेचक उपवन संरक्षक श्रृद्धा पेंद्रे (अ.सा–1) द्वारा वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 (8)(डी) के तहत संबंधित आरोपी की उपस्थिति में अभिलिखित कराए गए हैं, जिसे अभिलिखित कराने की अधिकारिता प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) म.प्र. के आदेश क्रमांक / 189 भोपाल दिनांक 22.08.2006 से उसे प्रत्यायोजित की गई है, और उक्त कथनों को अधिनियम की ही धारा 50 के उपखंड (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य उपबंधित किया गया है, ऐसे में उक्त संस्वीकृतिकारी कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 25 से बाधित नहीं हो सकते क्योंकि उक्त अधिनियम एक विशेष उपबंधकारी अधिनियम है जो सामान्य विधि अर्थात भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर अविभावी होगा। जहां तक प्रस्तुत न्यायदृष्टांत का प्रश्न है, उक्त में धारित सिद्धांत के प्रति संपूर्ण आदर रखते हुए इस न्यायालय का मत है कि उक्त न्यायदृष्टांत का लाभ वर्तमान प्रकरण में प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि प्रथमतः तो उक्त प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियां वर्तमान प्रकरण से भिन्न हैं, द्वितीयतः एनडीपीएस के संबंध में अभिधारित मत वर्तमान प्रकरण में स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि वन्य संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (8)(डी) सहपठित धारा 50 (9) के समर्थकारी सदृश कोई उपबंध एनडीपीएस एक्ट में नहीं है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **ई.सी रिचर्ड वि. फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर एआईआर 1957 मद्रास 31 मद्रास हाईकोर्ट, न्यायदृष्टांत लक्ष्मीचंद वि. म.प्र. राज्य 1996 सीआर.एल.जे. 118** एवं **न्यायदृष्टांत फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वि. अबु बकर 1989 सीआर.एल.जे. 2038** भी अवलोकनीय है जिनमें यह धारित किया गया है कि वन अधिकारी एक पुलिस अधिकारी नहीं माना जाता और जब वन अधिकारी किसी अभियुक्त का संस्वीकृति कथन लेखबद्ध करता है तो ऐसा संस्वीकृति कथन साक्ष्य में ग्राह्य होता है।

278. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया है कि आरोपीगण के कथित बैंक खातों के संबंध में प्रस्तुत स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रतियां साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं क्योंकि उनके संबंध में धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रस्तुत प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में न होकर दूषित है। उक्त संबंध में यह महत्वपूर्ण है कि बैंकर्स बुक एविंडेंस एक्ट 1891 की धारा 4 यह प्रावधानित करती है कि बैंक खातों की प्रमाणित प्रति उसमें हुई प्रविष्टियों के संबंध में ग्राह्य साक्ष्य है और खातों के संव्यवहार किए जाने, अंतरण किए जाने के संबंध में ऐसी प्रमाणित प्रतियों में दर्शित प्रविष्टियों का साक्षिक मूल्य मूल प्रविष्टियों की भांति ही होगा, ऐसा ही मत माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत **इलाहबाद बैंक रीवा वि. प्रमोद एआईआर 2006 एम.पी.10** में धारित किया है। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत उक्त तथ्य स्वीकार योग्य

नहीं है।

279. बचाव पक्ष द्वारा एक तर्क यह भी प्रस्तुत किया गया है कि प्रकरण की विवेचक सुश्री श्रृद्धा पंद्रे अ.सा–1 उपवन संरक्षक के पद पर कार्यरत हैं जो वर्तमान प्रकरण के परिवाद प्रस्तुति हेतु अधिनियम की धारा 55, के अनुसार समर्थ नहीं है। उक्त तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 55 के तहत बनाए गए म.प्र. नियम वर्ष 1974 के नियम 55 के अनुसार जिन अधिकारियों को परिवाद प्रस्तुत करने हेतु समर्थ बनाया गया है, उनमें फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर भी शामिल है और वर्तमान प्रकरण में परिवाद प्रस्तुत करने वाली सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा. 1) फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर से वरिष्ठ होकर उपवन संरक्षक के पद पर पदस्थ हैं। अतः उनकी ओर से प्रस्तुत परिवाद पत्र को अधिकारहीन नहीं कहा सकता। यहां यह भी विचारणीय है कि बचाव पक्ष की उक्त आपत्ति का निराकरण माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर द्वारा इसी मामले के संबंध में प्रस्तुत एमसीआरसी क्रमांक 20013/2019 दिनांक 15.10.2019 द्व ारा किया जा चुका है। अतः बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत यह तर्क भी आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

280. बचाव पक्ष ने यह भी एक तर्क प्रस्तुत किया है कि अभियोजन के द्वारा किसी भी आरोपीगण के संबंध में ''शिकार'' करने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है, इस कारण आरोपित अपराध अंतर्गत धारा 2 और धारा 9 आकृर्षित नहीं होती। बचाव पक्ष के उक्त तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 के उपखण्ड 16 में ''आखेटन'' (हंटिंग) को परिभाषित किया गया है जिसके तहत केवल वन्य प्राणी या बंदी प्राणी को मारना ही शाामिल नहीं है, बल्कि किसी वन्य प्राणी या बंदी को पकडना या फंदे में फंसाना भी शामिल है, यहां तक कि उक्त में वन्य प्राणी के शरीर के किसी भाग को क्षतिग्रस्त करना को भी शामिल किया गया है। ऐसे में स्पष्ट है कि वर्तमान प्रकरण में जबकि लाल तिलकधारी कछुये को आरोपीगण द्वारा एक संगठित गिरोह के रूप में चंबल नदी और उसके आसपास के क्षेत्रों से पकडने तथा उन्हें परिवहनित कर अंतराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने का तथ्य आरोपीगण ने साक्ष्य से स्थापित किया है, तो यह तथ्य स्वतः स्थापित हो जाता है कि आरोपीगण का कृत्य अधिनियम में यथा परिभाषित आखेटन/शिकार में समाहित है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी अमान्य किया जाता है।

281. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि अभियोजन साक्षियों के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुती के दौरान न केवल किसी भी घटना का समय, दिनांक अथवा वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि उक्त संबंध में प्रश्निात किये जाने पर यह स्वीकारा भी है कि अभियोजन साक्ष्य में उक्त तथ्य निश्चित रूप

से व्यक्त नहीं है, ऐसे में न केवल अभियोजन साक्ष्य विश्वसनीय नहीं रह जाती, बल्कि की गयी विवेचना भी दूषित हो जाती है, और दूषित विवेचना के आधार पर दोषसिद्धी आधारित नहीं की जा सकती, इस संबंध में बचाव पक्ष के द्वारा न्यायदृष्टांत **उत्तरप्रदेश राज्य विरूद्ध वासिफ हैदर (क्रिमिनल अपील नंबर 1702–1706 / 2014 दिनांक 10.12.2018)** प्रस्तुत किया गया है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क के संबंध में न्यायालय का यह मत है कि किसी भी प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना उस प्रकरण के तथ्य एवं परिस्थितियों और तत्संबंध में उपबंधित विधिक उपबंधों के आलोक में की जानी होगी, उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में आरोपित अपराध किसी विशिष्ट दिनांक, घटना अथवा वर्ष के संबंध में अधिरोपित नहीं किये गये हैं, बल्कि एक विशिष्ट कालखण्ड के दौरान आरोपीगण के द्वारा गिरोह के रूप में संगठित होकर उनके अपने–अपने स्तर पर अपराध का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के संबंध में अधिरोपित किये गये हैं, ऐसे में अभियोजन से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह प्रत्येक घ ाटना अथवा घटनाक्रम के समय, दिनांक व वर्ष का उल्लेख साक्ष्य में करे, क्योंकि एक लंबे समयान्तराल में किये गये वन्य जीवों संबंधी अपराध, जिनमें सामान्यतः अपराधी परोक्ष रूप से कार्यरत होकर अपराध करते हैं, और इस कारण जिनमें अपराध का प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना संभव नहीं होता है, के संबंध में न तो सामान्य प्रज्ञा का मनुष्य और न ही विधि ऐसी कोई अपेक्षा रखती। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क को अमान्य किया जाता है।

282. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि आरोपीगण के कथित मोबाइल नंबर के संबंध में ऐसी कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिनमें संबंधित नंबर आरोपीगण के नाम आवंटित किया जाना दर्शित होते हों और इस कारण किसी भी आरोपी के कथित मोबाइल नंबर को उक्त आरोपी का मोबाइल नंबर होना अभियोजन प्रमाणित नहीं कर सका है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क से भी सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि प्रत्येक आरोपी ने उसकी न्यायिकेत्तर संस्वीकृतिकारी कथन में न केवल स्वयं के मोबाइल क्रमांकों को बताया है, बल्कि अन्य सह आरोपीगण के मोबाइल नंबरों को भी बताया है और उक्त कथन अधिनियम के उपबंधों के तहत विधिक रूप से साक्ष्य में ग्राह्य हैं, जिससे उक्त नंबरों का संबंधित आरोपीगण का होना स्थापित है, जहां तक उक्त नंबरों के संबंध में संबंधित कंपनी / सर्विस प्रोवाइडर संबंधी दस्तावेजों के प्रस्तुत न किये जाने का प्रश्न है, उक्त संबंध में अभियोजन का यह तर्क अस्वाभाविक दर्शित नहीं होता कि कोई भी अपराधी स्वयं के नाम से मोबाइल नंबर लेकर आपराधिक कृत्य संपादित नहीं करता। यहां यह भी अवलोकनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत बैंक स्टेटमेंट तथा मेल, सोसल नेटवर्किंग साइट संबंधी दस्तावेजों में आरोपीगण के संबंधित नंबरों का उल्लेख होने से भी उक्त नंबर आरोपीगण के होना पुष्ट होता है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी अमान्य किया जाता है।

283. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50 के उपखण्ड (4) में यह उपबंधित है कि अधिनियम के तहत अभिग्रहित की गयी वस्तु विधि के अनुसार कार्यवाही किये जाने के लिए मुख्य वन संरक्षक या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सूचित करते हुए मजिस्ट्रेट के समक्ष तुरंत ले जायी जाएगी, जबकि वर्तमान प्रकरण में उक्त उपबंध का कई बार उल्लंघन किया गया है, जैसे कि अभियुक्त मन्नीवन्नन से दिनांक 01.02.2018 को जप्त मोबाइल फोन को लगभग 05 माह तक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस कारण प्रकरण की विवेचना गंभीरतः दूषित है। उल्लेखनीय है कि वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 50 में प्रवेश, तलासी, गिरफतारी और निरूद्ध करने की शक्ति को उपबंधित करते हुए तत्संबंधी संपूर्ण कार्यवाही की प्रकिया को बताया गया है। धारा 50 में उक्त उपबंधित प्रकिया को संपूर्णता में पढना होगा, अर्थात उपखण्ड 4 में उपबंधित उक्त नियम को उसके पूर्व उपबंधित नियम अर्थात उपखण्ड 3 (क) के साथ पढा जायेगा, जैसा कि निर्वचन का सिद्धांत **''एजेस्डम जेनरिस''** निर्देशित करता है, उक्त तथ्य उपखण्ड–4 में प्रयुक्त शब्दावली ''पूर्वोक्त शक्ति के अधीन .....'' से भी पुष्ट होता है। स्पष्ट है कि उपखण्ड 4 में प्रयुक्त शब्दावली ''अभिग्रहित की गयी कोई बस्तु'' उक्त उपखण्ड के पूर्वोक्त उपखण्डों में वर्णित वस्तु ही होगी, और उक्त अनुसार उपखण्ड 3 (क) में प्रयुक्त शब्दावली '' उपधारा 1 के उपखण्ड ग के अधीन किसी बंदी प्राणी या वन्य प्राणी को अभिग्रहीत किया है.....'' से उक्त वस्तु, बंदी प्राणी या वन्य प्राणी होना दर्शित होता है। अतः स्पष्ट है कि जिस बस्तु के अभिग्रहण के संबंध में उपखण्ड 4 में विशेष प्रकिया अभिलिखित की गयी है, वह कोई अन्य बस्तु न होकर उपखण्ड 3 (क) के अधीन अभिग्रहीत वस्तु, अर्थात बंदी प्राणी या वन्य प्राणी है, न कि प्रत्येक अभिग्रहीत बस्तु। अतः उक्त संबंध में किया गया बचाव पक्ष का तर्क भी अमान्य किया जाता है।

284. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी रहा है कि प्रकरण की विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) को आरोपीगण के दस वर्षों के लंबे कार्यकाल में किये गये कथित अपराधों के अन्वेषण की कोई अधिकारिता नहीं थी, क्योंकि उनके द्वारा तत्संबंधी कोई भी अधिकार पत्र अथवा प्राधिकार संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि म.प्र. वन विभाग द्वारा आदेश क्रमांक / एफ15 / 30 / 2007 / 10–2 भोपाल दिनांक 12.12.2008 (प्रदर्श पी 449) के द्वारा म.प्र. में बाघ एवं अन्य वन्य प्राणियों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ करने के लिए मुख्य वन्य प्राणी अभिरक्षक के अधीन एक राज्य स्तरीय '' टाईगर स्ट्राईक फोर्स'' का गठन किया गया था और उसके मुख्यालय सागर के अधीन सागर, शिवपुरी एवं ग्वालियर वन वृत को शामिल किया गया था। विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पन्द्रे (अ.सा.1) ने कंडिका 1 में ही व्यक्त किया है कि दिनांक 05.05.2017 को वह क्षेत्रीय टाईगर स्ट्राईक फोर्स सागर में उप वन

संरक्षक के पद पर पदस्थ थी, निश्चित रूप से उक्त प्रदर्श पी 449 के अनुसार उसकी क्षेत्राधिकारिता सागर मुख्यालय में आने वाले सागर, शिवपुरी और ग्वालियर वन वृत तक विस्तारित थी और उसे अपने क्षेत्राधिकारिता के वन्य क्षेत्र में कारित अपराध के अन्वेषण की अधिकारिता अधिनियम के तहत स्वतः प्राप्त थी, जहां तक 10 वर्षों तक के कार्यकाल से संबंधित किसी विशिष्ट आदेश की अपेक्षा का बचाव पक्ष का तर्क है, विधि में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें अपराध की विशिष्ट कालावधि को लेख कर अन्वेषण करने की अधिकारिता प्रदान किया जाना अपेक्षित हो। अतः उक्त तथ्य का कोई लाभ बचाव पक्ष को प्राप्त नहीं होता है।

285. बचाव पक्ष के अधिवक्तागण का एक तर्क यह भी है कि अभियोजन पक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से ''गिरोह'' पदावली की आवश्यक अपेक्षाओं को स्थापित नहीं कर सका है, और इस कारण आरोपीगण पर आरोपित अपराध कि उन्होंने सह आरोपीगण के साथ मिलकर एक अंतराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में वन्य जीव तथा वन्य जीवों के अवयवों का व्यापार/तस्करी का अपराध किया है, प्रमाणित नहीं होता है। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट दर्शित हुआ है कि आरोपीगण के द्वारा आरोपित अपराध तीन स्तरों पर कारित किया गया है और प्रत्येक स्तर पर संलिप्त आरोपी की अपराध में एक निश्चित भूमिका निर्धारित थी, जिसके अनुसार वह कार्य संपादित करता था। जैसे कि आरोपी नंदलाल (मृत), आरोपी विजय गौड, आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा तथा उसके समकक्ष आरोपी संपतिया बाथम, कमल बाथम निचले ग्रामीण स्तर पर लाल तिलकधारी कछुओं को चंबल नदी तथा उसके आसपास के क्षेत्रों से शिकार कर या ग्रामीणों से खरीदकर अथवा देवरी ईको सेंटर मुरैना से चोरी कर संग्रहित करते थे और यह गिरोह का ग्रॉसरूट लेवल था, जहां से उक्त संग्रहित वन्य जीव/वन्य जीव अवयव को गिरोह के मध्यम स्तर पर कार्य करने वाले सदस्य यथा आरोपी अजय, आरोपी आजाद, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला के द्वारा परिवहनित कर आरोपी मो. इरफान तक पहुंचाते थे, जिसमें उनकी सहायता आरोपी मो. इकरार, आरोपी तपश बसाक और आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका, आरोपी थमीम अंसारी द्वारा की जाती थी, जहां से उक्त संग्रहित वन्य जीव/वन्य जीव अवयव कार्गो अथव ऐयरलाईन्स से आरोपी मन्नीवन्न तक पहुंचाये जाते थे, जो उसके विदेशी साथियों (फरार आरोपीगण) की सहायता से अंतराष्ट्रीय बाजार में उनका व्यापार करते थे, इस प्रकार मन्नीवन्नन तथा उसके विदेशी साथी गिरोह के सबसे उपर स्तर पर कार्य करने वाले सदस्य थे।

286. स्पष्ट है कि अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य से सभी आरोपीगण की उनके अपने–अपने स्तर पर की गयी भूमिका को स्थापित किया है, जो कि एक संगठित गिरोह के रूप में किसी अपराध को कार्यान्वित करने की प्रमुख अर्हता होती है। ऐसे अंतर्राज्यीय एवं अंतराष्ट्रीय वन्य जीवों के अवैध व्यापार के

रैकेट के उपरी पायदान के व्यक्ति से सबसे निचले पायदान पर स्थित आरोपी तक सीधा या प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, बल्कि निचला स्तर मध्यम स्तर से और फिर मध्यम स्तर उच्च स्तर से एक पिरामिड की भांति जुडा होता है और एक संगठित गिरोह का मॉडस ऑपरेंडी भी ऐसे ही काम करता है। अतः स्पष्ट है कि प्रस्तुत साक्ष्य से आरोपीगण का एक अंतर्राज्जीय या अंतराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में वन्य जीव/वन्य जीव अवयव का व्यापार करना स्थापित होता है और ऐसे में बचाव पक्ष का उक्त तर्क अमान्य किया जाता है।

287. बचाव पक्ष के अधिवक्तागण का एक तर्क यह भी है कि आरोपी विजय गौड और कैलाशी उर्फ चच्चा को छोडकर अन्य किसी भी आरोपी से कोई वन्य जीव अथवा वन्य जीव अवयव जप्त नहीं हुये हैं, ऐसे में आरोपीगण के कब्जे में कोई वन्य जीव अथवा वन्य जीव अवयव होना अभियोजन स्थापित नहीं कर सका है, और इसी कारण से अधिनियम की धारा 57 के तहत आरोपीगण पर स्वयं की निर्दोषिता साबित करने का भार अंतरित नहीं होता है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता, क्योंकि प्रकरण में मृत आरोपी नंदलाल, आरोपी विजय गौड एवं आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से हुई वन्य जीवों एवं उनके अंगों की जप्ती कार्यवाही से यह स्थापित होता है कि गिरोह के जो सदस्य लाल तिलकधारी कछुओं एवं पेंगोलिन शल्क के संग्रहण हेतु ग्रासरूट स्तर पर कार्य करते थे, वे उक्त वन्य जीव अथवा वन्य जीव अवयवों को वहां से प्राप्त कर गिरोह के मध्यम स्तर पर कार्य करने वाले सदस्यों यथा आरोपी आजाद, आरोपी रामसिंह उर्फ भोला, आरोपी अजय, आरोपी मो. इकरार आदि को उपलब्ध कराते थे, जो उक्त वन्य जीवों/अवयवों को आरोपी इरफान को प्रदान करते थे, जो उन्हें परिवहनित कर गिरोह में उच्च स्तर पर कार्य करने वाले आरोपी यथा मन्नीवन्नन तथा अन्य फरार विदेश आरोपीगण तक पहुंचाता था। स्पष्ट है कि प्रकरण के आरोपी नंदलाल (मृत), आरोपी विजय गौड एवं आरोपी कैलाशी उर्फ चच्चा से जप्त हुये उक्त वन्य जीवों एवं उनके अंगों की जप्ती कार्यवाही न केवल उक्त आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य है, बल्कि उक्त जप्ती लाल तिलकधारी कछुए के अवैध व्यापार में संलग्न संबंधित अंतराष्ट्रीय गिरोह, जो तीन स्तरों पर संचालित होता था, के एक स्तर (निचले स्तर) से की गई जप्ती होकर संपूर्ण गिरोह के विरूद्ध साक्ष्य में ग्राह्य होगी और ऐसे में उक्त गिरोह में शामिल प्रत्येक सदस्य के विरूद्ध उक्त वन्य जीव एवं उसके अवयवों की जप्ती साक्ष्य में ग्राह्य है, तद्नुसार अधिनियम की **धारा 57** की उपधारणा गिरोह के सभी सदस्य, अर्थात प्रकरण के प्रत्येक आरोपी के विरूद्ध की जा सकेगी और इस कारण आरोपीगण पर उनकी निर्दोषता साबित करने का भार अंतरित हो जाता है। तदानुसार बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी अमान्य किया जाता है।

288. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में न केवल विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.01) तथा अन्य

अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में आपसी विरोधाभास है, बल्कि विवेचक साक्षी की स्वयं की साक्ष्य में भी विरोधाभासी तथ्य विद्यमान हैं, और उन्होंने सुविधा के अनुसार प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रत्येक आरोपी के संबंध में भिन्न भिन्न कथन किए हैं, जो विरोधाभासी हैं, और इस कारण अभियोजन पक्ष की साक्ष्य में गंभीर विरोधाभास और विसंगति तथा लोप विद्यमान होने से विश्वसनीय नहीं मानी जा सकती। उल्लेखनीय है कि बचाव पक्ष के द्वारा विवेचक साक्षी (अ. सा–1) का अतिविस्तृत प्रतिपरीक्षण किया गया है, जो कंडिका 127 लगायत 697,(कंडिका 699 लगायत 702 को छोडकर) तक विस्तृत है, जिसमें निश्चित रूप से कतिपय विरोधाभासी कथन कुछ संदर्भों में आए हैं जिन्हें अस्वाभाविक नहीं माना जा सकता क्योंकि दौरान प्रतिपरीक्षण अनुसंधान कार्यवाही के छोटे छोटे प्रक्रमों के संबंध में छिद्रान्वेशी प्रश्न किए गए हैं, ऐसे में संबंधित कार्यवाहियों के लगभग तीन वर्ष पश्चात अन्वेषण कार्यवाही की ऐसी छोटी–छोटी संसूचनाओं और विशिष्टियों को याद रख पाने की अपेक्षा नहीं की जा सकती क्योंकि मानव स्मृति की भी एक सीमा होती है। जहां तक विवेचक साक्षी की साक्ष्य और अन्य साक्षियों के साक्ष्य में विसंगतता या विरोधाभाष होने का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि मामले के सारभूत तथ्यों के संबंध में उक्त साक्षियों की साक्ष्य में कोई गंभीर विरोधाभास नहीं है, ऐसे में छोटे मोटे विरोधाभासों के आधार मात्र पर साक्षी की संपूर्ण अभिसाक्ष्य को नकारा नहीं जा सकता। यहां यह भी अवलोकनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य में न्यायालय को यह देखना होता है कि साक्ष्य में जो विरोधाभास आए हैं, उनकी प्रकृति सामान्य है अथवा तात्विक और यदि सामान्य परिस्थिति में विरोधाभास विद्यमान है, तो उससे किसी साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रभावित नहीं होती है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **जोगिंदर सिंह वि. स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश एआईआर 2012 एससी 2254** तथा **न्यायदृष्टांत राजस्थान राज्य वि. श्रीमती कालकी एवं अन्य 1981 (2) एससीसी 752** भी अवलोकनीय है। तदनुसार साक्षीगण की साक्ष्य में कोई गंभीर अथवा तात्विक विरोधाभास दर्शित न होने से बचाव पक्ष के उक्त तर्क को अमान्य किया जाता है।

289. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत आरोपी अजयसिंह, आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी इरफान और आरोपी थमीम अंसारी के कथित ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एकाउंट और आई क्लाउड से निकाले गए दस्तावेजों के संबंध में उक्त दस्तावेजों के इलेक्ट्रोनिक अभिलेख होने के संबंध में न तो किसी सक्षम प्राधिकारी का धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण प्रस्तुत किया गया है और न हीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के तत्संबंधी प्रमाण पत्र संलग्न किए गए हैं, ऐसे में विधि अनुसार उक्त इलेक्ट्रोनिक दस्तावेजों को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि आरोपी अजयसिंह, आरोपी मन्नीवन्नन, आरोपी इरफान और आरोपी थमीम अंसारी के संबंध में अभियोजन द्वारा जिन ईमेल व

सोशल नेटवर्किंग एकाउंट आदि के प्रिंट दस्तावेजों को साक्ष्य में प्रस्तुत किया गया है, उन्हें वन विभाग के साइबर प्रभारी अनिल यादव (अ.सा–6) और रवि शर्मा (अ.सा–3) के द्वारा संबंधित आरोपी की उपस्थिति में उसके बताए हुए पासवर्ड के आधार पर निकाला जाना बताया है और तत्संबंध में उक्त साइबर प्रभारी साक्षियों ने उनके धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण पत्र भी प्रदर्शित कराए हैं, ऐसे में बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्क को मान्य नहीं किया जा सकता, और यदि तर्क की दृष्टि से उक्त साइबर प्रभारियों को सक्षम अधिकारी न भी माना जाए, जैसा कि बचाव पक्ष का तर्क है, तो भी उक्त दस्तावेज वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50 (8)(डी) की अपेक्षानुसार अभिलिखित किये जाने के कारण अधिनियम की धारा 50 (9) के तहत साक्ष्य में ग्राह्य हैं, और बचाव पक्ष को उक्त तर्क का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सकता।

290. बचाव पक्ष का यह भी कहना है कि अभियोजन ने उसके द्व ारा प्रस्तुत साक्षियों की सूची अनुसार सभी साक्षियों को परीक्षण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है, जिससे उक्त साक्षियों के द्वारा अन्वेषण के दौरान की गई संबंधित कार्यवाहियां न्यायालय में स्थापित नहीं हुई हैं, साथ ही उक्त साक्षियों के संबंध मे बचाव पक्ष द्वारा उठाए गए संदेहों का कोई स्पष्टीकरण भी अभियोजन ने प्रस्तुत नहीं किया है, इस आधार पर बचाव पक्ष का यह तर्क है कि अभियोजन का मामला केवल विवेचक की साक्ष्य अथवा कुछ साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित नहीं हो सकता है।

291. बचाव पक्ष के उक्त तर्क से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि अभियोजन उसके मामले को स्वयं की साक्ष्य से प्रमाणित करने हेतु दायित्वाधीन होता है, ऐसे में किन साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर संबंधित मामला प्रमाणित होगा, इसके चयन की अधिकारिता अभियोजन की होती है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 134 किसी तथ्य को प्राणित करने हेतु साक्षियों की किसी विशिष्ट संख्या की अपेक्षा नहीं करती है, क्योंकि **''साक्ष्य गिना नहीं जाता, बल्कि तौला जाता है''** ऐसे में एकमात्र साक्षी की साक्ष्य के आधार पर भी किसी आरोपी की दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है, यदि उक्त साक्षी की साक्ष्य विवेचना में विश्वसनीय पाई गई है। ध्यात्वय है कि विवेचक की साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती, ऐसा विधि का कोई नियम नहीं है, और विवेचक की साक्ष्य को भी अन्य साक्षीगण की साक्ष्य की तरह ही विचार में लेना चाहिए, तथा अन्य साक्षीगण की पुष्टि के अभाव में विवेचक की साक्ष्य के आधार मात्र पर भी दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है, यदि विवेचक की साक्ष्य विश्वसनीय और अखंडनीय रही हो। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **करमजीत सिंह वि. स्टेट (दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन) (2003) 5 एससीसी 288 एवं न्यायदृष्टांत सुदीप कुमार सेन उर्फ बिट्टू वि. पश्चिम बंगााल राज्य (2016) 3 एससीसी 26** अवलम्बनीय

है। अतः बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी अमान्य ठहराया जाता है।

292. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी है कि अभियोजन के द्वारा अपराध की उत्पत्ति संदेह के परे प्रमाणित नहीं की गई है, और इस कारण अभियोजन का मामला स्थापित नहीं होता। उल्लेखनीय है कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य और उसकी उपरोक्त विवेचना में यह पाया गया है कि लाल तिलकधारी कछुए की अंतराष्ट्रीय बाजार में अत्यधिक कीमत होने, और ग्रासरूट लेबल पर उक्त वन्य जीव के चम्बल नदी तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में सहज रूप से कम कीमत पर उपलब्ध हो जाने के कारण ही विचारित अपराध आरोपीगण द्वारा संचालित एक संगठित अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के द्वारा कारित किया गया है। वर्तमान मामले की पीओआर 28060 / 02 दिनांक 05.05.2017 को आरोपी नंदलाल (मृत) के मोंगियापुरा स्थित घर से पेंगोलिन शल्क (300 ग्राम) की जप्ती के पश्चात पंजीबद्ध किया गया था, और उक्त दिनांक की संपूर्ण कार्यवाही को विवेचक साक्षी सुश्री श्रृद्धा पंद्रे (अ.सा.01) ने उसकी अखंडित साक्ष्य में क्रमवार व्यक्त किया है, जिसका समर्थन कार्यवाही के अन्य साक्षी प्रदीप यादव(अ.सा.02), रवि शर्मा (अ.सा.03), ओमप्रकाश शर्मा (अ.सा.04), इंदरसिंह बारे (अ.सा.16) की अखंडित एवं असंदिग्ध साक्ष्य से भी होता है, ऐसे में यह नहीं कहा सकता कि अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य से अपराध की उत्पत्ति को प्रमाणित नहीं किया है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क को भी अमान्य किया जाता है।

293. बचाव पक्ष का एक तर्क यह भी रहा है कि प्रकरण में आरोपीगण से कथित रूप से जप्त मोबाइलों को जप्ती के तत्काल पश्चात सीलबंद किया जाना प्रमाणित नहीं होता है, जिससे अनुसंधान कार्यवाही गंभीर रूप से दूषित हुई है, क्योंकि इससे बचाव पक्ष के इस आरोप को बल मिला है कि वन अधिकारियों द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध षड्यंत्र पूर्वक पंजीबद्ध किए गए वर्तमान फर्जी प्रकरण में उक्त जप्त मोबाइलों से कथित रूप से प्राप्त अपराध संबंधी डाटा संबंधित मोबाइल की जप्ती के पश्चात वन विभाग के अधिकारियों द्वारा इनसर्ट किया गया है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में आरोपीगण के विरूद्ध साक्ष्य, संबंधित आरोपी से जप्त मोबाइल से प्राप्त जानकारी के आधार पर एकत्र की गई है, जो कि वर्तमान प्रकरण की विशेष तथ्य एवं परिस्थितियों तथा वन्य जीव संबंधी अपराधों के अनुसंधान में किया जाना स्वाभाविक भी है, ऐसे में आरोपीगण से जप्त मोबाइल तत्समय इस परिस्थिति में नहीं थे कि उन्हें सीलबंद कर रख दिया जाए, और अपराध के विचारण के समय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए, जैसा कि सामान्य अपराध के मामलों में होता है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि आर्टिकल मौके पर सीलबंद न करना मात्र, संपूर्ण कार्यवाही को अविश्वसनीय नहीं बनाता, और पश्चातवर्ती प्रक्रम पर जप्त सामग्री को टेम्पर करने का बचाव सामान्यतः लिया ही जाता है, जबकि जप्त सामानों का विवरण और तत्संबंध में प्राप्त विशेषज्ञ

रिपोर्ट उक्त कार्यवाही को विश्वसनीय बनाती है, और इस कारण प्रत्येक प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थिति पर निर्भर करता है, कि जप्त सामग्री को सीलबंद न करना प्रकरण को कितना प्रभावित करेगा। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत **बिलाल अहमद कालू वि. स्टेट ऑफ आंध्रप्रदेश एआईआर 1997 (7) एससीसी 431 और न्यायदृष्टांत अमरलाल वि. स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश क्रिमिनल अपील नं. 261/1992 दिनांक 09.02.1994** अवलोकनीय है।

294. जहां तक वन अधिकारियों के द्वारा अपराधियों से जप्त मोबाइलों में अपराध संबंधी डाटा उक्त जप्ती के बाद इनसर्ट किए जाने के आरोप का प्रश्न है, उक्त तथ्य से सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि अभियोजन अनुसार उक्त समस्त जानकारियां इंटरनेट व सोशल नेटवर्किंग साइट पर आरोपीगण के संबंधित एकाउंट से व उनके मोबाइलों से प्राप्त की गई अभिकथित है, और यदि उक्त जानकारियां संबंधित सोशल नेटवर्किंग साइट पर तत्समय उनसे सम्बद्ध एकाउंट में विद्यमान नहीं थी तो उस तथ्य को सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से बचाव पक्ष द्वारा साबित किया जा सकता था, जबकि बचाव पक्ष के द्वारा न तो ऐसी जानकारियों के तत्समय आरोपीगण के संबंधित एकाउंट में विद्यमान न होने संबंधी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की है, और न हीं दौरान विचारण उक्त डिजिटल जानकारियों के फर्जी होने के संबंध में किसी प्रकार की परीक्षण अथवा जांच की मांग न्यायालय से की गई है। अतः बचाव पक्ष के उक्त तर्क को भी मान्य नहीं किया जा सकता।

295. बचाव पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह रहा है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के पास मात्र आरोपीगण द्वारा, की गयी कथित न्यायिक संस्वीकृतियां ही एक मात्र साक्ष्य के रूप में विद्यमान हैं, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के अनुसार किसी भी अन्य सह–आरोपी के अपुष्ट कथनों के आधार मात्र पर आरोपी के विरूद्ध निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और न ही दोषसिद्धी आधारित की जा सकती है, क्योंकि अभियोजन को उसका मामला स्वयं की साक्ष्य से सभी संदेह से परे प्रमाणित करना होता है। तत्संबंध में बचाव पक्ष की ओर से **न्यायदृष्टांत सोमसुंदरम उर्फ सोनू विरूद्ध राज्य द्वारा डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (क्रिमिनल अपील क्रमांक 403/2010 में पारित आदेश दिनांक 03.06.2020)** एवं **न्यायदृष्टांत गंगाधर उर्फ गंगाराम विरूद्ध म.प्र. राज्य (क्रिमिनल अपील नंबर 504/2020 पारित आदेश दिनांक 05.08.2020)** प्रस्तुत किये गये हैं।

296. जहां तक वर्तमान प्रकरण, अर्थात् वन्य जीव एवं उनके अवयवों के संबंध में किये गये अपराध, में सह अभियुक्तगण के द्वारा की गयी न्यायिक संस्वीकृतियों के आधार मात्र पर दोषसिद्धी आधारित किये जा सकने का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वन्य जीव अपराध संबंधी महत्वपूर्ण **न्यायदृष्टांत संसारचन्द्र विरूद्ध राजस्थान राज्य,**

क्रिमिनल अपील नंबर 2024 वर्ष 2010 तथा माननीय उच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टांत फॉरैस्ट रैंज ऑफीसर विरूद्ध अबूबकर 1989 केरला हाईकोर्ट तथा न्यायदृष्टांत स्टेट विरूद्ध फ्रांसिस मैसरेनहैस 2015 लॉ सूट (बॉम्बे) 1128 में स्पष्ट धारित किया है कि वन्य जीव अपराधों के संबंध में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50(8)(डी) के अंतर्गत रिसीव एण्ड रिकार्ड एवीडेंस (न्यायायिकेत्तर संस्वीकृति)के आधार पर दोषसिद्धी आधारित की जा सकती है।

297. साथ ही अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि बचाव पक्ष के इस तर्क से भी कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता कि अभियोजन के द्वारा वर्तमान प्रकरण में साक्ष्य के रूप में केवल और केवल सह अभियुक्तगण के संस्वीकृतिकारी कथन ही प्रस्तुत किये गये हैं, परंतु उक्त संबंध में यह तथ्य निश्चित रूप से स्वीकार योग्य है कि अभियोजन ने आधार रूप में सह आरोपीगण की न्यायायिकेत्तर संस्वीकृतिकारी कथनों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, परंतु साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि उक्त कथनों के आधार पर गठित अभियोजन कथा का समर्थन अभिलेख पर आयी वन्य जीवों व अवयवों की जप्ती से, तथा उन दस्तावेजीय साक्ष्यों से भी होता है, जिन्हें आरोपीगण के सोसल नेटवर्किंग एकाउण्ट्स, बैंक एकाउण्ट्स, और ई मेल एकाउण्ट्स आदि से प्राप्त किया गया है।

298. जहां तक आरोपीगण के विरूद्ध सह आरोपीगण की संस्वीकृतियों के अतिरिक्त अन्य किसी चक्षुदर्शी साक्ष्य अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य का अभियोजन द्वारा प्रस्तुत न किया जा सकना है, उक्त संबंध में न्यायालय को वन्य जीव अपराध संबंधी प्रकरणों की विशेष तथ्य एवं परिस्थितियों, तथा उक्त अपराधों के निवारण एवं दण्डन हेतु विधायिका द्वारा बनाये गये विशेष समर्थकारी विधिक उपबंधों के आलोक में ही अभियोजन से आरोपीगण के विरूद्ध आरोपित अपराध के संबंध में साक्ष्य की अपेक्षा करनी होगी, क्योंकि वर्तमान प्रकरण की तथ्य एवं परिस्थितियों में किसी चक्षुदर्शी साक्ष्य अथवा प्रत्यक्ष साक्ष्य का उपलब्ध होना संभव नहीं है, जैसा कि उपरोक्त विवेचना में देखा जा चुका है। अतः बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है।

299. उक्त संबंध में यद्यपि बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा** न्यायदृष्टांत **संसारचंद वि. राजस्थान राज्य क्रिमिनल अपील नं. 2024 वर्ष 2010** में एक सामान्यतौर पर पारित की गयी टिप्पणी को बाध्यकारी मिसाल (वाइडिंग प्रेसीडेंट) के रूप में प्रत्येक प्रकरण में लागू नहीं किया जा सकता, परंतु उक्त तर्क से किसी भी रूप में सहमत नहीं हुआ जा सकता क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वन्य जीव अपराध संबंधी उक्त महत्वपूर्ण न्यायदृष्टांत में न केवल यह धारित किया कि ऐसा कोई अंतिम नियम नहीं है कि एक न्यायायिकेत्तर संस्वीकृति कभी भी दोषसिद्धी का आधार नहीं हो सकती है, बल्कि माननीय न्यायालय ने

केन्द्र एवं राज्य सरकारों और उनकी संबंधित ऐजेंसियों को यह निर्देश भी दिये कि वे वो सभी उपाय करें, जिससे न केवल देश के वन्य जीवों की रक्षा और संरक्षण हो सके, बल्कि देश के वन्य जीव के संरक्षण और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही की जा सके, क्योंकि देश में परिस्थितिकी संतुलन बनाये रखने के लिए यह अति आवश्यक है।

300. उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि यद्यपि माननीय उच्च एवं उच्चतम न्यायालय ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के समर्थकारी उपबंधों की विस्तृत विवेचना कर यह धारित किया कि उक्त के तहत रिसीव एण्ड रिकार्ड की गयी न्यायायिकेत्तर संस्वीकृतियां दोषसिद्धी का आधार हो सकती है,परंतु वर्तमान मामले में प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना से यह स्थापित है कि प्रकरण में सहआरोपीगण की संस्वीकृतियों की दस्तावेजीय साक्ष्य से पुष्टि हुयी है,ऐसे में बचाव पक्ष का उक्त तर्क भी स्वीकार योग्य नहीं है।

301. उल्लेखनीय है कि प्रकरण के आरोपी सुशीलदास उर्फ खोका के अधिवक्ता श्री मणिकांत शर्मा के द्वारा शपथ पत्र पर आवेदन अंतर्गत धारा 340/195 द.प्र.स. आईए नंबर 43/21 प्रस्तुत कर यह निवेदन किया गया है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 346'ए', जो प्रकरण की पीओआर है, को फर्जी रूप से तैयार कर न्यायालय के समक्ष फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करने का गंभीर अपराध किया गया है, क्योंकि तत्संबंध में आवेदक/अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श डी–75, के अवलोकन से उक्त अपराध की पुष्टि होती है, जो प्रदर्श पी 346'ए' की सत्यप्रतिलिपि है, और जिसे आवेदक ने न्यायालय जेएमएफसी सबलगढ जिला मुरैना के वन अपराध क्रमांक 8877/25 में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि के रूप में दिनांक 25.08.2018 को प्राप्त किया है। आवेदक/अधिवक्ता के अनुसार स्वयं विवेचक साक्षी (अ.सा–1) ने प्रतिपरीक्षण के पैरा 530 व 531 में प्रदर्श पी 346'ए' एवं प्रदर्श डी–75 में भिन्नता होना स्पष्ट स्वीकार कर प्रदर्श डी–75 का दस्तावेज भी स्वीकारा है। अधिवक्ता/आवेदक के अनुसार उक्त दोनों दस्तावेजों में भिन्नता इस रूप में दर्शित होती है कि प्रदर्श डी 75 में एसटीएसएफ भोपाल की इंक सील लगी हुई है व कॉलम नं 7 खाली है, जबकि प्रदर्श पी 346'ए' में आरटीएसएफ सागर की सील लगी है, और कॉलम नं 7 पूरा भरा हुआ है, जो यह दर्शाता है कि न्यायालयीन दस्तावेजों में कूट करण किया गया है। अतः उक्त आधार पर आवेदन में सुश्री श्रद्धा पंद्रे (अ. सा–1), रवि शर्मा (अ.सा–3) और रितेश सिरौठिया (अ.सा–17) के विरूद्ध भा.द. वि. की विभिन्न धाराओं (आवेदन में यथा उल्लिखित) के तहत अपराध पंजीबद्ध कराए जाने का निवेदन किया गया है।

302. उक्त आवेदन आईए नंबर 43/21 के आलोक में संबंधित

दस्तावेजों का परिशीलन कर जांच किए जाने से मुख्यतः दो तथ्य दर्शित होते हैं, प्रथमतः तो दस्तावेज प्रदर्श पी 346'ए' पर भी एसटीएसएफ भोपाल की इंक सील लगी है, न कि आरटीएसएफ सागर जैसा कि आवेदन में लेख किया गया है, यद्यपि पेन से आरटीएसएफ सागर लिखा गया है। द्वितीयतः यह कि आवेदन में ही यह तथ्य लेख है कि प्रदर्श डी 75 का दस्तावेज दिनांक 25.08.2018 को न्यायालय जेएमएफसी सबलगढ जिला मुरैना के वन अपराध क्रमांक 8877/25 में प्रस्तुत दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि के रूप में प्राप्त किया गया है, जबकि उक्त संबंध में यह अवलोकनीय है कि प्रदर्श पी 346'ए' का दस्तावेज वर्तमान प्रकरण की मूल पीओआर है, जिसे प्रकरण के प्रथम परिवाद पत्र के साथ परिवाद प्रस्तुति दिनांक 01.07.2017 को इस न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया था, और तद् दिनांक से उक्त मूल दस्तावेज प्रकरण के अभिलेखों में संलग्न है। उल्लेखनीय है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा न्यायालयीन दस्तावेज की सत्यापित प्रतिलिपि केवल मूल दस्तावेजों के संबंध में ही प्रदान की जाती है, ऐसे में जबकि दिनांक 01.07.2017 से प्रकरण क्रमांक 28060/02 की मूल पीओआर अर्थात प्रदर्श पी 346'ए' इस न्यायालय मे विद्य मान है, तब दिनांक 25.08.2018 को न्यायालय जेएमएफसी सबलगढ के द्वारा प्रकरण क्रमांक 8877/25 के दस्तावेजों से इस प्रकरण के पीओआर क्र0 28060/02 की सत्यापित प्रतिलिपि विधितः कैसे जारी की जा सकती है, स्पष्ट है कि प्रदर्श डी 75 के दस्तावेज को वैध दस्तावेज नहीं माना जा सकता और ऐसे किसी दस्तावेज के आधार पर वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा दस्तावेजों का कूटकरण उपधारित नहीं किया जा सकता।

303. यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि आरोपी पक्ष की ओर से दस्तावेज के जो वन विभाग के कर्मचारी द्वारा कूटकरण किये जाने के संबंध में आरोप लगाये गये हैं, वह इसलिए भी स्वीकार योग्य नहीं हैं क्योंकि मात्र आरटीएसएफ भोपाल की गोल इंकसील सील के बगल में पैन से आरटीएसएफ सागर लेख कर दिये जाने से एवं पीओआर के कॉलम नं. 7 में कार्यवाही का विवरण लिख दिये जाने मात्र से वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा न तो ऐसा कोई साक्ष्य गढ़ा जा रहा था, जिसके असत्य होने का उन्हें विश्वास हो और न ही ऐसी टीप या प्रविष्टि से बचाव पक्ष के विरूद्ध न्यायालय द्वारा कोई विपरीत साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सकता था। इस प्रकार वन्य विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसी दस्तावेज का साक्ष्य में उपयोग करने के आशय से कूटकरण किया जाना दर्शित नहीं होता है। यहां यह भी अवलोकनीय है कि प्रकरण में अभियोजन ने प्रस्तुत साक्ष्य से दिनांक 05.05.2017 को मोंगियापुरा में की गई प्रदर्शपी346'ए' संबंधी कार्यवाही को संदेह के परे स्थापित किया है, ऐसे में वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों पर आवेदन द्वारा लगाए गए आरोप स्वीकार योग्य नहीं है। तदनुसार उक्त प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।

304. इस कंडिका में आरोपी/आवेदक मन्नीवन्नन द्वारा प्रस्तुत

आवेदन आईए नं. 45/21 अंतर्गत धारा 340 द.प्र.स. दिनांक 10.03.2021 का निराकरण किया जा रहा है। प्रस्तुत आवेदन में आरोपी/आवेदक के द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित अनोवदक क्रमांक 01 लगायत 11 के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि वन अधिकारियों/कर्मचारियों ने तथा अभियोजन अधिकारी ने उनके सहयोगी होकर, आरोपी/आवेदक के विरूद्ध एक सुनियोजित षड्यंत्र कर फर्जी प्रकरण पंजीबद्ध कराया और संचालित किया है, और तत्संबंध में प्रकरण के दस्तावेजों में कूटकरण कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये हैं, जिसकी पुष्टि प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श पी 01 और प्रदर्श डी 01 लगायत प्रदर्श डी10 (तलाशी उपरांत पंचनामा) से तथा प्रदर्श पी 346'ए' और प्रदर्श डी 75 तथा प्रदर्श पी 34 लगायत प्रदर्श पी 54 से होती है। इसके साथ ही आवेदन में यह भी आक्षेपित किया गया है कि वन विभाग के अधिकारियों ने प्रकरण के अभियोजन अधिकारियों से षडयंत्र कर फर्जी दस्तावेजों को आरोपीगण का होना बताया है, जबकि उक्त दस्तावेज किसी अन्य के हैं, जिसकी पुष्टि प्रदर्श पी 34 लगायत 54 से होती है। साथ ही आवेदन में यह भी लेख किया गया है कि केवल प्रदर्श डी 7 के परिशीलीन से ही यह स्पष्ट है कि वन विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके वरिष्ट अधिकारी रीतेश सिरौठिया के षडयंत्र का कियान्वयन करने के लिए दिनांक 05.05.2017 को आरोपी नंदलाल(मृत) के घर से की गयी कथित जप्ती, जो कि वास्तव में प्रकरण क्रमांक 8877/25 में पी.आर. पर लिये गये आरोपी आजाद की निशानदेही पर किये जाने के कारण उक्त प्रकरण क्रमांक 8877/25 की जप्ती है और जिसकी पुष्टि प्रदर्श डी 7 से ही होती है, को वर्तमान प्रकरण की जप्ती दर्शित कर पीओआर क्र0 28060/02 फर्जी आधार पर पंजीबद्ध की गयी है। उक्त सभी आधारों पर अनावेदकगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत संज्ञान लिये जाने का निवेदन किया गया है।

305. अंतरिम आवेदन आई ए नंबर 45/21 के संबंध में दस्तावेजों का परिशीलन कर जांच करने से यह दर्शित होता है कि आवेदक/आरोपी द्व ारा जिन दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक पक्ष पर कूटकरण कर फर्जी दस्तावेजों की रचना करने का आरोप लगाया गया है, वो दिनांक 05.05.2017 को वन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा आरोपी नंदलाल (मृत) के मोंगियापुरा स्थित घर से आरोपी आजाद की निशानदेही पर जप्त पेंगोलिन शल्क (300ग्राम) की कार्यवाही से संबंधित हैं। आवेदक/आरोपी का मुख्य आक्षेप यह है कि आरोपी आजाद को पुलिस रिमांड पर पीओआर क्रमांक 8877/25 में न्यायालय से वन विभाग के द्वारा प्राप्त कर दिनांक 05.05.2017 की आरोपी नंदलाल (मृत) के घर पर रेड कार्यवाही संपादित की गई थी, तो उक्त कार्यवाही की कथित जप्ती सहित समस्त दस्तावेज पीओआर क्र0 8877/25 के प्रकरण के दस्तावेज हैं तथा आरोपी नंदलाल (मृत) भी उक्त प्रकरण का आरोपी है, जबकि वन विभाग के अधिकारियों ने षडयंत्र पूर्वक उक्त प्रकरण

की कार्यवाही पत्रकों के आधार पर वर्तमान मामले की पीओआर क्र0 28060 / 02 पंजीबद्ध कर ली है और इस कारण वर्तमान प्रकरण के पंचनामा प्रदर्श पी 1 व जप्ती पत्रक प्रपी 368 फर्जी रूप से निर्मित किये गये हैं।

306. उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना में दिनांक 05.05.2017 की संपूर्ण कार्यवाही तथा उससे संबंधित दस्तावेजों यथा पंचनामा प्रदर्श पी 1, पीओआर प्रदर्श पी 346'ए', जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 368 के संबंध में विस्तार से चर्चा की गई है और उक्त दस्तावेजों तथा उनकी कार्यवाहियों को प्रमाणित पाया गया है। उक्त आधार पर ही आवेदक / आरोपी द्वारा लगाये गये मुख्य आरोपों पर विचार करें तो यह दर्शित होता है कि आवेदक / आरोपी ने उक्त दिनांक के पंचनामा प्रदर्श डी 2 को मूल दस्तावेज और प्रदर्श पी 1 को फर्जी रूप से बनाया जाना बताया है, जबकि प्रदर्श डी 2 का प्रदर्श पी 1 की ऐसी कार्बन प्रति होना अभियोजन ने व्यक्त किया है जिस पर कार्यवाही के साक्षियों ने मूल रूप से हस्ताक्षर किये थे और जिसका निर्माण दिनांक 05.05.2017 की कार्यवाही के संबंध में नवीन पीओआर क्र0 28060 / 02पंजीबद्ध किये जाने के कारण केवल न्यायालयीन उपयोग हेतु पीओआर क्र08877 / 25 के प्रकरण में संलग्न करने निमित्त किया गया था, जैसा कि प्रदर्श डी 2 में लेख टीप से दर्शित है। जहां तक प्रदर्श डी 9 (तलाशी पूर्व पंचनामा) और प्रदर्श डी 10(तलाशी उपरांत पंचनामा) में डले प्रकरण क्रमांक का प्रश्न है, निश्चित रूप से नवीन पीओआर क्र0 28060 / 02 पंजीबद्ध किये जाने के पहले की कार्यवाही के दस्तावेज वन्य प्रकरण क्रमांक 8877 / 25 के प्रकरण में की गई कार्यवाही के होने से उक्त प्रकरण में संलग्न किये गये हैं,और उनके संबंध में कोई भ्रमपूर्ण स्थिति नहीं है।

307. अब जहां तक प्रदर्श डी–7 के रिमाण्ड संबंधी आवेदनपत्र के पीओआर क्रमांक 8877 / 25 से संबंधित होने का प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण है कि बचाव पक्ष की ओर से उसके तर्कों में यह स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है कि प्रदर्श डी 7 के रिमाण्ड संबंधी आवेदनपत्र के आधार पर प्रकरण के विवेचक द्वारा आरोपी नंदलाल व आजाद का पीओआर क्रमांक 28060 / 02 में कथित अवैध रूप से ट्रांजिट रिमाण्ड पर प्राप्त किया गया था। इस प्रकार स्वयं आवेदक / आरोपी पक्ष जहां एक ओर अपने तर्क में प्रदर्श डी 7 के दस्तावेज को पीओआर क्रमांक 28060 / 02 में प्रस्तुत ट्रांजिट रिमाण्ड का आवेदन होना अभिकथित करते हैं, वहीं दूसरी ओर उक्त दस्तावेज को पीओआर क्रमांक 8877 / 25 का होना भी व्यक्त करते हैं। यहां यह भी महत्वपूर्ण है कि प्रकरण में यह निर्विवादित है कि आरोपी नंदलाल के घर पर आरोपी आजाद द्वारा दी गयी सूचना पर दिनांक 05.05.2017 को वन विभाग की संयुक्त टीम सहित प्रकरण की विवेचक द्वारा रेड की कार्यवाही की गयी और पीओआर क्रमांक 8877 / 25 के मामले में आरोपी आजाद को दिनांक 03.05.17 को ही गिरफ्तारी पश्चात् पुलिस रिमाण्ड पर लिया जा चुका था।

इस बिन्दु को ध्यान में रखते हुए यदि हम प्रदर्श डी 7 के दस्तावेज पर विचार करें तो यह दर्शित होता है कि उसमें आरोपीगण की गिरफ्तारी का दिनांक 05.05.2017 लेख है। यदि प्रदर्श डी 7 का दस्तावेज पीओआर क्रमांक 8877/25 से संबंधित है, तो निश्चित ही उसमें आरोपी आजाद की गिरफ्तारी दिनांक 05.05.17 लेख नहीं होता, क्योंकि आरोपी आजाद तो दिनांक 03.05.17 के पुलिस रिमाण्ड के पूर्व ही उक्त पीओआर क्रमांक 8877/25 में गिरफ्तार किया जा चुका था। वस्तुतः प्रदर्श डी 7 का दस्तावेज इस मामले के पीओआर क्रमांक 28060/02 का ट्रांजिट रिमाण्ड आवेदन है और इसी कारण से जब दिनांक 05.05.17 को आरोपी नंदलाल के यहां से अधिनियम के अध्याय 5क की अनूसुची 1 के वन्यजीव अवयव पेंगोलिन शल्क की जप्ती हुयी, तब आरोपीगण को इस पृथक गंभीर मामले के संबंध में प्रदर्श डी 7 के माध्यम से ट्रांजिट रिमाण्ड पर लिया गया था और उसी अनुसार न्यायालय की अनुमति से प्रदर्श पी 58 एवं प्रदर्श पी 59 के द्वारा आरोपी नंदलाल व आरोपी आजाद को पीओआर क्रमांक 28060/02 में औपचारिक रूप से दिनांक 06.05.2017 को गिरफ्तार किया गया था। इस प्रकार उक्त संबंध में अभियोजन द्वारा दस्तावेजों के कूटकरण संबंधी प्रस्तुत आरोपी/आवेदक का तर्क स्वीकार योग्य नहीं है। इसी प्रकार जहां तक प्रदर्श पी 346ए और प्रदर्श डी 75 के संबंध में किये गये तर्क का प्रश्न है, अंतरिम आवेदन क्रमांक 43/21 के निराकरण (उपरोक्त वर्णित) में उक्त तथ्य की विस्तृत विवेचना की जा चुकी है।

308. जहां तक न्यायालयीन दस्तावेजों प्रदर्श पी 34 लगायत प्रदर्श पी 54 और अभियोजन साक्षियों द्वारा न्यायालयीन साक्ष्य में व्यक्त तथ्य के संबंध में आरोपी/आवेदक द्वारा लगाये गये आरोपों का प्रश्न है, उल्लेखनीय है कि इस प्रकरण की उपरोक्त साक्ष्य विवेचना में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक दस्तावेज और प्रत्येक साक्षी की साक्ष्य की विश्वसनीयता और प्रमाणिकता पर विचार किया जा चुका है और यह नहीं पाया गया है कि कोई भी दस्तावेज कूटकृत रूप से अथवा फर्जी बनाकर अभियोजन ने प्रस्तुत किये हैं, या प्रस्तुत दस्तावेजों के संबंध में झूठे कथन किये गये हैं। अतः उपरोक्त विश्लेषण पश्चात् यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि आवेदक/आरोपी की ओर से प्रकरण की विवेचक व वन विभाग के अन्य कर्मचारियों व अभियोजन अधिकारियों के विरूद्ध इस विशिष्ट मामले के संबंध में प्रस्तुत अभियोजन दस्तावेजों के कूटकरण कर आरोपीगण के विरूद्ध फर्जी व सनसनीखेज मामला तैयार किये जाने का आरोप लगाते हुये, प्रकरण की विवेचक व अन्य अनावेदकगण के विरूद्ध धारा 340 द.प्र.सं. का आवेदनपत्र प्रस्तुत कर उनको अभियोजित किये जाने का, जो निवेदन किया गया है, वह स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि आवेदनपत्र में वर्णित किये गये कथित अभियोजन दस्तावेज संपूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय द्वारा विश्वसनीय पाये गये हैं और विवेचक व अन्य अभियोजन साक्षियों द्वारा उक्त दस्तावेजों में कूटकरण किये जाने या उनके

आधार पर मिथ्या साक्ष्य गढने संबंधी कोई तत्व आरोपी / आवेदक दर्शित नहीं कर सका है। तदानुसार धारा 340 द.प्र.सं. के तहत प्रस्तुत अंतरिम आवेदन क्रमांक 45 / 21 निरस्त किया जाता है।

309. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह के परे अभियुक्तगण के विरूद्ध यह प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है कि अभियुक्तगण आजाद, अजयसिंह, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, मोहम्मद इकरार उर्फ डॉक्टर ,थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका एवं तपश बसाक उर्फ रोनी ने उनको अभिरक्षा में लिये जाने की दिनांक के पूर्व के वर्षों में, सह–अभियुक्तगण, नंदलाल (मृत) एवं अन्य अभियुक्त शेखरदास व सुल्तान तथा उपरोक्त अभिलिखित फरार अभियुक्तगण के साथ मिलकर, वन्य प्राणियों की अवैध तस्करी हेतु कार्यरत एक अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के सदस्य के रूप में, भारत के मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, पश्चिम बंगाल, चेन्नई, दिल्ली आदि राज्यों, तथा भारत के बाहर के श्रीलंका, बंग्लादेश, चीन, थाईलेंड, पाकिस्तान, मलेशिया, हांगकांग आदि देशों, में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में उल्लेखित विलुप्तप्राय वन्य प्राणी, जो अनुसूचित पशु भी है, लाल तिलकधारी कछुआ को जीवित अवस्था में स्वयं के कब्जे में रखा, तथा विलुप्तप्राय अनुसूचित पशु / वन्य प्राणी पेंगोलिन के स्कल्स को बिना अनुज्ञप्ति के स्वयं के कब्जे में रखा, तथा व्यापार के संबंध में उक्त अनुसूचित पशु / वन्य जीव व वन्य जीव अवयव का अवैध परिवहन किया, और बिना अनुज्ञप्ति के खरीद–फरोख्त (व्यापार) किया, परिणामतः उपरोक्त सभी अभियुक्तगण को वन्य प्राणी संरक्षण (संशोधन 2003) अधिनियम 1972 की धारा–39, 44, 48, 48ए, 49, 49बी एवं धारा 52 सहपठित धारा 51 (1) के परंतुक, एवं धारा 51 (1–क) के आरोप में, साथ ही अभियुक्तगण अजयसिंह, सम्पतिया, विजय गौड़, कमल बाथम, रामसिंह उर्फ भोला, कैलाशी उर्फ चच्चा, थमीम अंसारी, मोहम्मद इरफान, मन्नीवन्नन, सुशीलदास उर्फ खोका एवं तपश बसाक उर्फ रोनी को अधिनियम की धारा 9 सहपठित धारा 51(1)के परंतुक, एवं धारा 51(1–क) के आरोप में सिद्धदोष ठहराया जाता है।

310. अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के अंतर्गत परिवीक्षा पर छोड़े जाने के बिन्दु पर बचावपक्ष के अधिवक्तागण के निवेदन पर विचार किया। प्रकरण की परिस्थिति,अपराध की गंभीरता के तथ्य को दृष्टिगत रखते हुये आरोपीगण को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

311. आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु प्रकरण कुछ समय पश्चात पेश हो।

(विवेक कुमार पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,सागर

पुनश्चः–

312. दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्तागण एवं अभियोजन को सुना गया। अभियुक्तगण अजय, इकरार, रामसिंह उर्फ भोला, विजय, आजाद, इरफान, तपस बसाक, कमल बाथम के अधिवक्तागण द्वारा यह निवेदन किया गया है कि उक्त अभियुक्तगण आरोपित दंड के लिए विहित अवधि के आधे से अधिक अवधि का कारावास व्यतीत कर चुके हैं ऐसे में उनके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई (अंडरगोन) अवधि का कारावास देते हुये रिहा किया जावे, अभियुक्त कैलाशी उर्फ चच्चा के अधिवक्ता ने यह निवेदन किया है कि अभियुक्त को उसके कार्य के अनुसार दंड प्रदान किया जाये, क्योंकि अभियुक्त कैलाशी उर्फ चच्चा पर निचले स्तर पर कार्य करने का आरोप है, ऐसे मे उसे न्यूनतम दंड से दंडित किया जावे, अभियुक्त सुशीलदास उर्फ खोका के अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि उनका अभियुक्त 65 वर्षीय वृद्ध है और 03 साल से अधिक कारावास व्यतीत कर चुका है ऐसे में उसके द्वारा अभिरक्षा में व्यतीत की गई (अंडरगोन) अवधि का कारावास देते हुये रिहा किया जावे, अभियुक्त संपत्तिया के अधिवक्ता ने व्यक्त किया है कि अभियुक्त संपत्तिया शासकीय सेवक है इसलिये उसे न्यूनतम दंड से दंडित किया जावे, अभियुक्त मन्नीवन्नन के अधिवक्ता ने अभियुक्त मन्नीवन्नन को दोषमुक्त करने का निवेदन किया, जबकि अभियुक्त थमीम अंसारी की ओर से कोई भी निवेदन नहीं किया गया है।

313. इस संबंध में यह अवलोकनीय है कि जहां न्यूनतम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किये जाने का प्रावधान विधि में उपबंधित हो वहां अभियुक्त को दंडित किये जाने में उदारता बरतना उचित नहीं, वैसे भी इस मामले में यह विचारणीय है कि वर्तमान में वन्यजीवों के अस्तिव का संकट विद्यमान हो गया है, जिसका कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वन्यजीव तथा उनके अंगों की बढ़ती हुई मांग है, वन्यजीवों के अवैध व्यापार से कई वन्य प्राणी प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर पहुंच गई हैं, और भारत वन्यजीव अपराध के संबंध में विश्व में ''हॉटस्पॉट'' बनकर उभर रहा है। वर्ल्डवाइल्ड फंड और लंदन की जीयो लॉजीकल सोसाईटी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 के अंत तक पृथ्वी से दो–तिहाई वन्यजीव समाप्त हो चुके हैं तथा वर्ष 1970 से अब तक वन्यजीवों की संख्या में लगभग 80 प्रतिशत की कमी आई है, इसी कारण संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संस्था द्वारा भी वन्यजीवों के गैर कानूनी व्यापार पर रोक लगाने हेतु ''जीवन के लिए संघर्ष'' (Wild for life) कार्यक्रम चलाया गया है। वन और वन्यजीव की सुरक्षा व संरक्षण का दायित्व आदिकाल से मानव पर रहा है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48'क' तथा अनुच्छेद 51'क' की कंडिका 7 में क्रमशः ''राज्य के नीति निदेशक तत्व'' तथा नागरिकों के ''मूल कर्त्तव्य'' के रूप में समाहित किया गया है, जिससे हम सभी भारतवासियों पर वन्यजीवों के संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी संवैधानिक दायित्व के

अधीन हैं, परंतु अवैध धन कमाने की चाह में रक्षक ही भक्षक बन बैठे हैं, जैसा कि इस मामले में अभियुक्तगण के द्वारा एक संगठित गिरोह के सदस्य होकर अंतर्राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यजीवों तथा उनके अव्यवों की तस्करी का अपराध कारित किया गया है। वन्य अपराध के संबंध में **न्यायदृष्टांत फॉरेस्ट रेंज ऑफीसर सोलायर विरूद्ध पथरोज बगैराह 1990 एफएलडी 60 केरल राज्य** में **जस्टिस नायर** ने अभिमत प्रकट करते हुए यह व्यक्त किया कि–

''वन्य प्राणी का परिरक्षण और पारिस्थितिकीय तथा पर्यावरण का परिरक्षण राष्ट्रीय प्राथमिकता है, अभियोजन एजेंसी तथा कार्यान्वयन एजेंसी जीवन की वास्तविकताओं से बिल्कुल असंवेदनशील नहीं हो सकती और उससे भिन्न रवैया नहीं अपना सकती हैं, क्रीडा पूर्ण वध (wanton killings) करना और वन्य प्राणियों का विनाश और पर्यावरण एक बहुत बडी चुनौती है और इस का सामना प्रभावकारी रूप से तथा प्रयोजनपूर्वक किया जाना आवश्यक है।''

स्पष्ट है कि अभियुक्तगण दंड में किसी भी प्रकार की रियायत पाने के हकदार नहीं हैं।

314. उल्लेखनीय है कि सिद्धदोषगण के द्वारा अपराध कारित करने में अलग–अलग स्तर पर अपनी–अपनी भूमिका का निर्वहन किया गया है, और जहां गिरोह के एक समूह ने निचले व ग्रामीण स्तर पर वन्यजीवों का शिकार व तलाश की, वहीं दूसरे समूह ने मिडिल मैन के रूप में उनसे उक्त वन्यजीव संग्रहित कर परिवहन द्वारा वन्यजीवों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना सुनिश्चित किया, और इस पूरे संगठित अपराध के मुखिया ने नीचे के दोनों स्तरों को संरक्षण देते हुये उक्त वन्यजीवों तथा उनके अंगों को विदेशों में स्थित वन्यजीव व उनके अंगो के अवैघ व्यापार में संलिप्त अंतर्राष्ट्रीय तस्करों तक पहुंचाया है, इस प्रकार निश्चय ही सिद्धदोषगण द्वारा कारित अपराध की गुरूत्तरता को देखते हुए ही दंड की मात्रा का भी निर्धारण किया जाना उचित होगा। उल्लेखनीय है कि सिद्धदोषगण को अधिनियम की धारा 51–1 के परंतुक, तथा धारा 51–1'क' के तहत सिद्धदोष पाया गया है, जिसके संबंध में यह विचारणीय है कि सिद्धदोषगण द्वारा किये गये एक ही कृत्य (अधिनियम की अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट प्राणी लालतिलकधारी कछुआ व पेंगोलिन शल्क के संबंध में अपराध) को अधिनियम के दो उपबंधों, धारा 51–1 के परंतुक तथा धारा 51–1'क', में पृथक–पृथक दंडनीय बनाया गया है, और दंड की समान मात्रा से दंडनीय बनाया गया है, ऐसे में ''दोहरे दंड के सिद्धांत'' को ध्यान में रखते हुए यह न्यायालय समेकित रूप से एक ही धारा, अर्थात् अधिनियम की धारा 51–1'क' के तहत सिद्धदोषगण में से निचले स्तर पर भूमिका निभाने वाले दोषीगण आजाद, कैलाशी उर्फ चच्चा, संपत्तिया बाथम, कमल बाथम और विजय गौंड़ को सात–सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 20,000 / – –20,000 / – (शब्दों में बीस–बीस हजार) रूपये मात्र के अर्थदंड से, तथा

मध्यम स्तर पर भूमिका निभाने वाले दोषीगण अजय सिंह, रामसिंह उर्फ भोला, इरफान, तपस बसाक, सुशीलदास उर्फ खोका, इकरार उर्फ डॉक्टर एवं थमीम अंसारी को सात–सात वर्ष के कठोर कारावास तथा 50,000/– –50000/– (शब्दों में पचास–पचास हजार) रूपये मात्र के अर्थदंड से, तथा गिरोह के सरगना दोषी मन्नीवन्नन को सात वर्ष के कठोर कारावास के साथ–साथ 5,00,000(शब्दों में पांच लाख) रूपये मात्र के उदाहारणात्मक अर्थदंड से दंडित करता है। अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण आजाद, कैलाशी उर्फ चच्चा, संपत्तिया बाथम, कमल बाथम,विजय गौंड़, को 06–06 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे, तथा अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्तगण अजय सिंह, रामसिंह उर्फ भोला, इरफान, तपस बसाक, सुशीलदास उर्फ खोका, इकरार उर्फ डॉक्टर एवं थमीम अंसारी को 01–01 वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे तथा अर्थदंड की अदायगी में व्यतिक्रम पर अभियुक्त मन्नीवन्नन को 1 वर्ष 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगताया जावे।

315. अभियुक्तगण आजाद, कैलाशी उर्फ चच्चा, विजय गौंड़, संपत्तिया बाथम को अभिरक्षा में लेकर उनके पूर्व के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

316. प्रकरण में जप्त मुद्देमाल का निराकरण फरार आरोपीगण के निर्णय के समय किया जावेगा।

317. अभियुक्तगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

318. अभियुक्त आजाद के द्वारा निरोध में दिनांक 10.05.2017 से 20.03.2018 तक कुल दस माह दस दिन (तीन सौ चौदह दिवस), अभियुक्त अजय सिंह के द्वारा निरोध में दिनांक 10.06.2017 से 19.07.2021 तक कुल चार वर्ष एक माह नौ दिन (एक हजार पांच सौ दिवस), अभियुक्त संपत्तिया के द्वारा निरोध में दिनांक 10.06.2017 से 20.03.2018 तक कुल नौ माह दस दिन (दो सौ तैरासी दिवस), अभियुक्त विजय के द्वारा निरोध में दिनांक 29.06.2017 से 20.03.2018 तक कुल आठ माह इक्कीस दिन (दो सौ चौंसठ दिवस), अभियुक्त कमल के द्वारा निरोध में दिनांक 30.06.2017 से 20.03.2018 कुल आठ माह बीस दिन (दो सौ तिरेसठ दिवस), अभियुक्त रामसिंह उर्फ भोला के द्वारा निरोध में दिनांक 07.09.2017 से 19.07.2021 तक कुल तीन वर्ष दस माह बारह दिन (एक हजार चार सौ ग्यारह दिवस), अभियुक्त कैलाशी उर्फ चच्चा के द्वारा निरोध में दिनांक 07.09.2017 से 23.04.2018 तक एवं दिनांक 02.05.2018 से 17.07.2018 कुल तीन सौ चार दिन, अभियुक्त मो. इकरार के द्वारा निरोध में दिनांक 09.09.2017 से 19.07.2021 तक कुल तीन वर्ष दस माह दस दिन (एक हजार चार सौ नौ दिवस), अभियुक्त थमीम अंसारी के द्वारा निरोध में दिनांक 13.10.2017 से 19.07.2021 तक कुल तीन वर्ष नौ माह

छः दिन (एक हजार तीन सौ पच्हत्तर दिवस), अभियुक्त मो. इरफान के द्वारा निरोध में दिनांक 05.02.2018 से 19.07.2021 तक कुल तीन वर्ष पांच माह चौदह दिन (एक हजार दो सौ साठ दिन), अभियुक्त मन्नीवन्नन के द्वारा निरोध में दिनांक 05.02.2018 से 19.07.2021 तक कुल तीन वर्ष पांच माह चौदह दिन (एक हजार दो सौ साठ दिन), अभियुक्त सुशीलदास उर्फ खोका के द्वारा निरोध में दिनांक 02.01.2019 से 19.07.2021 तक कुल दो वर्ष छः माह सत्तरह दिवस (नौ सौ उत्नीस दिन), अभियुक्त तपश बशाक के द्वारा निरोध में दिनांक 07.03.2019 से 19.07.2021 तक कुल दो वर्ष चार माह बारह दिन (आठ सौ पैंसठ दिन) की अवधि व्यतीत की गई है, उक्त अभियुक्तगण द्वारा निरोध में व्यतीत की गई उक्त अवधि को उन पर अधिरोपित कारावास की अवधि के विरूद्ध मुजरा किया जावे। तत्संबंध में अभियुक्तगण का धारा 428 द.प्र.सं. का प्रमाण पत्र तथा सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

।। विवेक कुमार पाठक ।।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागर.

।। विवेक कुमार पाठक ।।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
सागर.